खण्ड–511, अंक–05
बुधवार, 30 माघ, शक संवत् 1941
(19 फरवरी, 2020 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2020)

(खण्ड 511 में 10 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2020

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-75
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (अट्ठाइसवां संशोधन) नियमावली, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	75
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उन्तीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	75
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1164/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-2017-आदेश(45)- 2019, दिनांक 06 अगस्त, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	75-76
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1165/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (46)-2019, दिनांक 06 अगस्त, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	76
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1166/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(47)-2019, दिनांक 06 अगस्त, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ...	76
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1167/ग्यारह-9 (47) -17-उ0प्र0ऐक्ट-1-2017-आदेश (48)-2019, दिनांक 06 अगस्त, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	76
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	76-77
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-20/237/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (50)-2019, दिनांक 19 अगस्त, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	77
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (इकतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	77
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-क0नि0-2-1239/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-2017-आदेश(52)-2019, दिनांक 19 अगस्त, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	77
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-क0नि0-2-1240/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (53)- 2019, दिनांक 19 अगस्त, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	77-78

विषय	पृष्ठ-संख्या
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1242/ग्यारह-9(1)-2008-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश(54)-2019, दिनांक 19 अगस्त, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	78
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1169/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(55)-2019, दिनांक 18 सितम्बर, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	78
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1170/ग्यारह-9(47)-17-30-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (56)-2019, दिनांक 18 सितम्बर, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	78
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना/शुद्धि-पत्र संख्या-क0 नि0-2-1397/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(57)- 2019, दिनांक 25 सितम्बर, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	78-79
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1306/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(58)-2019, दिनांक 25 सितम्बर, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	79
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-1048/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश (59)-2019, दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	79
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1281/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 जी0 एस0 टी0 नियम-2017-(60)-2019, दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	79
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1576/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (61)-2019, दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ...	79-80
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1647/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-1-2017-आदेश (62)- 2019, दिनांक 07 नवम्बर, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	80
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1521/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (63)-2019, दिनांक 15 नवम्बर, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	80

विषय	पृष्ठ-संख्या
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1556/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (64)-2019, दिनांक 15 नवम्बर, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	80
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1557/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (65)-2019, दिनांक 15 नवम्बर, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	81
औचित्य के प्रश्न की सूचना	81
प्रश्नकाल बाधित होने पर उसी दिन अथवा अगले दिन प्रश्नकाल हेतु समय निर्धारित किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना... ...	81-86
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	86-94
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा...	94-127
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	127-142
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	143-144
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत मलंगा नाला पर रेलिंग बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	145
जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रेउसा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खरौहा में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	145
उ0प्र0 में जन स्वास्थ्य रक्षक सेवाओं को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	145-146
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी के अन्तर्गत कैथा-पतिसा-विस्तुई नाले की खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	146
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोषी के अन्तर्गत गोदाम घाट तमसा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	146-147
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बरखेड़ा के अन्तर्गत गजरौला में नयी तहसील स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	147
जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज में कतिपय ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	147-148
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में बन रहे 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	148

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत कतिपय नहरों पर पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	148-149
जनपद बदायूं में सभी सरकारी विद्यालयों में एन0सी0ई0आर0टी0 की किताबों की पूर्ति में हुई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	149
जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट के ग्राम पंचायत मखदूमपुर में सीवर/पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	150
भारत-नेपाल सीमा पर सोनौली बाजार एरिया में बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	150
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	150-151
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के अन्तर्गत दीदारगंज थाने से ग्राम आमगांव होते हुए ग्राम अरनौला तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	151
जनपद बरेली में नवनिर्मित 300 शैय्या वाला अस्पताल को शीघ्र संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	151
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के अन्तर्गत देवकली पम्प कैनाल से लगे हुए सभी माइनर का सी0सी0 लाइनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	152
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत लहंगपुर रजबहा की लाइनिंग पिचिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	152
उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों के अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	152-153
भदोही-मिर्जापुर सीमा पर सेमरा में व शास्त्री सेतु के पश्चिम मवैया के सामने कटान क्षेत्र पर बांध बनाकर बाढ़ से बचाव कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	153
जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद के अन्तर्गत अजनपुर इनौती से कानपुर किशननगर भौंती तक पड़ने वाली राम गंगा सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	153-154

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बिजनौर में सी0 ए0 ए0 एवं एन0 आर0 सी0 के विरोध में किये गये प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर झूठे मुकदमों से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	154
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1520/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (66)-2019, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	155
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1527/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (67)-2019, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	155
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1529/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (68)-2019, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	155
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1665/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (69)-2019, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	155-156
लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक विवरण वित्तीय वर्ष 2018-19 (सदन के पटल पर रखी गयी)	156
मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (सदन के पटल पर रखा गया)	156
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का प्रथम प्रतिवेदन (खण्ड-4) (प्रस्तुत किया गया)	156
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का द्वितीय प्रतिवेदन (खण्ड-5) (प्रस्तुत किया गया)	156-157
श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	157
श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट', सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	158
श्री संजय सिंह गंगवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	158

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री सुखदेव राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद-हरदोई से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)...	158
श्री आजाद अरिमर्दन, सदस्य, विधान सभा की जनपद-आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)...	158
श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)...	159
श्री मूलचन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	159
प्रिंस वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)...	159
श्री लाल बहादुर, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)...	159
श्री राहुल प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मीरजापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)...	159
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गाजियाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	159
श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)...	160
श्री अबरार अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)...	160
श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)...	160
श्री श्याम सुन्दर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)...	160
श्री गौरी शंकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)...	160-161
श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	161
श्री काली प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)...	161-162

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	162
डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	162
श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	163
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)...	163
डॉ0 अनीता लोधी राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	163-164
श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)...	164
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	164-168
नत्थियां	169-194

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 19 फरवरी, 2020 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-347

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
3. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
4. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
5. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
6. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
7. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
8. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
9. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
10. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
11. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
12. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
13. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
14. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
15. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
16. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
17. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
18. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
19. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
20. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
21. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
22. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
23. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
24. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
25. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
26. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
27. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
28. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
29. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
30. असलम अली, श्री — हापुड़
31. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
32. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
33. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
34. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
35. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
36. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
37. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री — हरदोई
38. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
39. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
40. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
41. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
42. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
43. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
44. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
45. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
46. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
47. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
48. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
49. ओम प्रकाश राजभर, श्री — गाजीपुर
50. कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर

51. कमल रानी, श्रीमती — कानपुर नगर
52. कमल सिंह मलिक, श्री — हापुड़
53. कमलेश शुक्ल, श्री — देवरिया
54. करण सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
55. कल्पनाथ पासवान, श्री — आजमगढ़
56. कारिन्दा सिंह, श्री — मथुरा
57. काली प्रसाद, श्री — देवरिया
58. किरत सिंह, श्री — सहारनपुर
59. किशन लाल राजपूत, श्री — पीलीभीत
60. कुशाग्र सागर, श्री — बदायूं
61. कृष्णपाल मलिक, श्री — बागपत
62. कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
63. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री — बलरामपुर
64. कैलाश नाथ सोनकर, श्री — वाराणसी
65. कैलाश सिंह राजपूत, श्री — कन्नौज
66. गंगा, श्री — कुशीनगर
67. गरिमा सिंह, श्रीमती — अमेठी
68. गिरीश चन्द्र यादव, श्री — जौनपुर
69. गुलाब देवी, श्रीमती — सम्भल
70. गौरव कुमार, श्री — बाराबंकी
71. गौरी शंकर, श्री — जालौन
72. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री — बांदा
73. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री — बस्ती
74. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री — चित्रकूट
75. चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
76. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री — बरेली
77. जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
78. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री — कुशीनगर
79. जन्मेजय सिंह, श्री — मेरठ
80. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 — इलाहाबाद
81. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री — फतेहपुर
82. जय देवी, श्रीमती — लखनऊ
83. जयप्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
84. जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
85. जवाहर लाल राजपूत, श्री — झांसी
86. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री — मेरठ
87. जितेन्द्र वर्मा, श्री — आगरा
88. ज्ञान तिवारी, श्री — सीतापुर
89. ज्ञानेन्द्र, श्री — महाराजगंज
90. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 — बरेली
91. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 — नाम-निर्देशित
92. तसलीम अहमद, श्री — बिजनौर
93. तेजपाल सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
94. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री — शामली
95. त्रिवेणी राम, श्री — गाजीपुर
96. दयाराम चौधरी, श्री — बस्ती
97. दल बहादुर, श्री — रायबरेली
98. दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
99. दारा सिंह चौहान, श्री — मऊ
100. दिनेश खटीक, श्री — मेरठ
101. दिनेश चौधरी, श्री — जौनपुर
102. दीनानाथ भाष्कर, श्री — भदोही
103. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
104. देवमणि द्विवेदी, श्री — सुल्तानपुर
105. देवेन्द्र कुमार निम, श्री — सहारनपुर
106. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — कासगंज
107. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री — बुलन्दशहर
108. धनन्जय कन्नौजिया, श्री — बलिया
109. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री — बाराबंकी
110. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 — सहारनपुर
111. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री — बदायूं
112. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — रायबरेली
113. धीरेन्द्र सिंह, श्री — गौतमबुद्ध नगर
114. नईम उल हसन, श्री — बिजनौर
115. नन्द किशोर गुर्जर, श्री — गाजियाबाद

116. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
117. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
118. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
119. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
120. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
121. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
122. नसीर अहमद खाँ, श्री रामपुर
123. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
124. नाहिद हसन, श्री शामली
125. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
126. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
127. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
128. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
129. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
130. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
131. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
132. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
133. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
134. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
135. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
136. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
137. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
138. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
139. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
140. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
141. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
142. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
143. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
144. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
145. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
146. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
147. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
148. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
149. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
150. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
151. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
152. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
153. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
154. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
155. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
156. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
157. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
158. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
159. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
160. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
161. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
162. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
163. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
164. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
165. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
166. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
167. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
168. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
169. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
170. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
171. महबूब अली, श्री अमरोहा
172. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
173. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
174. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
175. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
176. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
177. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
178. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
179. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
180. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
181. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
182. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
183. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद

184. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री — श्रावस्ती
185. मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
186. मो0 फईम इरफान, श्री — मुरादाबाद
187. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री — आगरा
188. योगेश धामा, श्री — बागपत
189. योगेश वर्मा, श्री — खीरी
190. रघुराज प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
191. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री — कुशीनगर
192. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री — फतेहपुर
193. रत्नाकर मिश्र, श्री — मिर्जापुर
194. रफीक अन्सारी, श्री — मेरठ
195. रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
196. रमाशंकर सिंह, श्री — मिर्जापुर
197. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री — औरैया
198. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री — जौनपुर
199. रवि कुमार सोनकर, श्री — बस्ती
200. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — भदोही
201. रवि शर्मा, श्री — झांसी
202. रवीन्द्र जायसवाल, श्री — वाराणसी
203. राकेश प्रताप सिंह, श्री — अमेठी
204. राकेश राठौर, श्री — सीतापुर
205. राकेश सिंह, श्री — रायबरेली
206. राकेश सिंह बघेल, श्री — सन्तकबीर नगर
207. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
208. राजकुमार अग्रवाल, श्री — हरदोई
209. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री — मैनपुरी
210. राजकुमार पाल, श्री — प्रतापगढ़
211. राजकुमार सहयोगी, श्री — अलीगढ़
212. राजबाला, श्रीमती — रामपुर
213. राजमणि कोल, श्री — इलाहाबाद
214. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री — बदायूं
215. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री — झांसी
216. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री — प्रतापगढ़
217. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री — बरेली
218. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री — मुरादाबाद
219. राजेश गौतम, श्री — सुल्तानपुर
220. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 — बदायूं
221. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 — गोरखपुर
222. राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकर नगर
223. राम कृष्ण भार्गव, श्री — सीतापुर
224. राम गोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
225. राम चन्द्र यादव, श्री — फैजाबाद
226. राम नरेश रावत, श्री — रायबरेली
227. रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
228. राम प्रताप सिंह, श्री — आगरा
229. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री — बलरामपुर
230. राम फेरन पाण्डेय, श्री — श्रावस्ती
231. रामरतन कुशवाहा, श्री — ललितपुर
232. रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
233. रामानन्द बौद्ध, श्री — कुशीनगर
234. राहुल प्रकाश, श्री — मिर्जापुर
235. रितेश कुमार गुप्ता, श्री — मुरादाबाद
236. रोशन लाल वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
237. लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
238. लाखन सिंह, श्री — औरैया
239. लाल जी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
240. लाल बहादुर, श्री — कौशाम्बी
241. लीना तिवारी, श्रीमती — जौनपुर
242. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — खीरी
243. विकास गुप्ता, श्री — फतेहपुर
244. विक्रम सिंह, श्री — फतेहपुर
245. विक्रम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
246. विक्रमाजीत मौर्य, श्री — इलाहाबाद

247. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
248. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
249. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
250. विजय मिश्र, श्री भदोही
251. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
252. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
253. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
254. विनय शाक्य, श्री औरैया
255. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
256. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
257. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
258. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
259. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
260. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
261. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
262. वीरेन्द्र, श्री एटा
263. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
264. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
265. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
266. शशांक वर्मा, श्री खीरी
267. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
268. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
269. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
270. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
271. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
272. शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
273. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
274. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
275. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
276. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
277. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
278. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
279. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
280. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
281. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
282. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
283. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
284. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
285. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
286. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
287. संजय, श्री बुलन्दशहर
288. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
289. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
290. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
291. संजय यादव, श्री बलिया
292. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
293. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
294. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
295. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
296. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
297. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
298. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
299. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
300. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
301. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
302. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
303. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
304. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
305. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
306. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
307. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
308. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
309. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
310. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
311. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
312. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर

313. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
314. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
315. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
316. सुभाष राय, श्री अम्बेडकरनगर
317. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
318. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
319. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
320. सुरेश कुमार, श्री शामली
321. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
322. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
323. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
324. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
325. सुरेश राही, श्री सीतापुर
326. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
327. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
328. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
329. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
330. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
331. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
332. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
333. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
334. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
335. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
336. सौरभ सिंह, श्री खीरी
337. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
338. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
339. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
340. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
341. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
342. हरीराम, श्री सोनभद्र
343. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
344. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
345. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
346. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
347. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :- मा0 मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ) तथा जल शक्ति मंत्री (डॉ0 महेन्द्र सिंह) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में पालीथिन बैगों के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के कारण उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने विषयक

****1-श्री संजय गर्ग, श्री संजय प्रताप जायसवाल तथा श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पालीथिन बैगों से हो रहे पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के दृष्टिगत प्रदेश में पालीथिन बैग के उपयोग पर सरकार पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास, शहरी समग्र विकास मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'')-

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा-6 क, 7, 12 और 13 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के क्रम में निर्गत अधिसूचना संख्या-1056/नौ-7-18-29 (लखनऊ)/2018, दिनांक 15-07-2018 द्वारा 50 माइक्रोन से कम घनत्व के प्लास्टिक कैरी बैगों और 50 अथवा उससे अधिक माइक्रोन के घनत्व के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों, प्लास्टिक या थर्मोकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य वस्तुओं का विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को दिनांक 15-08-2018 से समस्त नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी में आने वाले क्षेत्रों में प्रतिषिद्ध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि इस प्रदेश से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का मुझे मौका मिला। आज हम पर्यावरण से जूझ रहे हैं, उसमें आपने अनुपूरक करने का मौका दिया। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मा0 मंत्री जी से छोटे-छोटे दो सवाल पूछना चाहता हूं। हमारा जो प्रश्न था कि क्या पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के दृष्टिगत प्रदेश में पॉलीथीन बैग के उपयोग पर सरकार पूर्ण प्रतिबंध लगाएगी ? यह मेरा प्रश्न था। इसमें मा0 मंत्री जी का जो उत्तर आया है कि हमारा 15-7-2018 द्वारा पचास माइक्रोन से अधिक कम घनत्व का हमने शासनादेश जारी किया है और इसको हमने सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों में हमने 15-8-2018 को यानि एक महीने के बाद हमने सबको सर्कुलेट कर दिया है, इससे

हम सहमत हैं। मेरा सवाल था कि वर्ष 2018 के बाद हम वर्ष 2020 में हैं, क्या इस शासनादेश से जो हमारी मंशा है उसमें पूर्ण प्रतिबंध लगा है, अगर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा है तो इन दो सालों में आपने कितने प्रतिशत कंट्रोल कर लिया है, और तीसरा सवाल है कि क्या हम जो छोटे-छोटे जो सब्जी बेचने वाले हैं, छोटे-छोटे व्यापारी हैं और जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं, अगर हम बहुत प्रेशर बनाते हैं, अगर हमारा सवाल लगा है तो कल पुलिस जाकर दो-चार लोगों का चालान कर देगी, नगर पंचायत के कर्मचारी दो-चार लोगों को जाकर उठा लेंगे, लेकिन क्या सरकार यह जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और जो इसके निर्माता हैं उन पर प्रतिबंध लगाएगी ? या लगाया है ? तो इन दो सालों में कितने मैन्युफैक्चरर पर सरकार ने किस तरह की कार्यवाही की है।

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

मान्यवर, सरकार ने प्लास्टिक और कैरी बैग के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है और इस पर जो कार्यवाही हुई है इन दो सालों में एक तो जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए गए, लोगों को समझाया गया कि आप कैरी बैग न यूज करें, इसके दुष्प्रभाव हैं, कपड़े का थैला लेकर चलें वगैरह-वगैरह। 17 जो नगर निगम हैं उनमें एक-एक इम्फोर्समेंट विंग बनाई गई है जिसका लीडर एक रिटायर्ड कर्नल स्तर का अधिकारी है, और उसके साथ-साथ बीस की टीम है। उसने जो जांच की और जो नगर निगम के अन्य अधिकारियों ने जो इस प्रतिबंध के बाद कार्रवाई की है तो 652 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गई है और 7 करोड़ 40 लाख रुपये का उसका जुर्माना भी वसूला गया है और सरकार प्लास्टिक कैरी बैग को पूर्णतः प्रतिबन्धित करने की कार्रवाई लगातार कर रही है।

श्री उमाशंकर सिंह-

अभी मा0 मंत्री जी ने अपनी कार्रवाई से अवगत कराया कि हमने 652 टन प्रतिबन्धित प्लास्टिक जब्त किया है और हमने 07 करोड़ 40 लाख रुपये रेवेन्यू भी इकट्ठा किया है। मा0 मंत्री जी से जानने का मेरा केवल यही आशय था कि क्या यह जो आपने 652 टन जब्त किया है और जो आपने 07 करोड़ 40 लाख रुपये रेवेन्यू इकट्ठा किया है तो क्या यह केवल इन सब्जी वालों से, दुकानदारों से किया है या इसमें इसके मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। मेरा सीधा सवाल है कि अगर यह यहां बनता नहीं, इसके बनाने वाले न होते क्योंकि यह चीज अमेरिका से तो आ नहीं रही है और अगर आप लखनऊ में देखेंगे तो आपको यहां की कालोनियों में दसियों, बीसियों जगहें ऐसी मिल जाएंगी, जहां इसको बनाया जा रहा है। इसलिए मेरा सीधा सवाल है कि अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहां इसका निर्माण होता है, उनको बन्द करें, उन पर कार्रवाई करें तो जब यह वहां बनेगा नहीं, जब यह वहां से सप्लाई नहीं होगा तो मार्केट में भी नहीं आएगा। इसलिए मेरा कहना है कि अलग-अलग 100 लोगों पर कार्रवाई करने के बजाए आप सीधा एक जगह कार्रवाई करें।

श्री अध्यक्ष-

इनका सवाल मैन्युफैक्चरिंग से सम्बन्धित है।

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

मा0 अध्यक्ष जी, यह दुर्भाग्य है कि इसकी बड़ी-बड़ी फैक्टरी नहीं हैं। सम्भवतः किसी फैक्टरी ने आज की तारीख में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से इसकी अनुमति भी नहीं ले रखी है। इसे कुटीर उद्योग टाइप, कार्ट्रिज इण्डस्ट्री टाइप से कुछ लोग अपने घरों में छोटे-छोटे, एक-एक कमरे में लगाए हुए हैं और बना रहे हैं। जहां-जहां सूचना मिलती है वहां पर कार्रवाई होती है। यह जो मैंने दिया कि 652 टन प्रतिबन्धित प्लास्टिक जब्त की गई और 07 करोड़ 40 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया तो इसमें वे भी शामिल हैं। इस पर निगाह रखी जा रही है। जहां-जहां ऐसी सूचना मिलती है तो निश्चित रूप से वहां कार्रवाई होती है।

श्री अध्यक्ष-

अब तो हो गया उमाशंकर जी। अब कुछ नहीं रहा, अब पूरा उत्तर आ गया और बड़ा क्लियर उत्तर है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मेरा बस केवल एक सवाल है और मा0 मंत्री जी एक आश्वासन दे दें। मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

संरक्षण नहीं, इसमें तो पूरा उत्तर ही आ गया।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, पहला तो यह है कि हम इसको कुटीर उद्योग की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। जो चीज हमारे पूरे मानव समाज और पूरी प्रकृति के लिए खतरा बनी हुई है तो ऐसे उद्योग को हम कुटीर उद्योग नहीं कह सकते हैं।

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

मान्यवर, मैंने इसे कुटीर उद्योग की संज्ञा नहीं दी। मैंने कहा कि यह उस टाइप का काम है। अगर हमारे सामने कोई बड़ी फैक्टरी हो जिसकी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनुमति ली गई हो तो उस पर कार्रवाई हो। लेकिन इसको कुछ लोग घरों के अन्दर बनाए हैं, गुप्त रूप से बनाए हैं। मैंने उनको कुटीर उद्योग की संज्ञा नहीं दी है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मेरा आशय केवल यह है कि जो बड़ी-बड़ी फैक्टरियां हैं, मा0 मंत्री जी उन पर प्रतिबन्ध लगाएं। मेरा आपके माध्यम से बस यही कहना है।

प्रदेश को सूखा व बाढ़ से बचाने हेतु समस्त नदियों को जोड़ने की योजना बनाये जाने विषयक

****2-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश को सूखा एवं बाढ़ से बचाने के दृष्टिगत प्रदेश की सभी नदियों को जोड़ने की कोई कार्य योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल शक्ति मंत्री (डॉ0 महेन्द्र सिंह)-

जी नहीं।

प्रदेश के अन्तर्गत बाढ़ से बचाव हेतु नदियों को जोड़ने की कोई परियोजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। प्रदेश के अन्तर्गत सूखे से बचाव एवं सिंचाई सुविधा हेतु नदियों को जोड़ने की निम्नलिखित परियोजनाएं पूर्व में क्रियान्वित हो चुकी हैं :-

घाघरा नदी के जल को गिरिजा बैराज से योजक नहर के माध्यम से शारदा नदी से जोड़ा गया है।

रामगंगा नदी से फीडर चैनल के माध्यम से गंगा नदी में पानी की आपूर्ति की जाती है जिससे निचली गंगा नहर प्रणाली पोषित होती है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान में सरयू नहर परियोजना जो कि 05 नदियों (घाघरा, सरयू, रोहणी, राप्ती एवं बाणगंगा) को जोड़ती है, जिसका निर्माण अन्तिम चरण में है जिससे पूर्वांचल के 09 जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, आप विद्वान मंत्री जी हैं। यह प्रश्न मैंने केवल जिज्ञासा के लिए किया है।

श्री अध्यक्ष-

जिज्ञासा के लिए है या सजेशन है।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

अध्यक्ष जी, अभी आपने यह कह दिया कि नदियों को जोड़ने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। जबकि पहले पूर्व मा0 प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार नहीं सेवेरल, अनेकों बार कहा और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी यह कहा कि अटल जी का सपना हमारा सपना है। वर्तमान में भारत सरकार में जो मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि अगर राज्य हमारा सहयोग करें तो हम योजना को इम्प्लीमेण्ट करने के लिए तैयार हैं, मेण्टली प्रिपेयर्ड हैं तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार की ओर से इस प्रदेश से मांगा गया है कि नहीं मांगा गया, नम्बर एक। नम्बर दो, सरयू नदी वाले में केवल हमारी जिज्ञासा यह है कि आपने इसमें डेट ऑफ स्टार्टिंग भी दी होगी और डेट ऑफ कम्प्लीशन भी दी होगी तो इसके कम्प्लीशन की तिथि क्या है ? ये दो चीजें मैं जानना चाहता हूं।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जैसा कि हमारे विद्वान वरिष्ठ सदस्य हैं और मैं इनका बहुत आदर करता हूं। इस प्रश्न में लिखा गया है कि क्या सभी नदियों को जोड़ने की कोई कार्य योजना है तो उस पर मैंने कहा जी नहीं। आपने दूसरा प्रश्न किया है कि भारत सरकार ने, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरह से नदियों को जोड़ने की योजना की घोषणा की थी उसके तहत भारत की बहुत सारी नदियां जोड़ी गईं जिससे बहुत लाभ भी हुआ है। उत्तर प्रदेश के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने अभी केन-बेतवा के बारे में जो योजना थी जिसकी पहले माननीय अटल जी ने घोषणा की थी लेकिन बीच की सरकारों ने उसको ठप कर दिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से केन-बेतवा को जोड़ने के लिए पहल की है और उन्होंने सदन में इसको पारित भी किया है लेकिन केन-बेतवा योजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों सरकारों के बीच के समझौते का विषय है इसलिए मैं उसको सदन में नहीं ला सकता हूं क्योंकि जब तक समझौता न हो जाये, जब तक कोई बातचीत तय न हो जाये तब तक हम उसको सदन के पटल पर नहीं रख सकते इसलिए केन-बेतवा को जो विषय है वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच का है, उसमें बातचीत जारी है। जैसे ही किसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचते हैं वैसे ही मैं आपको निश्चित रूप से अवगत कराऊंगा। ये बहुत बड़ी योजना है जिसको प्रधानमंत्री भी चाहते हैं उससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को बहुत लाभ होगा। दूसरा बड़ा विषय आपने उठाया है जो कि सरयू परियोजना के सम्बन्ध में है। मान्यवर, बहुत बड़ी बात है कि माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब से बनी। उनके नेतृत्व में बहुत-सी पुरानी परियोजनायें जो 25 साल, 28 साल से नहीं बन पायी थीं, उनको पूरा किया गया जिसमें बाण सागर एक बड़ी परियोजना थी जिससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। सरयू परियोजना भी 32 साल पुरानी परियोजना है और उसको इसी सरकार, माननीय योगी जी की सरकार के बनने के बाद में माननीय मुख्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में शुरू किया है और मैक्सिमम काम पूरा हो गया है और उसको अंतिम रूप दिये जाने की जो तिथि है इसी वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूरा करके उसको हम लोग लागू कर देंगे और किसानों को सिंचाई मिलने लगेगी।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरयू नहर परियोजना को हम पूरा कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 2017 तक इस सरकार के आने के पहले सरयू नहर की कुल लम्बाई कितनी थी और उसमें कितना निर्माण हुआ था और इस सरकार के आने के बाद कितना निर्माण किया गया ?

श्री अध्यक्ष-

क्या यह प्रश्न से सम्बन्धित है ?

श्री लालजी वर्मा-

प्रश्न से ही सम्बन्धित है माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने इसको शुरू करके पूरा किया है तो यह उत्तर आ जाने दें कि पहले कितना निर्मित हुआ था और सरकार आने के बाद कितनी लम्बाई का अवशेष भाग पूरा किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी योजना की वाहवाही आप लूट रहे हैं तो यह बताना ही पड़ेगा कि आपने कितना लम्बाई का कार्य पूरा किया है और उससे पहले कितनी लम्बाई का कार्य पूरा किया जा चुका था।

श्री अध्यक्ष-

सरकारी काम तो एक कॉन्टीन्यूअस प्रॉसेस है ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि आप संरक्षक हैं। पीठ से आपने कहा कि आपका ये प्रश्न उससे सम्बन्धित नहीं है जिज्ञासा हमारे मा0 सदस्य की थी कि कब तक पूरा करेंगे तो उसको हमने बताया है लेकिन फिर भी मा0 सदस्य ने इतना पूछा है तो मैं इनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए इतना जरूर बताना चाहूंगा कि 2017 से पहले 3 प्रतिशत काम हुआ था और आज की तारीख में हमने 85 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है और उसको पूरा करने वाले हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

नत्थी-'ख'

तारांकित प्रश्न

नगर निकायों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत 2020 में आयोजित होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण विषयक

***1-श्री नाहिद हसन-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निकायों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत 2020 में आयोजित होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण के वर्तमान में लक्ष्य क्या-क्या हैं ? क्या सरकार स्वच्छता अभियान का सर्वेक्षण भौतिक रूप से सही हो तथा वास्तविक हो, के लिये कोई प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

स्वच्छ सर्वेक्षण, 2020 में स्वच्छ एवं कचरामुक्त सम्पूर्ण स्वच्छता की अवधारणा के साथ नगरीय निकायों द्वारा धरातल पर प्रदर्शन का आंकलन एवं सेवा स्तर का सातत्य लक्षित है। भारत सरकार द्वारा इस हेतु विस्तृत सर्वेक्षण माह जनवरी, 2020 में आयोजित किया गया। नागरिक सहभागिता एवं नगरीय निकायों द्वारा की गयी प्रगति के सत्यापन में सिटीजन फीडबैक को केन्द्रित किया गया है।

जी हां।

उत्तर प्रदेश राज्य में स्वच्छता हेतु विगत वर्षों में सतत् रूप से प्रयास किया गया है। वर्ष 2018 के स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य की रैंकिंग 18वीं थी, जोकि वर्ष 2019 में बढ़कर 10वीं रही। वर्ष 2019 के सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के 14 निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। राज्य के सभी 652 निकाय ओ0डी0एफ0 प्रमाणित हैं एवं अब तक 292 निकाय ओ0डी0एफ0 प्लस प्रमाणित किये गये हैं। विगत वर्षों में नगरीय क्षेत्र में कुल 884863 लाभार्थियों को व्यक्तिगत शौचालय से लाभान्वित किया गया और 61426 सीट के सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय निर्मित कराये गये। वर्ष 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा अभी प्रचलित है, जिसके परिणाम मार्च, 2020 माह में सम्भावित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

माननीय अध्यक्ष जी, जो लिखित उत्तर आया है उसके अतिरिक्त मैं यह बताना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया अभी जारी है। माननीय अध्यक्ष जी, यह जवाब जब लिखित गया था तब 292 निकाय ओ0डी0एफ0 प्लस प्रमाणित थे लेकिन मेरे पास जो आज सूचना है, उसके अनुसार आज तक वह 408 ओ0डी0एफ0 प्लस निकाय प्रमाणित हो गये हैं।

श्री नाहिद हसन-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे मैं असंतुष्ट हूं क्योंकि मैंने इस प्रश्न में आपसे डिटेलवाइज यह पूछा था। स्वच्छता अभियान जो सिर्फ स्वच्छता दिवस पर ही दिखायी देता है। आज हमारी सरकार के भारतीय जनता पार्टी के ही लोग सिर्फ एक दिन झाड़ू हाथ में उठाते हैं और लोगों से मन की बात की जाती है कि झाड़ू उठाकर आप सफाई करें।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री नाहिद हसन-

मान्यवर, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री नाहिद हसन-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार डबल इंजन की सरकार है।

श्री अध्यक्ष-

यह भी सवाल नहीं है।

श्री नाहिद हसन-

इस तरह से जो बजट नगर पालिका या बड़े शहरों के लिए दिया जाता है वह पिछली सरकार की तुलना में सिर्फ न के बराबर है।

श्री अध्यक्ष-

यह भी सवाल नहीं है, आप सवाल पूछिए।

श्री नाहिद हसन-

अध्यक्ष जी, कहने का तात्पर्य यह है कि बीजेपी के लोग झाड़ू उठाते हैं और सबको पता है कि झाड़ू और बीजेपी का छत्तीस का आंकड़ा आज के समय में पूरे देश में हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास कोई सवाल नहीं है ?

श्री नाहिद हसन-

मैं यह पूछना चाहता हूं कि शौचालय जो हमारे कस्बों या शहरों में बनाए गए हैं, उन पर सिर्फ ताले लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह भी आप पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं।

श्री नाहिद हसन-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक-एक प्वाइंट वाइज पूछना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी आपने एक प्वाइंट भी नहीं पूछा है।

श्री नाहिद हसन-

अध्यक्ष जी, सरकार का सिर्फ एडवरटाइजमेण्ट से काम नहीं चलेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि सफाई कर्मियों की तादाद जो पिछली सरकार में थी, वह आज घटकर आधी रह गयी है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास कोई प्रश्न नहीं है, हम अगला प्रश्न लेते हैं।

श्री नाहिद हसन-

अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं, आप मुझे दो मिनट दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप कोई सवाल तो पूछिए।

श्री नाहिद हसन-

अध्यक्ष जी, मैं वही कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप कह कहां रहे हैं ?

श्री नाहिद हसन-

अध्यक्ष जी, स्वच्छता अभियान में यह सब आता है।

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

अध्यक्ष जी, यह समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय सदस्य कहां से चले हैं और कहां आ रहे हैं, इन्हें खुद ही नहीं मालूम है। इनसे कहिए कि सवाल पूछें, यह क्या-क्या बता रहे हैं।

श्री नाहिद हसन-

प्रत्येक शहर में एक हिस्सा ऐसा है जहां पर कूड़ा-करकट डाला हुआ है जिससे वहां से आप निकल नहीं सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाह रहा हूं कि आपने उस कचरे और कूड़े के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास सवाल नहीं है, पांच मिनट तक आप सवाल ही नहीं पूछ पाए हैं।

श्री नाहिद हसन-

अध्यक्ष जी, सिर्फ दो मिनट दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

दो मिनट नहीं, आप सवाल बताइये।

श्री नाहिद हसन-

सवाल यह है कि आपने जो प्वाइंटवाइज इसमें वर्णन किया है वह दिखावे के तरीके से ही किया है, आपने प्वाइंटवाइज इसे नहीं बताया है।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास सवाल नहीं है, आप बैठिए।

श्री नाहिद हसन-

मेरा सवाल यह है कि आपने क्या-क्या कदम उठाए हैं जिससे गंदगी न रहे।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने सब तरह से जवाब बता दिया है।

श्री नाहिद हसन-

आज पानी का संकट ऐसा है कि शहर से गंदा पानी निकालकर उसको नाले में डाला जाता है और फिर उसमें करोड़ों रुपया गंगा की स्वच्छता में लगा दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

आप बजट पर बोल लीजिएगा। अब हम प्रश्न संख्या 02 लेते हैं। माननीय नगर विकास मंत्री जी आप उत्तर दीजिए। यह इरफान सोलंकी जी का प्रश्न है।

पॉलीथीन उत्पादन करने वाली इकाइयों और बिक्री करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई के ब्योरे सम्बन्धी

***2-हाजी इरफान सोलंकी (अनुपस्थित)-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पॉलीथीन का उपयोग प्रतिबन्धित होने के बावजूद उसका प्रयोग करने वाले छोटे दुकानदारों तथा पॉलीथीन का निर्माण करने वाली इकाइयों के विरुद्ध विगत ढाई वर्षों में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरे को सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-29 सन् 2000) की धारा-6क, 7, 12 और 13क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के क्रम में निर्गत अधिसूचना संख्या-1056/नौ-7-18-29(लखनऊ)/2018, दिनांक 15-07-2018 द्वारा 50 माइक्रोन से कम घनत्व के प्लास्टिक कैरी बैगों और 50 अथवा उससे अधिक माइक्रोन के घनत्व के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों, प्लास्टिक या थर्मोकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य वस्तुओं का विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात समस्त नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी में आने वाले क्षेत्रों में प्रतिषिद्ध है।

उक्त निर्गत अधिसूचना दिनांक 15-07-2018 के अनुपालन में प्रवर्तन कार्य के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

नगरीय निकायों द्वारा 652.42 टन प्रतिषिद्ध प्लास्टिक जब्त की गयी है तथा रु0 7.40 करोड़ का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

मान्यवर, माननीय सदस्य यहां नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। प्रश्न संख्या-03।

प्रदेश के एम्स और मेडिकल कॉलेजों के अपग्रेड के सन्दर्भ में

***3-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वीकृत एम्स और मेडिकल कालेजों में सुपर स्पेशियलिटी विंग के निर्माण कार्य की वर्तमान में क्या स्थिति है ? क्या सरकार उक्त अस्पतालों में डाक्टरों और नर्सिंग-वार्डब्वाय कर्मचारियों की नियुक्ति कर उनका संचालन शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

प्रदेश में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 02 एम्स-रायबरेली एवं गोरखपुर तथा मेडिकल कालेजों में सुपर स्पेशियलिटी विंग का विवरण निम्नवत् है :-

एम्स, रायबरेली में मेडिकल कालेज (जिसमें सुपर स्पेशियलिटी सम्मिलित है) का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा उक्त कार्य जुलाई, 2020 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है।

एम्स, गोरखपुर में ओ0पी0डी0 ब्लॉक बन कर तैयार हो चुका है एवं ओ0पी0डी0 सर्विसेज चल रही हैं। 750 बेड का अस्पताल, जिसमें 210 बेड की सुपर स्पेशियलिटी विंग होगी, को दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी0एम0एस0एस0वाई0) फेज-3 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज-गोरखपुर, मेरठ तथा झांसी में सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा मेडिकल कालेज-प्रयागराज में निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण हो गया है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी0एम0एस0एस0वाई0) फेज-4 के अन्तर्गत सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक का निर्माण कार्य मेडिकल कालेज-आगरा में कार्य 30 प्रतिशत तथा मेडिकल कालेज-कानपुर में 47 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

जी हां।

उक्त चिकित्सालयों में सेवाओं का संचालन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अच्छा बजट भी दिया और सवाल का जवाब भी दिया। मेरे मात्र 2 सवाल हैं और ये दोनों सवाल जब मायावती की सरकार थी तब से मैं देखता आ रहा हूं कि यह दो समस्यायें लगातार प्रदेश में चल रही हैं। मैं जानना चाहूंगा इसका क्या समाधान निकालने की सरकार की मंशा है ? पहला

सवाल यह है कि हम लोग कई अस्पतालों के हार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। लेकिन चाहे पुराने अस्पताल हों या नये अस्पताल हों, डॉक्टर उनमें आने की उतनी रूचि नहीं दिखाते हैं, बल्कि प्राईवेट सेक्टर में काम करना ज्यादा प्रिफर करते हैं। यह समस्या कई सरकारों से चली आ रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मैं इसका समाधान जानना चाहता हूं कि आपने डाक्टरों को लुभाने के लिए क्या किया ? हमारे अस्पताल डाक्टरों से पूरी तरह से संचालित रहें, उसके लिए क्या योजना है और दूसरी मैं यह कहना चाहूंगा कि एक कल्चर जो पूरे देश में चल रहा है, और सही भी है कि जो फोर्थ क्लास और लोवर स्टाफ की आउटसोर्सिंग होती है उसमें एक समस्या आ रही है कि अक्सर यह पाया जा रहा है कि..

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, प्रश्न पूछिये।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

प्रश्न ही पूछ रहा हूं कि वो जो ठेकेदार हैं। वह शोषण करते हैं, जैसेकि जो पैसा एकाउण्ट में जाता है, उसको ले लेते हैं, निकाल लेते हैं तो उनकी रिड्रेसल कैसे होगा। वह जो कर्मचारी हैं, जिनका ठेकेदार से शोषण हो रहा है वह कहां पर रिड्रेसल करें ? जो वार्डब्वाय हैं, जो नर्स हैं जो आउटसोर्सिंग से हैं वह कम्पनी के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे या अपने ठेकेदार के खिलाफ कहां पर अपील करें।

श्री अध्यक्ष-

आप अब बैठिये, मंत्री जी का उत्तर करा दें।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, यह दो सवाल हैं। डाक्टरों को लेने के लिए और दूसरा ये जो फोर्थ क्लास और जो आउटसोर्सिंग वाले हैं, उनका जो शोषण हो रहा है उसकी अपील करने का क्या सिस्टम है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जो पद डाक्टर्स के उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं, हम अधियाचन भेजकर उनसे इस बात के लिए आग्रह करते हैं कि वो नियुक्ति संबंधी कार्रवाई पूरी करें। जब वह कार्रवाई पूरी कर लेते हैं तो उनको नियुक्त किया जाता है। इधर मान्यवर, जो संविदा के ऊपर चूंकि यह जगजाहिर है कि डाक्टर्स की कमी आज से नहीं, पूरे

प्रदेश में काफी अरसे से हैं और उसकी वजह भी हम सबको मालूम है कि जितने मेडिकल कालेजेज की आवश्यकता थी उतने मेडिकल कालेज की समय रहते हुये न तो उसकी चिन्ता की गयी और न वह खोले गये। तो हमने यह तय किया है कि हम संविदा के ऊपर डाक्टर्स की नियुक्ति करेंगे और उसको लगातार कर भी रहे हैं। साथ ही साथ जो दूसरा सवाल आपका है कि कर्मचारी कहां शिकायत करें तो मान्यवर, सक्षम स्तर जो मेडिकल कालेजेज के वाइस चांसलर और प्रधानाचार्य हैं, उनसे शिकायत की जा सकती है, चिकित्सा अधीक्षक से शिकायत की जा सकती है और वही लोग रिपोर्ट जब देते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। हमारे पास जहां-जहां की शिकायत आई, वहां कार्रवाई भी हुयी और उन लोगों को निकाला भी गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गयी है।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मान्यवर, मेरा एक छोटा सा सवाल और है कि क्या ऐसी बात हाल में आई है, हम उसका स्पष्टीकरण चाहेंगे कि जैसे जो इजरायल माडल है जहां पर डाक्टरों की कमी रहती है तो वहां पर क्या करते हैं कि जब एम0बी0बी0एस0 और एम0डी0 करके लोग निकलते हैं तो उनसे कम्पलसरी कुछ वर्ष या दो वर्ष के लिये बांड भरा लिया जाता है, तो क्या इस तरीके का माडल हमारे प्रदेश में भी लागू किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब इजरायल माडल मंगा लिया जायेगा, आप बैठे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ऐसी योजना है भी मान्यवर, और दो साल का बांड भरवाने का शासनादेश जारी किया गया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सुपर स्पेशियलिटी की संख्या आप बढ़ा रहे हैं। हमारे जो एम0डी0 और एम0एस0 के संचालित कोर्स हैं, उसमें भी शिक्षकों का अभाव है और सुपर स्पेशियलिटी में तो और भी अभाव है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि उस संख्या को बढ़ाने के लिये, कि चिकित्सक शिक्षक मिल सकें, क्या जो पुराने संचालित एम0बी0बी0एस0 के कालेज हैं, उन कालेजों में पोस्ट ग्रेजुएट का एम0डी0 और एम0एस0 की कक्षायें संचालित करने की सरकार की कोई योजना है और इन तीन वर्षों में पी0जी0 की कितनी सीटें बढ़ाने का काम सरकार द्वारा किया गया है। क्योंकि एम0बी0बी0एस0 तो शिक्षक बन नहीं सकता, शिक्षक बनेगा वही जो पी0जी0 किया हो या सुपर स्पेशियलिटी किया हो। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिये कितनी पी0जी0 की सीटें और कितनी सुपर स्पेशियलिटी की सीटें डी0एम0 और एम0सी0एच0 की सीटें इन तीन वर्षों में बढ़ाई गयीं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी जो मूल सवाल सुपर स्पेशियलिटी के बारे में था, उससे यह संबंधित नहीं है, हम अलग से माननीय वर्मा जी को बता देंगे कि कितनी सीटें बढ़ाई गयीं। लेकिन यह सही है कि सरकार की जो मंशा और नीयत है जितने भी कालेज आजादी यानि सन् 1947 से लेकर 2016 तक कालेज खोले गये।

श्री लालजी वर्मा-

मैं कह रहा हूं कि क्या एम0बी0बी0एस0 टीचर बन सकता है टीचर के लिये तो एम0डी0 और एम0एस0 होना जरूरी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नहीं, एम0बी0बी0एस0 टीचर नहीं बन सकता। उसके लिये पी0जी0आई0 में और लोहिया में भी और हमारी यह कोशिश है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सीट्स हमको भारत सरकार से सहमति मिल करके हम फाइनल कर पायेंगे, उतना करेंगे मान्यवर। मान्यवर, मेडिकल एजुकेशन विभाग जो है यह कन्करेंट लिस्ट में आता है, यह अकेले स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। जो चिकित्सा और स्वास्थ्य है वह स्टेट सब्जेक्ट है और मेडिकल एजुकेशन और जितनी भी एजुकेशन है प्राविधिक शिक्षा या मेडिकल एजुकेशन यह कन्करेंट लिस्ट में आता है। इसलिये हर बात के लिये भारत सरकार से सहमति के बाद ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारी यह कोशिश है, इनको हमारी मंशा और नीयत देखनी चाहिए कि जब हम इतने मेडिकल कॉलेजेज खोलने जा रहे हैं तो जितने भी एम0डी0 हैं, जितने एम0सी0एच0 हैं, उसके लिए हमारी पूरी जिज्ञासा है। हम निश्चित रूप से इनको इन्फार्मेशन लिखित में दे देंगे।

(तारांकित प्रश्न संख्या-4 विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त था)

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न संख्या-5 लेते हैं, श्री विनय शंकर तिवारी जी हैं।

(श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री इकबाल महमूद के खड़े होकर अनुपूरक पूछने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप सब बैठिये, अभी चर्चा नहीं हो रही है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। कुछ सवाल बढ़ जायें।

***4-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

प्रदेश में 09 अगस्त, 2019 को रोपे गये 22 करोड़ पौधों की वर्तमान स्थिति व उनके अनुरक्षण हेतु कार्य योजना के सम्बन्ध में

***5-श्री विनय शंकर तिवारी-**

क्या वन एवं वन्य जीव मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 09 अगस्त, 2019 को रोपे गये 22 करोड़ पौधों की देख-रेख तथा उन्हें जीवित बचाये रखने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-

जी हां।

प्रदेश में दिनांक 09 अगस्त, 2019 को रोपित किये गये 22.59 करोड़ पौधों की देख-रेख तथा उन्हें जीवित बनाये रखने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के दिशा-निर्देश दिनांक 29-11-2019 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं समस्त प्रभागीय वनाधिकारीगण को निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विनय शंकर तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था कि 'क्या वन एवं वन्य जीव मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 09 अगस्त, 2019 को रोपे गए 22 करोड़ पौधों की देख-रेख तथा उन्हें जीवित बचाये रखने हेतु सरकार की कोई योजना है ? मंत्री जी ने कहा है कि 29-11-2019 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं समस्त प्रभागीय वनाधिकारीगण को निर्देशित किया जा चुका है। जबकि हमारा प्रश्न है कि क्या उन्हें जीवित रखने के लिए कोई उपाय सरकार करेगी ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह उपाय क्या है, जो निर्देश दिये गये हैं, उन पौधों को कैसे बचायेंगे ? अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब यह योजना बनी होगी कि 22 करोड़ पौधे लगेंगे, तो 22 करोड़ पौधों के लिए बजट कब पारित हुआ था और उसमें कितना धन लगाने की योजना बनी थी ? क्योंकि योजना बनी होगी, एक दिन में तो 22 करोड़ पौधे लग नहीं पाये होंगे और न ही तैयार हो पाये होंगे तो उसकी योजना कब बनी, उसकी तारीख और उन 22 करोड़ पौधों को लगाने में कितना धन लगा, यह हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा तीसरा प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूं कि वह जो 22 करोड़ पौधे लगे, उनमें से अभी कितने जीवित बचे हुए हैं ? क्योंकि जहां भी हम लोग गये हैं, वहां अधिकांश पौधे समाप्त हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपके क्षेत्र वाले जीवित हैं या नहीं ?

श्री विनय शंकर तिवारी-

अध्यक्ष जी, वह तो माननीय मंत्री जी की कृपा होगी, तब जीवित होंगे। कोई पौधे जीवित नहीं हैं, वह फाइल में ही जीवित हैं। सरकार ने यह कहा है कि हमने कीर्तिमान स्थापित किया है। लेकिन जो 'लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स' है, उसने कह दिया है कि यह कीर्तिमान स्थापित नहीं हुआ है। मान्यवर, उन 22 करोड़ पौधों को लगाने के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी और क्या सरकार बचे हुए पौधों की गणना करायेगी ?

श्री दारा सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की जिज्ञासा इस प्रदेश में लगे 22 करोड़ पौधों को जीवित रखने की है और उन्होंने पूछा है कि इस पर कितना बजट खर्च हुआ। मैं सारे सदन को बधाई दूंगा कि 22 करोड़ पौधे जब 09 अगस्त को लगाये गये, मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश के आम जनमानस से अपील किया था कि 'एक व्यक्ति, एक वृक्ष' और सारे जनमानस ने इस प्रदेश में 22 करोड़ पौधे लगाने के लिए एक आन्दोलन का रूप दे दिया। (सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) जहां तक बजट का सवाल है, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने किसी भी कमी को आड़े नहीं आने दिया और आकस्मिकता निधि से भी उन्होंने 100 करोड़ रुपये नर्सरी तैयार करने और पौधों को लगाने के लिए एक्स्ट्रा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है। इसके लिए मैंने अपने उत्तर में ही बता दिया है कि मण्डलायुक्त ने मण्डल स्तर के लिए, जिला स्तर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में और वन विभाग ने अपने डिपार्टमेण्ट के स्तर पर किया है और बाकी अदर डिपार्टमेण्ट के लोगों ने मिलकर लगाये थे। इसकी जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले स्तर पर, मण्डलायुक्त के नेतृत्व में मण्डल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर प्रिंसिपल सेक्रेट्री के नेतृत्व में मासिक रूप से समीक्षा की जाती है और पूरी तरीके से मैं कह सकता हूं कि 22 करोड़ पौधे लगाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमने पूरे ग्राम स्तर पर माइक्रोप्लाण्ट तैयार किया है। वहां पर हमने वृक्ष गार्जियन भी तैयार किया है। जिस तरीके से इलेक्शन मोड होता है, चुनावी पैटर्न पर, उस तरीके से गांव तक पहुंचे, के लिए हमने माईक्रोप्लाण्ट तैयार करके उसके लिए बाकायदा योजना बनाई, वृक्ष गार्ड बनाये, रोजगार सेवक से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी, वी0डी0ओ0 को इस कार्य में लगाया है और सारी योजना तैयार करने के बाद हमने पौधों को लगाया है। इन पौधों को बचाने के लिए हमारे पास चीफ कंजर्वेटर ऑफ फारेस्ट जो होता है।

श्री विनय शंकर तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, हमें तिथि बताई जाय कि कब धन अवमुक्त हुआ और कितना धन अवमुक्त हुआ तथा 22 करोड़ वृक्ष लगाने के लिए

कितनी भूमि की आवश्यकता थी। माननीय मंत्री जी द्वारा इन प्रश्नों का उत्तर न देकर यह बताया जा रहा है कि क्या-क्या किया गया है। हमारा सीधा प्रश्न है कि जो 22 करोड़ पौधे तैयार किये गये तो उसकी कोई योजना बनी होगी, उसकी तिथि क्या थी ? फिर उसके लिए बजट अवमुक्त हुआ होगा तो कितना बजट अवमुक्त हुआ तथा 22 करोड़ जो पौधे तैयार हुए होंगे तो वह कितनी भूमि में तैयार होंगे ? या तो आपके पास 22 करोड़ पौधे हमेशा तैयार रहते होंगे अगर ऐसा नहीं है तो वह कितने दिन में लगाने लायक तैयार हुए। जहां तक आप ट्री गार्ड की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से कहीं पर भी कोई ट्री गार्ड नहीं लगा है।

श्री दारा सिंह चौहान-

मैं ट्री गार्ड की बात नहीं कर रहा हूं आपने जो सवाल में पूछा है मैंने केवल उसका उत्तर दिया है। अगर आप ट्री गार्ड के बारे में पूछेंगे, भूमि के बारे में, अगले साल जो लगाने वाले हैं उसके बारे में पूछेंगे तो मैं विस्तार से आपको लिख करके दे दूंगा। लेकिन जो सवाल आपने किया है।

श्री विनय शंकर तिवारी-

मान्यवर, प्रश्न उत्तरित नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप उत्तर देने दीजिए, उत्तर नहीं आ पा रहा है उसे आप देने नहीं दे रहे हैं। आप उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री दारा सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है कि 2019 में रोपे गये 22 करोड़ पौधों की देख-रेख एवं उन्हें जीवित बचाये रखने की क्या सरकार की कोई योजना है तो मैंने योजना के बारे में बता दिया। हमने यह भी बता दिया कि चीफ कन्जर्वेटिव ऑफ फारेस्ट के स्तर पर रैंडम चेकिंग होती है जो पी0सी0सी0एफ0 के द्वारा निर्धारित किये जाते हैं उसके आधार पर 20 से 25 प्रतिशत रैंडम चेकिंग करते हैं। चेकिंग में पूरी तरह से सारी चीजें सफल पायी गईं हैं अगर इसमें किसी प्रकार की कोताही होती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा अन्य सदस्य को प्रश्न पूछने के लिए निर्देशित किये जाने पर)

श्री विनय शंकर तिवारी-

मान्यवर, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं, मेरे प्रश्न को उत्तरित हो जाने दीजिए उसके बाद और कोई बात हो।

श्री अध्यक्ष-

अब तो उत्तर आ गया।

श्री विनय शंकर तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, कहां उत्तर आया मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं। आपका संरक्षण मिलेगा तभी बात होगी। मान्यवर, पौधों की गणना के बारे में नहीं बताया कि कितने जीवित हैं। उसके तरीके क्या हैं, पौधे लगा देने की बात तो हुई लेकिन पौधे संरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बारे में भी नहीं बताया गया है। इसके साथ ही मैंने यह भी पूछा था कि 22 करोड़ पौधे आये कैसे ?

श्री अध्यक्ष-

आप यही तो चाहते हैं कि जो पौधे लगाये गये थे वह जीवित बचे रहें, आपने उस पर ध्यानाकर्षण कर दिया।

श्री विनय शंकर तिवारी-

मान्यवर, इसके अतिरिक्त वह पौधे तैयार किये गये होंगे तो उसके लिए कोई योजना तैयार हुई होगी, बजट आया होगा।

श्री अध्यक्ष-

बजट का बताया तो कि 100 करोड़ रुपए आया था। आपने सुना नहीं माननीय मंत्री जी ने बताया कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 100 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया।

श्री विनय शंकर तिवारी-

मान्यवर, योजना की तारीख होगी, बजट की तारीख होगी।

श्री दारा सिंह चौहान-

आपने जो पूछा है उसका मैं पूरा डिटेल दे दूंगा कि कितना बजट बना, कब बना लेकिन आपने जो सवाल पूछा है उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री विनय शंकर तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, इसके बिना कैसे प्रश्न पूर्ण होगा।

श्री दारा सिंह चौहान-

मैंने 95 प्रतिशत सफलता का प्रतिशत भी आपको बताया है। फिर भी यदि कहीं कोई शिकवा-शिकायत लगती है तो उसे आप हमें बतायें, मैं जांच कराऊंगा।

श्री विनय शंकर तिवारी-

मान्यवर, हमें माननीय मंत्री जी तिथि बता दें कि किस दिन उसकी योजना बनी।

श्री अध्यक्ष-

तिथि फाइल में कहां होगी, आप तो जानते हैं।

श्री विनय शंकर तिवारी-

और अभी तक उसमें से कितने पौधे जीवित बचे हैं। मान्यवर, यह तो मालूम हो जाय कि कितने पौधे जीवित बचे हैं।

श्री दारा सिंह चौहान-

मान्यवर, 95 प्रतिशत। अगर माननीय सदस्य को कहीं कोई शिकवा शिकायत है तो वह बतायें, हम उसकी जांच करायेंगे।

श्री विनय शंकर तिवारी-

यह तो सदन को गुमराह किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप माननीय मंत्री जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। जब मंत्री जी बोलते हैं तो उसी में आप भी बोलने लगते हैं तो न तो उनका सुनाई पड़ता है और न ही आपका।

श्री विनय शंकर तिवारी-

95 प्रतिशत तो गेहूं का पौधा भी नहीं बचेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें, आपस में बातचीत बहुत हो रही है।

श्री मसूद अख्तर-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा भी जंगल से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि वन्य जीव बहुत कम होते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न इसमें नहीं आता है। मा0 उज्जवल रमण सिंह जी हैं ?

बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में कार्य योजना बनाये जाने विषयक

***6-श्री उज्जवल रमण सिंह (अनुपस्थित)-**

क्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संघटन (डब्लू0एच0ओ0) द्वारा जारी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में टाप 20 नामों में प्रदेश के कौन-कौन शहर शामिल हैं ? क्या इन शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण की रोक-थाम के

लिये सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू0एच0ओ0) द्वारा वर्ष 2018 में पी0एम0 2.5 के स्तर के आधार पर निर्गत विश्व में सर्वाधिक 20 प्रदूषित शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश के 06 शहर यथा गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद तथा आगरा शामिल हैं।

जी हां।

प्रदेश के उक्त 06 अधिक वायु प्रदूषण वाले नगरों यथा गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद तथा आगरा की वायु गुणता में सुधार लाने हेतु कार्य योजनायें तैयार कर उन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली से अनुमोदित कराकर क्रियान्वित किया जा चुका है। इन कार्य योजनाओं में कुल 59 कार्यवाही के विन्दु तथा कार्यवाही किये जाने हेतु 20 विभागों को चिन्हित किया गया है। इन कार्ययोजनाओं का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन का अनुश्रवण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति द्वारा तथा राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा किया जाता है। कार्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के फलस्वरूप वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में पी0एम0 2.5 के स्तर में सुधार परिलक्षित हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास प्राधिकरणों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों पर दिनांक 04-01-2017 के शासनादेश के 3 वर्ष बाद भी सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू न होने का निराकरण किये जाने हेतु

***7-श्री संजय गर्ग (अनुपस्थित)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शासन द्वारा सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा आवास विभाग के अधीन विकास प्राधिकरणों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों पर आदेश दिनांक 04-01-2017 के द्वारा लागू की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त शासनादेश के निर्गत होने के लगभग तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी विकास प्राधिकरण के पेंशनर्स हेतु सातवें वेतन की अनुशंसा लागू नहीं की गई है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का निराकरण करते हुए विकास प्राधिकरण के पेंशनर्स हेतु सातवें वेतन की अनुशंसा लागू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां

विकास प्राधिकरण के पेंशनर्स हेतु सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने पर आने वाले अतिरिक्त व्यय भार का आंकलन किया जा रहा है।

सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने पर आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने का परीक्षण कराने के उपरान्त सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा विकास प्राधिकरण के पेंशनर्स हेतु लागू किये जाने पर निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न संख्या-07

श्री अध्यक्ष-

मा0 संजय गर्ग जी हैं ?

(मा0 सदस्य श्री संजय गर्ग जी के अनुपस्थित रहने पर)

प्रदेश में सरकारी व निजी मेडिकल कालेजों में एम0बी0बी0एस0 व एम0डी0/एम0एस0 की स्वीकृत सीटों व आरक्षित सीटों के विवरण संबधी

***8-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी तथा निजी मेडिकल कालेज में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का 27 प्रतिशत कोटा पूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के शैक्षिक सत्र में सरकारी तथा निजी मेडिकल कालेजों में स्नातक (एम0बी0बी0एस0) तथा स्नातकोत्तर (एम0डी0/एम0एस0) की कुल कितनी सीटें स्वीकृत हैं तथा उक्त पर कितने अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों ने आरक्षित सीट से प्रवेश प्राप्त किये हैं ? क्या सरकार संस्थानवार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

राजकीय मेडिकल कालेजों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आरक्षण कोटा पूर्ण है तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीटों पर आरक्षण का प्राविधान नहीं है।

1-राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम0बी0बी0एस0) की कुल प्रवेश क्षमता के आधार पर-

शैक्षणिक सत्र	एम0बी0बी0एस0 पाठयक्रम की कुल उपलब्ध सीटों का विवरण			स्टेट कोटे के सापेक्ष ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों की आवंटित सीटों का विवरण
	कुल प्रवेश क्षमता	आल इण्डिया कोटे की सीटें	स्टेट कोटे की सीटें	
2017-18	1990	296	1673	403
2018-19	1990	320	1670	403
2019-20	2628	397	2121	537

2-एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में शैक्षणिक सत्र 2017-18 में कुल-2550, शैक्षणिक सत्र 2018-19 में कुल-2250 तथा शैक्षणिक सत्र 2019-20 में कुल 3300 सीटें स्वीकृत हैं। निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों पर आरक्षण का प्राविधान नहीं है।

3-राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर (एम0डी0/एम0एस) की कुल प्रवेश क्षमता के आधार पर-

शैक्षणिक सत्र	एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम की कुल उपलब्ध सीटों का विवरण			स्टेट कोटे के सापेक्ष ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों की आवंटित सीटों का विवरण
	कुल प्रवेश क्षमता	आल इण्डिया कोटे की सीटें	स्टेट कोटे की सीटें	
2017-18	771	356	415	112
2018-19	795	383	412	111
2019-20	891	434	457	124

4-एम0डी0/एम0एस0/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम की निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में शैक्षणिक सत्र 2017-18 में कुल-603, शैक्षणिक सत्र 2018-19 में कुल-628 तथा शैक्षणिक सत्र 2019-20 में कुल-725 सीटें स्वीकृत हैं। निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों पर आरक्षण का प्राविधान नहीं है।

जी हां। राजकीय/स्वायत्तशासी संस्थानवार विवरण सदन के पटल पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।†

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती सुषमा पटेल जी हैं ? मा0 सदस्य श्रीमती सुषमा पटेल जी उपस्थित हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आरक्षण कोटा पूर्ण है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी कह रहे हैं कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। क्या आप इसे पूरा पढ़ना चाहेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक पेज का उत्तर है, अभी समय भी बचा हुआ है, इसलिए इसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको पढ़ देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्रीमती सुषमा पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि निजी मेडिकल कालेजों में एम0बी0बी0एस0, एम0डी0, एम0एस0 आदि में प्रवेश काउंसलिंग के आधार पर होता है या किसी अन्य माध्यम जैसे कोटा आदि के आधार पर होता है ? मेरा दूसरा सवाल माननीय मंत्री जी से है कि यदि ये निजी मेडिकल कॉलेज सरकार के अधीन और मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया के नियमों व मानकों से संचालित हैं, तो क्या सरकार उचित नीति बनाकर इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों को आरक्षण प्रदान करने पर विचार करेगी ? मेरा तीसरा सवाल माननीय मंत्री जी से है कि क्या सरकार को निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के नाम पर मनमानी फीस

---

† (देखिये नत्थी 'क' का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 169-174 पर)

लेने की जानकारी है तथा सरकार द्वारा फीस नियमन के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था की गयी है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, निजी मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है क्योंकि हम उन लोगों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं देते हैं। वह अपने संसाधनों से स्वयं अपना संचालन करते हैं इसलिए उसमें कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इसके सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वर्ष 2002 का एक जजमेंट है जो अभी तक ओवर-रूल नहीं हुआ है। मा0 सुप्रीम कोर्ट के जजमेण्ट का साइटेशन आपके संज्ञान में लाये देता हूं। जो माननीय सदस्य की जिज्ञासा है उसको मैं समझता हूं। यह 2002 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेण्ट है निजी क्षेत्र में स्नातक स्तरीय व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षण का प्राविधान नहीं है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा याचिका संख्या-317/ सिविल/1993 T.M.A. Pai Foundation & Ors. vs State Of Karnataka & Ors. on 31 October, 2002 के अनुसार निजी क्षेत्र के जिन संस्थानों को राज्य सरकार के द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता है उनमें आरक्षण दिये जाने की बाध्यता नहीं है। आप सहमत होंगे कि मा0 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दैट इज सपोज्ड टू बी ए लॉ ऑफ दि लैण्ड और यह आर्टिकल-141 के अन्तर्गत हम सबके लिए बाध्यकारी है। निजी मेडिकल कॉलेजों में चूंकि हम फाइनेन्स नहीं करते हैं इसलिए उस पर लागू नहीं है। जहां तक निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस का सवाल है, मान्यवर, हम भी इससे चिन्तित हैं और मा0 सदस्य की भावना से हम पूरे सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस वर्ष हम हर हालत में इसको रेग्युलेट करने जा रहे हैं और इसे हर हालत में करेंगे। हम किसी भी तरीके से उनका शोषण नहीं होने देंगे। यह मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब तो पूरा उत्तर और मा0 मंत्री जी का संकल्प आ गया।

श्री लालजी वर्मा-

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने मा0 सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2002 के जिस जजमेण्ट का हवाला दिया। उस समय प्रवेश नीट (NEET) काउंसलिंग के माध्यम से नहीं होती थी। भारत सरकार ने 2014 में अनिवार्य किया कि नीट (NEET) की परीक्षा के माध्यम से ही निजी प्रबन्ध-तंत्र के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन होगा। जब वर्ष 2014 से प्रवेश नीट (NEET) परीक्षा व काउंसलिंग के माध्यम से हो रहा है तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, पहले सरकारी काउंसलिंग नहीं होती थी, उनका प्राइवेट एसोसियेशन काउंसलिंग करके एडमिशन लेता था, उस समय वह निर्देश जारी हुआ था तो क्या उस निर्देश को समाप्त कराने के लिए सरकार

मा0 सुप्रीम कोर्ट में जाने का काम करेगी ? जिससे कि निजी प्रबन्ध-तंत्र में जो आज नीट के माध्यम से और वह भी काउन्सलिंग के माध्यम से जिसमें निदेशक, चिकित्सा शिक्षा का जो डायरेक्टर है वह उसमें बैठता है। वह उसका अध्यक्ष है, जब उसके माध्यम से प्रवेश हो रहा है तो क्या उन संस्थाओं में जहां ज्यादा संख्या है निजी मेडिकल कालेजों में, उनमें भी रिजर्वेशन लागू करने पर विचार करेगी और अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय बाध्यकारी है तो उस निर्णय के विपरीत फिर से रिवीजन दायर करके जो आदेश है उसको समाप्त कराने का प्रयास करेगी इसलिये कि अब काउन्सलिंग के थ्रू हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि यह प्रक्रिया बदली गई। यह प्रक्रिया उस समय लागू नहीं थी जिस समय जजमेंट आया लेकिन जजमेंट की भावना यह है कि निजी मेडिकल कालेजों को चूंकि सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती इसलिये उसके ऊपर आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं है। आपके सवाल का जो दूसरा पार्ट है कि सरकार क्या ऐसा करेगी तो मान्यवर, मैं आपको अवगत करा दूं कि ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ कोई रिव्यू पिटीशन या कोई नई व्यवस्था लागू करने के लिये हम कोर्ट नहीं जा रहे हैं।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या-9 पुकारे जाने पर श्री लाल जी वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, आप बैठ जायं। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री लालजी वर्मा-

देश के पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। सरकारी नियंत्रण में उसमें काउन्सलिंग हो रही है तो निश्चित रूप से उसमें यह व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार की यह मंशा इस बात का दृष्टिगोचर है कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ भेद-भाव कर रही है। सरकार की इस अहंकारी नीति के खिलाफ हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री लालजी वर्मा और उनके दल के माननीय सदस्य सदन से चले गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार आरक्षण की नीति का पूरा अक्षरशः पालन कर रही है और इसमें भी पालन किया है। जहां-जहां सरकारी मेडिकल कालेजेज हैं वहां इसका पूरा सौ प्रतिशत पालन किया है। यह मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। इनके पास कोई एजेन्डा नहीं है सिवाय गलतबयानी करके एक अपना एजेन्डा थोपना किसी के ऊपर।

प्रदेश के जंगलों की वृद्धि एवं पर्यावरण को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में जनपदों में लगाये गये पौधों पर व्यय धनराशि व उनके भौतिक सत्यापन के संबंध में

***9-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या वन एवं वन्य जीव मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जंगलों की वृद्धि एवं पर्यावरण को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में किन-किन जनपदों में कितने-कितने पौधे किन-किन स्रोतों से लगाये गये हैं एवं उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई है तथा वर्तमान में उनमें से कितने पौधे जीवित हैं ? क्या सरकार उक्त का भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

प्रदेश में जंगलों की वृद्धि एवं पर्यावरण को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा रोपित किये गये पौधों तथा जून, 2018 की स्थिति के अनुसार जीवित पौधों की संख्या का विवरण निम्नवत् है :-

(पौध संख्या-करोड़ में)

वर्ष	रोपित पौध
2015-16	3.83
2016-17	5.08

वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा रोपित पौधों पर योजनावार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :-

(रु0 लाख में)

योजना का नाम	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17
सामाजिक वानिकी योजना	3052.67	24607.89
शहरी क्षेत्र में सामाजिक वानिकी	150.00	200.00
हरित पट्टी विकास योजना	2838.39	1401.20
पौधशाला प्रबन्ध योजना	1957.95	2430.65
उ0प्र0 बैम्बू मिशन योजना	128.24	0.00
टोटल फारेस्ट कवर योजना	3000.00	5080.12
वनावरण सवर्द्धन योजना	1200.00	2000.00
कुल योग :-	12,327.55	35,719.86

अन्य विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में रोपित पौधों का विवरण निम्नवत् है :-

(पौध संख्या-करोड़ में)

वर्ष	रोपित पौध
2015-16	1.92
2016-17	1.09

वन एवं वन्य जीव विभाग व अन्य राजकीय विभागों द्वारा वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में जनपदवार रोपित पौधों की संख्या का विवरण संलग्न† प्रपत्र-1 में अंकित है।

अन्य राजकीय विभागों द्वारा रोपित पौधो पर व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित सूचना जिलाधिकारी/अन्य राजकीय विभाग द्वारा संधारित है।

वन एवं वन्य जीव विभाग की मूल्यांकन इकाई द्वारा प्रत्येक वर्ष तीन वर्ष पुराने वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा किये गये वृक्षारोपणों में से 20 से 25 प्रतिशत क्षेत्रों का रैण्डम चयन करके भौतिक सत्यापन किया जाता है। रोपड़ वर्ष 2015-16 में किये गये वृक्षारोपण के 20-25 प्रतिशत क्षेत्रों का सर्वेक्षण वर्ष 2018-19 में कराया गया, जिसमें 75 प्रतिशत पौधे जीवित पाये गये।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मो0 असलम राइनी (एडवोकेट)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री दारा सिंह चौहान-

एक मिनट में स्पष्ट कर दूं क्योंकि माननीय सदस्य ने योजनाओं के बारे में पूछा है इसलिये बता दूं।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले मा0 मंत्री जी को इतना सुन्दर जवाब देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से तीन अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी से पहला अनुपूरक प्रश्न यह है कि जो पौधे पूरे उत्तर प्रदेश में लगाये गये हैं, आपके चीफ कंजर्वेटर, प्रमुख सचिव, वन के ऊपर कोई शक नहीं है लेकिन, क्या किसी और एजेंसी से या सर्वदलीय विधायकों की एक टीम

† (देखिये नत्थी 'ख' का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 175-180 पर)

बना करके बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत आदि जनपदों में भेजकर इसका सत्यापन करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आपके पहले प्रश्न का उत्तर (ख) में है।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सहमत हूं अगर आपके लोग इतने सच्चे हैं तो मैं चाहता हूं कि किसी दूसरी एजेंसी से सत्यापन करा दें, क्योंकि ''हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम-ऐ-गुलिस्तां क्या होगा''। यह तो ''दूध का दूध, पानी का पानी'' दूसरी एजेंसी से सत्यापन करा देंगे तो सामने आ जायेगा। मा0 मंत्री जी से दूसरा प्रश्न यह है कि जो पौधे जंगलों में लगाये जाते हैं, उनकी मजदूरी मा0 मंत्री जी अपने विभाग के लोगों से रुपये में कराते हैं या वहां पर गिरी-पड़ी लकड़ियां देकर उनकी मजदूरी अदा की जाती है ? मेरा अन्तिम प्रश्न मा0 मंत्री जी से यह है कि प्रदेश के सभी जंगलों में जो पौधे लगाये जाते हैं हमेशा वन विभाग के अधिकारी उसी स्थान पर दूसरे वर्ष भी पौधे लगवा देते हैं। जो लाखों, करोड़ों रुपये का धन जनपदों में दिया जाता है क्या मा0 मंत्री जी पौधों के रोपण की वीडियोग्राफी आने वाले वर्ष में करायेंगे ?

श्री दारा सिंह चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी, इस प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण को लेकर के मा0 सदस्य की जो चिन्ता है और हमारी सरकार इस पर पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ इस प्रदेश में वनावरण को बढ़ाने के लिए फारेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद मा0 मुख्य मंत्री ने पहले प्रजेंटेशन में ही निर्देश दिया था कि जो हमारा फारेस्ट कवर 6.67 के करीब है, उसे हम 15 प्रतिशत ले जायेंगे और मुझे खुशी है कि 2017 के बाद अब तक हम 9.18 के करीब पहुंच गये हैं। 2030 तक हम इसे 15 फीसदी तक पहुंचाने का काम करेंगे। माननीय सदस्य की जो चिन्ता है इस प्रदेश में पौधारोपण और उसे बचाने की मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आपकी शंका है इसके लिए विभाग में हमारे चीफ स्तर पर हमारा जो मूल्यांकन विंग है उसकी पूरी तरह से जांच करता है अगर कहीं कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होती है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में डी0एफ0ओ0 जो हमारा मेम्बर सेक्रेट्री है और कन्सर्निंग डिपार्टमेंट उसका मेम्बर है वह मिलकर उसकी सूचना लेते हैं उसके जीवित रहने के लिए। लेकिन एक बात माननीय अध्यक्ष जी मैं इस हाउस के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार जिस तरीके की चिन्ता माननीय सदस्य की है इसीलिए हमारा विभाग तो जांच करता ही है जिलाधिकारी के नेतृत्व में हम इसकी जांच कराते हैं पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय संस्था जो भारत सरकार की है एफ0एस0आई फारेस्ट सर्वे आफ इंडिया उससे हम थर्ड पार्टी के रूप में चेकिंग

कराकर दूध का दूध और पानी का पानी करने का हमने प्रयास किया है। दो महीने में उसका परिणाम आने के बाद हम आपको परिणाम से सूचित करा देंगे।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मान्यवर, एक सवाल पूछना है।

श्री अध्यक्ष-

अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

आपने एजेंसी से जांच कराने को कहा मैं उससे सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया। आप कृपया बैठिए। मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या इसकी वीडियोग्राफी कराएंगे।

श्री अध्यक्ष-

वीडियोग्राफी आप दोनों लोग बैठकर करा लेना। वनमंत्री जी इनके साथ फोटो खिंचवा लीजिए।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

केवल आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अब वित्त मंत्री जी खड़े हो गए हैं।

दिनांक 30 जून 2019 तक राज्याधीन विश्वविद्यालयों की संवर्ती सम्परीक्षा व टेस्ट ऑडिट के दौरान कुल आपत्तियों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण कर वसूली की कार्यवाही विषयक

***10-श्री लालजी वर्मा-**

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा दिनांक 30 जून, 2019 तक समाप्त एवं सम्परीक्षित राज्याधीन विश्वविद्यालयों की संवर्ती सम्परीक्षा एवं टेस्ट आडिट के दौरान कुल कितनी आपत्तियां विभिन्न प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के फलस्वरूप अधिक भुगतान से सम्बन्धित हैं ? क्या इस प्रकार की आपत्तियों के लिये उत्तरदायित्व निर्धारण कर वसूली की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उ0प्र0 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा दिनांक 30 जून 2019 तक समाप्त एवं सम्परीक्षित राज्याधीन विश्वविद्यालयों की संवर्ती सम्परीक्षा एवं टेस्ट आडिट के दौरान कुल-2992 आपत्तियां प्रकाश में आयीं।

इन आपत्तियों के सम्बन्ध में अनुपालन की कार्यवाही सम्बन्धित संस्था के प्रमुख एवं प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सभी विश्वविद्यालयों में वित्त विभाग के द्वारा वित्त नियंत्रक की नियुक्ति की जाती है और कोई अनियमित भुगतान या अधिक भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी वित्त नियंत्रक की होती है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या जिन जगहों पर अनियमित भुगतान या अत्यधिक भुगतान की जो आपत्ति आई है क्या उन वित्त नियंत्रकों के भी विरुद्ध वित्त विभाग कार्रवाई करने पर विचार करेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सवाल जब परसों देखा गया तो इसकी पड़ताल की गई कि आखिर इसकी प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया यह पता चली कि एक दिसम्बर 2006 को एक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के समक्ष यह मैटर जाते हैं पहले तीन अवसर सम्बंधित विभाग को दिए जाते हैं कि अगर वह चाहें तो इसमें अपना स्पष्टीकरण देकर मामला पूर्णतया या आंशिक रूप से समाप्त करवाएं। तीन अवसर के बाद यह फिर स्थानीय निधि लेखा परीक्षा समिति को संदर्भित हो जाता है। जो आपके विधान सभा की एक समिति के अधीन यह मामले हैं। वह मिनिएचर आफ द विधान सभा है। उसके बाद उसका ट्रायल होता है उसमें दोनों पक्षों को सुना जाता है और उसके बाद उसकी परीक्षा होती है, मान्यवर, यह पता चला कि उसका कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि जो यहां से लेकर वहां तक पहुंचवा दें और न उनके पास उसकी सूचना है कि जिसमें आपत्तियां आयीं और न इनके पास भेजने की कोई कार्यवाही है। हमने जब यहां स्थानीय निधि लेखा परीक्षा से पुछवाया तो उन्होंने कहा कि आपको सूचना दिलवाने में एक सप्ताह लगेगा। अब परसों जब कहा तो उन्होंने एक सप्ताह के लिये कहा है। कल भी हमने रात 8 बजे तक बिठाये रखा और कहा कि जितनी सूचना हों तो वह दे दो और आज सुबह से अधिकारी बैठे हैं। इसलिये एक मैकेनिज्म तय करना पड़ेगा। मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस पर ध्यान आकर्षित किया और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसके लिये हम पूरा मैकेनिज्म तय करके सदन को इस संबंध में अवगत करायेंगे।

प्रदेश के खुल रहे मेडिकल कालेजों में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

***11-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नये मेडिकल कालेजों में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की कमी के कारण जनता को चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जन सामान्य को चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराने हेतु नये

मेडिकल कालेजों में चिकित्सकों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के क्रियाशील होने के उपरान्त चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति के फलस्वरूप जनता को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो रही है।

स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहांपुर में प्रथम वर्ष एम0बी0बी0एस0 एल0ओ0पी0 के लिए एम0सी0आई0 मानकों के अनुसार चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है।

प्रथम नवीनीकरण के लिए इस वर्ष नियमित चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति भी कर ली गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, अब इससे बड़ा आश्वासन और क्या होगा। प्रश्न संख्या-11, श्री जवाहर लाल राजपूत जी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राजपूत जी, आपको कुछ पूछना है ?

श्री जवाहर लाल राजपूत-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से केवल यह पूछना चाह रहा था कि जब से मा0 योगी जी की सरकार आयी है तबसे नये-नये मेडिकल कॉलेज खोलने के लिये वह बधाई की पात्र है और चूंकि मा0 प्रधानमंत्री जी ने इसके लिये जो घोषणा की थी तो वास्तव में हर जगह ऐसे पिछड़े इलाकों में वह तैयार भी हो रहे हैं और उसमें झांसी मेडिकल कॉलेज में यह प्रारम्भ भी हो गया है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से थोड़ा सा यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वास्तव में जो घातक बीमारियां जैसे कैंसर तथा किडनी से संबंधित बीमारियां हैं तो जो नये-नये मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इसमें भी अगर विशेषज्ञ डाक्टर उपलब्ध रहेंगे तो वास्तव में जनता को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। माननीय मंत्री जी से मैं बस यही जानना चाहता हूं और यह आश्वासन चाहता हूं कि यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

आप कुछ पूछना चाहते हैं ?

श्री जवाहर लाल राजपूत-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो कैंसर जैसी घातक बीमारियां हैं उनके इलाज के लिये लोग टाटा, बिरला, लखनऊ, दिल्ली जाते हैं तो मेडिकल कॉलेजों में उसके विशेषज्ञों की उपलब्धता कब तक हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

उनकी ऐसी योजना तो है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जहां कहीं पर भी रिक्त होने की वैकेन्सी जो चिन्हित की गयी हैं उसके सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग को अधियाचन भी भेजा गया और उसके अतिरिक्त संविदा पर भी लोगों को लेने की प्रक्रिया लगातार जारी है। जैसे-जैसे जहां पर भी अवेलेबल होंगे हम संविदा के ऊपर उनको बराबर ले रहे हैं और मा0 सदस्य की जो जिज्ञासा है कि जो गम्भीर प्रकार की बीमारियां हैं उनके इलाज के लिये लोगों को ज्यादा पैसा खर्च न करना पड़े, कम से कम पैसे में मेडिकल कॉलेज में इलाज हो जाए, इसके लिये हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जब हमारा बजट आयेगा तो निश्चित रूप से हम इसके बारे में पूरी तरीके से अवगत भी करायेंगे।

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में विकास कार्यों को गति देने व पारदर्शिता लाने हेतु विधायकों व सांसदो को सदस्य मनोनीत किये जाने विषयक

***12-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में विकास कार्यों को गति प्रदान करने एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से विकास प्राधिकरण के क्षेत्र से सम्बन्धित विधायकों एवं सांसदों को सदस्य मनोनीत करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र से संबन्धित मा0 विधायकों एवं सासदों को सदस्य मनोनीत करने के संबंध में संप्रति कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न संख्या-12, माननीय बिमला सिंह सोलंकी जी।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं

(सत्तापक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) और उनकी जो नीति है वह भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा जीरो टालरेंस की रही है। जो भ्रष्टाचारी अधिकारी होते हैं उनको दण्डित करने में भी हमेशा आपकी रुचि रहती है। विकास प्राधिकरण में जनप्रतिनिधियों के नहीं रहने से वह अपनी मनमानी करते हैं और भ्रष्टाचार भी वहां पर होता है, क्योंकि वहां पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं होता है। इसलिए सारे निर्णय वह स्वयं लेते हैं और जिम्मेदारी भी उनकी कोई नहीं रहती है। यदि माननीय विधायक उसमें रहेंगे तो मैं समझती हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी की भ्रष्टाचार की लड़ाई में विधायक भी अपना सहयोग दे पायेंगे। विनम्रता के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी यह सुनिश्चित जानकारी है कि देश के अन्य प्रान्तों में विकास प्राधिकरण में माननीय विधायकगण को मनोनीत किया जाता है, क्या आप भी अन्य प्रान्तों का अध्ययन करवा कर विकास प्राधिकरणों में और प्रदेश में भी विधायकों का मनोनयन करने पर विचार करेंगे ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायका जी ने जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न उठाया है इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी विषय इनके संज्ञान में है तो वह लिख कर हमें दे दें हम उसकी जांच करायेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जहां तक माननीय विधायका जी ने जो प्रश्न किया है कि क्या माननीय विधायक और सांसदों को मनोनीत करने पर विचार करेंगे ? तो मैंने पहले भी उत्तर में यह बताया है और अब भी बता रहा हूँ कि ऐसा कोई विचार करने की प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

अगर आप अन्य प्रान्तों में अध्ययन करवायेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर विधायक रहते हैं। अगर आप इसमें विचार करेंगे कि विकास प्राधिकरणों में और प्रदेश में भी विधायकों का मनोनयन किया जाये तो बेहतर होगा।

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में कोई भी विचार करने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

तारांकित प्रश्न संख्या-13 श्री मो0 फईम इरफान, माननीय सहकारिता मंत्री जी।

प्रदेश में कार्यरत विभिन्न प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के घाटे और सहायता संबंधी

***13-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत कितनी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां घाटे में हैं ? क्या सरकार उनके घाटे को समाप्त करने की दिशा में दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 दिसम्बर, 2019 तक किये गये प्रयासों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी वर्मा)-

प्रदेश में 4608 प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियां कुल 296.10 करोड़ के घाटे में हैं।

1-प्रश्नगत अवधि में प्रारम्भिक सहकारी ऋण समितियों को सुदृढ़ कराने के उद्देश्य से एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (आई0सी0डी0पी0) योजना के अन्तर्गत 144 गोदामों का नव निर्माण, 407 गोदामों की मरम्मत, 290 गोदामों की बाउन्ड्रीवाल, 420 समितियों को व्यवसाय करने हेतु मार्जिन मनी तथा 19 समितियों पर रिटेल शाप की व्यवस्था की गयी। इन कार्यो पर कुल रु0 48.10 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी।

2-प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के व्यवसाय एवं आय को बढ़ाने एवं जन सामान्य को आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 264 प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों में वर्ष 2018-19 से पतंजलि आयुर्वेद लि0, हरिद्वार से रु0 270.00 लाख का व्यवसाय किया गया।

3-रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों में जैविक उर्वरक के वितरण का कार्य प्रारम्भ किया गया। प्रश्नगत अवधि में 59571 लीटर जैविक उर्वरक का वितरण किया गया।

4-121 समितियों के माध्यम से पशु आहार का व्यवसाय किया जा रहा है जिसके अंतर्गत अब तक 9804 कुन्तल का व्यवसाय किया गया है।

5-प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों की अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण में अधिकाधिक शासकीय धन प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास करके जिला योजना में पुनः लेखा शीर्षक का सृजन कराया गया है। जिला योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों से धनराशि के प्रस्ताव/संस्तुतियां प्राप्त हो चुकी हैं।

6-प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के व्यवसाय वृद्धि हेतु मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में गेहूं क्रय हेतु 1776 एवं धान क्रय हेतु 928 कुल 2704 समितियों में क्रय केन्द्र स्थापित किये गये। क्रय वर्ष 2018-19 में गेहूं क्रय हेतु 2663 एवं धान क्रय हेतु 1119 कुल 3782 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये। वर्ष 2019-20 में गेहूं क्रय हेतु 2801 एवं धान क्रय हेतु 1028 कुल 3829 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये जिसमें समितियों को धान खरीद में रु0 31.25 प्रति कुन्तल एवं गेहूं खरीद में रु0 27.00 प्रति कुन्तल कमीशन अनुमन्य है।

7-प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों की कार्यदक्षता बढ़ाने एवं कार्य विस्तार करने के उद्देश्य से प्रदेश में कार्यरत सभी प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों को कम्प्यूट्रीकृत कराने हेतु रु0 202.20 करोड़ की योजना भारत सरकार से स्वीकृत की गयी है, जिसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2080 पैक्स के

कम्प्यूटराईजेशन हेतु आय व्ययक में उक्त योजनान्तर्गत राज्यांश की 40 प्रतिशत की धनराशि अर्थात रु0 24.96 करोड़ का प्राविधान उपलब्ध है। उक्त धनराशि को निर्गत करने हेतु केन्द्रांश रु0 37.44 करोड़ अवमुक्त कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

8-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2018-19 में 04 सहकारी समितियों में 100 मै0 टन भण्डारण क्षमता के गोदामों के निर्माण का कार्य कराया गया है। वर्ष 2019-20 में 100 मै0 टन भण्डारण क्षमता के 100 गोदाम निर्माण कराने हेतु रु0 32.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसमें से रु0 10.50 करोड़ अवमुक्त किया जा चुका है, जिसमें कार्य प्रारम्भ हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मो0 फईम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने अनुपूरक पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने जो अपने 8 पैराग्राफ में समितियों का घाटा दूर करने के जो प्रयास बताये हैं उसमें कितनी समितियों का घाटा समाप्त हो गया है और अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन समितियों का नाम बतायेंगे जिनका घाटा समाप्त हो चुका है, अगर समितियों का घाटा कम नहीं हुआ है तो उन समितियों को उबारने के लिए अनुदान देने की आपकी कोई योजना है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार की ओर से समितियों का घाटा कम करने के उद्देश्य से इस अवधि में कितनी सहायता या अनुदान समितियों को दिया गया तथा सहकारिता क्षेत्र में समितियों की दे-दना-दन सिफारिशों के आधार पर उसके राज्य कर्मियों के राज्य कोष से वेतन देने की व्यवस्था सरकार क्यों नही करना चाहती ? अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्योंकि यह सहकारी समिति का मामला बहुत गम्भीर है और किसान सीधा-सीधा आपसे जुड़ा हुआ है।

श्री मुकुट बिहारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले प्रश्नकर्ता को बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम सहकारी समितियों के बारे में भी उन्होंने एक जिज्ञासा व्यक्त की। पूरे उत्तर प्रदेश में 7479 सहकारी समितियां हैं जिनमें अद्यतन स्थिति यह है कि 801 समितियां एक करोड़ के ऊपर का व्यवसाय करती हैं और 90 प्रतिशत रिकवरी है, 100 प्रतिशत आडिट है यह 801 समितियों का विवरण है। 1594 समितियां जो 50 लाख से लेकर एक करोड़ तक का व्यवसाय करती हैं और 80 प्रतिशत इनकी रिकवरी है और उनका भी आडिट हो रहा है। इस प्रकार से जितनी समितियां हमारी लाभ में हैं, 4608 समितियां ऐसी हैं जो 50 लाख के नीचे का बिजनेस करती हैं जिनकी रिकवरी 80 प्रतिशत मात्र है जो लाभ में नहीं हैं, उनको हमने कैटेग्री वाइज

चार कैटेग्री में बांटा है और इन चारों कैटेग्री में बांटकर लगातार उनमें प्रयास कर रहे हैं जो लाभ की ओर बढ़ें। इन समितियों में जो घाटे की समितियां हैं उनको लाभ में लाने के लिए हमने अपने अधिकारियों को भेज दिया है और उनसे कहा है कि इन समितियों को हर हालत में लाभ में पहुंचाना है। लगातार हमारी समितियां लाभ की ओर बढ़ रही हैं।

श्री मो0 फईम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसका विवरण हमें उपलब्ध करा दें।

श्री मुकुट बिहारी-

ठीक है, उपलब्ध करा देंगे।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में स्थापित चीनी मिल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लम्बित ग्रेच्युटी व सम्पूर्ण लम्बित वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में

***14-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में स्थापित दि किसान सहकारी चीनी मिल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के भुगतान मा0 न्यायालय से आच्छादित कर्मचारियों को रु0 20000.00 एवं अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रु0 10000.00 प्रतिमाह के अनुसार कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारियों को कितना भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्पूर्ण लम्बित वेतन का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री सुरेश कुमार)-

मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में कुल-27 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को माह अगस्त, 2019 से 10 जनवरी, 2020 तक उनकी देय ग्रेच्युटी के सापेक्ष रु0 64,41,932.00 का भुगतान किया गया है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी देय ग्रेच्युटी का भुगतान हेतु बनायी गयी कार्य योजना के अन्तर्गत चीनी मिल की जर्जर आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद अन्य 68 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी लम्बित ग्रेच्युटी के सापेक्ष रु0 16,18,809.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार ग्रेच्युटी के मद में कुल 95 कर्मचारियों को कुल रु0 80,60,741.00 भुगतान किया जा चुका है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन के मद में कोई भुगतान लम्बित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वन विभाग/वन निगम द्वारा विभिन्न राज्य मार्गों व अंतर्जनपदीय मार्गों पर पौधे लगाने का विवरण दिये जाने विषयक

***15-श्री विजय मिश्र-**

क्या वन एवं वन्य जीव मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वन विभाग/वन निगम द्वारा विभिन्न राज्य मार्गों व अन्तर्जनपदीय मार्गों पर पौधे लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति 2017 के पैरा 4.2 में सड़क, रेलवे लाइन और नहरों के किनारे की भूमि पर वृक्षारोपड़ को प्राथमिकता दिये जाने का उल्लेख है। वन प्रभागों द्वारा धनराशि की उपलब्धता एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजनाओं में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मार्गों की पटरियों पर वृक्षारोपण कराया जाता है।

अतारांकित प्रश्न

1-श्रीमती सुषमा पटेल-

[01 मंगलवार के अता0प्र0सं0-46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

2-श्री मानवेन्द्र सिंह-

[02 बुधवार के अता0प्र0सं0-157 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद लखनऊ नगर के दुबग्गा से अवध हास्पिटल तक 4 सर्विस लेन पर पुराना थाना के पास सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक

3-श्री मानवेन्द्र सिंह

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में दुबग्गा से अवध हास्पिटल जाने वाला मार्ग जो सर्विस लेन सहित 4 लेन का है, के एक लेन पर पुराना पारा थाना भवन था, को हटा दिये जाने के बाद भी अन्य अतिक्रमण के कारण लगातार जाम एवं दुर्घटना की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध अतिक्रमण हटाकर उक्त पुराना थाना के पास छूटी सड़क का निर्माण कराकर 4 लेन रोड पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

इस स्थान पर 3-लेन मुख्य मार्ग तथा 2-लेन सर्विस लेन का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से अतिक्रमण हटने के पश्चात किया जायेगा, जो कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्ता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के चारबाग में पटरी दुकानदारों को स्थानान्तरित कराने व रोड की सीमा तय कराये जाने विषयक

4-श्री मानवेन्द्र सिंह

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के चारबाग में पुलिस की मिली-भगत से पटरी दुकानदारों द्वारा रोड में दुकान लगाने के कारण प्रतिदिन आमजन को जाम से जूझना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पटरी दुकानदारों को अन्यत्र स्थानान्तरित कराने अथवा रोड की सीमा तय करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

चारबाग क्षेत्र में जाम की समस्या के निराकरण हेतु नगर निगम लखनऊ द्वारा समय-समय पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही की जाती है। दिनांक 03-02-2020 को अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाये गये हैं।

नगर निगम लखनऊ द्वारा चारबाग क्षेत्रान्तर्गत कुल 275 पटरी दुकानदारों का सत्यापन किया गया है, सत्यापित पटरी दुकानदारों को चारबाग रेलवे रिजर्वेशन मोड़ से के0के0सी0 पेट्रोल पम्प स्थित फुटपाथ पर एवं नत्था होटल तिराहे से दुर्गापुरी स्टेशन की तरफ रेलवे बाउन्ड्री के किनारे चिन्हित स्थल पर यातायात पुलिस की अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात अस्थायी रूप से स्थापित किया जायेगा। शेष पटरी दुकानदारों को टेढ़ी पुलिया बस स्टाप के समीप से पड़ाव घर तक के वेन्डिंग स्थल पर अस्थायी रूप से स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी, ताकि जन सामान्य की जाम की समस्या का निराकरण हो सके।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वृक्षारोपण एवं संरक्षण कराने विषयक

5-श्री सीताराम वर्मा-

क्या वन एवं वन्य जीव मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किये जा रहे वृक्षारोपण के संरक्षण की कोई प्रभावी योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

प्रदेश में किये जा रहे वृक्षारोपणों के संरक्षण की योजना पूर्व से ही विद्यमान है, जिसके कारण वृक्षारोपण संरक्षण/अनुरक्षण हेतु वर्तमान में कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वृक्षारोपण संरक्षण/अनुरक्षण के सम्बन्ध में प्राविधान पूर्व से उपलब्ध हैं, जो निम्न प्रकार है :-

(अ) वन विभाग द्वारा रोपित पौधों के अनुरक्षण का कार्य विभागीय संसाधनों से किया जाता है।

(ब) प्रत्येक ग्राम पंचायतों में रोपित पौधों की थावलाबन्दी, वर्ष में कम से कम 2 बार निराई-गुड़ाई, आवश्कतानुसार कम्पोस्ट खाद का प्रयोग, नियमित सिंचाई तथा गर्मी में मल्चिंग का कार्य, सुरक्षा श्रमिकों/तारबाड़/सुरक्षा खाईं/कटीले झाड़ियों/ट्री गार्ड से सुरक्षा, भविष्य में मृत/रोग ग्रस्त/क्षतिग्रस्त पौधों को स्वस्थ पौधों से बदलना, उक्त कार्य हेतु रोपण कार्य कराने वाली कार्यदायी संस्था द्वारा आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने का प्राविधान है।

जिला वृक्षारोपण समिति द्वारा वृक्षारोपण का शत-प्रतिशत सफलता तथा सुधार हेतु जिला स्तर पर उपलब्ध वित्तीय संसाधन यथा-मनरेगा, मिनरल डेवलेपमेंट फण्ड, सी0एस0आर0, विभागीय व अन्य स्रोत से धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश सम्बन्धित विभागीय अधिकारियो को देने का प्राविधान है।

(स) शहरी क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की सफलता हेतु उपरोक्तानुसार विभिन्न सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना है।

(द) कृषकों व अन्य व्यक्तियों द्वारा अपनी स्वयं की भूमि पर रोपित पौधों के अनुरक्षण का कार्य स्वयं उनके द्वारा किया जाता है।

(ध) रोपित पौधों का सोशल आडिट एवं पौधारोपण क्षेत्र की जिओ टैगिंग प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश हैं।

जनपद हमीरपुर में हमीरपुर को जालौन से जोड़ने वाली बेतवा नदी पर पुल की मरम्मत कराये जाने विषयक

6-श्रीमती मनीषा अनुरागी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के ग्राम-चिकासी में जनपद हमीरपुर को जनपद जालौन से जोड़ने वाली बेतवा नदी पर स्थापित मुहाना पुल क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त की मरम्मत/पुनर्निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद हमीरपुर में राठ नगर को राठ-महोबा मार्ग पर मण्डी के पास स्थित चीनी मिल को पुनः प्रारम्भ किये जाने हेतु

7-श्रीमती मनीषा अनुरागी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर स्थित राठ नगर में राठ-महोबा मार्ग पर मण्डी के पास सरकारी चीनी मिल वर्तमान में बन्द है ? यदि हां, तो उक्त मिल को पुनः सरकार प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

जनपद हमीरपुर स्थित राठ नगर में राठ-महोबा मार्ग पर मण्डी के पास खाँडसारी इकाई/प्लान्ट था, वर्तमान समय में वहां कोई प्लान्ट नहीं है और उसे चलाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर में राठ-जलालपुर मार्ग के कि0मी0-1 व किमी0-39 में आदेश विरुद्ध कार्य कराये जाने पर कार्यवाही विषयक

8-श्रीमती मनीषा अनुरागी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में राठ-जलालपुर मार्ग के कि0मी0 1 हेतु स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद कार्य न कराकर कि0मी0-39 में स्वीकृति न होने के बावजूद कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त अनियमितता के लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मार्ग के कि0मी0-1 में चैनेज-0.000 से 1.000 तक बांयी ओर एवं चैनेज-0.000 से 0.700 तक दांयी ओर चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण कराया गया है। कि0मी0-1 के शेष भाग में चौड़ीकरण/सी0सी0 कार्य जल संस्थान द्वारा पाइप लाइन शिफ्टिंग का कार्य कराये जाने के कारण बाधित हो गया था, जो कराया जाना प्रस्तावित है। प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 37.400 कि0मी0 है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हमीरपुर में मौदहा बांध से राठ नगर की पेयजल योजना की द्वितीय किस्त की धनराशि को व्यय करने विषयक

9-श्रीमती मनीषा अनुरागी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में मौदहा बांध से राठ नगर की पेयजल योजना की अनुमानित लागत रुपये 9434.78 लाख के सापेक्ष अवमुक्त प्रथम किस्त रुपये 1000 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना की द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

नगरीय पेयलज योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद राठ, जनपद-हमीरपुर की पेयजल योजना हेतु शासनादेश दिनांक 17-06-2016 द्वारा रु0 9434.78 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रु0 1000.00 लाख अवमुक्त की गयी है। उक्त अवमुक्त धनराशि रु0 1000.00 लाख का उपयोग किया जा चुका है। उक्त योजना के लिए धनराशि अवमुक्त किये जाने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के औद्योगिक आस्थानों की वायु गुणवत्ता सूचकांक व भू-गर्भीय जल की गुणवत्ता की जांच विषयक

10-श्री नाहिद हसन-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के औद्योगिक आस्थानों की वायु गुणवत्ता सूचकांक व भू-गर्भीय जल की गुणवत्ता को जांचने हेतु सरकार क्या समय-समय पर कोई जांच करवाती है ? यदि हां, तो औद्योगिक आस्थान कंडेला जनपद शामली की पिछले दो माह में वायु गुणवक्ता सूचकांक व भूगर्भ जल की क्या दशा है ?

श्री दारा सिंह चौहान-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक सहयोग प्राप्त कर क्रिटिकली/सीरियसली प्रदूषित औद्योगिक समूहों को चिन्हित किया जाता है।

जनपद शामली का कण्डेला औद्योगिक क्षेत्र क्रिटिकली/सीरियसली प्रदूषित औद्योगिक समूह के रूप में चिन्हित नहीं है।

जनपद शामली के कण्डेला औद्योगिक क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणता एवं भूगर्भ जल की जांच दिनांक-04-12-2019 को करायी गयी है, जिसमें वायु गुणता सूचकांक 94 (संतोषजनक श्रेणी) एवं भूगर्भ जल पीने योग्य पाया गया।

बीते गन्ना सत्र 2018-19 एवं चालू सत्र 2019-20 में किसानों को किए गए भुगतान के विवरण संबंधी

11-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या गन्ना एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र 2018-19 एवं चालू सत्र 2019-20 में दिनांक 17-01-2020 तक गन्ना कृषकों को किये गये गन्ना भुगतान का ब्यौरा सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

दिनांक 17 जनवरी, 2020 तक की सूचना के अनुसार पेराई सत्र 2018-19 में प्रदेश की चीनी मिलों पर कुल देय गन्ना मूल्य रु0 33,048.06 करोड़ के सापेक्ष रु0 31,707.30 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका था जो कुल देय का 95.94 प्रतिशत था। इसी प्रकार पेराई सत्र 2019-20 के अन्तर्गत प्रदेश की चीनी मिलों पर सूचना की तिथि से 14 दिन पूर्व अवधि तक कुल देय गन्ना मूल्य रु0 10,629.14 करोड़ के सापेक्ष रु0 5,785.05 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका था।

वर्तमान में दिनांक 12-02-2020 तक की सूचना के अनुसार पेराई सत्र 2018-19 में प्रदेश की चीनी मिलों पर कुल देय गन्ना मूल्य रु0 33.048.06 करोड़ के सापेक्ष रु0 32,310.81 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है जो कुल देय का 97.77 प्रतिशत है तथा रु0 737,26 करोड़ गन्ना मूल्य अवशेष है। इसी प्रकार पेराई सत्र 2019-20 के अन्तर्गत में प्रदेश की चीनी मिलों पर सूचना की तिथि से 14 दिन पूर्व अवधि तक कुल देय गन्ना मूल्य रु0 15,768.56 करोड़ के सापेक्ष रु0 8,863.60 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है तथा रु0 6,904.97 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है। पेराई सत्र 2019-20 अभी चल रहा है।

गत पेराई सत्र 2018-19 तथा वर्तमान पेराई सत्र 2019-20 के अन्तर्गत दिनांक 17-01-2020 तक देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष किये गये गन्ना मूल्य भुगतान का विवरण ऊपर दिया गया है, इसलिए सदन के पटल पर रखे जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

घोसी विधान सभा क्षेत्र की पकड़ी मोड़ से पकड़ी तक सड़क का उच्चीकरण कराकर निर्माण कराये जाने विषयक

12-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के घोसी विधान सभा क्षेत्र की पकड़ी मोड़ से पकड़ी तक की क्षतिग्रस्त सड़क का उच्चीकरण कराकर निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 6.00 किमी0 है, लेपित सतह की चौड़ाई 3.00 मीटर है मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसकी विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

घोसी विधान सभा क्षेत्र की कोइरियापार से नदवा सराय तक सड़क का चौड़ीकरण व उच्चीकरण कराने विषयक

13-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के घोसी विधान सभा क्षेत्र की कोइरियापार से नदवा सराय एवं आजमगढ़ से अमिला मोड़ तक की सड़क जो बहुत पतली है और जगह-जगह टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का चौड़ीकरण व उच्चीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी के अन्तर्गत कोइरियापार से नदवा सराय मार्ग (अ0जि0मा0, लम्बाई 3.500 कि0मी0, चौड़ाई 3.00 मी0) का यातायात घनत्व (पी0सी0यू0) दो लेन चौड़ीकरण हेतु निर्धारित मानक से कम है। अतः उक्त मार्ग का चौड़ीकरण निर्धारित मानकों से आच्छादित नहीं है। मार्ग की दशा पैच मरम्मत कराये जाने के उपरान्त संतोषजनक है।

आजमगढ़ से अमिला रोड तक मार्ग (अ0जि0मा0, लम्बाई 16.00 किमी0) के प्रथम 0.800 किमी0 के भाग की चौड़ाई 7.00 मी0 तथा शेष मार्ग की चौड़ाई 3.75 मी0 है। मार्ग के किमी0 0.800 से किमी0 6.00 तक के भाग के सामान्य मरम्मत से नवीनीकरण की आंकलित लागत रु0 56.32 लाख है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है तथा शेष किमी0 7.00 से किमी0 16.00 तक का भाग वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अनुरक्षण अवधि में है।

घोसी विधान सभा स्थित इंदारा रेलवे क्रासिंग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने विषयक

14-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के घोसी विधान सभा क्षेत्र में स्थित इंदारा रेलवे क्रासिंग पर फाटक बन्द होने के कारण ट्रैफिक जाम से आम जनमानस को मुक्ति दिलाने के लिये आर0ओ0बी0 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

जनपद मऊ के घोसी विधान सभा क्षेत्र में स्थित इंदारा रेलवे क्रासिंग संख्या-4 सी का टी0वी0यू0 एक लाख से कम है, जिसके कारण उक्त रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण में रेलवे द्वारा सहभागिता नहीं की जायेगी और न ही उक्त रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित है। अतः उक्त रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण मानकों से आच्छादित नहीं है।

डूडा कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास विकास योजना में जहसील तिलहर व जलालाबाद में नये आवासों हेतु आवंटित धनराशि का विवरण पटल पर रखे जाने विषयक

15-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिन्स-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डूडा कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास विकास योजना के अन्तर्गत जनपद-शाहजहांपुर की तहसील तिलहर व जलालाबाद में 01-04-2017 से 01-12-2019 तक कितने नये आवासों की कितनी धनराशि किन व्यक्तियों को कब आवंटित की गई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद-शाहजहांपुर की तहसील, तिलहर व जलालाबाद में दिनांक 01-04-2017 से 01-12-2019 तक 2090 नये आवासों हेतु रु0 34,42,00,000.00 (रुपये चौंतिस करोड़ बयालिस लाख मात्र) की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में अन्तरित की गई है।

जी हां। लाभार्थियों के बैंक खाते में अन्तरित की गई धनराशि एवं लाभार्थियों का विवरण संलग्न† है।

उपरोक्तानुसार।

16-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

[02 मंगलवार के अता0प्र0सं0-49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र हसनपुर में गंगा किनारे बांध पर बनी सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक

17-श्री महेन्द्र सिंह खडगवंशी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र हसनपुर में गंगा के किनारे बांध पर बनी हुई सड़क जो मोहम्मदाबाद से हरी बाबा बांध को

† छापी नहीं गयी।

जाती है, जर्जर होने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग जर्जर नहीं है। मार्ग के आंशिक भाग में कतिपय पैच है जिनकी मरम्मत का कार्य प्रगति पर है जिनको दिनांक 28-02-2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र हसनपुर में वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने व कार्यवाही करने विषयक

18-श्री महेन्द्र सिंह खडगवंशी-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र हसनपुर के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त अवैध कब्जे हो हटवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के शमशाबाद रोड, मौजा चमरौली के खसरा सं0-205 में सार्वजनिक रोड पर गेट लगाकर रास्ता बन्द करने पर कार्यवाही विषयक

19-श्री हरिओउम यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के शमशाबाद रोड, मौजा चमरौली के खसरा सं0-205 शिवम धाम कालोनी में सार्वजनिक रोड पर गेट लगाकर रास्ता बन्द करने के सम्बन्ध में आई0जी0आर0एस0 सं0-40014618006393, दिनांक 19-02-18, सं0-40014618013158, दिनांक 01-04-18, सं0-40014618015759, दिनांक 14-04-18 तथा सं0-4014618013157, दिनांक 10-06-18 के क्रम में अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक-1989/डी/अ0नि0/2019, दिनांक 14-10-19 तथा पत्रांक-2341/डी/अ0नि0/19, दिनांक 27-11-19 पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

शिवमधाम कालोनी, खसरा सं0-205 मौजा-चमरौली, शमशाबाद रोड आगरा में अवैध रूप से कालोनी के सार्वजनिक रोड पर बाउन्ड्रीवाल एवं गेट लगाये जाने विषयक शिकायत आगरा विकास प्राधिकरण को प्राप्त होने पर दिनांक 12-09-2017 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए दीवार एवं गेट को ध्वस्त कर दिया गया था। स्थानीय निवासियों द्वारा पुनः गेट एवं दीवार लगाये जाने पर ध्वस्तीकरण हेतु दिनांक 22-10-2019 नियत की गयी थी, परन्तु पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण स्थल पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी। पुनः दिनांक 11-12-2019 नियत की गयी, परन्तु पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो सका। दिनांक 24-01-2020 को उक्त आई0जी0आर0एस0 के शिकायतकर्ता श्री रामजीलाल के साथ गेट हटाये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु मौके पर टीम के जाने पर स्थानीय निवासियों द्वारा घेराव करते हुए बताया गया कि गेट एवं दीवार न होने पर पूर्व में चोरियां हो चुकी हैं तथा आवारा पशु व अराजक तत्व कालोनी में घूमते हैं, इस कारण सुरक्षा की दृष्टि से दीवार व गेट लगाया गया है, फलस्वरूप स्थल पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही स्थल पर क्रियान्वित किये जाने हेतु पुनः दिनांक 28-02-2019 नियत है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र के 17 वार्डों का नाम इंट्री कराने विषयक पत्र पर कार्रवाई विषयक

20-श्री राम अचल राजभर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर को सम्बोधित अधिशाषी अधिकारी, अशरफपुर किछौछा, नगर अम्बेडकरनगर का पत्र-117/न0पं0कि0/2019-20, दिनांक 07-08-2019 जो कि नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के विस्तारित क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों बसखारी, मलिकपुर एवं मखदूमनगर को ग्रामीण क्षेत्र से हटवाकर नगरीय क्षेत्र के 17 वार्डों का नाम इन्ट्री कराने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

अधिशाषी अधिकारी के पत्र के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी अम्बेडकर नगर ने पत्र संख्या-409/स0क0/वृ0पें0/2019-20, दिनांक 22-08-2019 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा में सम्मिलित राजस्व ग्राम मलिकपुर, बसकखारी व मखदूमनगर को समाज कल्याण की समस्त योजनाओं के वेबसाइट पर सम्मिलित कराने अथवा जनपद स्तर पर सम्मिलित करने का आप्शन उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया । तद्क्रम में समाज कल्याण विभाग, लखनऊ द्वारा sspy-up.gov.in बेवसाइट

पर नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के वार्डों के नाम संशोधन विवरण के अनुसार प्रदर्शित करा दिया गया है।

जनपद अम्बेडकरनगर के अकबरपुर-इल्लिफातगंज मार्ग को राज्य मार्ग घोषित करने विषयक

21-श्री लालजी वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के अकबरपुर-इल्तिफातगंज मार्ग को जनहित में राज्य मार्ग घोषित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

उक्त मार्ग को राज्य मार्ग की श्रेणी में स्वीकृत करने का औचित्य नहीं पाया गया।

विधान सभा क्षेत्र कालपी, विकास खण्ड कदौरा में स्थित इकौना ग्राम से मिश्रीपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक

22-कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड कदौरा के ग्राम इकौना से मिश्रीपुर मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 3 कि0मी0 का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम इकौना व मिश्रीपुर अलग-अलग लेपित मार्ग से संतृप्त हैं।

ग्रामों को परस्पर जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड कदौरा में अभिरवा-देवराहट घाट पर पीपों का पुल बनाये जाने विषयक

23-कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड कदौरा में यमुना में देवराहट घाट पर जालौन जनपद को कानपुर देहात से जोड़ने हेतु अमिरवा देवराहट घाट पर पीपों के पुल का निर्माण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद कानपुर देहात में स्थित देवराहट घाट पर यमुना नदी पर पीपों के पुल का निर्माण वर्तमान में पूर्ण है। यह पुल कानपुर देहात स्थित देवराहट घाट को जनपद जालौन के विकास खण्ड कदौरा स्थित अभिरुवा देवराहट घाट को जोड़ता है। वर्तमान में पुल यातायात हेतु चालू है।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र कालपी विकास खण्ड कदौरा में स्थित मदरालालपुर ग्राम में सूर्य मंदिर से कालपी तक 14 किमी0 मार्ग पर पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक

24-कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड कदौरा में मदरालालपुर ग्राम के पास सूर्य मन्दिर जाने हेतु लगभग 14 किलोमीटर मार्ग में 2 कि0मी0 वन क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर पक्की सड़क बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आरक्षित वन क्षेत्र में मार्ग निर्माण किया जाना वर्तमान में लो0नि0वि0 की प्रचलित नीतियों से आच्छादित नहीं है।

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा नगर पालिका सिकन्द्राबाद क्षेत्र में अवैध कार्य करने विषयक पत्र पर कार्यवाही विषयक

25-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा नगर पालिका सिकन्द्राबाद क्षेत्र में अवैध रूप से कार्य करने विषयक पत्र सं0-ख-6नं-623720, दिनांक 18-12-2019 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

इस संबंध में बुलंदशहर विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गयी आख्यानुसार अवगत कराना है कि शासन की अधिसूचना सं0-350/आठ-6-08-12 गठन/07, दिनांक 08 फरवरी 2008 के द्वारा बुलंदशहर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील-सिकन्द्राबाद के

सिकन्द्राबाद देहात सहित राजस्व ग्राम सम्मिलित किए गए हैं। तदुपरान्त नगर विकास अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2062/ नौ-2-2016-04 सीमा विस्तार/08 दिनांक 26-12-2016 द्वारा नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद का सीमा विस्तार किया गया है, जिसमें ग्राम सिकन्द्राबाद देहात सम्मिलित किया गया है। चूंकि बुलंदशहर विकास क्षेत्र में ग्राम सिकन्द्राबाद देहात नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित हो जाने के बावजूद भी बुलंदशहर विकास क्षेत्र में सम्मिलित रहेगा एवं प्राधिकरण उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। इससे किसी भी प्रकार का अभिलेखों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

शासन की अधिसूचना संख्या-8574/9आ-5-92-3-एन0सी0आर0-89 दिनांक 19 दिसम्बर 1992 के द्वारा बुलंदशहर खुर्जा विकास क्षेत्र की सीमा का विस्तारीकरण किया गया, जिसमें तहसील सिकन्द्राबाद के नगर पालिका क्षेत्र एवं अन्य कई गांव सम्मिलित किए गए। उक्त क्रम में सिकन्द्राबाद क्षेत्र की महायोजना-2021 जो कि वर्ष 2004 से लागू है एवं अब भी प्रभावी है, में सिकन्द्राबाद नगर पालिका परिषद सम्मिलित है। शासन की अधिसूचना दिनांक 08 फरवरी, 2008 द्वारा बुलंदशहर खुर्जा विकास क्षेत्र को अलग करते हुए बुलंदशहर विकास क्षेत्र एवं खुर्जा विकास क्षेत्र घोषित किया गया, जिसमें सिकन्द्राबाद नगर पालिका परिषद का क्षेत्र छूट गया था। उक्त क्षेत्र को बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलंदशहर सिकन्द्राबाद में आडिटोरियम व कम्यूनिटी सेंटर निर्माण पत्र सं-ख नं-623705 पर कार्यवाही विषयक

26-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6नं-623705, दिनांक 17-12-2020 जो सिकन्द्राबाद नगर जनपद बुलन्दशहर में आडिटोरियम तथा कम्युनिटी सेण्टर के निर्माण विषयक मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रकरण में पत्र दिनांक 18-12-2018 को प्राप्त हुआ है।

जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा तहसील सिकन्दराबाद नगर में आडिटोरियम तथा कम्यूनिटी सेंटर के निर्माण हेतु नजूल भूखण्ड संख्या-43 क्षेत्रफल 3346.80 वर्ग मीटर आवंटित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। जिलाधिकारी की आख्या के अनुसार उक्त भूखण्ड राजस्व अभिलेखों में पशुचर अंकित है तथा नजूल अभिलेखों में नजूल अंकित है।

उक्त के दृष्टिगत प्रस्तावित भूमि नजूल भूमि है अथवा ग्राम सभा की भूमि है, का विनिश्चय करने के उपरान्त प्रकरण के नजूल भूमि से आच्छादित होने की दशा में स्पष्ट संस्तुति सहित पूर्ण प्रस्ताव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 30-07-2019 एवं अनुस्मरण पत्र 24-10-2019 व दिनांक 30-12-2019 के द्वारा जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक

27-श्री पारसनाथ यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त होने से लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों को चिन्हित कर उनकी मरम्मत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। जनपद जौनपुर के लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में विभिन्न श्रेणी के कुल 3950 मार्ग हैं जिसमें राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग गड्ढामुक्त है। ग्रामीण मार्ग लम्बाई 177.495 किमी0 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों का नवीनीकरण वर्ष 2020-21 की कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है जिसकी स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विकास खण्ड बिल्थरा रोड पर क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने व धन की बर्बादी की जांच कराये जाने विषयक

28-श्री पारसनाथ यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड-बिल्थरा रोड (सीपर) के अन्तर्गत अखोप माइनर से निकली सड़क जो ग्राम तरछापार होते हुए कुण्डैल तक जाती है, क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को गड्ढामुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

मरम्मत का कार्य दिनांक 29-02-2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम अंतर्गत पार्क सं0-10 रतन खण्ड, शारदानगर योजना लखनऊ की दीवारों, पार्क आदि की सफाई/मरम्मतीकरण हेतु

29-श्री पारसनाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम लखनऊ अन्तर्गत रतन खण्ड शारदानगर योजना, लखनऊ पार्क सं0-10 की दीवारें टूट गई हैं व पार्क की सफाई नहीं की जाती है ? यदि हां, तो उक्त पार्क को मरम्मत व टहलने लायक सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

उक्त पार्क के सुधार एवं मरम्मत कार्य हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है। पार्क की क्षतिग्रस्त दीवार, प्लास्टर के सुधार, रंगाई-पुताई, ग्रिल आदि के कार्य के साथ पाथवे के प्रस्ताव कार्य हेतु रु0 18.56 लाख का व्यय होना प्रस्तावित है। प्रश्नगत कार्य प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृतोपरान्त कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

30-श्री पारसनाथ यादव-

[01 गुरुवार के अता0 प्र0 सं0-18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगर निगम गोरखपुर अंतर्गत रसूलपुर वार्ड-55 व 33 में जमीन पर अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्रवाई करने विषयक

31-श्री पारसनाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम गोरखपुर अन्तर्गत रसूलपुर पुराना वार्ड नं0-55 और वर्तमान में वार्ड सं0-33 मौजा नथमलपुर में आराजी नं0-529 के लगभग 16 डिस्मिल जमीन नगर निगम पोखरे के नाम दर्ज है, पर अनाधिकृत रूप से अवैध कब्जा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जा को हटाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

नगर निगम गोरखपुर के अन्तर्गत मौजा-नथमलपुर में खाता संख्या-529 पर आ0सं0 23/2 रकबा 0.065 हे0 भूमि पोखरी नगर निगम के नाम अभिलेखों में अंकित है।

उक्त पोखरी पर कब्जा करने वाले सेराजुद्दीन उर्फ भोला व कुछ अज्ञात निवासी-जाहिदाबाद गोरखनाथ गोरखपुर के विरुद्ध थाना-गोरखनाथ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-0273 दिनांक 27-07-2019 को धारा-447 भा0द0सं0 एवं धारा-3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम-1984 के अन्तर्गत दर्ज करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र घोसी की मझवारा मऊ सड़क अटरी मोड़ पर मऊ-बलिया सड़क पर अटरी मोड़ पर डीवाइडर का निर्माण कराये जाने विषयक

32-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी के मझवारा-मऊ सड़क के अदरी मोड़ पर जो मऊ-बलिया सड़क को जोड़ती है, पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये डिवाइडर का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग एक अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जो वर्तमान में दो लेन चौड़ा है। दो लेन मार्ग पर डिवाइडर का निर्माण कराना मानकों से आच्छादित नहीं है। दुर्घटनायें रोकने हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक कार्यों के लिए रु0 106.00 लाख की धनराशि आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र घोसी की खुरहंट नहर से मिरपुर एकौना चौबेपुर से कोइरियापार तक सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक

33-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी के खुरहंट नहर के किनारे से मिरपुर, एकौना, चौबेपुर होते हुए कोइरियापार जाने वाली जर्जर सड़क का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

वर्तमान में मार्ग की लेपित सतह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत मार्च, 2020 तक कराया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सकों/स्टाफ का विलय राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर करने विषयक

34-श्री संजय गर्ग-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय का विलय राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त चिकित्सालय के चिकित्सकों/स्टाफ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में विलय की प्रक्रिया को प्रतिनियुक्ति के आधार पर अभी तक शुरू न करने के कारण संस्थान का कार्य बाधित हो रहा है जिससे मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल के चिकित्सकों/स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रतिनियुक्ति के आधार पर शुरू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

शासनादेश संख्या-1985/7 01-02-2019-आर0एम0-11-2013 टी0सी0 दिनांक 27 अगस्त 2019 के क्रम में पूर्व डॉ0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय के 42 चिकित्साधिकारियों एवं 144 कर्मचारियों ने डॉ0 राम मनोहर लोहिया संस्थान, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति/सम्बद्धता के आधार पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तद्नुसार संस्थान का कार्य बाधित नहीं हो रहा है तथा मरीजों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के बालू अड्डा चौराहे से 3, प्रयाग नरायण रोड का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक

35-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ नगर के बालू अड्डा चौराहे से 3, प्रयाग नरायण रोड गड्ढायुक्त एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"

जी हां।

बालू अड्डा चौराहे से 3 प्रयाग नरायण रोड पर क्षतिग्रस्त सड़क को पैच कराकर गड्ढामुक्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र कालपी, विकास खण्ड कदौरा में बरली कस्बा से सुरैला मार्ग तक निर्माण हेतु योजना विषयक

36-कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड कदौरा में बरली कस्बा से सुरैला मार्ग जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

मार्ग की मरम्मत हेतु रु0 79.53 लाख की धनराशि आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र कालपी में आटा से इटौरा से बबीना मार्ग के चौड़ीकरण की योजना विषयक

37-कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में आटा से इटौरा होते हुए बबीना मार्ग को चौड़ीकरण कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग के संरेखण में आने वाले दो अन्य जिला मार्गों यथा आटा-इटौरा मार्ग (लम्बाई 9.725 किमी0, चौड़ाई 3.00 मी0) एवं इटौरा बबीना मार्ग (लम्बाई 10.500 किमी0 चौड़ाई 3.75 मी0) का यातायात घनत्व (पी0सी0यू0) दो लेन चौड़ीकरण हेतु निर्धारित मानक से कम है। अतः प्रश्नगत मार्ग का चौड़ीकरण निर्धारित मानकों से आच्छादित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड महेवा में बैन से सोहरापुर तक 2 किमी की मार्ग पक्का कराये जाने योजना विषयक

38-कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के कालपी विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड महेवा में बैन से सोहरापुर लम्बाई लगभग 2 किलोमीटर रास्ता कच्चा बना

हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को पक्का करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बैन व सोहरापुर लेपित सम्पर्क मार्ग से संतृप्त है।

ग्रामों को परस्पर जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

एन0एच0ए0आई0 द्वारा कालपी में ओवरब्रिज पर स्थित दुर्गा मंदिर चौराहा में क्रासिंग हेतु पुल या भूमिगत क्रासिंग बनाने हेतु निर्देश दिये जाने विषयक

39-कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में एन0एच0ए0आई0 द्वारा निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर दुर्गा मन्दिर चौराहा से रेलवे स्टेशन थाना, सर्किट हाउस, व्यास मन्दिर आदि स्थानों हेतु क्रासिंग अथवा भूमिगत क्रासिंग बनवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन फ्लाईओवर में 30 मी0 ब्रिज (चैनेज 243.910) एवं दो लाइट व्हिकल अण्डरपास (एल0वी0यू0पी0) (लम्बाई 3.5 मीटर) चैनेज (किमी0 243.570) एवं चैनेज (किमी0 244.100) का कार्य प्रगति पर है, जिसके अप्रोच रोड की चैनेज क्रमशः किमी0 243.450 से शुरू होती है एवं कि0मी0 244.300 पर समाप्त होती है। दुर्गा चौक जक्शन किमी0 244.376 पर स्थित है। इससे 400 मी0 पर यमुना नदी है, जिसके यातायात के आवागमन के लिए दो ब्रिज निर्मित है। फ्लाईओवर ब्रिज का पहुंच मार्ग जहां समाप्त होता है वहां से 200 मी0 की दूरी से दोनोंा यमुना ब्रिज के अप्रोच रोड शुरू होते है एवं फोर लेन सड़क दोनों ब्रिज के लिए विभाजित होती है जो कि दुर्गा चौक जंक्शन से मात्र 124 मी0 दूर है। दुर्गा मंदिर चौराहे से रेलवे स्टेशन थाना एवं सर्किट हाउस के रोड लेविल में भी 1.5 मीटर का अंतर है। अतः लो लेइंग एरिया होने से तकनीकी रूप से भूमिगत अण्डरपास का निर्माण उपयुक्त नहीं है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार एवं सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उक्त स्थान पर सड़क क्रासिंग का प्राविधान किया जाना उचित नहीं है।

जनपद जालौन में उरई से पाल-सरैनी मार्ग का चौड़ीकरण कराने की योजना बनाये जाने विषयक

40-कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में उरई से कानपुर देहात को जोड़ने वाले पाल सरैनी मार्ग का चौड़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी का है। ग्रामीण श्रेणी के मार्गों का चौड़ीकरण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद उन्नाव, ब्लाक असोहा, ग्राम गोसाई खेड़ा, राधानगरी व एकघरा को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक

41-श्री अनिल सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक-असोहा के अन्तर्गत ग्राम गोसाईखेड़ा, ग्राम राधानगरी एवं ग्राम एकघरा को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण/मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्गों की दशा संतोषजनक है।

विधान सभा क्षेत्र हापुड़, ग्राम खैरपुर, खैराबाद स्थित आनंदा दूध डेयरी से निकले गंदे पानी द्वारा बीमारी फैलने के कारण उक्त पर कार्रवाई करने विषयक

42-श्री असलम अली-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना के ग्राम खैरपुर खैराबाद स्थित आनन्दा दूध डेयरी से निकलने वाला गन्दा पानी क्षेत्र के अहमदपुर, नयागांव, खैरपुर, खैराबाद, हिम्मतनगर आदि गांव की आबादी में भर जाने से लोगों में गम्भीर बीमारी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आनंदा दूध डेयरी का वास्तविक नाम मैसर्स गोपाल जी डेयरी फूड्स प्रा0लि0 है, जो ग्राम खैरपुर, खैराबाद, पिलखुवा, जनपद हापुड़ में स्थित है। इस इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में 450 कि0ली0/दिन दूध का प्रयोग कर मिल्क पाउडर, घी एवं दही का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा शुद्धिकृत उत्प्रवाह के सतत् अनुश्रवण हेतु आनलाइन कन्टीन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम (ओ0सी0ई0एम0एस0) स्थापित हैं। उद्योग को राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधन के प्राविधानों के अंतर्गत वैध सहमति प्राप्त है।

उद्योग का नवीनतम निरीक्षण दिनांक 05-02-2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संचालित पाया गया तथा ओ0सी0ई0एम0एस0 में विभिन्न परिचालक मानकों के अनुरूप पाये गये। निरीक्षण के दौरान आस-पास के क्षेत्र में जलभराव की समस्या नहीं पाई गयी। शुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण स्थानीय नाले के माध्यम से कादराबाद नाले में पाया गया। पूर्व में दिनांक 20-09-2019 को एकत्रित उत्प्रवाह के नमूने में विभिन्न प्रचालक मानकों के अनुरूप पाये गये थे।

चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलाना, हापुड़ से प्राप्त आख्या दिनांक 04-02-2020 के अनुसार ग्राम खैरपुर-खैराबाद, हिम्मतनगर के उपकेन्द्रों/ग्राम में विगत 06 माह में कुल 108 स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन किया गया, जिसमें कोई भी गंभीर बीमारी का रोगी नहीं पाया गया तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्रों से भी गम्भीर बीमारी के फैलने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

जनपद हापुड़ कस्बा पिलखुवा स्थित जी0एस0 मेडिकल कालेज के स्वीकृत मानचित्र विषयक

43-श्री असलम अली-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के कस्बा पिलखुवा में स्थित जी0एस0 मेडिकल कालेज का कितने क्षेत्रफल का मानचित्र एच0पी0डी0ए0 हापुड़ द्वारा कौन से वर्ष में स्वीकृत हुआ है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद हापुड़ के कस्बा पिलखुवा में स्थित जी0एस0 मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल के मानचित्र संख्या-53/14-15/ओ0आर0/पी0के0डब्लू0 नेट भूखण्ड क्षेत्रफल 5925077 वर्ग मीटर की स्वीकृति हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30-03-2015 को नियमानुसार प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अम्बेडकरनगर के अकबरपुर, इल्तिफातगंज मार्ग को राज्य मार्ग घोषित करने पर विचार किये जाने विषयक

44-श्री राम अचल राजभर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के अकबरपुर-इल्तिफातगंज मार्ग को जनहित में राज्य मार्ग घोषित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

उक्त मार्ग को राज्य मार्ग की श्रेणी में स्वीकृत करने का औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद भदोही, तहसील ज्ञानपुर व हण्डिया से जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले आई नाला पर पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक

45-श्री विजय मिश्र-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही के तहसील ज्ञानपुर व हण्डिया से जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले आई नाला पर पुलिया का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत स्थल पर पुलिया निर्माण हेतु रु0 123.63 लाख की लागत आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद भदोही, विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर ग्राम सभा घनश्यामपुर से विरनई मार्ग व नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक

46-श्री विजय मिश्र-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के ग्राम सभा घनश्यामपुर दलित बस्ती से विरनई लगभग 1.50 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग व नाले पर पुलिया का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत पुलिया हेतु कोई चकमार्ग उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण मार्गों में भूमि अधिग्रहण का प्राविधान न होने के कारण प्रश्नगत स्थल पर पुलिया व 1.50 कि0मी0 अतिरिक्त पहुंच

मार्ग हेतु भूमि अधिग्रहण कर निर्माण किया जाना लोक निर्माण विभाग के मानकों में नहीं है। ग्राम घनश्यामपुर दलित बस्ती व ग्राम विरनई पूर्व से अलग-अलग एकल लेपित मार्गों से जुड़े हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद भदोही में ज्ञानपुर मुख्य नहर की पटरी नवधन से चकवा हनुमान मंदिर तक मार्ग का नवीनीकरण/चौड़ीकरण कराये जाने विषयक

47-श्री विजय मिश्र-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही में ज्ञानपुर मुख्य नहर की पटरी (जी0टी0 रोड) नवधन से चकवा हनुमान मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई 16 कि0मी0 संकरा है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का नवीनीकरण/चौड़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग (कुल लम्बाई 16.00 कि0मी0) ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। उक्त मार्ग के नवधन से प्रथम 10.00 कि0मी0 का भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है, जिसमें नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है एवं ग्रामीण श्रेणी के मार्गों का चौड़ीकरण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

शेष 6.00 कि0मी0 का भाग सिंचाई विभाग के स्वामित्व में है, जिस पर लोक निर्माण विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड स्थित मलिन बस्ती हरिओम नगर में सड़क/नाली निर्माण हेतु जिला नगरीय विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा कार्य कराये जाने की स्वीकृति विषयक

48-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड स्थित मलिन बस्ती-हरिओम नगर में सड़क व नाली निर्माण हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति सरकार प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन''गोपाल जी''-

जी हां।

सम्बन्धित बस्ती का आगणन सहित प्रस्ताव निदेशक, सूडा द्वारा शासन को उपलब्ध कराया गया है, किन्तु आगणन में कुछ त्रुटियों के दृष्टिगत उसके निराकरण हेतु निदेशक, सूडा को पत्र प्रेषित किया गया है। जैसे ही निदेशक, सूडा द्वारा त्रुटिरहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा, वैसे ही समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित बस्ती के निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर-जे स्थित कालोनी में खराब ट्यूबवेल को रि-बोर या अन्य व्यवस्था कराये जाने हेतु

49-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् सेक्टर-जे स्थित कालोनी में स्वच्छ जलापूर्ति हेतु खराब ट्यूबवेल का रि-बोर सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जानकीपुरम् योजना सेक्टर-जे कालोनी में 04 अदद् ट्यूबवेल लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित किये गये हैं, जिनके द्वारा कालोनीवासियों को नियमित जलापूर्ति की जा रही है। अतः किसी भी ट्यूबवेल को रि-बोर कराने की आवश्कता नहीं है।

लखनऊ के खदरा व फैजुल्लागंज के पास नये श्मशान स्थल विकसित किये जाने हेतु

50-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के गोमती नदी तट पर स्थित भैंसाकुण्ड बैकुण्ठ धाम एवं गुलाला घाट मुक्ति धाम पर लखनऊ नगर के दूरस्थ स्थानों से अन्त्येष्टि हेतु आने वालों को शवदाह हेतु काफी प्रतीक्षा करनी पड़ती है ? यदि हां, तो लम्बी दूरी व शवदाह हेतु प्रतीक्षा जैसी समस्याओं के दृष्टिगत खदरा व फैजुल्लागंज के आस-पास नये श्मशान स्थल विकसित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। स्थल पर आबादी की भूमि है। वर्तमान में शवदाह हेतु अन्त्येष्टि स्थल की चिन्हांकित भूमि उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज से गऊघाट में पीपापुल के स्थान पर पक्का पुल बनाये जाने विषयक

51-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में फैजुल्लागंज से गऊघाट तक आवागमन हेतु पीपे का पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रस्तावित स्थल के अप स्ट्रीम में 3.50 किमी0 पर 300.00 मी0 लम्बाई का गोमती नदी पर घैलाघाट सेतु एवं डाउन स्ट्रीम में 1.50 कि0मी0 पर 300.00 मी0 लम्बाई का गोमती नदी पर इमामबाड़ा-खदरा, पक्का पुल निर्मित है।

प्रस्तावित स्थल के अप स्ट्रीम/डाउन स्ट्रीम में 10.00 किमी0 के अन्दर पूर्व से सेतु निर्मित होने के फलस्वरूप नये सेतु का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की प्रचलित विभागीय व्यवस्था से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

52-डॉ0 नीरज बोरा-

[01मंगलवार के अता0प्र0सं0-48 के अर्न्तगत स्थानान्तरित।]

जनपद बस्ती के वि0स0क्षेत्र रुधौली में पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत सड़कों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराकर मार्ग निर्माण कराये जाने संबन्धी

53-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में स्वीकृत शंकरपुर से भोलापुर पैड़ी दानव कुईया से सिसवां सम्पर्क मार्ग, कुचुरुआ कुसमी कुंवर सम्पर्क मार्ग, भानपुर तेनुआ असनहरा के करमहिया बाजार के रामालखना से होते हुए बेलबना सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य के लिये धन उपलब्ध कराकर मार्गों का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्नगत मार्गों का पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद जनपद बुलंदशहर के क्षेत्र में नक्शा स्वीकृत करने का कार्य करने विषयक

54-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6 के सरकारी गजट सं0-350/आठ-6-08-12 गठन-07, दिनांक 08 फरवरी द्वारा जारी की गई अधिसूचना में नगर पालिका परिषद्, सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के क्षेत्र को बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण के अधिकारी उक्त क्षेत्र के निर्माण को स्वीकृत करने का कार्य कर सकते हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

शासन की अधिसूचना संख्या-8574/9आ-5-92-3-एन0सी0आर0-89, दिनांक 19 दिसंबर, 1992 के द्वारा बुलंदशहर खुर्जा विकास क्षेत्र की सीमा का विस्तारीकरण किया गया, जिसमें तहसील सिकन्द्राबाद के नगर पालिका क्षेत्र एवं कई अन्य गांव सम्मिलित किए गये। उक्त क्रम में सिकन्द्राबाद क्षेत्र की महायोजना-2021 जो कि वर्ष 2004 से लागू है एवं अब भी प्रभावी है, में सिकन्द्राबाद नगर पालिका परिषद सम्मिलित है। शासन की अधिसूचना संख्या-350/आठ-6-08-12 गठन /07, दिनांक 08 फरवरी, 2008 द्वारा बुलंदशहर खुर्जा विकास खण्ड को अलग करते हुए बुलंदशहर विकास क्षेत्र एवं खुर्जा विकास क्षेत्र घोषित किया गया, जिसमें सिकन्द्राबाद नगर पालिका परिषद का क्षेत्र छूट गया था । संप्रति उक्त क्षेत्र को बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद जनपद बुलंदशहर का नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित भू-भाग को अभिलेखों में संशोधन कर अपने क्षेत्र से अलग करने विषयक

55-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद्, सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर का सीमा विस्तार होने के उपरान्त गांव सिकन्द्राबाद देहात नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित भू-भाग करके उस भू-भाग को अपने क्षेत्र से अलग कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

नगर पालिका परिषद, सिकन्द्राबाद, जनपद बुलंदशहर का सीमा विस्तार नगर विकास विभाग अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 2062/ 9-2-2016-04 सीमा विस्तार/08, दिनांक

26 दिसम्बर, 2016 द्वारा किया गया है, जिसमें गांव सिकन्द्राबाद देहात सम्मिलित है। आवास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या 8574/9आ-5-92-3-एन0सी0आर0-89, दिनांक 19 दिसम्बर, 1992 एवं अधिसूचना संख्या 350/आठ-6-08-12 गठन/2007, दिनांक 08 फरवरी, 2008 द्वारा सिकन्द्राबाद क्षेत्र को बुलंदशहर प्राधिकरण विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, जिसमें गांव सिकन्द्राबाद देहात भी सम्मिलित है। चूंकि गांव सिकन्द्राबाद देहात पूर्व से ही प्राधिकरण विकास क्षेत्र में अधिसूचित है, अतः गांव सिकन्द्राबाद देहात को नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित हो जाने से बुलंदशर प्राधिकरण विकास क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा सिकन्द्राबाद देहात पूर्व की भांति प्राधिकरण विकास क्षेत्र में रहेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकरनगर के ब्लाक जहाँगीरगंज के ग्राम पंचायत बलरामपुर, विछवापार, तरौना आदि को नगर पंचायत बनाने विषयक

56-श्री पारसनाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के ब्लाक जहाँगीरगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत बलरामपुर, विछवापार तरौना, बांसगांव तथा राजेपुर शहरयारपुर को नगर पंचायत बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

नगर पंचायत जहांगीरगंज के गठन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

लखनऊ नगर निगम के अर्न्तगत सेक्टर-जे, पार्क-1, महानगर के आवास सं0-सी-38 से सी-43 के बीच चल रही अवैध डेयरी को हटाने के सम्बन्ध में

57-श्री पारसनाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, लखनऊ अन्तर्गत सेक्टर-जे पार्क-1, महानगर, लखनऊ के आवास संख्या-सी-38 से सी-43 के बीच अवैध रूप से संचालित डेयरी से गन्दगी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध रूप से संचालित उक्त डेयरी को हटाकर सफाई की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टंडन ''गोपाल जी''-

जी हां।

विशेष अभियान के अर्न्तगत महानगर क्षेत्र/स्थल से समस्त दूध डेयरियों को हटा दिया गया है। निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल पर श्री लल्ली पुत्र स्व0 हाजी रहमान द्वारा गायों को पाल कर गंदगी फैलाई जा रही है इनके विरुद्ध नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा- 550

के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही तथा गायों को हटाये जाने हेतु नोटिस भेजी गयी है, जिसकी प्रति क्षेत्राधिकारी, महानगर एवं थानाध्यक्ष महानगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ सेक्टर-डी जानकीपुरम कालोनी निकट रिंग रोड स्थित पार्क की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण व पार्क का सौंदर्यीकरण कराने विषयक

58-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर की जानकीपुरम् कालोनी निकट रिंग रोड के मकान नं0-एस0एस0-228, सेक्टर-डी के सामने स्थित पार्क की बाउण्ड्री टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कराकर पार्क का सौन्दर्यीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टंडन ''गोपाल जी''-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत पार्क की बाउन्ड्रीवॉल की मरम्मत/सौन्दर्यीकरण कार्य आगणन रु0 6.85 लाख का बनाया गया है। विभागीय औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए तीन माह की अवधि में कार्य सम्पादित करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ सेक्टर डी, रिंग रोड स्थित सचिवालय कालोनी के पीछे वाली जर्जर रोड व नाली तथा पार्क के कोने पर बनी पुलिया का पुनर्निर्माण कराने विषयक

59-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर की जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर-डी, रिंग रोड पर स्थित सचिवालय कालोनी के पीछे स्थित पार्क के सामने उत्तर वाली रोड एवं नाली जर्जर है तथा पार्क के कोने पर नाले पर पुलिया टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोड पर नाली एवं पुलिया पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत कार्य वार्ड विकास प्राथमिकता में स्वीकृत है। विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त स्थल पर कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के चारबाग में रोड में दुकान लगाने में पुलिस की मिली भगत होने से दोषियों पर कार्रवाई करने विषयक

60-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के चारबाग क्षेत्र में पटरी दुकानदारों द्वारा रोड पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने के कारण प्रतिदिन आमजन को जाम से जूझना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र से अतिक्रमण हटाते हुए पटरी दुकानदारों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर रोड की सीमा तय करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

नगर निगम द्वारा समय-समय पर चारबाग क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर अवैध कब्जो को हटाकर अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है। दिनांक 03-02-2020 को चारबाग क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया था।

चारबाग क्षेत्र में कुल 275 पटरी दुकानों का सत्यापन किया गया है, जिन्हें चारबाग रेलवे रिजर्वेशन मोड़ से के0के0सी0 पेट्रोल पम्प तक फुटपाथ एवं नत्था होटल तिराहे से दुर्गापुरी स्टेशन की तरफ रेलवे बाउन्ड्री के किनारे कुल 268 चिन्हित किये गये स्थल पर यातायात पुलिस की अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात अस्थायी रूप से स्थापित किया जायेगा। शेष बचे पटरी दुकानदारों को टेढ़ी पुलिया बस स्टाप के पास से पड़ाव घर तक के वेन्डिंग स्थल पर अस्थायी रूप से स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद में नजूल भू-खण्ड सं0 एक्स-एक्स सिविल स्टेशन, कानपुर रोड, पी0डी0 टण्डन मार्ग की भूमि को फ्री-होल्ड कराने विषयक

61-श्री विजय मिश्र-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में नजूल भू-खण्ड संख्या-एक्स-एक्स सिविल स्टेशन, कानपुर रोड, पी0डी0 टण्डन मार्ग की फ्री-होल्ड भूमि जो मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज के आदेश से पिछले रेट से निरस्त है, को नजूल नीति के अनुसार

वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराते हुए फ्री-होल्ड सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जनपद प्रयागराज में स्थित नजूल भूखण्ड संख्या, एक्स-एक्स सिविल स्टेशन, कानपुर रोड, पी0डी0 टण्डन मार्ग की लीज डीड दिनांक 19-12-1958 को समाप्त हो चुकी है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-25124/2010 लाडली टण्डन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03-05-2012 के अनुपालन में लाडली टण्डन द्वारा प्रस्तुत फ्री-होल्ड सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिनांक 24-11-2010 को आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-492/8-4-12-138 एन/06 दिनांक 29-05-2012 द्वारा निरस्त करते हुए निस्तारित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद भदोही के सीता समाहित स्थल पर गंगा नदी पर धनतुलसी डेगूरपुर पर पक्का पुल बनवाये जाने विषयक

62-श्री विजय मिश्र-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही स्थित ऐतिहासिक सीता समाहित स्थल पर पूरे प्रदेश से तीर्थयात्री आते हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त स्थान हेतु जाने वाले मार्ग में गंगा नदी पर धनतुलसी डेगुरपुर पर पक्का पुल नहीं होने से दर्शनार्थियों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पक्का पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जी हां।

प्रस्तावित स्थल के अप स्ट्रीम में लगभग 50 किमी0 दूरी पर राष्ट्रीय मार्ग सं0-2 पर शास्त्री सेतु, इलाहाबाद एवं डाऊन स्ट्रीम में लगभग 45 किमी0 पर मिर्जापुर-गोपीगंज मार्ग पर शास्त्री सेतु निर्मित है।

प्रस्तावित स्थल गंगा नदी सेतु धनतुलसी (डेंगुरपुर घाट) पर लगभग 1100 मी0 लम्बाई के दीर्घ नदी सेतु हेतु लागत लगभग रु0 21000.00 लाख आयेगी।

सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के ग्राम रतनपुरी व रामनगर के बीच सोलन नदी पर सेतु निर्माण विषयक

63-श्री प्रमोद उटवाल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गांव रतनपुरी व रामनगर के बीच धू-धू नदी पर अस्थाई पाइल सेतु का निर्माण सरकार कब तक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी लक्सर मार्ग के किमी0-13 से रतनपुरी एवं रामनगर के मध्य धू-धू नदी (सोलन नदी) पर अस्थाई स्टील पाइप सेतु निर्माण कार्य हेतु लागत लगभग रु0 34.83 लाख आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

स्लॉटर हाउस कुबेरपुर में खाने योग्य मांस के एक्सपोर्ट के संबंध में

64-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुबेरपुर स्थित स्लॉटर हाउस का निर्माण आगरा नगर निगम की जनता को खाने योग्य मीट/मांस देने हेतु स्थापना की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त स्लॉटर हाउस का खाने योग्य मांस एक्सपोर्ट किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

नगर निगम आगरा कुबेरपुर स्थित रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस वर्तमान में फ्रिगोरिफिको अलाना प्रा0 लि0 द्वारा संचालित है जिसमें महिषवंशीय पशुओं का उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर निगम द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 150 महिषवंशीय पशुओं का प्रतिदिन वध शहरी जनता को खाने योग्य आपूर्ति देने के लिए किया जा रहा है। शहरी जनता को मांस आपूर्ति के बाद बचे हुए शेष मांस को अपेडा द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्राविधानों के अनुरूप कम्पनी अपने व्यवसायिक संचालन हेतु उपयोग में लेती है।

नगर निगम आगरा द्वारा संचालित कुबेरपुर स्थित स्लॉटर हाउस के खाने योग्य मांस की सप्लाई का विवरण दिये जाने के संबंध में

65-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम आगरा द्वारा संचालित कुबेरपुर स्थित रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस में काटे जा रहे पशुओं में से कितने पशुओं का खाने योग्य मांस विदेश एक्सपोर्ट कर दिया जाता है ? क्या सरकार विगत पांच वर्षों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इसी स्लॉटर हाउस से आगरा नगर

निगम क्षेत्र/लोकल सप्लाई हेतु खाने योग्य मांस भेजा जाता है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

नगर निगम आगरा कुबेरपुर स्थित रजिस्टर्ड स्लाटर हाउस वर्तमान में फ्रिगोरिफिको अलाना प्रा0 लि0 द्वारा संचालित है जिसमें महिषवंशीय पशुओं का उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर निगम द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 150 महिषवंशीय पशुओं का प्रतिदिन वध शहरी जनता को खाने योग्य मांस/मीट आपूर्ति देने के लिए किया जा रहा है। शहरी जनता को मांस आपूर्ति के बाद बचे हुए शेष मांस को अपेडा द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्राविधानों के अनुरूप कम्पनी अपने व्यवसायिक संचालन हेतु उपयोग में लेती है। उक्त के संदर्भ में 05 वर्षों का विवरण संलग्न† है।

कुबेरपुर स्थित रजिस्टर्ड स्लाटर हाउस में लाये जाने वाले पशुवाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट व ट्रांसपोर्ट किये गये पशुओं की संख्या के संबंध में

66-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम आगरा द्वारा संचालित कुबेरपुर स्थित रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस में परिवहन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लाये जाने वाले पशुओं से नियमानुसार ट्रांसपोर्ट फिटनेस सर्टिफिकेट मय गाड़ी नम्बर लिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के प्रतिमाह जारी किये गये सर्टिफिकेट की संख्या एवं उनके सापेक्ष ट्रांसपोर्ट किये गये पशुओं की संख्या का पूर्ण विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

नगर निगम आगरा कुबेरपुर स्थित रजिस्टर्ड स्लाटर हाउस वर्तमान में फ्रिगोरिफिको अलाना प्रा0लि0 द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसमें नियमानुसार ट्रांसपोर्ट फिटनेस सर्टिफिकेट लिये जा रहे हैं। विगत 05 वर्षों में प्रति माह जारी किये गये सर्टिफिकेट की संख्या एवं उनके सापेक्ष ट्रांसपोर्ट किये गये पशुओं की संख्या का पूर्ण विवरण संलग्न† है।

स्लाटर हाउस द्वारा पशु एंटीमार्टम/पोस्टमार्टम के शुल्क एकत्रीकरण के विवरण के संबंध में

67-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्लॉटर हाउसों में 45 रुपये प्रति पशु एंटीमार्टम एवं पोस्टमार्टम चार्ज जमा कराना अनिवार्य है ? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रदेश में स्लॉटर हाउसों द्वारा प्रति माह कितना-कितना रुपया पशु संख्या के सापेक्ष जमा कराया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† (देखिये नत्थी 'ग' का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 181-185 पर)

† (देखिये नत्थी 'घ' का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 186-190 पर)

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

राजकीय पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा परीक्षण किये गये पशुओं का मात्र निर्धारित शुल्क प्रति पशु रुपये 45/-जमा किया जाता है। जिसका विवरण संलग्न† है।

(इसी मध्य 12 बजकर 19 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं मद संख्या-3 लेता हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, पहले नियम-301 को ले लीजिये।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (अट्ठाइसवां संशोधन) नियमावली, 2019†

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-812/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (39)-2019, दिनांक 28 मई, 2019 द्वारा प्रख्यापित प्रदेश उत्तर माल और सेवा कर (अट्ठाइसवां संशोधन) नियमावली, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उन्तीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2019†

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-982/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(41)-2019, दिनांक 2 जुलाई, 2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उन्तीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1164/ग्यारह-9 (42)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-2017-आदेश(45)-2019, दिनांक 6 अगस्त, 2019†

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1164/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-2017-आदेश (45)-2019,

---

† (देखिये नत्थी 'ङ' का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 191-194 पर)

† छापी नहीं गयी।

दिनांक 6 अगस्त, 2019, को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1165/ग्यारह-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(46)-2019, दिनांक 6 अगस्त, 2019,†

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1165/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम- 2017-आदेश(46)-2019, दिनांक 6 अगस्त, 2019, को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1166/ग्यारह-9 (42)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-2017-आदेश(47)-2019,† दिनांक 6 अगस्त, 2019,

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1166/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश (47)-2019, दिनांक 6 अगस्त, 2019, को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1167/ ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(48)-2019, दिनांक 6 अगस्त, 2019,†

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1167/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0ऐक्ट-1-2017-आदेश (48)-2019, दिनांक 6 अगस्त, 2019, को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तीसवां संशोधन) नियमावली, 2019†

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1168/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश (49)-2019, दिनांक 6 अगस्त, 2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तीसवां

† छापी नहीं गयी।

संशोधन) नियमावली, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1237/ग्यारह-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (50)-2019, दिनांक 19 अगस्त, 2019†

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1237/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0, नियम-2017-आदेश (50)-2019, दिनांक 19 अगस्त, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (इकतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2019†

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1238/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम- 2017-आदेश (51)-2019, दिनांक 19 अगस्त, 2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (इकतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-क0नि0-2-1239/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-2017-आदेश(52)-2019, दिनांक 19 अगस्त, 2019†

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-क0नि0-2-1239/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-2017-आदेश (52)-2019, दिनांक 19 अगस्त, 2019, को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-क0नि0-2-1240/ग्यारह-9 (42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (53)-2019, दिनांक 19 अगस्त, 2019†

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-क0नि0-2-1240/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश

† छापी नहीं गयी।

(53)-2019, दिनांक 19 अगस्त, 2019, को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-1242/ग्यारह-9(1)-2008-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश(54)-2019, दिनांक 19 अगस्त, 2019,†

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-1242/ग्यारह-9(1)-2008-उ0प्र0अधि0-5-2008- आदेश(54)-2019, दिनांक 19 अगस्त, 2019, को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008) की धारा-4 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1169/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(55)-2019, दिनांक 18 सितम्बर, 2019,†

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1169/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश(55)-2019, दिनांक 18 सितम्बर, 2019, को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1170/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश(56)-2019, दिनांक 18 सितम्बर, 2019,†

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1170/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1- 2017- आदेश(56)-2019, दिनांक 18 सितम्बर, 2019, को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना/ शुद्धि पत्र संख्या-क0 नि0-2-1397/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश(57)-2019, दिनांक 25 सितम्बर, 2019,†

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना/ शुद्धि पत्र संख्या-क0 नि0-2-1397/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-

† छापी नहीं गयी।

आदेश(57)-2019, दिनांक 25 सितम्बर, 2019, को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना/ संख्या-क0 नि0-2- 1306/ ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(58)-2019, दिनांक 25 सितम्बर, 2019

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना/ संख्या-क0 नि0-2-1306/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश(58)-2019, दिनांक 25 सितम्बर, 2019, को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-1048/ ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(59)-2019, दिनांक 1 अक्टूबर, 2019†

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-1048/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017 आदेश(59)-2019, दिनांक 1 अक्टूबर, 2019, को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-1281/ ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-1-2017-आदेश (60)-2019† दिनांक 1 अक्टूबर, 2019

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-1048/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(59)-2019, दिनांक 1 अक्टूबर, 2019,को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1576/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(61)-2019, दिनांक 22 अक्टूबर, 2019†

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1576/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (61)-

† छापी नहीं गयी।

2019, दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1647/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-1-2017-आदेश (62)-2019, दिनांक 07 नवम्बर, 2019

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1647/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-1-2017-आदेश (62)-2019, दिनांक 07 नवम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

(इसी मध्य 12 बजकर 34 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1521/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (63)-2019, दिनांक 15 नवम्बर, 2019†

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1521/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (63)-2019, दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1556/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (64)-2019, दिनांक 15 नवम्बर, 2019†

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1556/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (64)-2019, दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2- 1557/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (65)-2019, दिनांक 15 नवम्बर, 2019[†]

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1557/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (65)-2019, दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष-

अब मा0 मंत्री जी बैठ जायें।

अब हम पहले मा0 उमाशंकर सिंह जी की एक औचित्य की सूचना लेने जा रहे हैं। आपको भी बोलना है, आपका नियम-56 में है, इसके बाद नियम-56 लेते हैं।

प्रश्नकाल बाधित होने पर उसी दिन अथवा अगले दिन प्रश्नकाल हेतु समय निर्धारित किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने इस औचित्य के विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। चूंकि हम सभी मा0 सदस्यों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। मेरा इस औचित्य का विषय लाने का तात्पर्य बस यही है और मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि जब भी सत्र बैठता है तो 11:00 बजे से लेकर दोपहर 12:20 तक प्रश्नकाल का समय होता है और चूंकि जब सदन चलता है तो उस समय कोई तात्कालिक घटना घटित हो जाती है तो हमारे मा0 दलीय नेताओं की भी अपनी मजबूरी होती है कि उस बात को सदन के शुरू होते ही रखने की और ऐसी स्थिति में चूंकि जब व्यवस्था नहीं हो पाती है तो सदन बाधित हो जाता है और सदन के बाधित हो जाने के बाद सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि केवल सदन 11:00 बजे से लेकर दोपहर 12:20 बजे तक बाधित हो जाता है, दोपहर 12:20 बजे के बाद अपने आप प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है और फिर सदन चलने लगता है। मा0 अध्यक्ष जी, इस तरह से नियमों में भी व्यवस्था है और आपकी पीठ सर्वोपरि है चूंकि आप इसमें व्यवस्था दे सकते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, नियम-35 में एक व्यवस्था दी गई है कि यदि मा0 मंत्री अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में विशेष अथवा अप्रत्याशित

[†] छापी नहीं गयी।

परिस्थितियों के कारण सम्बद्ध मंत्री की अनुपस्थिति की दशा में तद्विषयक प्रार्थना किये जाने पर अध्यक्ष प्रश्न को किसी आगामी दिन के लिए स्थगित कर सकेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, आप सदन के मालिक हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि सत्तापक्ष एवं विपक्ष के मा0 सदस्य महीनों पहले प्रश्न लगाते हैं और उस प्रश्न का उत्तर, उत्तर प्रदेश के पूरे विभागों द्वारा बनाया जाता है और सारे मा0 सदस्य अपने प्रश्नों की तैयारी करके आते हैं कि हम इसमें अनुपूरक पूछेंगे। मा0 मंत्रियों की भी दिल से इच्छा होती है कि एक-दो मा0 सदस्य वेल में आकर हल्ला कर दें और आज का मामला किसी तरह से टल जाए, वह तो यही मनाते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

तो क्या इनके कहने से हल्ला करते हैं ?

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं वह भी प्रश्नकाल को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं क्योंकि पहले अधिकारी दीर्घा में बैठे रहते थे कि हमारा प्रश्न आयेगा और तो हम संबंधित मा0 मंत्री जी को उत्तर बनाकर भेजेंगे, लेकिन वह अब जानते हैं कि सदन चलना नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

तो प्रश्न स्थगन का क्या किया जाए ?

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है कि जब तक सदन बाधित रहता है और जब भी सदन दोबारा बैठे या तो आप उसी दिन कोई दूसरा समय नियत कर दीजिए या फिर उसको स्थगित कर दीजिए ताकि वह प्रश्न समाप्त न हो जिससे उस प्रश्न को दूसरे दिन लिया जा सके। लेकिन जब उसको स्थगित करके छोड़ देते हैं तो हम लोगों की सारी तैयारियां धरी-की-धरी रह जाती हैं और हम प्रदेश से जुड़ी समस्याओं के प्रश्न लाते हैं। जो कि बिना उत्तर मिले ही रह जाता है।

श्री अध्यक्ष-

अब वर्मा जी आप नियम-56 भी चाहते हैं, इसमें भी बोलना चाहते हैं।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर हम तारांकित प्रश्न करते हैं तो उसमें पूरे प्रदेश की समस्याएं आ जाती हैं और उसका उत्तर आ जाता है। कोई भी समय कर दीजिए या आपने जिस तरह से नियम-51 का कर रखा है कि जो सदस्य रहेगा हम उसी का नियम-51 की सूचनाएं स्वीकार करेंगे। इसी तरह से जिनका प्रश्न होगा वह सभी बैठे रहेंगे। इसका समय 5 बजे से लेकर 6 बजे तक कर दीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इस समस्या का समाधान यह है कि प्रश्न पहर को 5 बजे से लेकर 6:20 बजे तक कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

क्या यह समाधान नहीं है कि हम लोग वेल में न कूदें।

श्री लालजी वर्मा-

नहीं, मान्यवर। यह परिवर्तन कर दीजिए कि प्रश्न पहर को 5 बजे से लेकर 6:20 बजे तक कर दिया जाए। तो अपने आप समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आपका विषय आ गया है, अब नियम-56 लेने दीजिए।

नेता विरोधी दल (श्री रामगोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य श्री उमाशंकर जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठा दी है।

श्री अध्यक्ष-

फिर नियम-56 रह जायेगा, हम आपको पूरा टाइम देंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, सिर्फ एक मिनट में अपनी बात कहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, कभी-कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि आपको तकलीफ होते हुए भी मा0 सदस्यों को वेल में आना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, हमें तकलीफ कहां है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जो मा0 वर्मा जी ने कहा है, आप प्रश्न ऑवर को शाम को कर दीजिए, इससे सारे विधायक मजबूरी में बैठेंगे भी, जो भाग जाते हैं। सब लोग सदन में बैठेंगे। (मेजें थपथपाई गयीं)

श्री अध्यक्ष-

तो फिर सवेरे आपका क्या कार्यक्रम रहेगा ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सवेरे आप अन्य कार्यक्रम ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, जो आप लोगों का यहां पर हाउस में कूदने का कार्यक्रम है उसका टाइमिंग क्या रहेगा ?

श्री बहोरन लाल मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, इसकी क्या गारंटी है कि जो ये सवेरे करते हैं वह शाम को नहीं करेंगे। (हंसी)

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन बाधित किसकी वजह से होता है ? सदन बाधित होता है इन लोगों की वजह से।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप यदि बात को न उलझाएं तो कुछ भी नहीं होगा, चूंकि आप उसको उलझाते हैं इसलिए हमको आना पड़ता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसका समाधान जरूर होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने भी एक दिन जिक्र किया था कि एक सवाल के ऊपर सप्लीमेंटरी कितनी होनी चाहिए, कभी-कभी एक ही प्रश्न पर आधा-पौन घंटा हो जाता है, कभी-कभी बीस-बीस मिनट लगते हैं तो इसके ऊपर भी एक व्यवस्था हो जाए कि इतने ही सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछे जाएंगे और इतनी देर तक ही एक प्रश्न लिया जाएगा, इससे सारे प्रश्न आ जाएंगे। माननीय उमाशंकर जी का सवाल ऑटोमैटिक हल हो जाएगा, अगर ये लोग अपना आचरण सुधार लें।

(श्री लाल जी वर्मा के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, अब कार्य-स्थगन ले लिया जाए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम कोई गलत परंपरा नहीं डालते है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आचरण की बात बिल्कुल निंदनीय है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री अपना शब्द वापस लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 सदस्यगण मा0 मंत्रीगण से प्रश्न करते हैं.....

श्री अध्यक्ष-

कार्य-स्थगन लेने दीजिए। अब आप लोग कार्य-स्थगन में स्थगन डाल रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हर बात में आचरण की बात करते है ? कौन-सा आचरण खराब है ? क्या कुछ आपके साथ हुआ है ?

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत निंदनीय है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। मान्यवर, आचरण की बात की मैं निंदा करता हूं। ये निश्चित रूप से आक्षेप है और इस तरह का आक्षेप लगाना निंदनीय है और संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा इस तरह आचरण की बात करना घोर निंदनीय है और हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

तो फिर हाउस की वेल में आना कौन-सा लोकतंत्र है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम आपके उस आचरण की भर्त्सना करते हैं जो अकारण वेल में आते हैं, हम अकारण वेल में आने के आचरण की निंदा करते हैं।(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजे थपथपाई) ये आचरण निंदनीय है कि जब देखो अकारण वेल में आ गये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात सुन लीजिए। एक बार यह प्रश्न आया था, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर माननीय कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे, एक माननीय विधायक की सुरक्षा का सवाल था तो मुख्य मंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि वह विधायक तो गुण्डा है उसको हम गनर नहीं देंगे। मैंने विधान सभा अध्यक्ष से यह प्रश्न किया कि जितने मा0 सदस्य सदन में बैठे हैं, क्या उनको आपने अधिकार दिया है कि किसी भी जनता के चरित्र प्रमाण-पत्र को प्रमाणित कर सके ? तो पीठ से उत्तर आया कि यह अधिकार विधायकों को है। जब विधायकों को दूसरे का चरित्र प्रमाण-पत्र प्रमाणित करने का अधिकार है तो हमारे आचरण को ये खराब कैसे कह सकते है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैंने आचरण को खराब नहीं कहा, केवल वेल में अकारण आने के आचरण को खराब कहा। अकारण वेल में आने के ही आचरण को चिन्हित किया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अगर आपके साथ कोई गलत काम हुआ है तो आचरण खराब है, न हुआ हो तो आचरण सही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ऐसा है कि आपने हमारा पेन नहीं चुराया, न हमारी कोई चीज चुराई कि उसके ऊपर हमने आक्षेप भी नहीं किया। हमने सिर्फ अकारण वेल में आ जाने और रोज हाउस को अपने हिसाब से बाधित करने की कोशिश करने के आचरण को खराब कहा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

श्रीमन्, आप जब इधर थे तो बैठते ही नहीं थे, तुरंत यहां पहुंचते थे, उस समय आचरण ठीक था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप अपना चश्मा बदल लीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

चश्मा तो बदल ही जाता है जो वहां जाता है, चश्मा बदल जाता है। जब यहां आओगे तो चश्मा वही हो जायेगा।

(विपक्ष के कई सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप कार्यवाही चलने दीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

अध्यक्ष जी, जो शब्द संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है, वह कार्यवाही का भाग न होने पाए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने क्या कहा ? आचरण सिर्फ इस बात के लिए कहा कि बिना वजह वेल में आ जाते हैं। प्रश्नकाल पूरा हो, यह जिम्मेदारी विपक्ष की भी है और सबसे ज्यादा अधिकार विपक्ष के सुरक्षित रहते हैं। सबसे ज्यादा आपके ही अधिकार सुरक्षित रहते हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावित सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब नियम-56 की सूचना लेते हैं। नियम-56 की पहली सूचना - उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लागू की गयी आरक्षण की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसमें नेता प्रतिपक्ष आप पहले बोलेंगे ?

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

जी, मान्यवर।

श्री लाल जी वर्मा-

अध्यक्ष जी, मेरी भी सूचना है।

श्री सुखदेव राजभर-

अध्यक्ष जी, हमारी भी सूचना है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, हमारी सूचना भी है।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

अध्यक्ष जी, हमारी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

राजभर जी, आपकी सूचना तो उसमें है, जिसमें लूट हुई थी।

चौधरी जी, अब आप शुरू करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार जिन सरोकारों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर और जिनके बल पर भारी बहुमत से आयी है, अपने वसूलों से दूर होती जा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों ने बहुमत में इनको वोट दिया, यह कहते भी हैं, अभी कल ही बात आयी थी। लेकिन जब से यह सरकार आयी है, उसको नेस्तनाबूत करने का हमेशा प्रयास कर रही है। जितनी भी नियुक्तियां हुईं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में श्रीमन्, एक में भी आरक्षण लागू नहीं हुआ। 'बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्ला।' हमारी सरकार में एक आयोग बना था, लोक सेवा आयोग था, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से यादव उसका अध्यक्ष था और उसने एक नियम बनाया था तो कुछ प्रतियोगी छात्रों या भाजपा के लोगों ने रात में उस पर लिख दिया, 'यादव आयोग', श्रीमन्, अभी जो लोक सेवा आयोग है, उसने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। मान्यवर, हमको यह अधिकार था, पिछड़ों को, अनुसूचित जाति के लोगों को कि उसके छात्र-छात्राएं अगर कम्प्टीशन में सर्वाधिक नम्बर पाते हैं तो उनकी नियुक्ति अनारक्षित वर्ग में होगी। लेकिन लोक सेवा आयोग ने इसको चेन्ज कर दिया कि चाहे कितने भी नम्बर पाओ, चाहे अनारक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं से, सबसे अधिक नम्बर पाओ, तुमको जो अनुसूचित जाति, जनजाति का कोटा है, उसी में रहना है, पिछड़े वर्ग का जो कोटा है, उसी में रहना है। श्रीमन्, यह सरासर अन्याय है। पहले जो नियम था, उसको यह उलट दे रहे हैं। मान्यवर, आरक्षण अधिनियम और अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती के पदों पर चयन उच्च मेरिट में होने के बावजूद भी सामान्य चयन न करके उन्हीं श्रेणी में चयनित होने के लिए विवश किया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के अध्यादेश के पैरा-3 के उप पैरा-6 में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि उप धारा-1 में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उपधारा-1 के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों पर समायोजित नहीं किया जायेगा। जो अधिक नम्बर पा गया, वह आरक्षित श्रेणी में नहीं रखा जायेगा, अनारक्षित श्रेणी में रहेगा। वह यहीं से पास है और आपने उसको उलट दिया। हम क्या करें ? कल भी बात आयी थी, नौकरियों के पद खत्म हो रहे हैं और जो हो भी रही है, वह ठेकेदारों के माध्यम से हो रही है। सारी चीज पब्लिक सेक्टर में दिया जा रहा है। पब्लिक सेक्टर में आरक्षण की कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम को संविधान में जो अधिकार मिला है केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। अम्बेडकर की जगह संविधान दिवस भी मनाएं, गांधी जी

का जयंती दिवस भी मनाए, पटेल जी का मनाएं, मुंह में राम, बगल में छूरी। मनाते सब का हैं मुंह में कुछ और है, पेट में कुछ और है। मा0 अध्यक्ष जी हमारे साथी भी हैं, मंत्री भी हैं किसी एक वर्ग के लिए, विधायक भी हैं दोनों पक्ष सदन में हैं। यह पक्ष-विपक्ष की बात नहीं है। यह सबके हित और अहित की बात है। मैं कहना चाहूंगा कि जिन्होंने इनकी सरकार बनाई है, उसका गला मरोड़ रहे हैं, उनको नेस्त-नाबूत करना चाहते हैं, समाज सेवक कहलाना चाहते हैं। फिर आप कहेंगे कि मैंने कह दिया, लेकिन मेरा कहना जरूरी है अभी जो एन0सी0आर0 आ रहा है उसमें पिछड़े वर्ग का कॉलम नहीं है और सब का कॉलम है। जब से धरती पर मानव का सृजन हुआ है यह देश आदिवासी, बनवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों का यह देश है और तो कुछ लोग बाहर से आर्य के रूप में आए हैं और हम इस देश के वासी हैं। हमारे देश में हमारी ही जनगणना नहीं होगी और हमको ही आरक्षण नहीं मिलेगा, हमको नौकरी नहीं दी जाएगी, हमको छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, हमको पढ़ाई में सुविधा नहीं दी जाएगी जो सत्ता में बैठने वाले पिछड़े वर्ग के मंत्री जी मुस्करा रहे हैं और भी कई मंत्री हैं वह अपने लोगों से क्या जवाब देंगे। तनिक भी नैतिकता होती पिछड़े वर्ग के विधायक और जो एम0एल0ए0 हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, और कैबिनेट में इसको मनवाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर बल देता हूं। यह अल्पकालिक है, निश्चित है पर जो भी छात्र इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन आमरण अनशन कर रहे हैं, इसकी ग्राह्यता को देखते हुए ग्राह्य है। मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि सदन की विशेष कार्यवाही रोककर के इस पर चर्चा कराई जाए और पिछड़े अनुसूचित जाति के वर्गों के हक को दिलवाया जाए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और प्रदेश की 85 प्रतिशत आबादी के खिलाफ आयोग ने एक निर्णय लिया है और उस निर्णय में यह नई व्यवस्था की गई है कि उत्तर प्रदेश की आरक्षण नीति के अन्तर्गत किसी अभ्यर्थी ने आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया है। मान्यवर, 85 प्रतिशत की आबादी को आप सीमित कर रहे हैं 49 प्रतिशत में और 15 प्रतिशत आबादी को आपको 51 परसेण्ट साढ़े पचास परसेण्ट आरक्षण दे रहे हैं। अगर इस व्यवस्था को लागू किया गया तो निश्चित रूप से 15 परसेण्ट लोगों को आप 50 परसेण्ट अकेले रिजर्वेशन दे रहे हैं। आरक्षण जो लागू किया गया वह मिनिमम के लिए लागू किया गया। शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण किया गया जिससे कि वह आबादी के परिपोषण में लाभ पा सकें। आबादी के परिपोषण में लाभ दिलाने की कार्यवाही होनी चाहिए तो निश्चित रूप से जो यह आदेश लोक सेवा आयोग ने किया है, यह 1994वें का, इस सरकार का, जो कार्मिक विभाग का शासनादेश है, उसके विपरीत है। मान्यवर, यह सरकार बार-बार कह रही है, अभी विद्यालयों के निजीकरण वाले में इन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। जो इनके लाभ के लिए है उसमें ये हाई कोर्ट और

सुप्रीम कोर्ट के विपरीत निर्णय ले लेते हैं और जो इनके लाभ के लिए नहीं है उसमें निर्णय नहीं लेते। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्राइवेट संस्थाओं में एडमीशन में भी कोई सरकार नियन्त्रण नहीं करेगी लेकिन उसमें तो आपने कर लिया और जब पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों को अधिकार देने का सवाल आता है तो आप उससे पीछे भागते हैं। इसी तरह से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर गम्भीरता के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सारे नियमों को शिथिल करके इस पर चर्चा होनी चाहिए जिससे सारी बात आए और पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति के लोगों का हित हो सके।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

(सदस्य श्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 राजभर जी, इसमें आपका नहीं है।

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, इस विषय पर, अगर आप कार्यवाही देख लें तो जितने दिन सदन चलता है, आपका और आपका दोनों का एक ही रोना होता है कि आरक्षण समाप्त हो रहा है, आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है। ये लोग इतना जबरदस्त एक मिथ्या प्रचार करते हैं। मान्यवर, अगर कार्यवाही देख लें, पिछले साल जितने दिनों सदन चला,जितने भी दिन सदन चला।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर सदन में शोर की स्थिति)

(शोर के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सुनिए पहले, हम तो आपकी बात आराम से सुनते रहे, हमने कभी बीच में कोई भी व्यवधान नहीं किया। हमने आपकी बात आराम से सुनी, अब आपको सुनना पड़ेगा।

(शोर के मध्य)

श्री लाल जी वर्मा-

आप हमको डांट नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष-

तो आप बीच में खड़े क्यों हो जाते हैं ?

श्री लाल जी वर्मा-

आप हमको बार-बार डांटते हो, ये कौन सी बात है ?

श्री अध्यक्ष-

आप बीच में खड़े कैसे हो गए हो ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

तो क्या आप गुस्सा करेंगे, हमेशा गुस्सा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

जब वे बोल रहे हैं तो आप बीच में खड़े कैसे हो गए ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपको जो कुछ कहना है, चेयर से कहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह व्यवहार ठीक नहीं है। इनका व्यवहार ही ठीक नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपको जो कुछ कहना है, आप चेयर से कहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

श्रीमन्, इनका व्यवहार ठीक नहीं है। आप व्यवहार में बदलाव लाइए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मिथ्या प्रचार की भी कोई सीमा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप दारोगा थोड़े ही हैं, आप दारोगा नहीं हैं। आप जन प्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार मंत्री हैं, हम सबको बताने की आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग आपका सम्मान करते हैं लेकिन आप तो ऐसे डांटते हो कि जैसे हम लोग मुल्जिम हैं, तुम दारोगा हो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

देखिए आप अपनी शब्दावली ठीक करिए। यह शब्दावली ठीक नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपकी शब्दावली ठीक नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हमने अध्यक्ष जी से कहा, मैं जो कुछ कह रहा हूं अध्यक्ष जी से कह रहा हूं। मैंने जो कुछ कहा, वह अध्यक्ष जी से कहा।

श्री अध्यक्ष-

कृपा करके आप लोग बैठ जाएं, हमारी बात को भी सुन लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैंने हमेशा अध्यक्ष जी से कहा। मैं अध्यक्ष जी को सम्बोधित करते हुए ही कह रहा हूं कि ये लोग सदन में हमेशा हर बात पर एक मिथ्या प्रचार करते हैं। हर बात पर मिथ्या प्रचार करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार सन् 1996 से 2000 तक रही, क्या हमने आरक्षण के ऊपर कोई कुठाराघात किया ? हम वर्ष 2003 की सरकार में भी शामिल रहे और पिछले तीन साल से यहां हमारी मा0 योगी जी की सरकार है तो हमने आरक्षण के ऊपर कौन सा कुठाराघात किया, यह बताया जाना चाहिए ? हर बार ये लोग सदन में एक मिथ्या प्रचार लेकर बैठ जाते हैं आरक्षण, आरक्षण। जिस वर्ग को हम सदन में कई बार कह चुके हैं कि हम पिछड़े वर्ग का पूरा सम्मान करते हैं, पिछड़े वर्ग ने बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सरकार में लाया है। हम इसका सम्मान करते हैं। मान्यवर, लेकिन सदन में हर दिन किसी न किसी बात को लेकर इन लोगों का यह मिथ्या प्रचार होता है कि हम आरक्षण को खत्म करने जा रहे हैं, आरक्षण पर कुठाराघात करने जा रहे हैं। कौन आरक्षण खत्म कर सकता है ? सुप्रीम कोर्ट का जजमेण्ट है, केन्द्र सरकार का है। मान्यवर, आरक्षण को कौन खत्म कर सकता है ? यह तो यहां के क्षेत्राधिकार में भी नहीं है। आप कहते हैं, हमेशा ये लोग कहते हैं और आप कार्यवाही मंगाकर देख लें। हर दिन किसी न किसी रूप में यह आता है कि आरक्षण खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है। आखिर किसने आरक्षण खत्म करने की बात की, कौन आरक्षण खत्म करने की बात करता है ? यह पूरी तरह से विपक्ष का मिथ्या प्रचार है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की एक नाकाम साजिश है, पूरी नाकाम साजिश है। हमने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसका सम्मान किया। जो संविधान की व्यवस्था है, हम उसका सम्मान करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 21 परसेण्ट अनुसूचित जाति, 02 परसेण्ट अनुसूचित जनजाति और 27 परसेण्ट ओ0बी0सी0 के आरक्षण का पूरी तरह से सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण का पहले भी सम्मान करती थी, आज और अब भी सम्मान करती है। इसमें किसी को भी किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, हम जो कुछ भी कहते हैं पीठ को सम्बोधित करके कहते हैं। हम कभी किसी को सम्बोधित करके कहते भी नहीं हैं। हम किसी सदस्य को सम्बोधित नहीं करते हैं। मान्यवर, यह जो प्रश्न आज आया है उसके सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग से रिपोर्ट मांगी गई है। आज लोक सेवा आयोग से रिपोर्ट नहीं आई है। इस विषय के ऊपर जवाब हम बाद में देंगे लेकिन हम फिर से आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से पूरी तरीके से सहमत हैं और आरक्षण की जो व्यवस्था है उसका आदर करते हैं और पिछड़े वर्ग का भी सम्मान करते हैं, अनुसूचित जाति का सम्मान करते हैं और अनुसूचित जनजाति का सम्मान करते हैं और कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट आप लोग हमारी बात सुन लीजिये। हमारी केवल एक लाइन की बात है। मैं यह कह रहा था कि पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपना विषय यहां रखा। उस पर संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से पूरे धैर्य, ध्यान से सुना गया। उसके बाद माननीय वर्मा जी ने अपना विषय रखा उस पर भी सुना गया लेकिन जब संसदीय कार्य मंत्री उत्तर देने के लिए खड़े हुये तब इधर से जोर से बोलने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं थी। भाषण में कड़वी बातें होती हैं आप वाले में भी होती हैं और भी जो सदस्य बोलते हैं उनमें कड़वी बातें होती हैं। पहले तो आप बोले थे, वर्मा जी भी बोल रहे थे तब तो संसदीय कार्य मंत्री बीच में नहीं बोल रहे थे। जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तमाम मनोरंजक हुआ कि जैसे मुंह में राम बगल में छूरी, तब तो मंत्री जी इधर से नहीं बोले और जब ये बोलने लगे तो सब लोग चिल्लाने लगे। मेरे ख्याल से यह कम मजेदार और कम सुन्दर था। जब आप बोल रहे थे तो इधर से कोई खड़ा नहीं हुआ तो अब यह विषय समाप्त हो गया है, अब माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाहते हैं, वे कहें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हमने प्रश्न दूसरा उठाया था वह लोक सेवा आयोग से संबंधित था और आरक्षण का प्रश्न था। ये केवल इस बात की संतुष्टि करते हैं कि कार्यवाही में आ जाये लेकिन एक भी आरक्षण लागू नहीं हुआ है जब से यह सरकार बनी है और अब लोक सेवा आयोग को भी बदल दिया है। उल्टा उत्तर दे रहे हैं उत्तर सही नहीं दे रहे हैं। सत्य से परे उत्तर दे रहे हैं। अब हम अगर नहीं आएंगे तो आज मुख्य मंत्री जी का भाषण है, हमको सुनना है। उमा शंकर जी कह रहे हैं कि आना नहीं चाहिए। हमारे पास रास्ता क्या है आप बतायें या मुख्य मंत्री जी बतायें। हम मुख्य मंत्री जी का भाषण सुनना चाहते हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी असत्य उत्तर दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब से यह सरकार आई है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर, छात्रवृत्ति पर डाका डाल रही है, लोक सेवा आयोग को बिल्कुल चेन्ज कर दिया है। ये उत्तर सही नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं सदन की कार्यवाही का दो मिनट के लिए बहिष्कार करता हूं।

(तत्पश्चात् नेता प्रतिपक्ष, श्री राम गोविन्द चौधरी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बर्हिगमन कर गये)

श्री अध्यक्ष-

अब आप यहीं से लौट आइये। कहां उतनी दूर जाएंगे। (सदन में हंसी)

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने एक प्रश्न किया। मान्यवर, हम लोग यहां चुनकर आये हैं अपनी बात को सदन में कहने के लिए और नियमों के अनुसार बात रखते है।

श्री अध्यक्ष-

उनको भी तो आप बोलने देते। आज पहली बार आप उनको बोलने नहीं दे रहे थे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, नियमों के अनुसार जब हम अपनी बात रखते हैं, तो क्या माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को जो उत्तर इन्होंने बाद में दिया है कि हमने लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है अभी जवाब नहीं आया है हम उत्तर बाद में देंगे, यही बात ये पहले भी कह सकते थे लेकिन मान्यवर, डांटने लगे तो क्या इनकी डांट सुनने के लिए हम लोग यहां बैठे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं आप बीच में खड़े हो गये थे। आपको ऐसा लगा होगा कि डांट रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

अगर यही बात पहले इन्होंने कह दी होती जो बाद में कही तो निश्चित रूप से हमें संतुष्टि हो जाती कि ये जवाब मंगाकर कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुसार उस पर कार्यवाही करेंगे लेकिन ये सरकार आरक्षण को बिल्कुल खत्म करने का प्रयास कर रही है संस्थाओं का सहारा लेकर, सरकार के इस अड़ियल रवैये के खिलाफ हम और हमारा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(तत्पश्चात् श्री लाल जी वर्मा, नेता बहुजन समाज पार्टी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में भी कहा और मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि माननीय योगी जी की सरकार जो आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था है, जो वर्षों से चली आ रही है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं और उसका सम्मान आगे भी करेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सम्पूर्ण पिछड़ा वर्ग का पूरा सम्मान योगी जी की सरकार में है और इस आरक्षण व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

कार्य-स्थगन की शेष सूचनायें जिसमें मा0 सुखदेव राजभर जी की आजमगढ़ की सूचना है और आराधना जी तथा अन्य माननीय सदस्यों की सूचना जो कि आवारा पशुओं के सम्बन्ध में दी गई है। उसके अतिरिक्त भी जो अन्य सूचनायें हैं वह मा0 मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के बाद हम सुनेंगे। श्री सुभाष जी को भी सुनेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई सुनाना चाहेगा तो हम तो सुनने के लिए बैठे हैं।

(विपक्ष के सदस्यों के अपने-अपने स्थान से अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अनुरोध किया था, उनको कहीं जाना है तो उनके बोलने के बाद आप जितनी देर कहियेगा, देर रात तक मैं सबको सुनूंगा।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पूरा सम्मान कर रहा हूं, हमको हास्पिटल जाना है, हम लौट कर फिर आ जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप हमको सुन लें। मैं इसमें व्यवधान नहीं बन रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी नहीं, अभी आप लोग हमारा सहयोग करिए। सुभाष जी, आपको भी सुनूंगा। मैं बाद में सबको सुनूंगा।

श्री सुखदेव राजभर-

अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का पूरा सम्मान कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

राजभर जी, अब आपसे तो हम झगड़ा नहीं कर सकते।

श्री सुखदेव राजभर-

हमें जाना है इसलिए अनुरोध कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए मैं व्यवधान नहीं कर रहा हूं, उनका पूरा सम्मान करता हूं। यदि आप नहीं मानेंगे तब तो हम बैठ ही जाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप इसके बाद बोल लीजिएगा। माननीय मुख्य मंत्री जी।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा†

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा समवेत् सदन को 13 फरवरी को अपना जो सम्बोधन दिया गया था उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया। सबसे महत्वपूर्ण अभिभाषण जिसे माननीय सदस्य डा0 मंजू शिवाच जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया था और माननीय सदस्य योगेन्द्र उपाध्याय जी ने इसका अनुमोदन किया था। नेता प्रतिपक्ष समेत सभी दलीय नेताओं के साथ ही इस सदन के 63 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया और अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। इसमें 40 सदस्यों ने अभिभाषण के समर्थन में, 23 सदस्यों ने विपक्ष में, जिनमें 9 महिला सदस्यों ने पक्ष में और 3 महिला

† दिनांक 17 फरवरी, 2020 की कार्यवाही से।

सदस्यों ने विपक्ष में इस पूरी चर्चा में प्रतिभाग किया। मैं इन सबके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। राज्यपाल प्रदेश की व्यवस्था का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह परम्परा रही है कि विधान मण्डल की कार्यवाही वर्ष में राज्यपाल जी के अभिभाषण से प्रारंभ हो और सत्र का शुभारम्भ उसके साथ ही शुरू होता है। इस परिपाटी के माध्यम से ही महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण सदन में आता है। वह एक शासकीय दस्तावेज होता है, जो सरकार की पिछली उपलब्धियों के साथ-साथ भावी योजनाओं को भी सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों के सामने प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज है। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति होना और उन उपलब्धियों के माध्यम से हम प्रदेश की उपलब्धियों और भावी योजनाओं के बारे में बता सकें, उस संवैधानिक व्यवस्था के प्रति सम्मान भी व्यक्त कर सकें, इसका एक सशक्त माध्यम होता है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। लेकिन संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में रह करके। क्योंकि अगर उन संवैधानिक मर्यादाओं के गौरव की रक्षा इस सदन में बैठा हुआ माननीय सदस्य नहीं कर सकता तो इसकी उम्मीद किसी और से नहीं की जा सकती है कि वह इसके गौरव और इसकी गरिमा की रक्षा कर सके। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान को तार-तार करने का कार्य वह लोग अक्सर जाने-अनजाने में करते हुए दिखायी देते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है, इस बार तो भी गनीमत थी। अन्यथा यहां पर प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख पर कागज के गोले फेंके जाते हैं और इसमें बहादुरी समझी जाती है। जिन लोगों ने संविधान को तार-तार करके संविधान का गला घोंटने की समय-समय पर शरारत की है वह लोग संविधान की दुहाई देते हैं, जिन लोगों ने इसी सदन में विधायकों को चोटिल किया था वह विधायकों के सम्मान की बात करते हैं, जिन लोगों ने तन्दूर जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था वह महिला सशक्तीकरण की दुहाई देते हैं और महोदय प्रदेश की बालिकाओं के साथ हुए बर्बर और अमानवीय कृत्य पर जिन लोगों ने यह कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है वह लोग यहां पर प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या की मान्यता को ही धूल-धूसरित करने का कार्य किया था वह आज उपद्रवियों पर होने वाली कार्यवाही पर हमसे जवाब-तलब करने का प्रयास कर रहे हैं।

यही तो अभिभाषण की शुरूआत में महामहिम राज्यपाल जी ने कहा था ''कि हमारी सरकार राम राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है''। राम राज्य को तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट किया है, राम राज्य कोई धार्मिक राज्य नहीं है। राम राज्य की परिभाषा को इसके माध्यम से स्पष्ट भी किया है ''दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा।। सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती।।'' यानि हर प्रकार के दुखों चाहे वह आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। इन तीनों प्रकार के दुखों से सर्वथा मुक्ति का उपाय किसी भी लोक कल्याणकारी शासन का दायित्व बनता है और हमने इस दायित्व को ही धर्म के साथ जोड़ा है। किसी उपासना विधि को नहीं जोड़ा है।

यही दायित्व, यही कर्तव्य हमारे लिए धर्म है कोई उपासना विधि नहीं। सिर पर टोपी पहन लेने से धर्म नहीं हो जाता है। हमने धर्म को कर्तव्य और दायित्व के साथ जोड़ करके देखा है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने यह बात भी कही थी कि ''प्रसंग जानेउ कोउ-कोउ''। यानि कोई-कोई ही जान पायेगा इस प्रसंग को, यह हर व्यक्ति की समझ से बाहर है। हर व्यक्ति समझ भी नहीं पायेगा कि वास्तव में रामराज्य है क्या ? आखिर जिस कार्य के लिये 1990 में रामभक्त अयोध्या में जा रहे थे, जिन रामभक्तों को गोली मारी गयी थी, जो लोग कहते थे कि परिन्दा भी पर नहीं मार सकता आखिर उन रामभक्तों की बात को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगाई न।

(मेजों की थपथपाहट)

अयोध्या में वर्षों से दबी हुयी उन भावनाओं को एक मंच मिला और इस मंच के माध्यम से यह चीजें सामने आई हैं कि वास्तव में भारत का लोकतंत्र दुनिया का एक सशक्त लोकतंत्र है और इसने भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास भी कराया है।

(मेजों की थपथपाहट)

और भारत की न्यायपालिका की ताकत का भी एहसास कराया है। सचमुच 30 अक्टूबर 1990 और 02 नवम्बर 1990 को परिन्दा नहीं, लाखों रामभक्त अयोध्या में थे लेकिन यह सचमुच 09 नवम्बर, 2019 को साबित हुआ है कि परिन्दा भी कहीं कानून व्यवस्था में पर नहीं मार सकता है यह उत्तर प्रदेश ने 09 नवम्बर, 2019 को साबित किया है।

(मेजों की थपथपाहट)

यह इस देश की विजय है कि जो रामभक्त जब अयोध्या में राम मंदिर की मांग कर रहे थे वह सही थे और जो गोली चलाने वाले थे वह गलत थे, यह साबित किया है। (मेजों की थपथपाहट) जो लोग रामभक्तों पर गोली चलाना उचित मानते हैं और आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते हैं उनसे पूछा जाना चाहिये।

आखिर अयोध्या में राम जन्म भूमि पर हमला हुआ था, तत्कालीन फैजाबाद जनपद जो आज का अयोध्या जनपद है यहां की कचेहरी में, लखनऊ की कचेहरी में, वाराणसी की कचेहरियों पर हमले हुये थे, आतंकी हमले हुये थे, संकटमोचन मंदिर, काशी में आतंकी हमला हुआ था, बम विस्फोट हुये थे, गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट हुये थे, यह चेहरे कौन थे। जो इन आतंकवादियों और इन देशद्रोहियों के साथ अपना संबंध जोड़कर उनके मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किये थे और उसी ढर्रे को फिर अपनाना चाहते हैं, जो लोग कानून को रौंदने का कार्य करते हैं, उनकी पैरवी मुझे ताज्जुब होता है यानि जब मैं देखता हूं यह जानते हुये 19 दिसम्बर, 2019 महोदय हम लोगों ने पहले से ही इस बारे में स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले किसी भी आन्दोलन को हम समर्थन देंगे, उसको पूरी स्वतंत्रता देंगे, पूरी सुरक्षा देंगे। लेकिन लोकतंत्र की आड़ लेकर कोई कानून की धज्जियां उड़ायेगा, निर्दोष

लोगों पर हमला करेगा, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करेगा या फिर वह व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट और आगजनी की घटनाओं को अंजाम देगा तो फिर वह जिस भाषा में समझेगा, उस भाषा में उसको समझायेंगे भी।

(मेजों की थपथपाहट)

महोदय, 19 दिसम्बर, 2019 को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के साथ-साथ ऐसे संगठन भी इस पूरे महाबंदी में शामिल हुये थे जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते। जो सुरक्षा को तार-तार करना चाहते हैं जो संविधान की आड़ लेकर, तिरंगे की आड़ लेकर पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं जिनकी फंडिंग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरनाक संकेत कर रही है, टेरर फंडिंग है और उन लोगों के प्रति हमारे विपक्ष के मित्रों की सहानुभूति, यह सहानुभूति माननीय दलीय नेताओं की, हमारे विपक्ष में बैठे नेताओं की सहानुभूति इस प्रदेश के गरीब के प्रति, इस प्रदेश के नौजवान के प्रति प्रदेश की महिलाओं के प्रति, प्रदेश के किसान के प्रति होती, हमें प्रसन्नता होती, लेकिन इनकी उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। क्योंकि जब गांधी जी की 150वीं जयन्ती पर सस्टेनेबल डेवलेपमेण्ट गोल्स पर 36 घण्टे की चर्चा दलीय नेताओं की बैठक के बाद, सहमति के आधार पर इस सदन ने प्रारम्भ की तो विपक्ष यहां से वॉकआउट कर गया था, यानी उनकी गरीबों की शिक्षा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, चिकित्सा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, किसानों का विकास हो, उनकी आय दोगुनी हो, इसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। नौजवान, बेरोजगार अगर आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर होता हो, इसके बारे में इनकी कोई सहानुभूति नहीं है। प्रदेश के अंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेण्ट की दिशा में हम कुछ प्रयास कर सकें। आखिर जिन सस्टेनेबल डेवलेपमेण्ट गोल्स पर हमने चर्चा की थी, वह तो सब प्रदेश के गरीबों के लिए था, महिलाओं के लिए था, प्रदेश के विकास के लिए था, बुनियादी सुविधाओं के लिए था। अगर विपक्ष की सहानुभूति सचमुच प्रदेश की 23 करोड़ जनता के प्रति होती तो यह लोग हाउस से बहिर्गमन नहीं करते। इस सदन में उन सभी सदस्यों की तरह वह भी चर्चा करते, पूरा सदन यहां बैठा था, 36 घण्टों तक चर्चा करता रहा और 36 घण्टों की चर्चा के बाद भी जब आपने इस बात को कहा कि 36 घण्टे की चर्चा तय है और इसके साथ ही समेटना चाहिए।

अन्यथा मेरा यह मानना था कि 36 घण्टे और, इस सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्य इस चर्चा को आगे बढ़ा सकते थे। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथापाईं) हर सदस्य बोल सकता था और मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं, कितनी अच्छी और कितनी सार्थक बहस हुई थी, कितनी गम्भीर चर्चा हुई थी। सदन के सही मायने, 2 अक्टूबर, 2019 और 3 अक्टूबर, 2019 को देखने को मिले थे कि वास्तव में देश के इस विधान मण्डल में और देश की संसद में इसी प्रकार की चर्चा होनी चाहिए थी, उसकी गवाह उत्तर प्रदेश की यह विधान सभा बनी थी और उत्तर प्रदेश विधान मण्डल बना था। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने

मेजें थपथापाई), तब विपक्ष के हमारे माननीय नेतागण यहां से बहिर्गमन कर गये थे। वहां पर भी जो थोड़ा स्वाभिमानी लोग थे, उन्होंने कहा कि हम चर्चा में भाग लेंगे, क्योंकि गरीब का प्रश्न था, प्रदेश का प्रश्न था, वह लोग भाग लिये और मैं उनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन बाकी हर एक चीज में उनकी सहानुभूति गरीबों के प्रति नहीं है, किसानों के प्रति नहीं है, नौजवानों के प्रति नहीं है, महिलाओं के प्रति नहीं है और किसी भी ऐसे ठोस मुद्दे पर कभी भी वह लोग सार्थक चर्चा करने को तैयार नहीं हैं, उस पर बहस करने को तैयार नहीं हैं, तर्क-संगत तरीके से किसी बहस को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं हैं, तथ्यों को तोड़-मरोड़ करके प्रस्तुत करने की बात, अभी मैं सोच रहा था, जब यहां पर संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात को कहा, महोदय, मैं पूरे डंके की चोट पर कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर ढाई लाख से अधिक नियुक्तियां हुई हैं और ढाई लाख से अधिक सरकारी नौकरियों में आरक्षण का पूरी तरह पालन किया गया है। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथापाई) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और उन सभी वर्गों को पूरा सम्मान दिया गया है, जिन्हें इस व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए, यही नहीं हमने मेडिकल और अन्य तकनीकी संस्थानों में भी इस सुविधा का लाभ दिया है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले उन लोगों को भी हम लोगों ने 10 प्रतिशत आरक्षण के लाभ की सुविधा कराई है, जो पूरे देश ने स्वीकार किया है और वह लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर समान रूप से दिया जा रहा है। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथापाई) कोई एक व्यक्ति इसके नाम पर बंधक नहीं बना सकता है। किसी को, किसी गरीब को, किसी पिछड़े को, किसी अनुसूचित जाति, जनजाति या किसी भी उस समुदाय के व्यक्ति को जो संविधान के द्वारा उसका प्रदत्त अधिकार है और जिसमें संसद ने मुहर लगाई है, कोई उससे वंचित नहीं कर सकता है, किसी को हम इसकी इज़ाज़त भी नहीं देंगे। छात्रवृत्ति की बात करते हैं, महोदय, इस वर्ष हम लोगों ने अभी 26 जनवरी को 56 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की है। 56 लाख छात्रों को एक साथ छात्रवृत्ति दी गई है और 56 लाख में से 28 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के हैं। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथापाईं) कुछ जो बच्चे बचे हैं, हमने स्पष्ट कहा है कि इन सभी की छात्रवृत्ति के लिए अतिरिक्त पैसा दिया जाये और उन सभी बच्चों को देने की व्यवस्था अविलम्ब करने की तैयारी करें। हमने देना प्रारम्भ किया है लेकिन सपा, बसपा की सरकारों में क्या हो रहा था। सपा की सरकार आती थी तो अनुसूचित जाति/जनजाति का रोकती थी और बसपा की सरकार आती थी तो पिछड़ी जाति के रोक देती थी। यह प्रतिस्पर्धा चलती थी लेकिन पिसता कौन था प्रदेश का गरीब बच्चा पिसता था, प्रदेश का नौजवान पिसता था। इनकी आपसी लड़ाई में यहां का नौजवान पिसता था, हमारा छात्र पिसता था इसलिए इसके बारे में ये लोग हमें न ही बतायें। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है इसलिए इसके बारे में हमें सीख न दें तो अच्छा होगा अन्यथा परत दर परत खुलती जायेगी तो बहुत सारे चेहरे हमाम में

नंगे हैं, वाली स्थिति सामने आ जायेगी और अच्छा होगा कि हमें वहां तक जाने की इजाजत न दी जाय और उसको वहीं तक रोका जाय। उन संवैधानिक मर्यादाओं का पालन किया जाय जो आवश्यक है। हम जान रहे हैं कि कहां पर किसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए मैं इस बारे में कहूंगा कि सरकार किसी भी प्रदेश के नागरिकों के साथ अन्याय नहीं होने देगी, किसी के साथ नहीं। हमने इस बात को सीखा है कि दल से बड़ा देश होता है, हम उस परम्परा को मानने वाले हैं। हमने सत्ता को साध्य नहीं माना है बल्कि एक साधन माना है और साधन लोक कल्याण का माध्यम बनाने के लिए माना है।

यह हमारे लिए साध्य नहीं हो सकता है, यह हमारे लिए अन्तिम लक्ष्य नहीं हो सकता है कि सत्ता प्राप्त कर लिया लेकिन वर्षों से दबी हुई उन भावनाओं को एक मंजिल देना, उसको उस मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता देना, यह सरकार का दायित्व है और सरकार इस कार्य को कर रही है। क्या कर रहे थे आप, सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, सबको मौका मिला है। विपक्ष में बैठे हुए जो चारों दलीय नेतागण हैं इनसे पूछा जाना चाहिए सबकी किसी न किसी रूप में सत्ता में भागीदारी थी, किसी को जनता ने हटाया तो किसी को सरकार ने हटाया लेकिन सभी को मौका मिला था कोई यह नहीं कह सकता कि हम सत्ता में नहीं थे लेकिन रहने के दौरान क्या किये। हम तो बोल सकते हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं और मैं अगर उन आंकड़ों में आता हूं तो फिर वे आंकड़े और मैं इन आंकड़ों के साथ आप सबको बहस के लिए चुनौती देता हूं, आप इन आंकड़ों को नोट कीजिए। बजट पर चर्चा होगी, चर्चा के दौरान इस पर बहस कीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

स्वीकार है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

लेकिन किसी भी मुद्दे का तार्किक समाधान निकलना चाहिए, बहस तर्कसंगत होनी चाहिए, तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, बहस का मुद्दा गाली-गलौज तक नहीं उतरना चाहिए। आप इसे अपनी उस परिपाटी के अनुसार मत उतारिये जब आप इस हाउस को लहूलुहान करते थे, आप उसके अनुसार मत कीजिए जब आप सदन और संविधान की मर्यादाओं को तार-तार करते थे। आखिर सिटिजनशिप एमेंडमेंट ऐक्ट पर किस बात का विरोध है, कौन सा विरोध है, आखिर कोई एक बात तो बोले कि कौन सी चीज इसमें गलत है। यह कानून भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है, यह 1955 में बना कानून है, 1955 में कानून बना था, नेहरू-लियाकत पैक्ट के अनुसार यह कानून बाद में बनाया गया। देश के दुःखद विभाजन की त्रासदी से कौन ऐसा भारतीय है जो वास्तव में उस समय पीड़ित न हुआ हो, कौन ऐसा भारतीय है जिसके मन में पीड़ा नहीं है कि हजारों वर्षों से जो देश एक था उस देश को दो टुकड़ों में बांट दिया गया 1947 में। कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जिसको विभाजन की

त्रासदी की पीड़ा न हो लेकिन उस सबके बावजूद सत्ता स्वार्थ के लिए हम देश का विभाजन करा दें इससे निम्न स्तरीय हरकत दूसरी हो नहीं सकती और वर्ष 1947 में इस देश के साथ यही हुआ था। महोदय, मैं पुनः इस सदन में अपने विपक्ष के मित्रों को, जो जाति-जाति की रट लगाते हैं, बताना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में इस देश के अन्दर दो दलित नेता थे। एक बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर और दूसरे श्री जोगेन्द्र नाथ मण्डल थे। मा0 नेता प्रतिपक्ष, आप इसको नोट करें और इन दोनों की कथा को सुनें, क्योंकि उम्र के साथ आपको प्रवचन सुनने का अभ्यास हो रहा है, यह मुझे बहुत अच्छा लगा और यह एक अच्छी शुरूआत है। (सत्ता पक्ष के लोगों ने मेजें थपथपाईं) (नेता प्रतिपक्ष के अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि आपका प्रवचन सुनता भी ठीक से हूं) मैं आपके पूरे भाषण के दौरान बैठा रहा और इसलिए बैठा रहा, क्योंकि एक तो आप हमारे बलिया के हैं और दूसरा कि बीच में कहीं ऐसा न हो कि हमारे यहां से सुरेन्द्र सिंह उठ खड़े हों, इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्वयं ही यहां बैठा रहूं। मैं इसलिए भी बैठा रहा, क्योंकि पिछली बार आपके भाषण के दौरान नहीं बैठ पाया था, इसलिए इस बार मैं स्वयं आपके लिए बैठूंगा। हमें इन चीजों को जानना पड़ेगा। सत्ताएं आयेंगी, जायेंगी, इसलिए महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण देश है। हमारे लिए इस देश से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है और इसीलिए इन दोनों नेताओं की कथा को हर भारतवासी को सुनना चाहिए और तब सी0ए0ए0 पर अपना जवाब भी तलाशना चाहिए। वर्ष 1946 में जब नेशनल असेम्बली के इलेक्शन हो रहे थे तो कांग्रेस ने बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर को मुम्बई से हरवा दिया था।

बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के लिए कोलकाता से वर्ष 1946 में अपनी सीट छोड़ने वाले यदि कोई नेता थे तो वह जोगेन्द्र नाथ मण्डल थे। वर्ष 1940 के दशक में देश के दलितों, वंचितों और देश ही नहीं, बल्कि दुनिया की आवाज ये दोनों नेता बने थे, लेकिन वर्ष 1946 में एक तरफ बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर को जिन्ना, हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के नवाब द्वारा प्रलोभन दिये जा रहे थे, लेकिन बाबा साहब अपने मुद्दे से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि भारत के दलितों और वंचितों का हित कहां सुरक्षित है और इन्होंने पाकिस्तान बनाने का पुरजोर विरोध किया था, लेकिन जोगेन्द्र नाथ मण्डल जिन्ना के बहकावे में आ गये, देश विभाजन का समर्थन कर दिये और पाकिस्तान चले गये। बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर आजाद भारत में भारत के कानून मंत्री बनते हैं, जोगेन्द्र नाथ मण्डल पाकिस्तान में कानून मंत्री बनते हैं। बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के शिल्पी बने और वर्ष 1950 आते-आते श्री जोगेन्द्र नाथ मण्डल पाकिस्तान में दलितों, हिन्दुओं और सिखों पर होने वाले अत्याचार से इतने व्यथित हो गये कि महोदय, अक्टूबर, 1950 को वे वापस भारत भाग कर आ गये और कोलकाता में एक शरणार्थी की तरह जीवनयापन करने लगे। वर्ष 1950 से लेकर 1966 तक जोगेन्द्र नाथ मण्डल भारत के

अन्दर गुमनाम जीवन जिये और अन्त में उनकी गुमनाम मौत हो गयी। वर्तमान की कोई पीढ़ी जोगेन्दर नाथ मण्डल के बारे में नहीं जानती होगी। देश के साथ गद्दारी करने वालों को इसी प्रकार गुमनाम मौत मरनी पड़ती है। (सत्ता पक्ष के लोगों ने मेंजे थपथपाईं) दूसरी तरफ बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के शिल्पी बने। भारत के अन्दर किसी भी राष्ट्रीय नेता के इतने स्मारक स्थल नहीं होंगे जितने बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के हैं। प्रधानमंत्री मा0 मोदी जी ने बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए पांच स्थानों को पंच-तीर्थ के रूप में भी विकसित कर दिया। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।) महोव छावनी (मध्य प्रदेश) जहां उनका जन्म हुआ वहां पर बाबा साहब का भव्य स्मारक बना है। इंग्लैंड के जिस भवन में रह करके उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की, भारत सरकार और महाराष्ट्र की तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस भवन को खरीदा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को वहां जाने की व्यवस्था व स्कॉलरशिप की व्यवस्था के लिए कॉर्पस फण्ड बना करके व्यवस्था की और वहां पर बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर का स्मारक इंग्लैण्ड में बनवाया। दिल्ली में जिस भवन में रह करके उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन जिया वहां पर एक भव्य इण्टरनेशनल अम्बेडकर स्मारक बना है। कभी वहां जा करके देखें तो इनकी आंखें चौंधिया जायेंगी। नागपुर में दीक्षा भूमि और चैत्याभूमि मुम्बई में उनका भव्य स्मारक विकसित हो रहा है। यह है सम्मान। यही नहीं स्वतन्त्र भारत ने उन्हें भारत-रत्न की उपाधि देकर सम्मानित किया। यह है दो लोगों की कथा। एक राष्ट्र-पुत्र बन करके भारत-रत्न बना, एक ने देश के साथ गद्दारी की और गुमनाम मौत मरा। अब तय कर लें, कौन क्या करना चाहता है ? सी0ए0ए0 के खिलाफ हुई हिंसा हमें एक बार फिर से इस बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है।

महोदय, इसलिए भी मजबूर करती है, यह हर व्यक्ति जानता है कि इस पूरे आन्दोलन की आड़ में जो लोग पीछे से हिंसा कर रहे थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों ने कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण कुछ राजनीतिक दलों में पाया है और फिर उसकी आड़ में उन्होंने हिंसा की। महोदय, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, 15 दिसम्बर, 2019 को जब जॉमिया मिलिया में हिंसा हुई, जैसे हिंसा की खबर आयी, मैंने तत्काल अलीगढ़ के प्रशासन को एलर्ट किया, मैंने कहा कि देखो जॉमिया में हिंसा हुई है आप लोग ए0एम0यू0 में देखें कि क्या हो रहा है ? 15 हजार छात्र सड़क पर उतर करके, कुछ लोगों की घुसपैठ करके वे अलीगढ़ को जलाना चाहते थे। फोर्स वहां पर थी परन्तु बाहर थी, वह अन्दर नहीं गयी। वहां पर डी0आई0जी0 को चोट लगी, तमाम पुलिसकर्मी घायल हुये। अंदर से पहले पत्थर फेंके गये, फिर पेट्राल बम फेंके गये, उसके बाद अवैध अस्त्रों से हमला किया गया। उस सबके बावजूद पुलिस ने धैर्य का परिचय दिया और पुलिस तब तक कैम्पस के अंदर नहीं गयी जब तक वहां के कुलपति ने लिखित रूप से फोर्स को कैम्पस के अन्दर नहीं बुलाया। लेकिन कहीं कोई हताहत नहीं हुआ, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। अलीगढ़ पूरी तरह से सुरक्षित है और

आगे भी रहेगा। (मेजों की थपथपाहट) अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसकी सराहना भी नहीं करेंगे। हमने बंदी के पहले सबसे संवाद बनाया था। प्रशासन में, प्रदेश में मुख्य सचिव हों, पुलिस महानिदेशक हों, अपर मुख्य सचिव, गृह हों, सचिव, गृह हों, अपर पुलिस महानिदेशक लॉ-एण्ड-ऑर्डर हों, जोनल अपर पुलिस महानिदेशक हों, रेंज स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक या जनपद स्तर पर डी0एम0, एस0एस0पी0 या एस0पी0 हों या फिर कमिश्नरी स्तर पर कमिश्नर हों, जितने भी अधिकारी थे, यहां तक कि थाना स्तर और तहसील स्तर पर तैनात जो हमारे ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट या एस0डी0एम0 हैं इन सभी स्तर के अधिकारियों ने अलग-अलग लोगों से संवाद स्थापित करके सबसे कहा कि देखो लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग अपना धरना-प्रदर्शन कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं लेकिन आगजनी मत करना, तोड़-फोड़ मत करना। धारा-144 लागू थी, 09 नवम्बर के पहले भी थी और समय-समय पर लागू भी की गयी। जो परमीशन लेता है या परम्परागत पर्व-त्योहार इस दौरान हुये हैं उस पर धारा-144 लागू नहीं होती है। इसके बाद बार-बार कहने के बावजूद सरेआम किस प्रकार प्रायोजित तरीके से ये कार्य किये गये और किस प्रकार से किया जा रहा है। मुझे आश्चर्य होता है। मैं अब तक यह सोचता था कि अपराधी भी अपने पुत्र और पुत्री को अपराधी नहीं बनाना चाहता लेकिन यहां बड़े-बड़े राजनेता अपनी-अपनी पुत्रियों को भेजते हैं उन लोगों के बीच में जो भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं आचरण, कहां ले जाना चाहते हैं हम देश को। कहां यह देश को ले जाना चाहते हैं, कैसी पीढ़ी हम देना चाहते हैं देश को। कैसी वारदातें हम करवाना चाहते हैं। जो भारत के खिलाफ नारे बाजी कर रहे हों। आजादी के नारे लगाये जा रहे हों। कैसे आजादी ? यानि किस प्रकार की आजादी के नारे लगाये जा रहे थे और भाइयों और बहिनों हमें इन्हीं चीजों को देखना होगा। क्या जिन्ना के सपने को साकार करना है या बापू के सपने को साकार करना है। (मेजों की थपथपाहट) यह तय करना होगा। महोदय, यह जो 19 और 20 दिसम्बर को घटना हुई। पुलिस और प्रशासन के कार्यों की तारीफ की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ। (मेजों की थपथपाहट) एक भी दंगा नहीं हुआ और इसलिये (विपक्ष से किसी सदस्य के बोलने पर) अगर कोई मरने के लिये कोई आ ही रहा है तो वह जिन्दा कहां से हो जायेगा। लेकिन पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा। जो मरे हैं उपद्रवी, उपद्रवियों की ही गोली से मरे हैं। (मेजों की थपथपाहट) (विपक्ष की तरफ से कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

शांत रहिये बीच में बाधा न डालिये। बातचीत न करिये।

श्री योगी आदित्यनाथ-

अगर कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मारने के लिये निकला है अवैध असलहा ले करके और वह यह चाहता है कि मैं किसी निर्दोष को शिकार बना दूं किसी व्यापारी को शिकार बना

दूं और वह पुलिस की चपेट में आता है तो भई या तो पुलिस का कर्मी मरे या फिर वह मरे। दोनों में से किसी एक को तो मरना होगा। लेकिन एक भी मामले में पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा है। यह उपद्रवी आपसी उसमें मारे गये हैं और एक बहुत बड़े षड़यंत्र का पर्दाफाश इसके साथ होता है।

महोदय, पी0एफ0आई का बहुत बड़ा टैरर फंडिंग का ट्रांजेक्शन का खुलासा भी होता है इसके साथ। यह पी0एफ0आई0 क्या हमारा हितैषी है क्या ? यह सिमी जैसे संगठन का नाम है पी0एफ0आई0। पापुलर फंड आफ इंडिया और इन उपद्रवियों के साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति का मतलब सिमी और पी0एफ0आई0 के साथ सहानुभूति। यह कभी नहीं करना चाहिए। मत बनिये जोगिन्दर नाथ मंडल। जोगिन्दर नाथ मंडल बनने की गलती मत करिये। (मेजों की थपथपाहट) यह देश है और यह देश रहेगा लेकिन देश के साथ गद्दारी करने वाले लोगों को गुमनाम मौत के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ नहीं होने वाला। और महोदय इसलिये मैं अपने नेता प्रतिपक्ष और जो हमारी दलीय नेता थे, जिन्होंने यहां पर बड़े अच्छे सम्बोधन के माध्यम से इस बात को कहा। लेकिन मैं एक बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने राज्यपाल महोदया पर इस बार कागज के गोले नहीं फेंके। कुछ तो परिवर्तन हुआ है। वर्षों की जकड़न को सुधरने में कुछ तो समय लगता है। यह सुधार की एक नई प्रक्रिया है। सुधार की इस नई प्रक्रिया का हिस्सा यह विपक्ष बना है और मैं चाहूंगा कि अगली बार हमारा विपक्ष और अच्छा हो जायेगा तो उत्तर प्रदेश के विकास में इनका सार्थक योगदान भी मिल पायेगा। बहुत अच्छा योगदान मिल पायेगा।

महोदय, हम सबको इस बात के लिये गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि प्रदेश आज एक सही दिशा की ओर बढ़ रहा है। बहुत अच्छी दिशा में बढ़ रहा है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो कार्य हुए हैं स्वाभाविक रूप से राज्यपाल महोदय को इन सब चीजों को कहना चाहिए क्योंकि वह सरकार की उपलब्धियों के साथ-साथ भावी योजनाओं के बारे में बताती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के माध्यम से, सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को यही सब बातें बतायी हैं कि हमारी सरकार अच्छा कार्य कर रही है। अच्छा कार्य नहीं करती तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को जो तमाम प्रकार के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, यह 2017 के पहले क्यों नहीं मिलते थे ? 2017 के पहले तो प्रदेश सबसे पीछे पायदान पर था। आखिर यह जो परिवर्तन 2017 के बाद से हुआ है, उसमें एक अच्छे विपक्ष के रूप में आपकी भूमिका है। भगवान चाहें आपकी मनोकामनायें विपक्ष में रहने की हमेशा पूरी होती रहें, लेकिन सत्तापक्ष से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति ने मनोयोग से काम किया उसका परिणाम है कि 2017-18 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्राम स्वराज्य अभियान के अन्तर्गत 02 पुरस्कार, मनरेगा के तहत 01 पुरस्कार, एन0आई0आर0डी0 के अन्तर्गत 01 पुरस्कार प्रदेश को प्राप्त होता है। 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत 09, मनरेगा के अन्तर्गत 07, रूरल अरबन मिशन में 02, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 01 केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। यह

लोग महिला सशक्तीकरण की बात करते थे। मातृ मृत्यु दर को 30 फीसदी कम करने में प्रदेश सरकार ने जो सफलता प्राप्त की है, उसमें भी भारत सरकार का अवार्ड उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है। पोषण मानव उत्कृष्ट कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश को सोशल मीडिया कैटेगरी में भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण में भी 02 राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त होते हैं। ई-मार्केट प्लस, जेम पोर्टल में जेम टॉप बायर पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। 2019-20 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर हमारे 14 निकाय सम्मानित होते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान जबकि इससे पहले यह 23वें नम्बर पर था। सर्वाधिक तिलहन उत्पादन के लिए केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार उपलब्ध होता है। देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश को पुरस्कार उपलब्ध कराया जाता है। ''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'' के अन्तर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद को सम्मानित किया जाता है और प्रदेश के अन्दर ही सेक्स रेशियो में एक संतुलन बनाये रखने का जो उत्कृष्ट कार्य इटावा जनपद ने किया है, उस जनपद को इसका सम्मान मिला है। वन स्टाप सेन्टर को महिला सशक्तीकरण के उत्कृष्ट कार्य करने पर नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त होता है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2018-19 के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा लागू डिजिटल भूमि का स्वर्ण पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। सौभाग्य योजना में सर्वाधिक विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश सरकार को पुरस्कार प्राप्त होता है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण के कार्यक्रम में 03 राष्ट्रीय पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश को इस वर्ष उपलब्ध हुए। माइक्रो एण्ड स्माल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल का जो पुरस्कार है वह भारत सरकार को या फिर द्वितीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। यानि महामहिम राज्यपाल जी ने जिन क्षेत्रों में प्रदेश की उपलब्धियों को यहां पर बताया। मैं इसके साथ ही उन बातों को भी कह रहा था कि यह चीजें यहां पर हुई हैं। हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने कुछ नया किया है। वह प्रगति हर क्षेत्र में दिखती है हर एक व्यक्ति स्वीकार करता है उत्तर प्रदेश के बाहर जाइए आप वहां पर सपा, बसपा या कांग्रेस के नेता के रूप में मत जाइए आप वहां पर एक कामन मैन बनकर जाइए बातचीत करिए लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर सम्मान देंगे। इससे पहले जाते थे क्या होता था। लोग होटल में कमरा नहीं देते थे यह स्थिति बना दी गई थी। यानी एक भय एक ऐसा भय कि ऐसा होगा आज आप जाइए उत्तर प्रदेश के नाम पर देश के अन्दर ही नहीं देश के बाहर दुनियां के अन्दर कहीं भी जाएंगे यू0पी0 का नाम लीजिए हर व्यक्ति सम्मान के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा। परसेप्सन चेंज हुआ है इसी परसेप्सन को बदलने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर कानून का राज होगा यह साबित किया है। नेता प्रतिपक्ष परसों एक एन0सी0आर0बी0 का डाटा दिखा रहे थे कि उनके आंकड़े क्या कहते

हैं यानी उत्तर प्रदेश में डकैती, लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, शीलभंग पाक्सो अधिनियम महिला सम्बंधी अपराध इन सबको लेकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कैसा पढ़ रहे थे कैसे वह तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं अध्यक्ष जी कभी कभी आश्चर्य होता है एक उम्र के बाद व्यक्ति को सच बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए। महोदय मैं देख रहा था यानी क्राइम रेट जो उत्तर प्रदेश का दिखा रहा है नेशनल क्राइम ब्यूरो वह कहता है कि उत्तर प्रदेश डकैती के मामले में 31वें स्थान पर है यानी 30 राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां डकैती की घटनाएं उत्तर प्रदेश से ज्यादा हो रही हैं।

लेकिन उसको एप्रीसिएट करने के बजाय कह रहे हैं कि इतना ज्यादा अपराध हो गया है इसको लेकर हाय तौबा मचाए हैं हम लोगों ने उसको कंट्रोल किया है और कंट्रोल नहीं करते तो जिसको आप लोग सम्मानित करते थे वह अपने गलियों में तख्ती लगाकर घूमते हैं कि भैया ठेला लगाकर रह लेंगे लेकिन हमारी जान बक्श दीजिए। यह वैसे ही नहीं हुआ है आदत सुधारने के लिए थोड़ा बहुत तो माहौल देना पड़ता है। यज्ञ में आहुति देनी पड़ती है। आहुति में तो स्वाहा होता ही है। अगर देखेंगे 2016 से तुलना कर लो 2016 और 2019 के बीच में डकैती 59.7 प्रतिशत कम हुई है, लूट 47.09 प्रतिशत कम हुई है। आपने जो डकैती के मामले में बोला था डकैती में क्राइम रेट यू0पी0 का 0.1 प्रतिशत है। 31वां स्थान देश का है यह हमारे आंकड़े नहीं हैं नेशनल क्राइम ब्यूरो के अपने आंकड़े हैं। 31वां स्थान उत्तर प्रदेश का इसका मतलब 30 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां उत्तर प्रदेश से ज्यादा डकैती है। हत्या में 26वां स्थान उत्तर प्रदेश का है 1.8 यू0पी0 का है। 25 राज्य ऐसे हैं जहां पर अपराध उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। लूट 47.09 प्रतिशत कम हुई है 2016 की तुलना में हत्या 21.71 प्रतिशत कम आया है। बलवा 27.20 प्रतिशत कम हुआ है रोड होल्डअप यह 100 प्रतिशत कम हुआ है फिरौती के लिए अपहरण 37.74 प्रतिशत कम हुआ है। मान्यवर, बलात्कार की घटनाओं में 17.90 प्रतिशत कमी आई है। दहेज मृत्यु में 2.62 प्रतिशत की कमी आई है और इन्हीं सबको लेकर ही तो प्रदेश सरकार ने स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना को आगे बढ़ाया है, जिसमें हम लोगों ने हर रेंज स्तर पर साइबर थाना तथा फोरेंसिक लैब की स्थापना की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर में हम लोगों ने पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया है और बहुत अच्छे ढंग से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर के 85 हजार पुलिस के नये रिक्रूट पारदर्शी तरीके से भर्ती करके प्रदेश के नौजवानों को पुलिस में भर्ती का पूरा अवसर भी दिया है। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) 54 कम्पनी पी0ए0सी0 की थीं जिन्हें यह समाप्त कर चुके थे, हमनें उनको बहाल किया और 03 महिला पी0ए0सी0 की कम्पनियां अनिवार्य रूप से की हैं। महिला सशक्तीकरण भाषणों से नहीं होगा। वास्तविक धरातल पर जब महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये कार्य होगा उससे महिला सशक्तीकरण आयेगा और हमने इस बात को कहा कि पुलिस में जो भर्तियां हों, उसमें 20 फीसदी महिला रिक्रूट की जाएं, इसकी दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिये। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की

थपथपाहट) यह सरकार 03 महिला पी0ए0सी0 वाहिनियों का गठन भी कर रही है और इन तीनों को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है। यही नहीं, अभी तो हम लोग कैराना और कांधला के बीच में भी पी0ए0सी0 का गठन करने जा रहे हैं, एक वाहिनी का वहीं गठन करने जा रहे हैं। अभी बिजनौर और सम्भल में भी एक-एक वाहिनी का गठन करेंगे। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट के साथ सदन में हंसी) अच्छे ढंग से करने जा रहे हैं।

(बीच में विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा टोका-टाकी करने पर)

बिजनौर आवश्यक है, वह हमारा बहुत महत्वपूर्ण जिला है।

(विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा अपने स्थान पर बैठे-बैठे 'बलिया में गठन नहीं होगा ?' बोलने पर)

बलिया में तो हम मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं, चिन्ता मत करिये। (सदन में हंसी) हमने बिजनौर को भी मेडिकल कॉलेज दिया है।

(विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा अपने स्थान पर बैठे-बैठे 'मेरठ-मेरठ' बोलने पर)

मेरठ में आर0आर0टी0एस0 दे रहे हैं, 32 हजार करोड़ रुपये से। मा0 नेता प्रतिपक्ष इसीलिये डांट रहे हैं कि कहीं वास्तविक चीज सबके सामने न आ जाए। (सदन में हंसी) 32 हजार करोड़ रुपये का, मेरठ में बैठिये और 45 मिनट में दिल्ली। बजट में इसके लिये पैसा भी दिया है, देखा है न आपने, तो कम से कम इसके लिये धन्यवाद तो कर दो भाई और अब तो बता दो कि कितनी अच्छी चीज मिल रही है। हर एक जिले को कुछ न कुछ हर एक जगह दिया जा रहा है, लेकिन समस्या यह है कि आप लोगों के विजन में विकास है ही नहीं, एजेण्डे में विकास है ही नहीं।

(सदस्य श्री इकबाल महमूद के अपने स्थान पर बैठे-बैठे 'सम्भल से तो छीन लिया है' बोलने पर)

किसी से छीन नहीं रहे हैं। सम्भल भी हमारे राज्य का ही पार्ट है, एक जनपद है इसलिये वहां पर पी0ए0सी0 दे रहे हैं। पहले सुरक्षा का माहौल देंगे फिर विकास उसके पीछे देंगे। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट के साथ सदन में हंसी) अगले एक वर्ष के दौरान, देखिये, आप देखेंगे कि 1947 से ले करके 2016 तक भारतीय जनता पार्टी तो बहुत कम समय के लिये प्रदेश में सत्ता में रही है, बहुत कम समय के लिये रही है। पीरियड बहुत कम था। कहने के लिये तो मुलायम सिंह जी 04 बार यहां चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन पीरियड कम थे। ज्यादा समय कांग्रेस रही, सपा, बसपा रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश के अन्दर रहने का बहुत कम अवसर मिला था, लेकिन..

(नेता, बहुजन समाज पार्टी श्री लाल जी वर्मा के अपने स्थान पर बैठे-बैठे 'बसपा से ज्यादा भाजपा रही है' बोलने पर)

चलिये, अब इसको बहन जी के सामने एक बार बोल देंगे तो फिर सही तथ्य सामने आ जायेंगे। (सदन में हंसी) महोदय, आप देखें कि 1947 से लेकर 2016 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अन्दर खुले थे और वर्तमान में हम 28 मेडिकल कॉलेजेज पर गवर्नमेंट स्तर पर काम कर रहे हैं। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) इसी बजट में आपने देखा होगा कि 13 नये मेडिकल कॉलेजेज के लिये पैसे की व्यवस्था की गयी है और फैकेल्टी की समस्या का समाधान हो, इसके लिये हम लोगों ने एम0सी0आई0 के साथ मिलकर के एक बेहतर प्रयास किया है कि जो पी0एम0एस0 में तैनात डाक्टर हैं उनके अनुभव के आधार पर भी हम उसको प्रोफेसर, ऐसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेन्ट प्रोफेसर के रूप में उन्हें वहां पर मान्यता दे सकें। आज के दिन हमारे 16 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई सरकारी या निजी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज नहीं है, हम उसके लिए भी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं और हमारा प्रयास यह है कि आगामी एक वर्ष के दौरान हम उन जनपदों में पी0पी0 मोड में ही सही लेकिन एक मेडिकल कॉलेज जरूर दें। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और हर जनपद में एक-एक मेडिकल कॉलेज होगा इस दिशा में सरकार ने अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया है। इसलिए हमारे लिए सभी जनपद एक जैसे हैं। आपको तो इस बात से समझ जाना चाहिए कि सरकार के कार्य करने का तरीका क्या है ? बिजली का ही था ? आप पांच जनपद में बिजली देते थे, हम 75 के 75 जनपदों में बिजली दे रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। कनेक्शन में हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। 1 करोड़ 25 लाख से अधिक गरीबों को विद्युत के कनेक्शन दिये गये हैं, इसके लिए विद्युतीकरण के इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है, कहीं पर विद्युतीकरण की लाईन बिछाई गयी, कहीं सब-स्टेशन बनाये गये, कहीं फीडर चेन्ज किए गये, बहुत सारी चीजें इसमें हुई हैं लेकिन बिना भेद-भाव के हुआ है। हमने जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर या किसी अन्य आधार पर नहीं बांटा है। मत और मजहब के आधार पर हम नहीं बांटते हैं। हमें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही बात बातई है कि ''सबका साथ, सबका विकास'' और सबका साथ, सबका विकास होगा तो सबका विश्वास भी होगा। अयोध्या में राम मन्दिर का निर्माण सबके विश्वास का ही प्रतीक है। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपायी गयीं) और इसी दिशा में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।

महोदय, इसके अलावा पुलिस विभाग में और भी कार्य किए गये हैं जैसे महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए 218 नए कोर्ट बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, जिसमें 74 कोर्ट तो स्पेशली केवल स्फैसिफिक कोर्ट हैं फास्ट्रैक कोर्ट, पास्को संबंधी अपराधों की सुनवायी करने के लिए और इस प्रक्रिया को तेजी से किया गया है। अगर हम इसको देखेंगे तो महिला संबंधी अपराधों को रोकने में इसके माध्यम से काफी मदद मिली है क्योंकि इसके माध्यम से हम लोगों ने बड़ी संख्या में जिले स्तर पर एक समन्वय बनाते हुए हर जनपद स्तर पर हर महीने के लिए एक टारगेट फिक्स कर दिया गया है। बालिकाओं के साथ होने वाले अपराधों की समयबद्ध विवेचना करना और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके अपराधी को सजा करवाना।

प्रासीक्यूशन में तेजी लाकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और इसका परिणाम है कि वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में तीन अपराधियों को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई गयी है। बड़ी संख्या में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गयी है और अन्य अपराधियों को भी, जो भी कानून के दायरे में सख्त से सख्त सजा हो सकती थी उनको सजा दिलायी गई है। हमने उन नेताओं की तरह नहीं बोला है कि बच्चे हैं अपराध हो जाता है, गलती कर देते हैं। यह अक्षम्य अपराध है इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस पर लगातार कार्यवाही चल रही है। इसी में प्रदेश के अन्दर अलग-अलग प्रकार के थाने खोलने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया और इस प्रक्रिया का हिस्सा बना करके इन चीजों को तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। महोदय, इसके अलावा उनकी अवस्थापना सुविधाओं के लिए भी कार्य हुआ है। पुलिस बैरक, पुलिस लाईन भी बना रहे हैं।

7 जनपद बन गये थे और उन्हें 10-10, 12-12 वर्ष हो गये थे परन्तु उन जनपदों में पुलिस लाईन नहीं थी, पुलिस लाईन के लिए जमीन खरीदी गयी है और वहां पर पुलिस लाईन बनानी है। पुलिस कर्मियों के लिए वहां पर बैरक बनाना, आवासीय सुविधायें देना, जिला मुख्यालयों का निर्माण करने का काम कर रहे हैं। नए जनपद बने 8-8, 10-10 वर्ष हो चुके थे लेकिन जिला मुख्यालयों का निर्माण ही नहीं हुआ था। सरकार आने के बाद इस प्रक्रिया को तेज किया गया। इसके अलावा जो थाने व पुलिस चौकियां हैं उनमें भी पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय सुविधा हो सके इसके लिए बैरक का निर्माण करना ये सारी चीजें युद्धस्तर पर की गयी हैं। प्रदेश के अन्दर 30 नए अग्निशमन केन्द्र भी इस दौरान बनाने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया है। जहां पुलिस चौकी आवश्यक थी, जहां थाने आवश्यक थे, उन सबके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अन्दर युद्ध स्तर पर किया गया। देश के अन्दर किसानों की समस्या के समाधान के लिए भी भारत सरकार ने जो कार्यक्रम प्रारम्भ किये उसके साथ प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह तत्पर है। देश के अन्दर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 3 करोड़ में से 1 करोड़ 87 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले उत्तर प्रदेश के अन्दर मिला है। इसमें 11690 करोड़ रुपये डी0बी0टी0 के माध्यम से किसान के खाते में सीधे गया है, यानी किसान कर्ज माफी से लेकर किसान सम्मान निधि तक अगर आप आयेंगे बहुत बड़ा कार्य किसानों के लिए हुआ है। मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड है इसमें 3 करोड़ 70 लाख किसानों को यह कार्ड उपलब्ध कराये गये और 1 करोड़ 11 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी प्रदेश के अन्दर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। गन्ने की बात हो रही थी, पिछले 18-19 वर्षों में प्रदेश के अन्दर चीनी मिलों की बन्दी की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी। 21 चीनी मिलें बन्द हुईं थीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, सन्त कबीर नगर, मऊ, आजमगढ़, बलिया इन सभी क्षेत्रों को अगर आप देखेंगे यानी जो गोरखपुर पुराना मण्डल था, गोरखपुर, बस्ती मण्डल आज के दिन है, चीनी का कटोरा कहा

जाता था। यहां का हर एक कस्बा किसी न किसी चीनी मिल पर आधारित था। हजारों नौजवान वहां नौकरी पाता था, रोजगार के साथ उनकी व्यवस्था जुड़ती थी। चीनी मिलें बेंच दी गयीं, औने-पौने दाम पर बेच दी गयीं, बन्द कर दी गयीं। किसानों के पेट पर लात मारा गया, तमाम चीनी मिलों को बन्द करके और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि महोदय हमने 3 साल बहुत चुनौतीपूर्ण झेले हैं। बहुत चुनौतीपूर्ण वर्ष हमारे लिये थे, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का दाम एकदम कम था। हमारे देश के अन्दर ही कुछ राज्यों से हमारी प्रतिस्पर्धा चल रही थी, लेकिन हम कहीं रुके नहीं, कहीं झुके नहीं, किसानों के साथ हमने खिलवाड़ नहीं होने दिया। हमने किसानों के लिए आवश्यकता पड़ी तो प्रदेश सरकार बढ़कर आगे आयी और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रदेश के अन्दर अब तक गन्ना मूल्य का भुगतान 88 हजार करोड़ रुपये से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। अगर 5 वर्ष के सपा या बसपा के कार्यकाल को आप देखेंगे तो यह कुल मिलाकर दोनों को मिला दिया जाये तो मिलकर 88 हजार करोड़ मिलेगा लेकिन अन्यथा इनका 05 वर्ष का देख लें और हमारी सरकार का केवल 03 वर्ष का भी देख लें तो भी हमारी सरकार के 03 वर्ष का कार्यकाल इन पर भारी पड़ता है, काफी भारी पड़ता है।

88 हजार करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है और हम पूरी तरह इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं आज के दिन, आगे फील्ड हमारे पास है क्योंकि वह पिच अब हमारे द्वारा बनाई जा चुकी है। बहुत सारे राज्य जो प्रतिस्पर्धा में थे उनकी आधी चीनी मिलें बन्द हो चुकी हैं हमने अपने यहां किसी चीनी मिल को बन्द नहीं होने दिया हमने उसको सपोर्ट किया, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने दिया और आज वह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में पहली बार हुआ जब तीन वर्षों में किसी किसान को अपने गन्ने के खेत में आग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमने कहा जब तक गन्ना किसी किसान के खेत में होगा, चीनी मिलें चलेंगी और चलाई गयीं, क्रेशर और खांडसारी उद्योग में लाइसेंस के नाम पर उनसे मनमाना पैसा लिया जाता था। हमने उन्हें मनमाना नहीं होने दिया, आज किसान खुशहाल है। हमने इथेनॉल में बदलने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है और उसके बहुत अच्छे परिणाम आये हैं। आज प्रदेश देश का सबसे बड़ा इथेनॉल आपूर्तिकर्ता बन चुका है। हमने 126.10 करोड़ लीटर वार्षिक इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया के साथ अपनी चीनी मिलों को जोड़ दिया है यानी इसका पैसा सीधे-सीधे किसानों को मिलेगा। किसानों को गारण्टी दे दी है कि चीनी मिलें अब आपका पैसा लेकर भाग नहीं सकती हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे प्रोक्यूरमेण्ट की पालिसी वर्ष 2017 के पहले तो नहीं थी। हमने धान के लिए, गेहूं के लिए, दलहन के लिए, तिलहन के लिए, मकई के लिए, आलू के लिए, इन सबके लिए प्रोक्यूरमेण्ट की पालिसी जारी की है। समर्थन मूल्य से ज्यादा दाम किसान को देना प्रारम्भ किया है और इसी का परिणाम है कि वर्ष 2017-2018 में हमने सीधे किसानों से 42.90 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया और वर्ष 2019 में 48.25 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया और वर्ष 2019-2020 में 53.47 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय करने का

कार्य प्रदेश सरकार ने किया है। हम लोग समर्थन मूल्य से सीधे 20 रुपये अधिक दे रहे हैं। पहले समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता था। ऐसे ही गेहूं में वर्ष 2017-18 में 36.99 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2018-19 में 52.92 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2019-20 में 37.04 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया गया है। ऐसे ही तिलहन और दलहन के साथ प्रदेश के अंदर लगातार इसकी क्षमता बढ़ी है और यह कार्य प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रदेश के अंदर जो वर्षों से चल रही सिंचाई की परियोजनायें थीं उन पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। इनमें लड़ाई ठेके-पट्टों को लेकर होती थी कि फलांनी परियोजना का ठेका फलां नेता लेगा, फलांनी परियोजना को फलां व्यक्ति करेगा। सत्ता पक्ष इसी में उलझा रहता था और प्रदेश का किसान तबाह होता रहता था।

आज हम लोगों ने सफलतापूर्वक योजनायें लागू कर दी हैं और साथ ही आगे आने वाले समय में भी कई योजनाओं को हम लोग ले रहे हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना इत्यादि हमारी जो परियोजनायें चल रही हैं उनमें हमने पूरी धनराशि की व्यवस्था की है और हमारा प्रयास है कि समयबद्ध ढंग से इनको पूरा करें। प्रदेश के अंदर वर्षों और दशकों से जितनी हमारी लंबित सिंचाई की परियोजनायें थी उन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगो ने किया है। हमारा प्रयास है कि इसी वित्तीय वर्ष अथवा अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक इन सभी परियोजनाओं को जब हम पूरा करेंगे तो 20 लाख हेक्टेयर से अधिक लैण्ड की सिंचाई की क्षमता प्रदेश को मिलेगी। यह हम प्रदेश को देने जा रहे हैं और इससे किसान की आमदनी अपने आप ही कई गुना बढ़ेगी।

ऐसे ही दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में और मण्डी समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करने का कार्य हुआ है। यह सभी प्रयास प्रदेश सरकार के स्तर पर प्रारम्भ हुये हैं। प्रदेश सरकार ने पूरी मजबूती के साथ इन कार्यों को प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। महोदय, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुये व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिये। एक जनप्रतिनिधि का सबसे अच्छा जुड़ाव हो सकता है और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर नीति आयोग ने देश के अंदर जिन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का चयन किया था उनमें 08 जनपद उत्तर प्रदेश के भी थे। यह महत्वाकांक्षी जनपद जो एक सुनिश्चित पैरामीटर पर देश के एवरेज से काफी कम थे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में, जल संसाधन में, वित्तीय समावेशन में, स्किल डेवलपमेण्ट और रोजगार में, इन्हें एवरेज तक लाना और फिर एवरेज से आगे बढ़ाने में सहायता देना इस योजना का लक्ष्य है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के जो 08 जनपद थे जिन्हें 2018 में नीति आयोग ने महत्वाकांक्षी जनपद घोषित किया इनमें चित्रकूट, बलरामपुर, बहराइच, सोनभद्र, श्रावस्ती, चन्दौली, सिद्धार्थनगर और फतेहपुर 08 जनपद थे और इसमें रैंकिंग में नीति आयोग ने 2019 में जब अपनी रिपोर्ट दी तो पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश का चंदौली जनपद नम्बर-1 पर आया। दिसम्बर, 18 में बहराइच को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पूरे देश के अंदर पहला स्थान प्राप्त हुआ और तीन करोड़ रुपये का उसे पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सोनभद्र जिले को पूरे देश में शिक्षा के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ। ऐसे ही बलरामपुर जनपद

में फरवरी, 2019 में शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ और धनराशि भी उपलब्ध हुई। ऐसे ही फतेहपुर, चित्रकूट इन सभी जनपदों को नेशनल एवरेज के बराबर हम लोगों ने इन आठ जिलों को ले जाने के जो प्रयास किये हैं उसको नीति आयोग ने भी स्वीकार्य किया है और नेशनल रैंकिंग जो आई है उसमें उत्तर प्रदेश 51 प्रतिशत अंक प्राप्त करके दूसरे स्थान पर था। केरल में एक जनपद था जो नम्बर-1 पर रहा। हमारे आठ जनपद थे, यानी हमारा केवल दो अंकों का अन्तर रहा, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी आठ जनपद नेशनल एवरेज से आगे जाकर के विकास की प्रकिया का भाग बने। इसके लिए हम लोगों को अपनी कार्य योजना बनानी पड़ी है। वहां तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए जिसमें श्रावस्ती भी है (विपक्ष के सदस्य द्वारा श्रावस्ती, श्रावस्ती बोलने पर) श्रीवस्ती है उसमें। (विपक्ष के सदस्यों द्वारा बीच में टोकने पर) आप लोग चिंता मत करिए, आप अपने शत्रु और मित्र को पहचान जाएंगे तो आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। महोदय, प्रदेश के अंदर आजादी के बाद से लेकर के जिन लोगों के नाम से राजनीति की गई। वनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल और कमजोर तथा अन्य पिछड़ी जातियों को जो वास्तव में समाज की मुख्य धारा से वंचित थे, उनके राशन कार्ड नहीं हैं।

वनटांगिया गांव में उनके पास एक भी मकान नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें जो माननीय सदस्य उन जनपदों से होंगे या उनकी विधान सभा क्षेत्रों में बंटांगिया गांव रहे होंगे तो उन लोगों को एक बार नेता प्रतिपक्ष को ले जाकर के दिखाना चाहिए कि पहले क्या था और आज क्या हुआ है ? और जब बहुत सारे जनपदों में यह कार्य प्रारम्भ हुआ आज वहां पर वनटांगिया गांव को राजस्व गांव का दर्जा हमारी सरकार ने दिया है। 38 ऐसे गांव राजस्व गांव में बदल गये हैं आज वहां विद्यालय भी हैं। पहली बार आजादी के बाद हम लोगों ने उन लोगों को पक्के मकान दिये, उनके लिए सड़क दी, उनके लिए बिजली दी, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था कराई, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था कराई, उन्हें वृद्धावस्था पेंशन दिया, निराश्रित महिलाओं को पेंशन दिया (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट), स्वरोजगार के लिए वहां पर उनके लिए अनेक कार्यक्रम वहां पर प्रारम्भ किये। क्या कर रही थी सरकारें ? उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में तब तो भारतीय जनता पार्टी न तो केंद्र में थी और न ही प्रदेश में थी किसने किया था यह ? एक बड़ी आबादी को इससे वंचित किसने रखा ? लेकिन जब हम लोग आये हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं आ रहे थे उनके लिए मुख्य मंत्री आवास योजना स्पेशली बनाई जिसमें हर बंटांगिया, हर मुशहर, हर थारू, हर कोल जाति से जुड़े हुए लोगों के पास, हर गरीब के पास अपना मकान हो। चाहे वह कुष्ठ रोगी हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने को उपेक्षित महसूस करता है जिसका कोई नहीं यह सरकार उसके साथ खड़ी होगी और 50 हजार से अधिक मकान अकेले मुख्य मंत्री योजना में उन्हें उपलब्ध कराये। अभी यहां लखनऊ में कुष्ठ रोगियों के लिए आवास देने की योजना प्रारम्भ की गयी। हमारे वर्तमान राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल महोदय दोनों लोग उस

कार्यक्रम में आये थे। पूरे प्रदेश के अंदर उन सभी लोगों को इस योजना से आच्छादित किया गया। आखिर उनको भी तो अधिकार बनता है। आखिर उसे उपेक्षित क्यों किया गया था ? महोदय, जो वनटांगियां गांव हैं इन वनटांगियां गांव में जो लोग निवास करते हैं। इसमें वर्मा जी, यह सभी अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ी जाति के लोग हैं। आखिर वहां आपकी सरकार की दृष्टि क्यों नहीं गयी। आप बार-बार जाति-जाति की बात करते हैं, उपेक्षा की बात करते हैं लेकिन इन लोगों पर आपकी नजर क्यों नहीं पड़ी। आप कुशीनगर, महराजगंज या फिर वाराणसी से लेकर चन्दौली होते हुये सोनभद्र तक चले जाइये मुसहर जाति के लोगों की बदहाल स्थिति देखिये। हैण्ड टू माउथ हैं। उनके पास कुछ नहीं है। राशन कार्ड से भी आप लोगों ने वंचित कर दिया था। उनको पेंशन की सुविधा का लाभ भी नहीं मिल पाया और आज हर एक का मकान है, हर एक के पास जमीन का अपना पट्टा है। हर एक व्यक्ति शासन की हर योजना से जुड़ रहा है। यह है व्यवस्था। जब मैं आपकी बात को इन चीजों को लेकर सुन रहा था। इतना भ्रम पैदा मत करिये। यह सदन है। आप मंचों पर जो बोलते हैं वह बोलते रहिये लेकिन सदन में सदन की मर्यादा और गरिमा को बनाये रखिये। इस सदन में कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो असत्य हो, तथ्यों से परे हो। सदन की गरिमा और सदस्य की गरिमा को भी तार-तार करता हो। नहीं बोला जाना चाहिए। क्योंकि जो बात हम बोलते हैं वह सदन के रिकार्ड का हिस्सा बनता है। अगर हम गलत बोलते हैं तो इसको लेकर कल प्रिविलेज हो सकता है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा। हम पूरे तथ्यों को रखें। आप लोग अक्सर करते हैं कि एक लाइन को लेकर उसी को मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास करेंगे। कृपया यह भ्रम की स्थिति बंद करिये। समाज को आगे बढ़ने के लिए सरकार के जो प्रयास हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हम भी दे रहे हैं। शहर और गांवों को मिलाकर अगर हम देखें इस समय 30 लाख लोगों तक हम प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति और उन तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम पूरा कर चुके हैं। आप लोग क्या कर रहे थे।

समाजवादी पार्टी पांच वर्षों तक क्या कर रही थी। क्यों दस हजार लोग भी यह लोग चिन्हित नहीं कर पाये। पांच वर्ष में दस हजार लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास नहीं दिये और आज तीस लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। दो करोड़ 61 लाख गरीबों को एक-एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य हमारी सरकार ने ढाई-तीन वर्ष के अंदर किया। आखिर आप क्या कर रहे थे। पांच वर्ष में 43 लाख लोगों को भी नहीं दे पाये। यानी एक गरीब के पास अपना मकान हो जाये, यानी मकान हमारा अच्छा हो गरीब का नहीं अच्छा होना चाहिए। यह उनको बुरा लगता है। शौचालय इनके घर में हो लेकिन किसी गरीब के घर में कैसे है यह इनकी नाराजगी का कारण है। उन गरीबों को मिल गया उसके घर में बिजली का लट्टू जल रहा है तो इनको बुरा लग रहा है। उनके घर में रसोई गैस का कनेक्शन आ गया और रसोई गैस के माध्यम से उसकी आंखों को एक नई ज्योति मा0

प्रधानमंत्री जी ने दे दी है तो इनको यह बुरा लग रहा है कि यह कैसे हो गया। उन लोगों के साथ में यह लोग किस प्रकार का व्यवहार करते थे। उन चीजों को लेकर मत बोलिये। मैं फिर इस बात को कहूंगा कि हमने ओ0डी0एफ0 के लक्ष्य को, 2012 की सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, उसको हमने पूरा किया है। इसके बाद भी सर्वेक्षण में जो आये हैं उनके शौचालय बनाये जा रहे हैं और मैं सबका आह्वान करूंगा कि हर ग्राम पंचायत में एक-एक सामुदायिक शौचालय हम बनाना चाहते हैं आप ग्राम सभा के साथ बैठिये, वहां पर जमीन चिन्हित करिये और एक-एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण वहां कर देंगे। (मेजें थपथपायी गयीं।) मुझे प्रसन्नता होगी कि आप इस प्रक्रिया के साथ जुड़िये। 60 हजार ग्राम पंचायतें हैं, अगर आप सभी मा0 सदस्यगण जुट जायेंगे तो हम आगामी 6 महीने के दौरान उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय बना देंगे। आपका प्रस्ताव होगा, आप जमीन का प्रस्ताव दीजिए और पैसा सरकार देगी। एक गरीब खुले में शौच क्यों करेगा, उसको बीमार करती है, यह नारी गरिमा के प्रतिकूल है, यह बन्द होना चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि यह चीजें इसके साथ जुड़ें। मैं आपका भी सहयोग चाहूंगा, आप भी इसके साथ जुड़ें, आप बाद में मत बोलिएगा कि हमें यह प्रस्ताव नहीं मिला क्योंकि आप लोग अक्सर शिकायत करते हैं। यहां से पहले वॉक-आउट करेंगे, जब विकास पर चर्चा होगी और जब वित्तीय वर्ष समाप्त होगा तब कहेंगे कि हमें 05 करोड़ रुपये नहीं मिले। चौराहे पर चर्चा करेंगे, प्रस्ताव नहीं देंगे, लेकिन समय पर प्रस्ताव देंगे, जैसे यहां पर मैंने कहा कि आप भी प्रस्ताव दीजिए। हर ग्राम पंचायत में एक-एक सामुदायिक शौचालय बनना चाहिए, हर गरीब के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए और यही नही पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाकर देखिये कि स्वच्छता का कितना प्रभाव है। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी, स्वच्छ भारत मिशन ने कितना बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया है। बीमारी 56 फीसदी कम हुई है, मौत के आंकड़े 81 फीसदी कम हुए हैं, यह स्वच्छ भारत मिशन का परिणाम है। स्वच्छता के प्रति थोड़ी-सी जागरूकता कैसे लोगों को इस प्रकार की बीमारियों से मुक्ति दिला सकती है। वह मासूम बच्चे हैं और दुर्भाग्य से इंसेफ्लाइटिस के कारण मरने वाले बच्चों में 90 से 95 फीसदी मौतें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की होती थीं लेकिन उन बच्चों की रक्षा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे क्योंकि हमने वोट बैंक नहीं बनाया है। हमने तो उन्हें अपना माना है क्योंकि जैसे यह मान्यता रही है, भारतीय संस्कार रहा है कि गांव की बेटी सबकी बेटी और गांव का बेटा सबका बेटा। वैसे हमने माना है कि यह बच्चा प्रदेश का बच्चा है, इसकी रक्षा होनी चाहिए, इसको स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए और इसलिए हम लोगों ने इसको किया है।

महोदय, हम लोगों ने 2 फरवरी से एक कार्यक्रम मुख्य मंत्री आरोग्य मेले को प्रारम्भ किया है और मैं सभी मा0 सदस्यों से चाहूंगा। यह आरोग्य मेला अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा, पोषण मिशन का लाभ, केन्द्र और प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य संबंधी सभी योजनाओं को पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। प्रदेश में 4300

से अधिक सामुदायिक केन्द्र हैं। एवरेज एक विधान सभा क्षेत्र में 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आ जाते हैं। किसी विधान सभा में 8 या 12 भी हो सकते हैं लेकिन एवरेज 10 मानकर चलिए। अभी तीन स्वास्थ्य मेले हुये हैं, अपेक्षित प्रचार नहीं हो पाया है, तीन स्वास्थ्य मेले में 12 लाख लोग आये हैं, 90 हजार आयुष्मान भारत के गोल्डेन कार्ड भी बने हैं। इसमें हमने स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, बाल विकास एवं महिला कल्याण विभाग को साथ में जोड़ा है। स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी हर योजना के बारे में भी जानकारी देने की व्यवस्था है और मैं चाहूंगा कि हर जनप्रतिनिधि हर रविवार को 10 बजे से 02 बजे तक एक स्वास्थ्य मेला लगना है, पहले से सूचना दें कि मैं फलाने-फलाने मेले में रहूंगा, वहां जाना चाहिए और मेले का उद्घाटन करना चाहिए।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि हमें बुलाया ही नहीं जाता है)

आप उपस्थित ही नहीं रहेंगे तो कोई कैसे कहेगा। अब मैं आपको आमत्रंण दे रहा हूं, अगले विधान सभा में आप पूर्व हो जायेंगे तो मैं आपका क्या करूंगा। सवाल यह है कि मैं आज आपको आमत्रंण दे रहा हूं। यह हर रविवार को होगा और मैंने इस बात के लिए स्वास्थ्य विभाग से स्पष्ट कहा है कि मा0 विधायक एवं मा0 सांसद को ले जाकर उद्घाटन कराईये क्योंकि स्वाभाविक रूप से 10 जगह एक मा0 विधायक नहीं जा सकता। इसलिए प्रत्येक मा0 विधायक अपने-अपने क्षेत्र में जायें। हर जनप्रतिनिधि को इसके साथ स्पष्ट रूप से इनवॉल्व किया गया है, दूसरा हम लोग चाहेंगे और देखिये यह मानवता के कल्याण के लिए बहुत बड़ा कार्य है और अच्छी दवा दी जा रही है। क्योंकि अभी तो यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और मैं एक और प्रक्रिया के साथ इसको जोड़ रहा हूं कि हम यहां पर मेडिसिन का ए0टी0एम0 देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जिसका पर्चा बने, वह उसे ए0टी0एम0 में लेकर जाए, वहां से दवा और आवश्यक जांच उसी के माध्यम से उसको प्राप्त हो सके। ये सभी 4300 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके समय में बंद हो चुके थे, हमारे समय में फिर आबाद हो गये हैं, यही अन्तर है कि हमने उसको आबाद कर दिया है। तीन-तीन, चार-चार डॉक्टर बैठाने की व्यवस्था की गयी है क्योंकि इतने डॉक्टर नहीं हैं लेकिन उस प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस आरोग्य मेले के माध्यम से ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ अभियान चलाने की व्यवस्था हो, पोषण मिशन का लाभ उन जरूरतमंदों तक पहुंचाने की बात हो या फिर आयुष्मान भारत तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के गोल्डन कार्ड उन लोगों तक पहुंचाने की कार्यवाही हो, स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की योजनाओं को, टीकाकरण की सभी प्रकार की योजनाओं को, कन्या सुमंगला योजना, इन सभी को इस आरोग्य मेले के माध्यम से इन जरूरतमदों तक पहुंचाने की प्रक्रिया का हिस्सा हमें बनना चाहिए और मैं चाहूंगा इस प्रक्रिया के साथ अगर हम सब जुड़ जाएं तो यह एक बहुत बड़ा कार्य प्रदेश के अंदर हो सकता है और इतनी क्षमता प्रदेश में है कि हम इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना चाहेंगे।

मैं अपने सभी मा0 सदस्यों का इसमें भी सहयोग चाहूंगा। महोदय, यहां पर अन्य मुद्दों को लेकर भी बात हो रही थी। हम लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन में अगर आप देखेंगे तो 2016-17 तक कुल 17 लाख 31 हजार वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी और आज ये संख्या बढ़कर 24 लाख 75 हजार हो गयी है। हमने राशि भी बढ़ाई है पहले 400 रुपये मिलते थे, हमने 500 रुपये किया है और इन सभी को पैसा इनके एकाउंट में दिया जा रहा है। इसी प्रकार से, दिव्यांगजनों के पेंशन की राशि को अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में 10 लाख 55 हजार 513 दिव्यांगजनों को भी दिव्यांग पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इसी प्रकार से, प्रदेश के अंदर निराश्रित महिला पेंशन की योजना का लाभ भी 23 लाख 49 हजार ऐसी महिलाओं को दिया जा रहा है जो निराश्रित हैं और यही नहीं, कन्या सुमंगला योजना में 2 लाख 60 हजार से अधिक बालिकाओं को इस योजना से अब तक आच्छादित किया जा चुका है और 01 लाख गरीब कन्याओं की शादी मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर पिछले ढाई वर्षों के अंदर हुई है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वार मेजें थपथपाई गयीं) जिसमें हर कन्या के लिए 51 हजार रुपये की राशि शासन स्तर से उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। इसमें श्रम विभाग ने अलग से अपनी कार्यवाही शुरू की है, अभी कल मैं आगरा में था, 1260 श्रमिकों के विवाह की कार्यवाही वहां पर एक साथ संपन्न हुई है। प्रत्येक बालिका को 65 हजार रुपये की राशि उनके एकाउंट में सीधे दी गयी, 5 हजार रुपये बालक और 5 हजार रुपये बालिका को (वर-वधू) उसके कपड़ों के लिए अलग से दिया गया, इस प्रकार 75 हजार रुपये की राशि इस योजना में दी गयी और 17 हजार 121 लाभार्थियों को इस योजना से श्रम विभाग ने लाभान्वित किया है। महोदय, अगर मैं देखूं तो प्रदेश के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 34 लाख 53 हजार 760 लोगों को अब तक इस योजना का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के माध्यम से अब तक 58 लाख 87 हजार से अधिक लोगों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। जन धन योजना में उत्तर प्रदेश देश के अंदर पहले स्थान पर है अटल पेन्शन योजना में भी 30 लाख 55 हजार 615 लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया है और इसमें भी उत्तर प्रदेश, देश के अन्दर पहले नम्बर पर है।

महोदय, स्कूल चलो अभियान- बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल, 01 करोड़ 80 लाख बच्चों को 02 यूनीफार्म, बैग है, बुक्स हैं, उनके जूते, मोजे, स्वेटर, यह सब देने की कार्रवाई सरकार कर ही रही है। साथ-साथ आपरेशन कायाकल्प में 01 लाख 20 हजार से अधिक विद्यालयों के सुन्दरीकरण की योजना को भी अब तक सफलतापूर्वक प्रदेश के अन्दर लागू किया जा चुका है। श्रमिकों के बच्चे, रजिस्टर्ड श्रमिक, नवोदय विद्यालय की तर्ज पर 18 कमिश्नरी हेड क्वार्टर पर, पहले चरण में 18 आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए सरकार बनाने जा रही है, इस बजट में उसका प्रावधान भी कर दिया गया है कि प्रदेश में कोई अनाथ नहीं है। सरकार उनके साथ में है, जब सरकार का साथ तो कोई अनाथ

कैसे और इस कार्यक्रम को प्रदेश के अन्दर हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्यवाही कर रहे हैं। प्रदेश में 49 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है। प्रदेश के अन्दर इसी प्रकार से पॉलीटेक्निक का है, व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी प्रदेश के अन्दर तेजी के साथ इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने की कार्यवाही भी हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर की है और प्रदेश के अन्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी कार्य बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। खासतौर पर अगर हम देखते हैं तो इन्फ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश अगर पिछड़ा था तो इन्हीं सब मुद्दों को ले करके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आता था तो पूछता था कि आपके पास क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर है ? आज हमारे पास अच्छे एक्सप्रेस-वे का एक जाल बिछ रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के मुख्य मार्ग को इस वर्ष के अन्त तक हम लोग यातायात के लिए खोलेंगे। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास इसी 29 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चित्रकूट में होगा। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) 296 कि0मी0 लम्बा एक्सप्रेस-वे बनने के बाद बुन्देलखण्ड क्षेत्र जो आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, आज उस बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भी हम लोग पेयजल की स्कीम दे रहे हैं। 10 हजार करोड़ रुपये की पेयजल की स्कीम का इसी महीने के अन्त तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। सातों जनपदों में एक साथ काम प्रारम्भ होने जा रहा है।

डिफेन्स एक्सपो का ज्यादातर निवेश हम लोगों ने पहले बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए फोकस किया है और वहां पर हम लोग इस कार्यक्रम को बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं और यह प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे बन जायेगा, चित्रकूट में भगवान राम अपने वनवास के कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक समय तक चित्रकूट में रहे थे। चित्रकूट को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए भी और बुन्देलखण्ड के विकास के लिए भी यह एक्सप्रेस-वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चित्रकूट में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे बनने के बाद आप चित्रकूट में बैठिए, 05 घण्टे में दिल्ली की यात्रा आपकी पूरी हो जायेगी। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) प्रदेश के अन्दर हम लोग गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी करने जा रहे हैं। गोरखपुर लिंक का निर्माण भी होने जा रहा है। जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होते ही उस पर भी शिलान्यास का काम जल्दी करने जा रहे हैं। यह अम्बेडकरनगर जनपद से भी होकर जायेगा, आप चिन्ता मत करिए। हमने विकास को संकीर्ण निगाहों से नहीं देखा है। हमने बलिया के सर्वे का भी आदेश दिया है। नेता प्रतिपक्ष हो सकता है, न चाहते हों बलिया तक जाना, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सबको जोड़ना चाहते हैं। गंगा एक्सप्रेस-वे की भी हम लोग मेरठ से लेकर प्रयागराज तक सर्वे की कार्यवाही पूरी कर चुके हैं, डी0पी0आर0 बनते ही, जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही हमारी प्रारम्भ हो जायेगी। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी हम लोगों ने बहुत बेहतर की है। पहले हमारे 2 से 3 एयरपोर्ट फंग्शन में रहते थे, आज 07 एयरपोर्ट फंग्शन में हैं, 11 पर कार्य चल रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में हम लोग बनाने जा रहे हैं। यह सबसे बड़ा और इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि आगामी 30 वर्ष के दौरान 01 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू उत्तर प्रदेश सरकार को केवल एक एयरपोर्ट

देगा। इतनी बड़ी प्रक्रिया के साथ हमने इस कार्यक्रम को जोड़ा है। मेट्रो की परियोजनाओं को भी उत्तर प्रदेश के अन्दर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो से जुड़ी है। कानपुर में उच्च स्तर पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। आगरा के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति की प्रतीक्षा है, हमारी पूरी तैयारी है और धनराशि हम उसके लिए उपलब्ध करा चुके हैं। दिल्ली, मेरठ को आर0आर0टी0एस0 के साथ जोड़कर युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। हर घर नल की योजना प्रदेश के अंदर उन सभी क्षेत्रों में पहुंचाने की प्रक्रिया जो अब तक इन सब चीजों से वंचित थी, इनको जोड़ने की प्रक्रिया भी इसी के साथ हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे नेता तो देश के अंदर ऐसे हैं, जिनको भैंस और गाय में अन्तर ही नहीं महसूस होता है। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक भैंसा को दिखाया है कि वह दुधारू गाय है, जो सड़क पर चर रही है और हमने ट्वीट करके जवाब दिया कि यह दुधारू गाय नहीं यह आपका भैंसा है, इसको गाय नहीं बोलते हैं। उनको पता ही नहीं है कि गाय और भैंस कैसे होते हैं। यह वह लोग हैं, जब पब्लिक ने उनके सामने कहा था कि साहब चीनी का दाम ज्यादा हो गया तो उन्होंने कहा कि चीनी कि फैक्ट्री क्यों नहीं लगा लेते हैं, यानि उनको लगता है कि गन्ना। उनको मालूम ही नहीं है कि आलू कहां होता है, आम के पेड़ पर आलू ढूंढते हैं और उस पार्टी के नेता बड़े अजीब हैं एक बार संसद में भी खड़े हुए थे और बोलते-बोलते उन्होंने कहा सर हम लोगों ने छः इंच लंबा आलू उगा दिया। तब तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी खड़ी हुईं तो उन्होंने कहा वह आलू नहीं है उसको लौकी कहते हैं। जिनको आलू और लौकी में अन्तर महसूस न हो वह गौवंश की बात कर रहे हैं। भैंसों को गाय बना रहे हैं। महोदय, हम लोग बहुत चिंतित हैं दो प्रकार से एक जो संकल्प है कि गाय को किसी बूचड़खाने में कटने नहीं देंगे, अवैध बूचड़खाने चलने नहीं देंगे। साथ-साथ संकल्प यह भी कि किसान की फसल को नष्ट नहीं होने देंगे।

हमने निराश्रित गौ-आश्रय स्थल की अपनी एक पॉलिसी तैयार की है और चार लाख गौवंश वर्तमान में हमारे पास निराश्रित गौ-आश्रय स्थल में हैं, लेकिन साथ-साथ हमने किसानों को भी इसके साथ जोड़ा है। इसमें हमने इस बात को कहा है कि गोवंश को ईयरटैग किया जाए क्योंकि जब तक आप उसको ईयरटैग नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं लगेगा कि कौन पालतू है और कौन निराश्रित है। पर्याप्त मात्रा में ईयरटैग हम लोगों ने हर जनपद में उपलब्ध करवा दिए हैं और ईयरटैगिंग के साथ ही हम लोग इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि निराश्रित और पालतू गोवंश को अलग-अलग करके अब इस बात को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जो निराश्रित है वह गोवंश से पहले एक गौ-आश्रय स्थलों पर आए। यहां से फिर उसे जो किसान अपने घर में उस गोवंश को पालना चाहेगा इस शर्त के साथ कि उसे अपने घर में रख करके उसका पालन करना होगा और हर महीने उसके स्वास्थ्य का परीक्षण पशुपालन विभाग के

द्वारा होगा और हम हर महीने प्रत्येक गोवंश पर नौ सौ रुपये उस परिवार और उस किसान परिवार को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। 49 हजार गोवंश अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर किसान परिवारों तक पहुंचा चुके हैं। महोदय इसकी सबसे अच्छी प्रक्रिया जो होने जा रही है वह है निराश्रित गोवंश और किसानों को दिए जाने वाले निराश्रित गोवंश के साथ एक बेहतर तालमेल बैठाने की प्रक्रिया। इसमें एक जीरो बजट खेती का जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है उसमें हमने पहले चरण में अभी हाल में गंगा यात्रा निकली थी 27 से लेकर 31 जनवरी के बीच में बिजनौर से भी और बलिया से भी। कानपुर में दोनों यात्राओं का समागम हुआ। गंगा के किनारे तटवर्ती क्षेत्र में 21 नगर निकाय हैं और 1 हजार 25 ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों को हम लोगों ने पहले चरण में इस प्रक्रिया के साथ जोड़ा है कि क्या हम इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइजर, कोई पेस्टीसाइड का उपयोग किए बगैर जीरो बजट खेती से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इसका सफलतम मॉडल जहां पर लागू हुआ है, मैंने उन महानुभावों को बुला करके इन सभी ग्राम पंचायतों के एक-दो प्रतिनिधियों का एक सफल प्रशिक्षण शिविर अभी कानपुर में 21-22 जनवरी को ही हम लोगों ने आयोजित किया था। इस शिविर के आयोजित होने के बाद प्रत्यके ग्राम पंचायत में इस प्रकार के शिविर आयोजित हो रहे हैं। हम कृषि विज्ञान केन्द्रों को इसके साथ जोड़ रहे हैं और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जीरो बजट खेती जिसमें एक गोवंश 30 एकड़ खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में उवर्रक उपलब्ध करा सकती है और उसमें कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, किसी प्रकार का कोई पेस्टीसाइड उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे खेती पहले की तुलना में बेहतर होगी। मुझे लगता है और मैं नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित करूंगा कि अगर आप किसान हैं तो आपको इसे अपने यहां लागू करना चाहिए क्योंकि यह बहुत अमृत है। गऊ माता भी बच जाएंगी और सफलतापूर्वक खेती भी होगी। हमारे गुजरात के मा0 राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। मैं वर्ष 2018 में उनके कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में गया था। उनके कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में जाकर के मैंने इस चीज को देखा कि उस वर्ष अति वृष्टि हुई थी। अति वृष्टि के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी और हरियाणा के एक बड़े भू-भाग में भी धान की फसल गिर चुकी थी, काफी नुकसान हुआ था। मैं जब सितम्बर महीने में गया था तो मैं उनके गुरुकुल के कार्यक्रम में गया था लेकिन साथ-साथ मुझे उनका यह मॉडल भी देखना था। मैंने वहां पर देखा कि आस-पास की सभी फसल गिरी हुई थी लेकिन उनके खेत में लगभग 100 एकड़ खेती थी, 50 एकड़ सड़क के इस पार थी, 50 एकड़ सड़क के उस पार थी।

मैंने देखा कि उनकी पूरी फसल खड़ी है। मैंने उनसे पूछा कि अगल-बगल की पूरी फसल गिरी हुई है लेकिन आपके खेत की फसल नहीं गिरी है, गुरुकुल की फसल कैसे सुरक्षित है ? उन्होंने कहा कि मेरी गौ आधारित जीरो बजट खेती है, यह उसी का परिणाम है। मैंने कहा कैसे तो उन्होंने मुझे एक मॉडल उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि देखिए सामान्यतः होता क्या है ? किसान का सबसे बड़ा मित्र होता है केचुआ, खेत में केचुआ। वह जमीन में एक-डेढ़

फुट के अन्दर रहता है। वह ऐसे जाता है फिर ऐसे ऊपर आ करके जमीन के अन्दर पानी को ले जाने के लिए एक माध्यम बनाता है, वहां की उवर्रकता को भी बढ़ाता है और ऑक्सीजन को जमीन के अन्दर नीचे पहुंचाने का कार्य भी करता है। लेकिन हम इतना पेस्टीसाइड और केमिकल उपयोग कर चुके हैं कि वे केचुए या तो काफी नीचे जा चुके हैं या मर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने पहली बार अपने खेत को दिखवाया तो मेरे खेत को कृषि वैज्ञानिकों ने, हिसार के कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने बंजर घोषित कर दिया था। बंजर घोषित करने के बाद उन्होंने कहा कि साहब अब इस खेत में कुछ नहीं हो सकता तो मैं असमंजस में था कि यह कैसे होगा ? उन्होंने कहा कि तब मैंने जीरो बजट खेती के लिए, अपनी गौ आधारित खेती के लिए अपने खेत को चुना। उन्होंने कहा कि हालांकि मैं पहले ही वर्ष में आशान्वित नहीं था कि मेरे खेत में कुछ खेती होगी क्योंकि जब कृषि वैज्ञानिक पहले ही कह रहे हैं कि यह खेत बंजर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता तो मैंने उसका परीक्षण भी कराया और उन्होंने कहा कि इस मिट्टी में ये-ये तत्व कम हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। फिर मैंने अपने यहां गौ आधारित खेती प्रारम्भ की तो उन्होंने कहा कि पहले ही वर्ष में जब फसल खड़ी हुई तो मैंने उन्हीं कृषि वैज्ञानिकों को बुलवाया तो उनको स्वयं विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा कि चलिए इस बार आप इसको ले लीजिए लेकिन अगली बार फिर इसका परीक्षण करने के लिए आइएगा। उन्होंने कहा कि आज वे भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वास्तव में गौ आधारित खेती किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि इसमें हमें कुछ विशेष नहीं करना है। हमने जो इसका जीरो बजट खेती का नाम दिया है तो हमको इसमें जीवामृत तैयार करना है। 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए, 180 लीटर जल डालिए। 180 लीटर जल डालने के बाद उस जल में 24 घण्टे के गाय के गोबर और गौमूत्र को लेकर उसमें डाल दो। उसको एक कपड़े से ढक दो। किसान के घर में कोई भी दाल हो, जो भी दाल किसान के घर में हो, उसका चूर्ण उसमें डाल दो। किसान के घर में गुड़ होगा, गुड़ उसमें डाल दें। एक-एक किलो, डेढ़-डेढ़ किलो उसमें गुड़ डाल दीजिये किसी बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी निकालकर उसमें डाल दें उसको दिन में केवल एक बार क्लॉकवाइज घुमा दीजिये। सात दिन तक रखने के बाद एक जीवामृत तैयार होगा इसको छानकर खेत में डाल दीजिये। महीने में दो बार डाल दीजिये, तीन बार डाल दीजिये आप देखेंगे कि कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइजर, कोई पेस्टीसाइड आदि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी खेत में पूरी तरह से फसल लहलहाएगी। मैंने पूछा आपके खेत इतने अच्छे हैं उन्होंने कहा मैंने कुछ भी नहीं डाला है, केवल जीवामृत डालता हूं और इसके सिवाये कोई केमिकल और फर्टिलाइजर नहीं पड़ता है उन्होंने कहा कि यह फुलसाइज प्रोडक्ट देखिये, उनका कहना था कि मेरे खेत का जो प्रोडक्ट है वह पूरी तरह जैविक प्रोडक्ट है, आर्गेनिक प्रोडक्ट है। मुझे सामान्य फसल की तुलना में मार्केट में ज्यादा दाम मिलता है। पहले ही प्रोडक्ट उठ जाता है, लोग पहले ही बुक कर लेते हैं क्योंकि लोगों को मालूम है कि यह सभी आर्गेनिक प्रोडक्ट हैं और तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि आखिर औरों की

फसल क्यों गिर गई है तो उन्होंने कहा कि हमने इतना केमिकल और फर्टिलाइजर डाल दिया है कि उसने पूरी मिट्टी को चिकनी बनाकर उससे जल के नीचे जाने की संभावनाओं को समाप्त कर ही दिया है लेकिन साथ ही साथ उसने यहां पर केचुओं को भी मार दिया है। जब पानी एक तरफ से आता है चूंकि खेत के सामने मेड़बन्दी कर रखी है जिसकी वजह से पानी आता है तो वही थम जाता है। रूके पानी में जब हवा चलेगी तो उससे खड़ी फसल तो गिरेगी ही गिरेगी। मैंने पूछा कि आपके खेत में ऐसा क्यों नहीं हुआ ? उसने कहा कि मेड़बन्दी मेरे यहां भी है लेकिन हमारे यहां खेतों में इतने केचुए हैं कि उन्होंने नीचे पानी को पूरा सोंक लिया है जैसे ही बारिश होती है आधे घण्टे के अंदर सारा पानी भरभराकर नीचे चला जाता है आप जाकर देखिये और खेतों में तथा मेरे खेतों में हमारे खेतों के नीचे वॉटर लेविल भी मेनटेन है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां जल जमाव भी नहीं होता है और मेरे यहां फसल भी अच्छी होती है, मैं एवरेज से ज्यादा उत्पादन कर रहा हूं और साथ ही साथ आर्गेनिक प्रोडक्ट होने के नाते मुझे अच्छा दाम भी मिल रहा है। अध्यक्ष जी, ये आर्गेनिक खेती है।

आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशुद्ध रूप से कुछ भी किसान को अपनी तरफ से नहीं करना है। मार्केट से कोई चीज नहीं खरीदनी है जो उसके पास मौजूद है उसका वह इस्तेमाल कर सकते हैं। गौ रक्षा का काम भी हो सकता है। गौ-आधारित खेती को भी हम बचा सकते हैं और साथ ही साथ किसानों को अतिरिक्त आमदनी भी इसमें दे सकते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने बताया मैंने उन्हें कानपुर में भी आमंत्रित किया था। 1038 गांवों के लिए हम लोग पहला शिविर आयोजित कर चुके हैं। हर कृषि विज्ञान केन्द्र को इसके साथ जोड़कर किसान की आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे। किसान की आमदनी तब बढ़ेगी जब लागत कम होगी और उत्पादन ज्यादा होगा, जब हम किसान को इसके साथ जोड़ेंगे तब ही ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं और इन चीजों को उसके साथ जोड़ने की प्रक्रिया के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इन चीजों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को किया है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर अच्छे नस्ल के गोवंश के लिए भी हम लोगों ने प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। बुन्देलखण्ड में अन्ना प्रथा वैसे ही नहीं है। एक तरफ जब गाय सौ ग्राम, डेढ़ सौ ग्राम दूध देगी तो कोई भी किसान उसको अपने घर में रखकर पालने की स्थिति में नहीं होता है। दूध निकालता है और छोड़ देता है लेकिन यदि वही गाय 5 लीटर, 6 लीटर तक दूध देना प्रारम्भ कर देगी और जो हम लोग नई तकनीक लेकर आये हैं कि गाय की 90 फीसदी बछिया ही पैदा हों, वह प्रक्रिया जब लागू हुई है, सफलतापूर्वक उसको लागू कर दिया गया है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा और मैं चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्य इसके साथ जुड़ेंगे। इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं और आने वाले समय में प्रदेश के अंदर किसानों को हम इससे बेहतर लाभ देने की स्थिति में हो सकते हैं और यह एक बेहतर प्रयास है जो प्रदेश की दृष्टि से आगे बढ़ सकता है। महोदय, प्रदेश के अंदर इस दौरान बहुत सारे कार्यक्रम हुये हैं अभी जनवरी महीने में ही 12 से लेकर 16 जनवरी तक

नेशनल यूथ फेस्टिवल नाम का कार्यक्रम अच्छे ढंग से सम्पन्न हुआ। प्रदेश में इतना भव्य आयोजन हुआ जिसमें देश का लगभग 7 हजार से अधिक यूथ आया था और शासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, विभाग ने जिस प्रकार से उनकी व्यवस्थायें कीं इसकी सबने सराहना की। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर इस दौरान कॉमनवेल्थ पार्लियामेण्ट्री एसोसिएशन का कार्यक्रम कुशलतापूर्वक यहां पर सम्पन्न हुआ। लोक सभा के माननीय अध्यक्ष जी स्वयं इस कार्यक्रम के उद्घाटन में आए थे। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर गंगा यात्रा का सफल आयोजन सम्पन्न किया। कल मैं एक ट्वीट देख रहा था, एक सज्जन कह रहे हैं कि 'साहब गंगा जी का कुछ नहीं हुआ'। पता नहीं लोग कहां रहते हैं ? महोदय, गंगा जी का जल आज आचमन करने लायक है और मैं कह सकता हूं कि इसको कोई भी व्यक्ति जाकर देख सकता है। कानपुर में सीसामऊ नाले से प्रतिदिन 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा जी में गिरता था। 140 एम0एल0डी0 सीवर प्रतिदिन गंगा जी में गिरता था। 128 वर्षों से जो पाप हो रहा था मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नमामि गंगे मिशन के परिणामस्वरूप हमारी सरकार इस सीवर लाइन को पूरी तरह बंद करने में सफल हुई है। आज एक भी बूंद सीसामऊ सीवर से गंगा जी में नहीं जा रही है। टेनरीस्काइफलेण्ड यह जाजमऊ में गिरता था। जाजमऊ के नीचे कोई भी जलीय जीव नहीं बचा था, सब मर चुके थे। पानी क्रोमियम युक्त था और बहुत जहरीला था लेकिन आज उसमें व्यापक सुधार हुआ है। आज फिर से वहां मछली आ चुकी है। यह एक नया परिवर्तन देखने को मिला है। अभी प्रयागराज में माघ मेला संपन्न हुआ। मैं कानपुर भी गया था और बसंत पंचमी के दिन मैं स्वयं प्रयागराज गया था। मैंने स्वयं संगम में गंगा जी में डुबकी लगायी है और आचमन किया है। लाखों की संख्या में वहां श्रद्धालु आए थे। यह एक व्यापक परिवर्तन है।

गंगा यात्रा, उस जागरूकता के कार्यक्रम में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही प्रदेश के अंदर जहां लागू किया गया था, वहीं मां गंगा के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने का एक माध्यम गंगा यात्रा को हमने बनाया। इसके बाद प्रदेश के अंदर डिफेन्स एक्सपो का भी सफल आयोजन 05 फरवरी से 09 फरवरी के बीच में आयोजित हुआ। कितना सफल आयोजन था। 70 देशों के रक्षा मंत्री और वहां के डिफेन्स चीफ इस आयोजन में सहभागी बने। इस आयोजन में 130 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 3 हजार से अधिक विदेशी डेलीगेट्स आए थे। 10 हजार से अधिक विदेशी और कुछ देश के भी अलग-अलग क्षेत्रों के लोग आए थे। इसके साथ ही 4 से लेकर 9 फरवरी के बीच 12 लाख से अधिक लोग डिफेन्स एक्सपो के साक्षी बने। प्रदेश में 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव उपलब्ध हुए और 5 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी की गारण्टी वहां पर डिफेन्स एक्सपो के माध्यम से मिली और प्रदेश का परसेप्शन इसके माध्यम से देश और दुनिया में गया। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदलीं और उत्तर प्रदेश एक निवेश का बेहतर गंतव्य हो सकता है। मैं देख रहा हूं कि उसके

बाद से लोग लगातार इस चीज को कर रहे हैं। मैं तो इस बात को मानता हूं कि हमारा आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए एक आधार का काम डिफेन्स एक्सपो ने किया है जिसमें उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन यू0एस0 डॉलर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ होने जा रहे हैं, उस दिशा के लिए एक आधार हमें डिफेन्स एक्सपो के माध्यम से मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति और रक्षामंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में इस डिफेन्स एक्सपो का आयोजन यहां पर आयोजित करने का एक अवसर उत्तर प्रदेश सरकार को दिया और पार्टनर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश इस आयोजन के साथ जुड़े। एक सफलतम आयोजन था।

जो लोग बाहर से थे वह लोग इस बात को मानते थे कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के आयोजन नहीं हो सकते। वह इस बात को मानते ही नहीं थे लेकिन जब उन्होंने यहां आकर देखा तो वह भी इस बात को लेकर आश्चर्यचकित थे कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के बारे में जो हमारी धारणाएं थीं, वह बदली हैं। उन धारणाओं को बदलने का एक माध्यम हमें मिला। हमने उत्तर प्रदेश की पोटैन्शियल को दुनिया के सामने रखा है। वह भी एक अवसर था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाई के क्षेत्र में भी कहना चाहूंगा कि मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश 90 लाख इकाईयों के साथ आज प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडेक्ट की पॉलिसी ने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट का एक नया हब बनाया है। लाखों नौजवानों को हम लोगों ने फाइनेन्सियल इन्क्लूजन के साथ, इसके साथ जोड़ा है, लोग इसके साथ बढ़ चले हैं और निरन्तर इस दिशा में कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान को इस दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ किया है। स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की बहुत स्पष्ट नीति है। हम लोगों ने अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। शहरीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने की दिशा में हम लोगों ने नये-नये नगर निकायों का गठन भी किया है। नगर निकायों के लिए, आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के लिए धनराशि की कमी न हो इसके लिए बजट में उसका प्राविधान कराया है। लोगों को शहरी जीवन का अहसास हो सके इसके लिए उन सुविधाओं से उनको जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है और प्रदेश के अन्दर पर्यटन की संभावनाओं को भी हम प्रदेश के पक्ष में भुना सकें, अधिक से अधिक नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ सकें, इन चीजों को भी हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर आगे बढ़ाया है और मुझे लगता है कि कुम्भ के आयोजन के बाद अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन के साथ, बरसाना में रंगोत्सव के कार्यक्रम के साथ या प्रदेश के अन्दर अलग-अलग टूरिज्म डेस्टीनेशन के जो केन्द्र बिन्दु बन सकते हैं, वह चाहे विंध्यवासिनी धाम के विकास की योजना हो, चाहे वह नैमिष के विकास की योजना हो, सुखतीर्थ के विकास की योजना हो, चित्रकूट के विकास की या अन्य पर्यटन विकास की योजनायें हों या फिर आपके उन्नाव के पक्षी विहार के बारे में ही, क्योंकि आप बोलेंगे कि उन्नाव के बारे में नहीं बोला गया, तो उन्नाव भी विकास

और पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ सके इस दिशा में भी सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य करने को तैयार है।

इसीलिए महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस बात को कहा कि सरकार रामराज्य की इस अवधारणा को लागू कर रही है। महोदय, सच यह देश साबित कर चुका है। इस देश में रामराज्य ही चाहिए, समाजवाद नहीं चाहिए। क्योंकि जो अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक है और अमानवीय है वह चेहरा समाजवाद का देश के सामने आया है। लेकिन जो सार्वभौमिक, सार्वदेशिक और सार्वकालिक है, काल परिस्थितियों से परे शास्वत है, वह रामराज्य है। उस रामराज्य की अवधारणा को ही लागू करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। मैं महामहिम राज्यपाल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 13 फरवरी को इस सदन में आ करके समवेत् सदन को सम्बोधित किया है। सरकार की उपलब्धियों के साथ-साथ भावी योजनाओं को सदन के सामने रखा है। प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उनका मार्गदर्शन प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से मैं महामहिम राज्यपाल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी माननीय सदस्यों को जो इस चर्चा में भागीदार बने। 63 माननीय सदस्य, यह बहुत बड़ी संख्या है, सदन में 40 सदस्य सत्ता पक्ष के और 23 प्रतिपक्ष के थे। यह संख्या और भी बढ़नी चाहिए। हम लोग तो चाहेंगे कि अधिक-से-अधिक सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। कैसे हम इसमें एक समन्वय बना सकें कि अधिक से अधिक सदस्य भागीदार बन सकें, उनको बोलने का मौका मिल सके, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। क्योंकि सदन में अगर हम चर्चा को नहीं बढ़ायेंगे तो फिर सदन और लोकतंत्र की मर्यादा आहत होगी। इसमें और भी सदस्यों को बुलाये जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने कल इसीलिए कहा था कि कैसे हम लोग प्रयास करें कि मूल बजट पर चर्चा करने के साथ-साथ विभागीय बजटों पर भी हमारी चर्चा की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और हमने इस बात को हमेशा कहा है कि सदन में अगर सार्थक चर्चा होती है तो सरकार भरपूर सहयोग करेगी, चर्चा में भाग लेगी और अच्छा होगा कि आप सभी लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ सदन में आयेंगे और हम तो चाहते हैं, सवाल यह है कि आप लोग आयें तब न। दूसरा मैं एक बात कहूंगा सभी के लिये इधर हो या उधर हो सभी के लिये। देखिये संवैधानिक प्रमुख व्यक्ति संवैधानिक प्रमुख होता है उसकी पृष्ठभूमि में मत जाइये। आज वह किस पद पर है हमें उस पद की गरिमा को ध्यान में रखना होगा। खासतौर पर इस बारे में देखना होगा कि राज्यपाल जी आये हैं यह हमें देखना चाहिये। संसद हमारा मार्गदर्शक है जब वहां राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है तो सत्ता पक्ष या विपक्ष, कोई भी माननीय सदस्य वेल में नहीं आता है, हो-हल्ला नहीं करता, बीच में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालता। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के आधे घन्टे पहले प्रत्येक माननीय सदस्य, प्रत्येक नेता, दलीय नेता सेन्ट्रल हाल में आ जाते हैं। राष्ट्रपति जी के जाने के बाद तब सभी लोग जाते हैं या किसी राष्ट्राध्यक्ष के आने के पहले या आने के बाद भी इसी प्रक्रिया का

पालन करना होता है। हमें अपने किसी भी आचरण से ऐसा संदेश नहीं देना है जो हम लोगों की छवि को ही एक अनुशासनहीन, उच्छृखंल और उद्दंडता के रूप में प्रस्तुत करता हो। क्योंकि इन संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा हम सबसे जुड़ी है और हम ही इसकी रक्षा नहीं कर पायेंगे तो फिर किसी और से इसकी उम्मीद कतई मत करिये, कतई मत करिये और इसकी रक्षा का दायित्व हम सबका समान रूप से होना चाहिये। राज्यपाल जी आई हैं आपके पास पूरा अवसर होता है कटमोशन देने का, आप दीजिये, चर्चा कराइये, अभिभाषण में बोलिये लेकिन विधायिका की परम्परा रही है संसद में राष्ट्रपति जी का, विधान मंडल में राज्यपाल जी का अभिभाषण सर्वानमुति से पास होकर जाना चाहिये। एक उन मर्यादाओं का हमारा कार्य इस बात का नहीं, कि हम किसी बात से सहमत हो या नहीं हों उसे हम अपने भाषण में कहें लेकिन जब राज्यपाल जी के प्रति हो, राष्ट्रपति जी के प्रति हो, संवैधानिक प्रमुख के प्रति हो तो उनका सम्मान देश के सम्मान से जुड़ा होता है। प्रधानमंत्री का सम्मान देश के साथ जुड़ता है, देश का सम्मान प्रधानमंत्री के साथ जुड़ता है। राष्ट्रपति जी का सम्मान देश के साथ जुड़ता है, देश का सम्मान उनके साथ जुड़ता है हम उससे अपने को अलग नहीं कर सकते। व्यक्ति आयेंगे, जायेंगे लेकिन हम इस आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को कटघरे में खड़ा करें, यह अच्छी परम्परा नहीं है और मैं चाहूंगा कि जैसे संविधान दिवस पर पूरी शालीनता का परिचय सभी माननीय सदस्यों ने दिया पक्ष या विपक्ष सबने।

एक अच्छा मैसेज गया था देश की संसद के बाद देश की उम्मीदें उत्तर प्रदेश विधान सभा से होती हैं हम एक मैसेज तो यहां से दे सकें, बता तो सकें कि वास्तव में हम करेंगे। हम बोले थे इस बात को। मर्यादित तरीके से तीखे से तीखे शब्दों का हम प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम इस चीज को ध्यान में रखें कि अगर हमारे किसी आचरण से संवैधानिक संस्था की मर्यादा आहत होती है तो उसमें कोई भी उससे बचता नहीं है और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि राज्यपाल जी का अभिभाषण समवेत् सदन में हुआ, हमें उनके अभिभाषण के प्रति आभार व्यक्त करते हुये सर्वानमुति से अपना प्रस्ताव यहां से भेजना चाहिये कि नहीं। हमने जो अपनी बात कहनी थी, कह दी। लेकिन अभिभाषण सर्वानुमति से पास होकर जाये और संवैधानिक संस्था और व्यवस्था के प्रति हमारी आस्था इसके माध्यम से झलकती हुयी दिखाई देनी चाहिये। मैं आभारी हूं आप सभी का, जिन्होंने इस पूरे सदन की प्रक्रिया में भाग लेकर, इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाया है। हम लोग पहले भी कहे थे कि हमें सदन की कार्यवाही को अधिक दिनों तक चलाने में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते उसके लिये हम लोग चर्चा करके तैयारी करके आयें। विधान सभा की लाइब्रेरी में जाकर देखें कि चर्चा के स्तर को और गंभीर बना कर के कैसे हम इसको और मजबूत कर सकते हैं इसके बारे में देखें लेकिन छोटी-छोटी चीजों को लेकर रोज एक ही इश्यू को लेकर आज एक बोल रहा है, दूसरे दिन भी अगला व्यक्ति उसी को लेकर सदन बाधित कर रहा है, तीसरे दिन भी उसी बात को लेकर कर रहा है और उसके बाद वेल में बैठ जाना, नारेबाजी कर देना इस प्रकार की स्थिति पैदा कर

देना कि कोई कार्य ही न हो, यह ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश का सदन अगर इस प्रकार का मैसेज दे सकता है कि हम इन संवैधानिक और उत्तर प्रदेश की विधायिका के माध्यम से बेहतर परिणाम देने की स्थिति में हैं, क्योंकि जवाबदेही सत्ता पक्ष की भी है और विपक्ष की भी है। प्रदेश की 23 करोड़ जनता के प्रति। प्रदेश की सुरक्षा के लिये, प्रदेश की समृद्धि के लिये। प्रदेश के सम्मान के लिए तो सामूहिक जिम्मेदारी का पालन करते हुए भी सदन के माध्यम से इस प्रकार का मेसेज जाना भी चाहिए और मैं चाहूंगा कि हम तो हर एक मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। अब सदन की मर्यादा के अनुरूप उस पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव दें, सरकार हर एक मुद्दे पर चर्चा करने को भी तैयार है, उसका जवाब देने को भी तैयार है, उस बहस में भाग लेने को भी तैयार है। मैंने तो पहले दिन, फर्स्ट सिटिंग में ही इस बात को कहा था कि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बैठक हो, अधिक से अधिक कार्य दिवस हों और अधिक से अधिक कार्य करने के अवसर प्राप्त हो। अधिक से अधिक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को जानकारी मिलनी चाहिए कि वास्तव में क्या है, किन मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं ? नहीं तो विधेयक पास हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। विभागीय बजट पास होते हैं, किसी को पता ही नहीं होता।

(प्रतिपक्ष के किसी सदस्य ने अपने स्थान पर बैठे-बैठे कहा कि 'इसमें बाधा कौन है')

श्री योगी आदित्यनाथ-

कौन बाधा है, यह तो पूरा प्रदेश जान रहा है। (हंसी) इन चीजों को ले करके मैं चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष और सभी दलीय नेताओं को मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं, सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और महामहिम राज्यपाल के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद।

(सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, क्या आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी ने जो यहां अभिभाषण दिया और मेरे संशोधन प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने पक्ष और विपक्ष की अहम् चर्चा में भाग लिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जहां तक विपक्ष के सदस्यों ने सर्वसम्मति से मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया और माननीय सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने ऊपर से तो अभिभाषण का समर्थन किया, लेकिन हृदय से मेरा उन्होंने समर्थन किया, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। माननीय नेता सदन ने कहा कि नेता विरोधी दल, मैं भाषण तो दूंगा, फिर बजट पर, लेकिन केवल दो बात मैं कहना चाहता हूं। आपने कहा कि कहां से ले आते हैं, राम गोविन्द चौधरी जी, आपके ही घर से ले आते हैं। देखिये, क्राइम इन इण्डिया, 2018, स्टेटिस्टिक्स वाल्यूम-1, नेशनल क्राइम

रिकार्ड्स ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया, नेशनल हाई वे-8, महिपालपुर, न्यू डेलही-110037, यह आपका है। सरकार सब की होती है, किसी पार्टी की नहीं होती है। यह गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। इसके वाल्यूम-1 और 2 के पेज नं0- 2, 6, 9, 81, 82, 159, 169, 179, 187, 195, 249, 297, 351, 403, 429, 442, 469 पर उपलब्ध है, माननीय नेता सदन जी और उसी आधार पर मैंने कहा था कि 02 महीने, कहा था कि बहुत देरी हो जायेगी। जैसे आपने इतना नीरस, उबाऊ, जो आज प्रवचन दिया, इसीलिए मैंने बहुत कुछ नहीं रखा। मैं आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे संशोधन का कोई जवाब न देते हुए, केवल उबाऊ, नीरस, तथ्यहीन और मान्यवर, जब किसी का ब्लड प्रेशर नापा जाता है, मशीन यहां लगती है और दबता है तो लगता है कि एकदम दब जाता है और जब वह छोड़ता है तो धीरे-धीरे-धीरे वह डिम हो जाता है। जब माननीय नेता सदन बोले, उस समय तो फट-फट, फट-फट मेजें थपथपायीं (हंसी) और बाद में एकदम धीरे-धीरे-और लगा क्या, उनका मन था कि अरे, राम गोविन्द चौधरी ने जो भाषण दिया, नेता सदन ने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया, हम क्या बजायें इसलिए मैं सारे माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे संशोधन प्रस्ताव पर मेरा समर्थन किया है, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेंगे या मैं वोट करा दूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, केवल एक बात मैं भी रख दूं।

श्री अध्यक्ष-

यह तो नेता प्रतिपक्ष में समाहित रहता है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने एक आरोप यह लगाया कि सपा वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्ति रोक देते थे और बसपा वाले पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति रोक देते थे। मैं आपके माध्यम से नेता सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आप अपना रिकार्ड उठाकर देख लें, अगर पिछड़ी जाति और सामान्य जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ फीस की प्रतिपूर्ति देने का सबसे पहले यदि निर्णय किसी सरकार ने लिया तो वह बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने लिया है। आप रिकार्ड देख लीजिए अगर यह बात असत्य होती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सपा ने भी यही किया था, आप उसको और आगे बढ़ाये।

(सदस्या श्रीमती आराधना मिश्रा ''मोना'' के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आपको क्या बोलना है, यह तो परिपाटी नहीं है कि सभी दल बोलें। आप सब लोग पहले बोल चुके हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, महिलाओं की सुरक्षा पर।

श्री अध्यक्ष-

आपका नम्बर कहां से आ गया, आप बैठिये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत संवेदनशील भाषण दिया गया लेकिन जिस वक्त उन्नाव और शाहजहांपुर में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था तब कहां थी सरकार। क्या अपराधियों को बचा नहीं रही थी सरकार उस वक्त। केवल लिखने से रामराज्य नहीं हो जाता।

श्री अध्यक्ष-

ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 'श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किया है, यह सदन उससे सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधनों के प्रस्ताव भी, जो उपस्थित किये हुए माने गये हैं, अस्वीकृत समझे जायेंगे।

अब मैं दोबारा प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि ''यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 13 फरवरी, 2020 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ?''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, ये माननीय सदस्य हैं इनका व्यक्तिगत एक मामला है, कृपा करके एक मिनट सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

मैं सुनुंगा इनका मामला लेकिन पहले जरा माननीय राजभर जी बोल लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, इनके भाई का मामला है, इनको सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं इनकी बात सुनूंगा, माननीय सुभाष जी मैं आपकी बात सुनूंगा।

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, विधायक जी का निजी मामला है इसलिए चाहें तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

सरकार चाहती है तो सुन लेंगे लेकिन मैं तो माननीय राजभर जी के बाद सुनना चाह रहा था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इनके बाद सुन लें।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, कानून-व्यवस्था की भाषा हमारी नोटिस की है लेकिन मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने शहर वाला बताइये।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं जिस घटना का जिक्र करूंगा उस घटना से इतना ही बताऊंगा कि हमारे देहात में एक कहावत है कि जब औरतें खाना पकाती हैं तो अपने बर्तन का एक चावल टोह लेती हैं तो उसी से अंदाज चल जाता है कि पूरे बर्तन का चावल पक गया है, यह घटना उसी बात का संकेत कर रही है। अपराधियों का हौसला कितना बढ़ चुका है। हमारे विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में एक बरदह थाना के अन्तर्गत दुबरा बाजार आती है, ग्रामीण बाजार है। छः अपराधी मोटर साइकिल से तीन बजे दिन में पहुंचते हैं। बाजार में उस समय भीड़ हो जाती है, गांव के लोग आ जाते हैं। एक स्वर्णकार किसी तरह से अपना धन्धा पानी करता था, बीच में उसका धन्धा अच्छा चलने लगा। अचानक उसके दुकान पर कुछ बदमाश हमला करते हैं और लगभग 40-45 लाख का जेवर लूट लेते हैं। आप वहां दिखवा लें, कम से कम पचासों फायर हुए हैं, गोलियों के निशान आज भी दीवारों पर हैं। यह घटना दिन में 03:00 बजे घटित हुई। बाजार और गांव के लोगों ने इस घटना का विरोध करने का साहस जुटाया, लेकिन लेकिन बदमाशों ने इतना ज्यादा फायरिंग की कि लोग सहम गये। ऐसे लगने लगा कि जैसे किसी शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हो रही है। इस घटना से पूरी बाजार में सन्नाटा पसर गया, लेकिन

उसमें से कुछ लोगों ने घटना का विरोध करने की हिम्मत जुटायी, जिनमें एक दस साल का बच्चा भी शामिल था, जिसने एक बदमाश को ईंट फेंककर मारा तो बदमाश के हाथ से रिवाल्वर छूटकर नीचे गिर गया। दूसरे व्यक्ति ने भी ईंट उठाकर एक बदमाश को मारा, तो जो बदमाश स्वर्ण से भरे पांच बैग लेकर भाग रहे थे, उनमें से एक बैग नीचे गिर गया। इस तरह से बाजार के कुछ लोगों ने हिम्मत बांधकर उन अपराधियों का मुकाबला किया। मान्यवर, यह दुःख का विषय है कि दिनदहाड़े तीन बजे अपराधी जाकर स्वर्णकार को लूट लेते हैं और बाजार में आतंक का वातावरण व्याप्त हो जाता है। मान्यवर, मैं नेता सदन जी को बधाई दे रहा हूं कि अभी आपने 10 छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियों को साहसिक कार्य के लिए पुरस्कृत किया है, यह अच्छा कार्य है। इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि इससे लोगों का हौसला बढ़ेगा। (सत्ता पक्ष के लोगों ने मेजे थपथपाईं) यही मेजे हमारे समर्थन में फिर बजा दीजियेगा। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उस 10 साल के बेटे को भी प्रोत्साहित कर दीजियेगा, जो आज बदमाशों की गोली खाकर ट्रामा सेंटर में पड़ा हुआ है, जिंदगी मौत से जूझ रहा है, उसकी मां विकलांग है, अंधी है। वह भीख मांगने वाले नट समाज का बेटा है। एक दूसरा व्यक्ति, जिसका नाम है रामफेर विन्द, आज भी उसकी गोलियां अभी निकाली नहीं गयी हैं, तीसरा व्यक्ति प्रमोद राजभर है, जिसकी उम्र 46 वर्ष है, उसे भी बदमाशों की गोली लगी है और वह भी जिंदगी-मौत से जूझ रहा है। मा0 मुख्य मंत्री, नेता सदन यहां बैठे हुए हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि इस प्रकरण को गम्भीरता से लें। बदमाशों के हौसले इतने बढ़ गये हैं कि बाजार में दिनदहाड़े 03:00 बजे फायरिंग हो रही है। एक किलोमीटर पर पुलिस की 112 नम्बर की गाड़ी खड़ी थी और उसी रात शंकर जी के एक प्रसिद्ध मंदिर का बदमाशों ने घण्टे और महात्मा/साधु की राशन पताई आदि लूट ले गये। वहीं बगल में राय साहब का एक डिग्री कॉलेज का लैपटॉप लूट लिया गया। 10 दिन पूर्व वहीं से एक किमी0 दूर पर एक यादव की हत्या कर दी गयी और वहां की पुलिस ने उस हत्या को एक्सीडेन्ट दिखा दिया। वह यादव जौनपुर का व्यापारी है जो हमारे मार्टिनगंज में बिजनेस करता है। मैं इस घटना की गम्भीरता को लेकर बाअदब बहुत ही गम्भीरता से आपके सामने याचना कर रहा हूं कि दुबरा बाजार में यह जो घटना घटी है, उससे आज पूरे जिले में सन्नाटा मचा हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यही कहूंगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही का आदेश दें, अपराधी शीघ्र पकड़े जाएं और तीन व्यक्ति जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जैसे आप आज से दस दिन पहले बच्चों को साहसिक काम करने के लिए प्रोत्साहित किये हैं उसी तरह इन तीनों व्यक्तियों को भी एक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है अब आपकी बात आ गयी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, यह पूर्वांचल का मामला है और माननीय सुखदेव राजभर जी ने जो प्रश्न उठाया है कि दिनदहाड़े इतनी बड़ी घटना हुई और इस घटना ने पूर्वांचल के लोगों का दिल दहला दिया है। निश्चित रूप से आप इस पर कड़ी कार्रवाई कराइये। मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि अपराध घटे हैं और दिनदहाड़े डकैती हो रही है। मैं माननीय सुखदेव राजभर जी के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसके बाद इनको जरूर सुन लीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुखदेव राजभर जी ने जो घटना बतायी है उसमें मुकदमा पंजीकृत है और पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस अधीक्षक ने 04 टीमें बनाकर, जितने भी संदिग्ध थे उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बहुत जल्दी ही इस घटना का अनावरण हो जायेगा और इसी सत्र में हम इसकी घोषणा भी जरूर करेंगे, यह हम आपसे वायदा करते हैं। (मेजों की थपथपाहट) जो अस्पताल में भर्ती हैं उनके इलाज की पूरी व्यवस्था के लिए विधिवत आज ही निर्देश दे दिये जायेंगे, माननीय नेता सदन ने इस बात के लिए विशेष रूप से सहमति दी है। माननीय नेता सदन का यह आश्वासन है।

श्री सुखदेव राजभर-

संसदीय कार्य मंत्री जी, इलाज तो चंदे से भी हो रहा है। लेकिन मैं मांग करता हूं कि उस गरीब बच्चे को आर्थिक मदद कर दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो मंशा है, आपने कहा 40-50 लाख रुपये का और जो लिखा करके दिया है वह 05 लाख का दिया है। 40-50 लाख और 05 लाख में बहुत बड़ा अन्तर है। आपने जो बोला वह 40-50 लाख रुपया कहा।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप सुने ही नहीं। आप कह दीजिए 05 रुपये के लिए कहा है। हमने 40-50 लाख नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, कार्यवाही कराने की घोषणा तो हो गयी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसमें आपने 05 लाख रुपया लिखा है।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय मंत्री जी, अगर मानवता व इंसानियत हो तो कुछ बोलिये।

श्री अध्यक्ष-

कृपा करके बैठिये, आप बार-बार क्यों खड़े हो जाते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इंसानियत पूरी है और इसीलिए उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है और इलाज की व्यवस्था आगे भी करेंगे। यह इंसानियत का तकाज़ा है।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट लूंगा। आपने जो अपराधियों/संदिग्धों को पकड़ने के लिए टीम बनायी है, अब मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, शाम को पकड़ते हैं सुबह छोड़ दे रहे हैं। फिर तीसरे दिन एक लुहार, एक केवट व एक गरीब के बेटे को जो मड़ई में रहता है उनको पकड़ते हैं। माननीय मंत्री जी जिन्होंने यह घटना किया है वह क्या छोटे अपराधी रहे हैं ? वह आये हैं और दिन में 3:00 बजे आधे घण्टे तक गोलियां चलायी है और उनको पकड़ते हैं, सबेरे छोड़ देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

राजभर जी, आपका विषय आ गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, आप सहमत होंगे कि अगर निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज दिया गया तो असली व्यक्ति बच जायेगा। जो पीड़ित पक्ष है पूरी तरह से हम उसका पूरा साथ देंगे। हम आपकी भावना के साथ खड़े हैं। हम नहीं चाहेंगे कि कोई निर्दोष जेल जाये। अगर कोई निर्दोष जेल चला जायेगा तो असली अपराधी बच जायेगा। इसलिए इसको मॉनीटर कर लेंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

आपकी पुलिस मॉनीटर कर रही है। आपके पास कोई मापदण्ड नहीं है और पुलिस ने एक्शन ले लिया तो आप कुछ नहीं कर पायेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसको मॉनीटर कर लेंगे, गलत व्यक्ति को जेल न भेजा जाये, असली अपराधी जेल जाये इसको सुनिश्चित करायेंगे। यह मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को सूचित करना चाहता हूं। माननीय नेता सदन ने कहा है कि उनके इलाज की पूरी व्यवस्था करवा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

राजभर जी, अब क्या रह गया ? सारी बात तो क्लीयर हो गयी।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस विषय को बहुत हल्के में लिया है। मैं तो बोलता ही नहीं हूं, अब मैं जान गया कि यह सरकार कुछ नहीं करने वाली है चाहे दिन-दहाड़े पूरा प्रदेश लुट जाये, आप कुछ नहीं कर पायेंगे। मैं इसी के साथ बैठ रहा हूं।

श्री सुभाष पासी-

माननीय अध्यक्ष जी, जब से यह सदन चल रहा है 13 तारीख से मैं इस घटना को लेकर यहां आ रहा हूं। तीन दिन से मैं अपनी बात इस सदन में रखना चाहता था।

श्री अध्यक्ष-

कल तीन बार आपका नाम पुकारा गया, आप गैर-हाजिर थे। आप अपनी सुविधानुसार आते हैं और चले जाते हैं तो हम आपको कहां ढूंढें ?

श्री सुभाष पासी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस सदन में मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। माननीय नेता सदन, विरोधी दल के नेता मा0 राम गोविन्द चौधरी जी, ब0स0पा0 के माननीय वर्मा जी और आराधना जी। मैं यह बात बताना चाहूंगा कि जैसे माननीय नेता सदन जी ने कहा कि महामानव डा0 भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेकर के.

श्री अध्यक्ष-

आपकी अपनी जो समस्या हो वह बताईये।

श्री सुभाष पासी-

मैं वही बता रहा हूं। अध्यक्ष जी, एक मिनट सुन लीजिए।...

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात कहिये।

श्री सुभाष पासी-

अध्यक्ष जी, एक मिनट सुनिये। उन्होंने हम अनुसूचित जातियों, दलितों के लिये भी संविधान में नियम बनाया था।

श्री अध्यक्ष-

अरे भई यह तो पक्की बात है। इसमें कौन नई बता रहे हैं। आप अपनी बात कहिये।

श्री सुभाष पासी-

मान्यवर, 25 जनवरी के दिन मेरे चचेरे भाई की हत्या होती है। 26 जनवरी को दोपहर 3 बजे अपराधी का फोन मेरे नम्बर पर कम से कम 5 बार आता है। और वह कहता है कि मुझे एफ0आई0आर0 में फंसाया गया तो मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे भाई को भी नहीं छोड़ूंगा। इसकी जानकारी मैंने नंदगंज के एस0ओ0 को दी। उन्होंने उसके मोबाइल फोन को ट्रेस किया तो वह मिर्जापुर बाई-पास पर जा रहा था। उसके बाद दूसरे दिन जब मैं अपने गांव गया। दाह संस्कार करने के बाद एस0पी0 साहब से भी मेरी बात हुई। सी0ओ0 साहब से बात हुई। अपराधी शैलेन्द्र यादव, अरविन्द पिन्टू नाम का और एक गोड़ यह तीन लोग थे जो

पकड़े गये। (शोर) पहले मेरी बात को सुन लीजिये आप लोग। अपराधी का कोई धर्म-जाति नहीं होती। अपराधी, अपराधी होता है उसको सजा मिलनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुसूचित जाति से आता हूं मेरी बात सुनिये आप। मैंने कभी किसी के विषय में नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप इधर हमारी तरफ देखिये। इधर अपनी बात कहिये।

श्री सुभाष पासी-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से मेरे भाई की हत्या हुई, अपराधी पकड़े गये लेकिन उसके बाद उनके परिवार का कहना है कि जिन्दगी भर जेल में नहीं रहेंगें, फांसी नहीं लग जायेगी। इस तरह की धमकियां मुझे व मेरे परिवार को आ रही हैं। माननीय नेता सदन जी से मैं मिला था, उनको मैंने पत्र भी दिया था। नेता सदन जी ने गाजीपुर एस0पी0 को फोन भी करवाया। तीनों अपराधी पकड़े गये लेकिन दो अपराधी अभी नहीं पकड़े गये हैं। लेकिन रोज जिस तरह से मेरे साथ हो रहा है, मेरे परिवार के साथ हो रहा है। थोड़ा सा समय आपका लेना चाहूंगा। 2007 में मेरे पिता जी की हत्या होती है अपहरण करके। उस हत्या को जोड़ करके मेरा चचेरा भाई जिसकी हत्या होती है उसके साथी ही उसको गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। मेरे भाई ने उनको फोन किया कि तुम मेरे भाई को लेकर गये हो कहां गये हो। चार-पांच बार उसने फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भुर्कुरा थाने के पास उसका शव मिला। मेरे छोटे सगे भाई को भी उसमें फॅसाने की कोशिश की जा रही है मेरे पिता जी की हत्या को जोड़कर। मेरा जो चचेरा भाई मरा है उसके साथ में जोड़कर मेरे भाई को भी हत्या में फॅसाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और जिस तरह से इस सदन में ऐज ए विधायक के भाई के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता का क्या होगा। मेरे घर से डेढ़ किमी0 की दूरी पर 10 दिन के बाद दो हत्याएं और होती हैं। दोनों सगे भाइयों को गोली मार दी जाती है। तो कानून व्यवस्था को ले करके जो सवाल उठ रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मेरा छोटा चचेरा भाई जिसकी हत्या हो गई है उसके 3 बच्चे 12, 8 और 3 साल के है। जिस तरह से उनकी स्थिति है मैं आपसे इतना चाहूंगा कि अपराधियों को पकड़ करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय सुभाष पासी जी ने जो घटना अभी सदन के सामने रखी है उसके सम्बन्ध में क्राइम नम्बर 12/2020 धारा-302, 201 आई0पी0सी0 व 3(2) 5 एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट माननीय अध्यक्ष जी, शैलेन्द्र यादव, अरविन्द यादव के खिलाफ थाना नन्दगंज, जनपद गाजीपुर में 26 जनवरी को एससी, एसटी ऐक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें वांछित अभियुक्त शैलेन्द्र यादव, पिन्टू यादव व सदानन्द गौड़ इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तीन दिन के अन्दर इन तीनों की गिरफ्तारी हो गयी है। घटना में प्रयुक्त

आला कत्ल, ईंट अभियुक्तगण के कपड़े, जूता, एक अदद मोबाइल, दो अदद एटीएम कार्ड व घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गयी है। इस अभियोग में वांछित अभियुक्त दीपक यादव व रोशन गौड़ की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है। विवेचना के दौरान मा0 विधायक जी द्वारा विवेचक को एक पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें मोबाइल नम्बर पर धमकी दिये जाने का उल्लेख है। इसके संबंध में नियमानुसार कार्यवाही विवेचक श्री कुलभूषण, क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें जो बाकी मुल्जिम हैं, उनको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जायेगा और जो धमकी वाला मोबाइल नम्बर दिया है, उसके संबंध में भी पूरी जानकारी करके समुचित कार्यवाही की जायेगी। यह मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री सुभाष पासी-

मा0 अध्यक्ष जी, जो हत्यारे थे, उनका असलहा बेचने का बिजनेस था। वह असलहा बेचते हैं और जिस तरह से मुझे धमकी दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह तो दिया है।

श्री सुभाष पासी-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे लिए मेरे परिवार के लिए एक खतरा बना हुआ है। मैं आपसे आश्वासन चाहूंगा। खासकर के सरकार से। यह मेरे साथ दो बार हो चुका है। 2007 में मेरे पिताजी गुजर गये।

श्री अध्यक्ष-

आश्वासन सरकार की तरफ से आ गया है और मेरी तरफ से भी है।

श्री सुभाष पासी-

मा0 अध्यक्ष जी, उनके साथ भी यही हुआ और अभी जिस तरह से मेरा चचेरा भाई गया और मेरे छोटे भाई को फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे इतना आश्वासन चाहूंगा कि मुझे आपसे संरक्षण चाहिए और उन अपराधियों पर गैंगेस्टर लगाने की मांग करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जो सख्त से सख्त कार्यवाही हो सकती है, वह भी करेंगे और जो गैंगेस्टर की बात कही है, उसके लिए भी मा0 नेता सदन ने कह दिया है कि आज ही उसके संबंध में निर्देश दे दिये जायेंगे और इस बात का ध्यान रखा जायेगा। साथ ही साथ अगर उसमें लाइसेंसी असलहा प्रयोग किया गया है तो उसका लाइसेंस भी निरस्त होगा और जो बात यह सदन के सम्मुख लाये हैं कि वह असलहा बेचने-खरीदने के नम्बर दो के काम करते हैं उस

संबंध में भी पुलिस अधीक्षक को आज अवगत करा दिया जायेगा कि इस संबंध में पड़ताल करके सख्त कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह सूचना अग्राह्य की गयी।

श्रीमती आराधना मिश्रा ''मोना''-

माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं एक बहुत ही गम्भीर मामले को सदन में रखना चाहती हूं। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी परन्तु आज किसान आवारा पशुओं से अपनी फसल नहीं बचा पा रहा है। आज बहुत बड़ी कृषि भूमि परती पड़ी हुई है। किसान उसमें फसल बोने को इसलिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह अपनी फसल को नहीं बचा पा रहा है। किसान कितने भी प्रयास कर रहा है, पर प्रयास करने के बाद भी उसकी फसल सुरक्षित नहीं है। इस वर्ष बहुत लम्बा जाड़ा पड़ा, बहुत ठण्ड हुई और इस जाड़े में किसान अपनी फसल को संरक्षित करने के लिए पूरे परिवार के साथ ओस में रात-रात बैठकर उसकी निगरानी करता रहा, पर किस तरह से वह परिवार जिसमें महिलायें और बच्चे भी उस फसल को बचा नहीं पाये।

और अन्त में यह हुआ।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बहुत शोर कर रहे हैं कृपया शांत रहिए। निकलिए तो बहुत धीरे से निकलिए सिनेमा हाल नहीं छूटा है। शोर मचाकर न निकलिए बहुत खराब लग रहा है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित करा दीजिए।

(शोरगुल एवं व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

यह ठीक नहीं है। योगेन्द्र जी, आप बातें कर रहे हैं। लाबी में आप लोग जाकर बात करिए।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

सत्तापक्ष के सदस्यों की गम्भीरता इसी से समझ में आती है कि किस तरह से इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो किसानों से जुड़ा है, उस पर कितनी संवेदनशीलता सदस्यों की है, यह इससे समझ में आती है।

श्री अध्यक्ष-

हम न आपका सुन पा रहे हैं न इनका सुन पा रहे हैं। हम इतने लचर हैं कि सब लोग यहीं आए जा रहे हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण विषय है आप सदन को व्यवस्थित करा दीजिए। इससे सदन की गम्भीरता समझ में आती है। खासकर सत्तापक्ष के सदस्यों की। न तो उनको किसानों से मतलब है न उनके दर्द से।

श्री अध्यक्ष-

सुरेन्द्र जी, आपके बगल में जो बातचीत हो रही है उसको बन्द कराइए। उनसे कहिए कि बाहर जाकर बात करें। यहां बैठना हो तो फिर बात न करिए। लाबी इसीलिए होती है कि वहां बैठकर बात करें। आप लोग क्या चाहते हैं कि सदन स्थगित कर दें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, मै अपने विषय को रख रही हूं। यह महत्वपूर्ण विषय है। यह राजनीतिक विषय नहीं है। यह किसानों से और जनता से जुड़ा हुआ विषय है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से लगातार किसान के हितों की सरकार बात करती रही, किसानों की आय दोगुना करने की सरकार बात करती रही, पर हकीकत दूसरी है। आज छुट्टा जानवरों की वजह से किसान अपनी फसल नहीं बचा पा रहे हैं। लगातार खेती का बहुत बड़ा हिस्सा रह गया है जो किसान बो नहीं पाए। किसान बोना भी नहीं चाहता क्योंकि किसान को उसकी लागत नहीं मिल पा रही है। इस वर्ष में जाड़े का मौसम जो अभी खत्म नहीं हुआ है। लम्बा जाड़ा पड़ा, ठण्ड पड़ी, ओस गिरी इस ओस और ठण्ड में भी किसान अपने परिवार के साथ फसल की निगरानी के लिए ठण्ड में ठिठुरता बैठा रहा। अन्त में किसान की फसल तो बची नहीं पर बहुत सारे बच्चों और बुजुर्ग को निमोनिया होने से उनकी मौत हो जाती है। बहुत सारे किसानों ने बाड़ों से और तारों से अपनी फसल को बचाने का प्रयास किया पर आज बाड़ों और तारों के दाम सरकार ने मार्केट में दोगुने कर दिए।

क्योंकि सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस गोवंश की योजनाओं को लेकर बड़े संवेदनशील हैं। हमारी भी पूरी सहानुभूति है, परन्तु लगभग 200 करोड़ का बजट गोवंश रक्षा के लिये आया।

श्री अध्यक्ष-

आप बजट पर बोल लीजियेगा।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

नहीं मा0 अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहती हूं कि अगर वह बजट ठीक से इस्तेमाल हुआ होता, अगर स्थायी और अस्थायी गौशालाएं बनी होतीं तो गोवंश वहां पर रहते और किसानों का नुकसान न होता।

श्री अध्यक्ष-

अब इस पर आप बजट पर बोल लीजियेगा। आपका विषय छुट्टा जानवरों पर था, वह पूरा आ गया।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी नहीं आया है। बस आधा-एक मिनट और दे दीजिये। मैं सरकार से केवल यह पूछना चाहती हूं कि जो बजट गोवंश के लिये था, उसकी जो दुर्दशा हुयी, जिन लोगों ने उसको खर्च किया, वह बजट गोवंश के लिये था।

श्री अध्यक्ष-

आज बजट का विषय ही नहीं है। आपका विषय है कि आवारा जानवरों के कारण किसानों पर जो कठिनाई आयी है, वह आपका विषय है। बजट तो अब आगे आयेगा।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, वही तो हम बता रहे हैं। क्यों हुआ, क्योंकि जो सरकार की गलत नीति थी, उसके कारण खामियाजा आज किसान भुगत रहा है।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न नहीं है आपका। यह तरीका नहीं है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूं कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो किसानों की फसल का नुकसान हुआ है तो क्या सरकार उसका मुआवजा देगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्नकाल नहीं है। मैं समझ रहा था कि आपकी बात हो गयी है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह महत्वपूर्ण सवाल है इसलिये कृपया इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जवाब तो दे दिया जायेगा। मा0 नेता सदन अभी इसके ऊपर बोल गये कि हम क्या करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि किसानों का किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होने देंगे। मान्यवर, मा0 नेता सदन अभी-अभी पांच मिनट पहले बोलकर गये। हमारे चौधरी साहब जवाब देंगे।

(इस मध्य नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' के अपने स्थान पर खड़े होकर लगातार बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप एक दल की नेता हैं, आप बार-बार कैसे खड़ी हो सकती हैं। जैसे कि मैं अध्यक्ष हो गया तो अब मैं लड़ाई नहीं कर सकता। (हंसी) अब इस पद को आप अपने ढंग से देखिये।

दुग्ध विकास,पशुधन,मत्स्य मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय आराधना जी ने यह बात कही थी कि सत्ता पक्ष के लोग इस समस्या के प्रति गम्भीर नहीं हैं। पांच माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है, लेकिन 04 गायब हैं और अकेली वह ही हैं।

(इस मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ अन्य माननीय सदस्य भी अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करते रहे, जिस कारण व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री लक्ष्मी नारायण-

तो पहले आप बोल लीजिये। जो हैं उसमें आप बोलो कि कौन-कौन हैं। मैं कह रहा हूं कि आप बोल लें। मैं सबका एक साथ ही जवाब दे दूंगा।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं, आप बोलने की छूट न दीजिये, नहीं तो और घंटों लगेंगे। मा0 चौधरी जी, आप बोलिये, आप बोलिये।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, एक माननीय सदस्य नोटिस देता है।

(इस मध्य नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' के अपने दल के कुछ मा0 सदस्यों के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर लगातार कुछ बोलते रहने पर व्यवधान बना रहा)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया बैठ जाइये। आप लोग हमारे कहने से बैठ जाइये।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, जब पांच लोगों के नाम हैं तो यह 04 और क्यों नहीं बोल रहे।

श्री अध्यक्ष-

आपको उत्तर देना हो तो दीजिये, आप क्यों उसकी तफ्तीश में जा रहे हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, आप चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष-

आपका चिल्लाने का मन हो रहा है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, सम्पूर्ण विपक्ष बोलेगा। आप चर्चा करा दें, पूरा विपक्ष बोलने को तैयार है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कोई तैयार नहीं है। जो तैयार होता है, वह बैठा रहता है। शोर मचाने वाले तैयार नहीं होते हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, यह चारों ऐसे माननीय सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष-

अरे, आप सदस्यों पर क्यों कहते हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप ही से कह रहा हूं। मैं आपसे ही अनुरोध कर रहा हूं कि जिन सदस्यों ने अभी खड़े होकर यह सवाल उठाया है उनके घर पर कोई गाय है कि नहीं, पहले इनसे यह तो पूछ लीजिये कि उनके घर पर कितनी गाय हैं।

(नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' के अपने दल के कुछ अन्य माननीय सदस्यों के साथ अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे घर पर गौशाला है।

श्री अध्यक्ष-

आप चिल्ला क्यों रही हैं। आप चिल्लाईये मत।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह का आरोप लगाना मा0 मंत्री जी को शोभा नहीं देता है। यह गलत है। यह किस तरह का जवाब है। यह किस तरह का आरोप है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा आप चिल्लाईये। आप यहां अन्दर आ जाईये। आप वेल में आ जाईये।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है और इसीलिये मंत्री जी विषय को भटका रहे हैं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, आप बोलिये। आप लोग बैठ जाईये। मा0 वर्मा जी कुछ कह रहे हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, आप बैठ जाईये। आप लोग एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिये कि आप लोग जब चिल्लाते हैं तो आपको कैसा लगता है ? वाट डू यू फील, चिल्लाने में कैसी फीलिंग होती है। हमको तो यहां पर बड़ी तकलीफ होती है जब सब चिल्लाते हैं। आप लोग अपने-अपने क्षेत्र के वरिष्ठ नेता है, जनप्रतिनिधि हैं। आप लोग का अपने जिले में और पड़ोस के जिलों में नाम चलता है, आपका फोटो अखबार में छपता है। आप सदन में चिल्लाने लगते हैं तो लोगों को क्या लगता होगा ?

(कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा अपनी सीट पर खड़े होकर बोलने का प्रयास किया गया)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग फिर चिल्लाने लगे।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, आप जवाब दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

क्या किसी बात को हम लोग बिना चिल्लाये नहीं हल कर सकते हैं ? आप फिर चिल्लाने लगे।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जवाब दे रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप जानवरों वाला जवाब दीजिए, सदस्यों वाला नहीं।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि गौरक्षा के लिए जनता ने ऐसा निर्णय किया कि गोरक्ष पीठाधीश्वर इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बने हैं। यह हमारी गौमाता की ही कृपा है। मान्यवर, 02 जनवरी, 2019 को एक आदेश माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश में जारी किया गया जिसमें हमने प्रत्येक जिले में दो वृहद गौशाला का निर्माण किया, जिसमें प्रत्येक गौशाला का 1 करोड़ 20 लाख रुपये दिये निर्माण के लिए। बुन्देलखण्ड में 7 जिलों में हमने 1

करोड़ 50 लाख रुपये दिए हैं गौशाला के निर्माण के लिए। इस तरह से कुल लगभग 150 वृहद गौशालायें बनायी गयीं। इसके अलावा सभी नगर निगम, सभी नगर पालिका, सभी नगर पंचायत उनमें स्थायी गौशालाओं का आश्रय सदन बनाये गये और जितनी भी जिला पंचायत हैं उनको भी गौ-आश्रय स्थल का निर्माण करने के निर्देश दिए गये और उन्होंने स्थल बनवाये। इस तरह से कुल आज हमारे यहां इन गौशालाओं में 4 लाख 53 हजार गौवंश इन गौशालाओं में है। इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसा कहा था कि जो भी कोई व्यक्ति एक से लेकर चार गौवंश तक अपने यहां रखना चाहता है हमारी गौशालाओं में से ले जाके उनको 900 रुपये प्रति गाय प्रति माह हम भरण-पोषण के लिए देते हैं और उसके अन्तर्गत भी लगभग-लगभग 54 हजार गौवंश उन व्यक्तियों ने लिए हैं। इस तरह से पांच लाख से ऊपर गौवंश को आज हम 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भरण-पोषण के लिए दे रहे हैं। इसके अलावा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जो पंजीकृत गौशालायें हैं वह भी 534 हैं जिनको गौ-सेवा आयोग के द्वारा हमारा विभाग भरण-पोषण के लिए निश्चित धनराशि देता है। उसके अलावा हमने 16 नगर निगमों को भी करीब अब तक 17 करोड़ 52 लाख रुपये भरण-पोषण के लिए गौवंश के लिए जारी किये गये हैं। मान्यवर, अब तक आदरणीय सदस्या कह रही थीं 200 करोड़ नहीं अब तक हम 273 करोड़ 61 लाख रुपये जिलों को जारी करके जिलाधिकारियों को दे चुके हैं। हमारा पूरा प्रयास यह है कि जितनी भी गौशालायें हैं वह गौशालायें किस तरह से वाइबल हो सकती हैं उसके लिए भी जो उत्पादित दुग्ध है उसकी बिक्री के लिए उनसे कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए और भी एल0पी0जी0 बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि वह गौशालायें भी वाइबल हो जायें। इस तरह का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपका उत्तर आ गया है।

श्री लक्ष्मी नारायण -

जितनी भी गौशालायें हैं उनमें हम टीकाकरण की भी व्यवस्था कर रहे हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा केवल यह सवाल है कि क्या जो आवारा पशुओं से फसल नुकसान हो रही है, किसानों का नुकसान हो रहा है मेरा सीधा सा सवाल है उस पर सरकार अपनी योजना बताये ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं, सवाल कहां चल रहा है, यह प्रश्नोत्तर काल तो है नहीं ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, जो किसानों का नुकसान हुआ है क्या सरकार मुआवजा देगी इसका जवाब दिलवा दें ?

श्री अध्यक्ष-

मुआवजे की बात ही नहीं है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, किसानों की फसल नष्ट हो रही है मैं उस पर चर्चा कराना चाहती हूं, यह मूल मुद्दा है और मैं चाहती हूं कि इस विषय पर चर्चा हो क्योंकि यह राजनीतिक विषय नहीं है यह सामाजिक विषय है, यह किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर चर्चा कराना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैंने इसे अग्राह्य किया।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार किसान विरोधी है और इस मामले में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् नेता कांग्रेस पार्टी एवं उनके दल के अन्य माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, ज्यादा नहीं बस मेरे पास आधा पन्ना है।

श्री अध्यक्ष-

आपका पन्ना मेरे पास भी है, आपने कहा है कि प्रदेश में बजट के सापेक्ष सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के छात्रों को दिये जा रहे शुल्क के भेद-भाव से उत्पन्न स्थिति, बजट पर इतवार के बाद चर्चा शुरू होगी और चूंकि शुद्ध रूप से यह बजट का विषय है आपने इसको बजट में लिखा भी है।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, यह पिछले साल के बजट की बात है।

श्री अध्यक्ष-

अगर पिछले साल के बजट की यह समस्या है तो अविलम्बनीय लोक महत्व का सवाल कैसे हो गया ? एक साल पुराना हो गया ? हम इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार प्रभु नारायण सिंह यादव जी का नोटिस है उस पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं तथा श्री अमन मणि त्रिपाठी जी का है, उस पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, श्री उज्जवल रमण सिंह का है इस पर भी हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी का है उस पर भी हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। अब हम नियम-301 की सूचनायें लेंगे।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 19-02-2020 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 38 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिसमें 21 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री गौरी शंकर की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत मलंगा नाला पर रेलिंग बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री ज्ञान तिवारी की जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रेउसा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खरौहा में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री विपिन कुमार 'डेविड' की उ0प्र0 में जन स्वास्थ्य रक्षक की सेवाओं को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री सन्त प्रसाद की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी के अन्तर्गत कैथा-पतिसा-विस्तुई नाले की खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री विजय कुमार राजभर की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोषी के अन्तर्गत गोदाम घाट तमसा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री किशन लाल राजपूत की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बरखेड़ा के अन्तर्गत गजरौला में नयी तहसील स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज में कतिपय ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में बन रहे 33/11 केवी0 उपकेन्द्र को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत कतिपय नहरों पर पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री ओमकार सिंह की जनपद बदायूं में सभी सरकारी विद्यालयों में एन0सी0ई0आर0टी0 की किताबों की पूर्ति में हुई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट के ग्राम पंचायत मखदूमपुर में सीवर/पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की भारत-नेपाल सीमा पर सोनौली बाजार एरिया में बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के अन्तर्गत दीदारगंज थाने से ग्राम आमगांव होते हुए ग्राम अरनौला तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री बहोरन लाल मौर्य की जनपद बरेली में नवनिर्मित 300 शैय्या वाले अस्पताल को शीघ्र संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के अन्तर्गत देवकली पम्प कैनाल से लगे हुए सभी माइनर का सी0सी0 लाइनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत लहंगपुर रजबहा की लाइनिंग पिचिंग कराये

जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों के अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री रत्नाकर मिश्र की भदोही-मिर्जापुर सीमा पर सेमरा में व शास्त्री सेतु के पश्चिम मवैया के सामने कटान क्षेत्र पर बांध बनाकर बाढ़ से बचाव कराने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्रीमती निर्मला संखवार की जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद के अन्तर्गत अजनपुर इनौती से कानपुर किशननगर भौंती तक पड़ने वाली राम गंगा सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तथा इक्कीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर में सी0ए0ए0 एवं एन0आर0सी0 के विरोध में किये गये प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर झूठे मुकदमों से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

निम्न माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं :-

1-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव

2-श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी

3-श्री गंगा

4-श्री विकास गुप्ता

5-श्री धनन्जय कन्नौजिया

6-श्री कारिन्दा सिंह

7-डॉ0 अरुण कुमार

8-श्री बृजभूषण राजपूत

9-श्री उमाशंकर सिंह

10-श्री नरेश सैनी

11-श्री वीरेन्द्र यादव

12-श्री सोबरन सिंह यादव

13-श्रीमती राजबाला

14-श्री असलम अली

15-मो0 मुजतबा सिद्दीकी

16-श्री आजाद अरिमर्दन

17-श्री बम्बा लाल दिवाकर

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत मलंगा नाला पर रेलिंग बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरी शंकर-

[महोदय, सूच्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-221, तहसील-उरई, जनपद-जालौन के अन्तर्गत विकास खण्ड-डकोर में ग्राम-मलुपुरा बरहा सम्पर्क मार्ग पर मलंगा नाला पर बना रपटा पुल की चौड़ाई कम होने के कारण फोर व्हीलर, जीप, ट्रैक्टर आदि निकलने में कठिनाई होती है। कभी-कभी फोर व्हीलर मलंगा नाले में गिर जाती है जिससे जन हानि होने का डर बना रहता है। इसलिए जनहित को देखते हुए रपटा पुल के दोनों तरफ रेलिंग बनवाना अत्यन्त आवश्यक है। रपटा का चौड़ीकरण हो सकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त स्थान पर साइड रेलिंग, रपटा चौड़ीकरण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रेउसा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खरौहा में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ज्ञान तिवारी-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र-150, सेवता के विकास खण्ड रेउसा की ग्राम पंचायत खरौहा में अग्निशमन केन्द्र के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रारम्भिक आगणन करीब 11 करोड़ का कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा बनाया गया है, जोकि शासन को प्रेषित किया गया था। इस आगणन को शासन द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। जनहित में ग्राम पंचायत खरौहा में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं किन्तु यहां दूसरे अग्निशमन केन्द्र लगभग 50 किमी0 की दूरी पर है। जब तक सूचना होकर वाहन आता तब तक सब जलकर राख हो जाता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम पंचायत खरौहा में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

उ0प्र0 जन-स्वास्थ्य रक्षक सेवाओं को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विपिन कुमार 'डेविड'-

[महोदय, अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 1977 में सुभारम्भित जन-स्वास्थ्य रक्षक योजना अर्थात विलेज हेल्थ गाइड स्कीम के तहत प्रति एक हजार की ग्रामीण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आबादी पर एक जन-स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त किया गया था। जो साधारण आम व मौसमी बीमारियों से पीड़ित ग्रामीणों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के अलावा स्वास्थ्य के सभी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार का कार्य करता था। वर्ष 2002 में योजना आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार ने मानदेय आधारित यह योजना राज्य सरकारों को हस्तान्तरित कर दी। बाद में वित्तीय विवशताओं के कारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को बन्द कर दिया गया। आल इण्डिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसियेशन नामक जन-स्वास्थ्य रक्षकों के राष्ट्रव्यापी संगठन की मांगों पर तत्कालीन परिवार कल्याण मंत्री डा0 रीता बहुगुणा जोशी की सैद्धान्तिक सहमति के उपरान्त प्रदेश शासन के आदेशानुसार परिवार कल्याण महानिदेशालय ने जनपदीय सूचनाओं को संकलित कर इनकी बहाली का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत कर दिया है। ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन-स्वास्थ्य रक्षकों के पूर्ववर्ती उत्कृष्ट कार्यों से अर्जित उनकी क्षमताओं तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में उनकी भावी सम्भावनाओं के दृष्टिगत ग्रामीण स्तर पर पूर्व की भांति इनकी पुनर्नियुक्ति जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु सदन में यह मामला उठाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी के अन्तर्गत कैथा-पतिसा-विस्तुई नाले की खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त प्रसाद-

[महोदय, जनपद गोरखपुर के खजनी विधान सभा क्षेत्र में कैथा-पतिसा-विस्तुई नाला कैथीताल से होकर कुवानों नदी से मिलता है। इस क्षेत्र के तमाम गांवों का पानी कैथी ताल में आता है और ताल से पानी कुवानों नदी में चला जाता है परन्तु कैथी ताल से पतिसा गांव तक नाले को कुछ किसानों द्वारा पाट लिया गया । बार-बार अधिकारियों को लिखने के बाद भी नाला न तो खाली कराया जा रहा है और न ही इसकी खुदाई हो रही है जिसके कारण सैकड़ों एकड़ भूमि की फसल बर्बाद हो जाती है। खरीफ की फसल डूब जाती है तथा रबी की फसल पानी भरने के कारण बोयी नही जाती है जिससे तमाम किसान भुखमरी के शिकार हो जाते हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त नाले को अतिक्रमण मुक्त कराकर खुदाई कराकर किसानों को राहत दिलाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी के अन्तर्गत गोदाम घाट तमसा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार राजभर-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड रतनपुरा के अन्तर्गत ग्राम सभा पिपरसाथ में गोदामघाट तमसा नदी पर पुल न होने के कारण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वहां की जनता को आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा बाजार के लिए 10 किमी0 की दूरी तय करके या नदी में प्रवेश करके जाना पड़ता है जिससे डूबकर मरने जैसी स्थिति बनी रहती है। जनहित में ग्राम सभा पिपरसाथ में गोदामघाट तमसा नदी पर पुल का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम सभा पिपरसाथ में गोदामघाट तमसा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बरखेड़ा के अन्तर्गत गजरौला में नयी तहसील स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन लाल राजपूत-

[महोदय, ज्ञातव्य हो कि जनपद पीलीभीत की चार विधान सभाओं में से बरखेड़ा विधान सभा एक ऐसी विधान सभा है जिसकी कोई अपनी निजी तहसील नहीं है जिसके कारण जनमानस को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करके 25 से 30 किमी0 कार्य हेतु दूर जाना पड़ता है जिससे जनता का समय एवं धन का अपव्यय होता है। राजनैतिक दृष्टिकोण से अमरिया एवं कलीनगर स्थलों का चयन कर अनुपयुक्त तहसीलों का गठन किया गया है। इस हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव शासन को सम्प्रेषित भी है।

अतः नियम-301 के अंतर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज में कतिपय ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तहसील लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के अंतर्गत ग्रामों में फ्लोराइड एवं लवण की मात्रा अधिक होने के कारण पेयजल पूरी तरह से दूषित हो गया है, दूषित पानी का सेवन करने से लोगों में उदर जनित बीमारी फैल रही है तथा आंखों की रोशनी कम हो रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए यहां पर ग्रामीण पेयजल समूह योजनायें स्वीकृत की गयी है जिससे इस क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को इस महामारी से बचाया जा सके। लगभग दो तिहाई हिस्से को इन ग्रामीण पेयलज समूह योजनाओं के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित ग्रामीण पेयजल समूह योजना संग्रामगढ़, ग्रामीण पेयजल समूह योजना देवरी, ग्रामीण पेयजल समूह योजना अर्रौ, ग्रामीण पेयजल समूह योजना अगई, ग्रामीण पेयजल समूह योजना अठेहा, ग्रामीण पेयजल समूह योजना रामपुर दाबी, ग्रामीण पेयजल

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समूह योजना जेंवई, ग्रामीण पेयजल समूह योजना कुम्भीआईमा, ग्रामीण पेयजल समूह योजना राजापुर, ग्रामीण पेयजल समूह योजना सिलौधी, ग्रामीण पेयजल समूह योजना पूरे नोती आदि सहित कई अन्य ग्रामीण पेयजल समूह योजनाओं से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसमें कुछ योजनाओं की पाईप पूरी तरह से नहीं बिछाई गयी है, कई पेयजल समूह योजनाओं की रि-बोर न होने से जलापूर्ति बाधित हैं, और कुछ पेयजल समूह योजनाओं में मोटर या तकनीकी कमी के कारण जलापूर्ति बाधित है, जिसके कारण लोगों को स्वच्छ जल पेयजल नहीं सुलभ हो पा रहा है अतः लोगों के सामने पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो रहा है। इसके साथ ही साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जल स्तर (अण्डर ग्राउण्ड वाटर लेबल) काफी नीचे होने के कारण निजी हैण्ड पाइपों एवं कुओं के माध्यम से पीने के लिये पानी सुलभ नहीं हो पाता है अतः यहां पर पेयजल का गम्भीर संकट है। लोगों को स्वच्छ पेयजल सुलभ कराने हेतु ग्रामीण पेयजल समूह योजनाओं की कमियों को दूर करके शीघ्र जलापूर्ति उपलब्ध कराना आवश्यक है। ग्रामीण पेयजल समूह योजनाओं द्वारा जलापूर्ति बाधित होने के कारण जहां लागों के सामने स्वच्छ पेयजल का गम्भीर संकट है, वहीं लोगों में चिन्ता एवं रोष भी व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अवलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में बन रहे 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे चिधान सभा क्षेत्र शाहगंज जनपद जौनपुर के अन्तर्गत निम्न तीन 33/11 के सब स्टेशन-

1-पट्टी नरेन्द्रपुर(विकास खण्ड खुटहन)

2-बूढ़ूपुर (विकास खण्ड सुइथाकला)

3-सबरहद विकास खण्ड शाहगंज में पूर्व की सरकार में स्वीकृत हुए तथा धन भी आवंटित कर दिया गया एवं शिलान्यास उपरान्त विद्युत विभाग द्वारा काम भी शुरू कर दिया गया था, परन्तु उक्त सब स्टेशनों का विद्युत संचालन शुरू नहीं किया जा सका।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत कतिपय नहरों पर पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर एडवोकेट-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज जनपद लखनऊ के अन्तर्गत आने वाली

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हैदरगढ़ राजबहा प्रणाली व रायबरेली राजबहा प्रणाली (शारदा नहर) जो कि लगभग 100 वर्ष पूर्व बनी थी। इन नहरों के आस-पास हजारों की आबादी है, पुरानी संकरी पुलिया होने के कारण ग्रामीणों को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों की परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में सर्वे कराकर पुरानी संकरी पुलिया के स्थान पर नयी बड़ी पुलिया बनवाया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सर्वे कराकर नयी बड़ी पुलिया बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-बदायूं में सभी सरकारी विद्यालयों में एन0सी0ई0आर0टी0 की किताबों की पूर्ति में हुई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओंमकार सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद बदायूं के अन्तर्गत बदायूं में वर्ष 2019 में सभी सरकारी विद्यालयों को पुस्तकालय के लिए बजट आवंटित किया गया था। इसमें आवंटित धनराशि से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय का एन0सी0ई0आर0टी0 की किताबें खरीदने को कहा था। मगर शिक्षा माफिया ने शासन की इस मंशा पर पानी फेर दिया। माफिया ने एनसीईआरटी के बजाय प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें सरकारी विद्यालयों में खपा दी गईं। शिकायत पर इसकी जांच भी हुई जो बाद में फाइलों में दबा दी गई। सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को स्कूली किताबो के अलावा महापुरुषों की जीवनी, कहानियां, ज्ञानवर्धक पुस्तकें और पत्र-पत्रिकायें पढ़ने को उपलब्ध कराना था। इनके अतिरिक्त कोर्स में बाल गीत, एकांकी, चित्रकला, एटलस शब्द कोष आदि पुस्तक भी शामिल थी। इसके पीछे शासन का उद्देश्य था कि बच्चों को किताबों से इतना ज्ञान भी हासिल हो सके। इसके लिए शासन ने सभी प्राथमिक विद्यालयों को पांच और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के एसएससी खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे थे। इन रुपयों से एसएससी के माध्यम से शिक्षकों को एनसीईआरटी की पुस्तकें बाजार में खरीदने का आदेश था। इसकी जानकारी शिक्षा माफिया को हुई तो उसने अधिकारियों और विद्यालयों के शिक्षकों से सम्पर्क साधा। सांठ-गांठ के आधार पर विद्यालयों में लाइब्रेरी के लिए प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों को खपाना शुरू कर दिया साथ ही अवैध उगाही होने लगी। कई जगह इसका विरोध हुआ तो कुछ जनप्रतिनिधियों से दबाव डलवाकर पेमेंट की उगाही करना शुरू कर दी। तब कुछ लोगों ने इसकी शिकायत शासन, प्रशासन से भी किया।

अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए एवं तत्काल उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को दण्डित किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट के ग्राम पंचायत मकदूमपुर में सीवर/पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड चिनहट के ग्राम पंचायत मकदूमपुर के ग्राम प्रधान है। इनके गांव की भूमि का अर्जन विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2000 में किया गया था। तब से गांवों के विकास के नाम पर विकास प्राधिकरण द्वारा सीवर, पानी की लाइन के नाम पर भारी धनराशि खर्च भी किया गया था किन्तु हकीकत यह है कि मकदूमपुर और जुराखनपुरवा में सीवर और पानी की समस्या अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसकी शिकायत करने पर मुख्य अभियन्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जबकि तालाब, धार्मिक स्थल व सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। किसानों की समस्याओं को देखते हुए सीवर, पानी की सुविधा प्रदान किया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

भारत-नेपाल सीमा पर सोनौली बाजार एरिया में बाइपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

अमन मणि त्रिपाठी-

[महोदय, भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली बाजार में भारत-नेपाल मुख्य मार्ग को बाईपास से जोड़कर नेपाल में आवागमन की सूविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। हमारे विधान सभा क्षेत्र मुख्य बाजार सोनौली इसके पूर्व ही फोर लेन बनाने में आधा उजड़ गया है। यदि बाईपास नहीं बना तो सोनौली का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। सोनौली के अस्तित्व को बचाने के लिए भारत-नेपाल के मुख्य मार्ग को सुविधाजनक बनाने के लिए आए दिन भीषण जाम को समाप्त करने के लिए अविलम्ब बाईपास बनाने पर इस सदन में चर्चा आवश्यक है, लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है चर्चा कराने की कृपा करें।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल सिंह-

[महोदय, जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र 167, पुरवा उन्नाव के विकास खण्ड-हिलौली अन्तर्गत ग्राम संदाना, वलिया, असरीखेड़ा, सगौली, नरीचक, करदहा, सीतारामखेड़ा, कालूखेड़ा, रामपुर, श्यामपुर, जुगराजपुर, देवमई, बछौरा, भईयाखेड़ा, मोहनलाल,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पिंडुरी, बरवाकला का पानी फ्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक युक्त दूषित पानी है जिसके कारण ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों को दूषित पानी पीने से हड्डियों की बीमारी एवं कैंसर जैसी जानलेवा बिमारियों से जूझना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराये जाने हेतु शासन एवं सम्बन्धित अधिकारियों से कई बार अनुरोध किया गया है पर अभी तक उक्त गांवों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयीं है। जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस सम्मानित सदन का एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के अन्तर्गत दीदारगंज थाने से ग्राम-आमगांव होते हुए ग्राम अरनौला तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर-

[महोदय, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज, जनपद-आजमगढ़ में दीदारगंज थाने से ग्राम आमगांव होते हुए ग्राम अरनौला तक मार्ग की हालत काफी जर्जर हो चुकी है, जबकि इस मार्ग से आम जनता का काफी संख्या में आना-जाना होता है। इसका महत्व और ज्यादा है कि यह जनपद जौनपुर के सरहद को जोड़ता है। इस महत्पूर्ण मार्ग की मरम्मत हेतु बराबर क्षेत्रीय जनता मांग करती चली आ रही है, मगर सम्बन्धित विभाग द्वारा सुना नहीं जा रहा है। जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है, क्षेत्रीय जनता किसी क्षण आन्दोलित हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करते हुए यथाशीघ्र उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-बरेली में नवनिर्मित 300 शैय्या वाला अस्पताल को शीघ्र संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बहोरन लाल मौर्य-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बरेली में नवनिर्मित 300 शैय्या वाला अस्पताल बन चुका है। लेकिन अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। जनहित में नवनिर्मित 300 शैय्या वाला अस्पताल को शीघ्र प्रारम्भ किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए नवनिर्मित 300 शैय्या वाला अस्पताल को शीघ्र प्रारम्भ कराने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के अन्तर्गत देवकली पम्प कैनाल से लगे हुए सभी माइनर का सी0सी0 लाइनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में भारी मात्रा में किसान, खेती करके अपने परिवार का जीवन-यापन करते हैं। लेकिन सिंचाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण बार-बार नहरों के टूट जाने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो जा रही हैं, जिससे किसानों को काफी क्षति हो रही है। जिससे किसान आर्थिक रूप से कमजोर होता चला जा रहा है।

इस सदन में आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि देवकली पम्म कैनाल से लगे हुए सभी माइनर का सी0सी0 लाइनिंग कराने का कार्य सरकार करे। जैसे-सिंहपुर, मलिकपुर, ककरही, बड़िहारी, मनसुखवा आदि।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत लहंगपुर राजबहा की लाइनिंग पिचिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राहुल प्रकाश-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र छानबे जनपद मीर्जापुर काफी पिछड़ा एवं पहाड़ी क्षेत्र है। 8-10 किमी0 नहर काफी दयनीय स्थिति में है और जर्जर होने के कारण कई जगह आये दिन टूटना और कुछ स्थानों पर होल बनाकर पानी का रिसाव होकर नदी व जंगल में बह जाता है जिससे सिंचाई हेतु आगे पानी जाने में काफी असुविधा होती है जो किसानों के लिए चिन्ता का विषय है, लहंगपुर राजबहा से लगभग 20-25 गांवों की सिंचाई होती है किन्तु राजबहा की स्थिति अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है। उस क्षेत्र के सिंचाई के लिए एक मात्र यही साधन है। इस राजबहा के सुदृढ़ीकरण हो जाने से क्षेत्र के किसानों के फसलों की सिंचाई होगी।

अतः माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन में लहंगपुर राजबहा की लाइनिंग पिंचिग कराये जाने की मांग करता हूं।]

उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों के अस्पतालों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश प्रताप सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के अन्दर वर्तमान सरकार में बद से बदतर होते चिकित्सा क्षेत्र के अन्तर्गत जनता व रोगियों के सुलभ उपचार के उद्देश्य

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से प्रारम्भ विभिन्न जनपदों के जिला चिकित्सालयों में सेण्ट्रल मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां समाजवादी सरकार द्वारा उ0प्र0 के विभिन्न जिलों के चिकित्सालयों में सेण्ट्रल मेडिकल गैस पाइप लाईन सिस्टम लगाने हेतु बजट जारी कर गैस पाइप लाईन से लेकर अन्य सम्बन्धित कार्य लगभग पूर्ण कराये जा चुके थे, जिससे गम्भीर मरीजों को शीघ्र चिकित्सा मुहैया कराने की दिशा में सार्थक और कारगर माना सिद्ध होन माना जा रहा था। चिकित्सालयों में अब तक लेबर रूम, ओटी समेत अन्य वार्डों में मरीज की स्थिति गंभीर होने पर आंक्सीजन का सिलेंडर लाकर लगाना पड़ता है। बीच में ही सिलेंडर खत्म होने पर बदलने में दिक्कत होती है। इस जीवन रक्षक प्रणाली के अभाव में रोगियों का उपचार अत्यन्त ही पीड़ा युक्त है। इस सेंट्रल मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम से गर्भवती, प्रसूता व नवजात शिशुओं के उपचार में मील का पत्थर साबित होती, परन्तु दुर्भाग्य से इन सबसे अनभिज्ञ शासन के आदेश से इस लोक हितकारी व जनकल्याणकारी योजना पर लगभग 20 माह से ग्रहण लगा कर रखा है। प्रदेश में शासन की इस प्रकार की कार्यप्रणाली से प्रदेश की जनता एवं रोगियों को असुविधा हो रही है, जिससे आम जनता में घोर रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त सेण्ट्रल मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम का शीघ्र संचालन कराया जाय।]

भदोही-मिर्जापुर सीमा पर सेमरा में व शास्त्री सेतु के पश्चिम मवैया के सामने कटान क्षेत्र पर बांध बनाकर बाढ़ से बचाव कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रत्नाकर मिश्रा-

[महोदय, जनपद मिर्जापुर भदोही सीमा पर सेमरा एवं शास्त्री सेतु के पश्चिम मवैया के सामने गंगा नदी के कटान क्षेत्र पर 200-200 मीटर बांध बनाया जाना जनहित में बहुत आवश्यक है। यहां पर बांध बना दिये जाने से लगभग 13000 हेक्टेयर से अधिक भूमि एवं काफी आबादी को बाढ़ के कटान की विभीषिका से बचाया जा सकेगा। काफी समय से यहां पर बांध बनाये जाने की मांग की जा रही है परन्तु अधिकारियों की उदासीनता के कारण अभी तक कोई सार्थक कार्यवाही न होने से क्षेत्र के आम जनमानस में आक्रोश एवं निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए भदोही मिर्जापुर सीमा पर सेमरा में व शास्त्री सेतु के पश्चिम मवैया के सामने कटान क्षेत्र पर लगभग 200-200 मीटर बांध बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद के अन्तर्गत अजनपुर इनौती से कानपुर किशन नगर भौंती तक पड़ने वाली राम गंगा सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती निर्मला संखवार-

[महोदय, आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र 205 के अंतर्गत अजनपुर इतौली से कानपुर किशन नगर भौंती तक पड़ने वाली राम गंगा की सड़क को चौड़ीकरण हेतु लोक निर्माण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विभाग को निर्देशित करने हेतु प्रस्ताव लाई हूं कि इस सड़क के चौड़ीकरण के बाद लगभग 400 गांव के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार होगा क्योंकि उनके गांव से मुख्य सड़क राम गंगा से मुख्य सड़क राम गंगा की कैनाल पटरी ही है। अतः आपके माध्यम से मेरा कहना है कि उपरोक्त कार्य को सम्पादित करने हेतु लोक निर्माण विभाग को आदेशित किया जाए।]

जनपद बिजनौर में सी0ए0ए0 एवं एन0आर0सी0 के विरोध में किये गये प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर झूठे मुकदमों से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। पूरे देश एवं प्रदेश में सी0ए0ए0 एवं एन0आर0सी0 के विरोध में प्रदर्शन हुए और चल रहे हैं। मेरे जनपद बिजनौर के थाना नगीना के अन्तर्गत कस्बा नगीना में, थाना किरतपुर के अर्न्तगत कस्बा किरतपुर में, थाना नजीबाबाद के अन्तर्गत कस्बा जलालाबाद में, थाना सदर बिजनौर के अन्तर्गत कस्बा बिजनौर में, थाना नहटौर के अन्तर्गत कस्बा नहटौर में आदि कस्बों में प्रदर्शन किये गये परन्तु इन सभी जगह पर किये गये प्रदर्शनों में पुलिस द्वारा निम्न समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में निरुद्ध किया गया।

1-जिशान पुत्र शरफराज अहमद, सदस्य, नगर कार्यकारिणी, थाना नगीना

2-पप्पू पुत्र अ0 गफूर, सदस्य, जिला कार्यकारणी, थाना नगीना

3-राशिद हुसैन, पूर्व चेयरमैन झालू एवं पूर्व जिलाध्यक्ष, थाना सदर, बिजनौर

4-शमशाद अंसारी, चेयरपर्सन पति, थाना सदर, बिजनौर

5-काजी वरीश अहमद, इमाम, जामा मस्जिद, थाना सदर, बिजनौर

6-मौ0 आरिफ पुत्र मौ0 जफर, पूर्व जिलाध्यक्ष, युवजन सभा, थाना नहटौर

7-मौ0 अनस पुत्र लईक, सदस्य, नगर कार्यकारिणी, थाना नहटौर

8-अफजाल कुरैशी पुत्र अ0 समी, सदस्य, नगर कार्यकारिणी, थाना नहटौर

9-नासिर कुरैशी पुत्र मौ0 जफर, सदस्य, नगर कार्यकारिणी, थाना नहटौर

10-आमिर पुत्र मौ0 हनीफ, सदस्य, नगर कार्यकारिणी, थाना नहटौर

11-हाफिज रताअत पुत्र जियाउद्दीन, सदस्य, नगर कार्यकारिणी, थाना नहटौर

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए निर्दोष लोगों के नाम मुकदमे से निकलवाने की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-क0नि0-2-1520/ ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि-1-2017-आदेश (66)-2019 दिनांक 20 नवम्बर, 2019†

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1520/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(66)-2019, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1527/ ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश(67)-2019, दिनांक 20 नवम्बर, 2019†

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1527/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश(67)-2019, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1529/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (68)-2019, दिनांक 20 नवम्बर, 2019†

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1529/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (68)-2019, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1665/ ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (69)-2019 दिनांक 20 नवम्बर, 2019†

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1665/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (69)-

† छापी नहीं गयी।

2019, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक विवरण वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा दिनांक 31-03-2019 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के समीक्षा अभिकथन†

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक विवरण वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा दिनांक 31-03-2019 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के समीक्षा अभिकथन को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 (2) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13†

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-176 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आज इसमें कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का प्रथम प्रतिवेदन (खण्ड-4)†

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं सभापति, लोक लेखा समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का प्रथम प्रतिवेदन (खण्ड-4), जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का द्वितीय प्रतिवेदन (खण्ड-5),

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं सभापति, लोक लेखा समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का द्वितीय प्रतिवेदन (खण्ड-5), जो भारत

† छापी नहीं गयी।

के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह याचिका श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा हस्ताक्षरित है। क्या श्री रोशन लाल वर्मा जी सदन में उपस्थित हैं ?

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आज के एजेण्डा में आगे कई माननीय सदस्यों की काफी याचिकायें निर्धारित हैं। मेरा अनुरोध है कि सभी याचिकाओं को प्रस्तुत हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

क्या हाजिरी ना ली जाये ?

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हाजिरी ना ली जाये। सभी याचिकाओं को उपस्थित किया हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आगे की सभी याचिकायें उपस्थित की हुई मानी गईं।

श्री रोशन लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-शाहजहांपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

श्री रोशन लाल वर्मा-

(1) जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-तिलहर के अन्तर्गत ग्राम मोहनपुर से ग्राम अजीजपुर डामर रोड तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूबेदार वर्मा पुत्र श्री खेमकरन लाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम रूहिला मोड़ से ग्राम मूढ़ाकली तक पक्के गड्ढायुक्त जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेशचन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(3) जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-तिलहर के अन्तर्गत ग्राम सन्तोषपुर से ग्राम ईश्वरा तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्राम पुत्र श्री कालीचरन व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट', सदस्य, विधान सभा की जनपद-मथुरा से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट'-

(1) जनपद मथुरा के ब्लाक बल्देव के वि0स0 बल्देव में एक तकनीकी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) जनपद मथुरा के ब्लाक बल्देव में एक निरीक्षण भवन (डाक बंगला) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मानवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

श्री संजय सिंह गंगवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद-पीलीभीत से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

श्री संजय सिंह गंगवार-

(1) जनपद पीलीभीत में ब्लाक ललौरीखेड़ा के ग्राम सैजना से ग्राम अढ़ासई तक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद पीलीभीत में रिछा रोड से निजाम डांडी, अजीत डांडी होते हुए बरेली बार्डर तक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री लालता प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(3) जनपद पीलीभीत में ललौरीखेड़ा के ग्राम आलम डांडी से ग्राम रहपुरा तक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री होरीलाल व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

श्री सुखदेव राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुखदेव राजभर-

जनपद-हरदोई के विकास खण्ड भरावन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत साण्डा दखिलौल में स्थित अंजली धर्मकांटा से ग्राम गड़रिया खेड़ा होते हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय साण्डा दखिलौल तक ऊबड़ खाबड़ कच्चे मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामखेलावन व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

श्री आजाद अरिमर्दन, सदस्य, विधान सभा की जनपद-आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री आजाद अरिमर्दन-

जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-351, लालगंज के अन्तर्गत महिला चिकित्सालय केन्द्र कटघर को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में मो0 सुफियान व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय-

जनपद-गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड वजीरगंज के ग्राम पंचायत परसिया के तरबगंज नवाबगंज मार्ग से नयपुर सम्पर्क मार्ग डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीनिवास पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका

श्री मूलचन्द्र सिंह-

जनपद-जालौन के तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत सिंध नदी पर (ग्राम सिद्धपुरा वि0ख0 रामपुरा) पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूपेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

प्रिंस वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका

प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 131, कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड कलान के ग्राम पंचायत कुड़रिया के मजरा ग्राम नौगवां व बोजी में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र प्रताप विक्रम पुत्र श्री राम प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

श्री लाल बहादुर, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका†

श्री लाल बहादुर-

जनपद-कौशाम्बी के ग्राम पंचायत कोशम इनाम से पाली उपरहार गांव तक मार्ग का नवीनीकरण/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बेनीसरन व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

श्री राहुल प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मीरजापुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राहुल प्रकाश-

जनपद-मीरजापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे में बंधे का उच्चीकरण/नाली निर्माण/लाइनिंग पिचिंग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदित व अन्य निवासीगण जनपद मीरजापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गाजियाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुनील कुमार शर्मा-

जनपद-गाजियाबाद के नगर निगम के मोहन नगर जोन में शुद्ध पेयजल/गंगाजल की आपूर्ति के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभूषण अर्थला व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

जनपद-बस्ती के विकास क्षेत्र रामनगर में शुद्ध पेयजल हेतु सरकार द्वारा लगाये गये आर0ओ0 प्लांट की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

श्री अबरार अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अबरार अहमद-

जनपद-कानपुर नगर के आवास विकास हंसपुरम, नौबस्ता, कानपुर नगर में आवास संख्या बी-628 से बी-660 तक लगभग 100 मी0 सड़क तथा नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीप चन्द्र दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्री अनिल सिंह-

(1) जनपद उन्नाव के भगवन्त नगर विधान सभा क्षेत्र में पुरवा से अचलगंज मार्ग तक मरम्मत व चौड़ीकरण के सम्बन्ध में श्री आशीष शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) जनपद उन्नाव के भगवन्त नगर विधान सभा क्षेत्र में पुरवा से बीघापुर मार्ग तक सड़क की मरम्मत व चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमेश प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मथुरा से सम्बन्धित दो याचिकाएं

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

(1) जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में श्री अरविन्द शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) जनपद मथुरा के यमुना नदी पर मांट बाबूगढ़ में पैण्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

श्री गौरीशंकर वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जालौन से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्री गौरीशंकर वर्मा-

(1) जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र-221 उरई के तहसील उरई अन्तर्गत उरई नगर में इंजीनियरिंग कालेज स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

---

† छापी नहीं गयी।

(2) जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र-221 उरई के विकास खण्ड डकोर के अन्तर्गत उरई राठ मार्ग पर मुहाना सेतु निगम द्वारा बने पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत व अन्य निवासीगण जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

डॉ0 मुकेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-फिरोजाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

डॉ0 मुकेश वर्मा-

(1) जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम लालऊ की ठार में सुखवीर की ठार से लाल सिंह पुत्र श्री पट्टीदार के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखवीर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम तोतलपुर में लाखन सिंह के घर से गिरीश के घर तक सम्पर्क मार्ग की सी0सी0/इण्टरलाकिंग व दोनों तरफ नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामनिवास व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम सुन्दर का पुरा में सुन्दरपुरा सम्पर्क मार्ग से पानी की टंकी होते हुए रुमान सिंह के घर तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री हरी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम बसई मुहम्मदपुर में सरकारी हास्पिटल से मनोज बघेल के घर तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मनोज बघेल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(5) जनपद फिरोजाबाद की सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम उस्मानपुर तिराहे से कबीरपुरा स्कूल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

श्री काली प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद-देवरिया से सम्बन्धित तीन याचिकाएं

श्री काली प्रसाद-

(1) जनपद देवरिया के विकास खण्ड सलेमपुर के डुमवलिया में राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दयाशंकर तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

(2) जनपद देवरिया के विकास खण्ड लार के सहजौर चौराहे से मां सुकली देवी इण्टर कालेज सहजौर तक पिच सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री बृजेश दुबे व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(3) जनपद देवरिया के विकास खण्ड सलेमपुर के बरट्ठी चौराहे से सलेमपुर तक पिच सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटेलाल गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद-अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं

श्री राम अचल राजभर-

(1) जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा अमृतल से ग्राम लोहरा तक जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जग्गीलाल व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा अटंगी ब्राहिमपुर से शिवराम पाठक के आवास तक जर्जर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल वर्मा प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(3) जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा कटुई जोरियन से पहाड़पुर तक जर्जर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री काशीराम यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

डा0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद-प्रयागराज से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

डा0 जमुना प्रसाद सरोज-

(1) जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोंराव में अग्नि शमन केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री हीरा लाल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोंराव में जर्जर सड़कों की मरम्मत/पुनः निर्माण/नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदय राज पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री बृज भूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, सदस्य, विधान सभा की जनपद-महोबा से सम्बन्धित दो याचिकाएं

श्री बृज भूषण राजपूत-

(1) जनपद महोबा के अन्तर्गत भगवान राधाकृष्ण मंदिर के रख-रखाव करने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप भटनागर व अन्य निवासीगण जनपद महोबा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) जनपद महोबा के कस्बा चरखारी में पानी की टंकी के निर्माण के सम्बन्ध में श्री कुलदीप भटनागर व अन्य निवासीगण जनपद महोबा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गोण्डा से सम्बन्धित दो याचिकाएं

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

(1) जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड के बभनजोत के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खरही भारी से राघव बस्ती होते हुए अलीपुर सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुवंश बहादुर व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड के बभनजोत के अन्तर्गत सादुल्लानगर से चन्द्र दीप मार्ग के चौड़ीकरण/उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बसन्त गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

डॉ0 अनीता लोधी राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं

डॉ0 अनीता लोधी राजपूत-

(1) जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत औरंगाबाद कसेर, तहसील डिबाई में औरंगाबाद कसेर से तुलसी नंगला तक लगभग 2 कि0मी0 सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फिरोजबानो व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ब्लाक डिबाई के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल सतोहा से गोधना रोड तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दियोरऊ, ब्लाक तहसील डिबाई में सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत ग्राम खरिकवारी में चॉदपुर खेड़ा से खरिकवारी काली तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री लोकेन्द्र कुमार राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(5) जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नंगला किढ़ा मजरा दौलतपुर खुर्द में राजपाल सिंह के प्लाट से प्रताप के घर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री सुमन देवी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-रायबरेली से सम्बन्धित याचिका

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह-

जनपद-रायबरेली के ग्राम चौदहमील से नरसवा ग्राम के मध्य नाला पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मेवालाल साहू व अन्य निवासीगण जनपद-रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित मानी गई।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-59, 60, 61 में आज कुछ नहीं है। मद संख्या-62 और 63 पहले ली जा चुकी हैं।

अब हम नियम-51 लेते हैं। आज नियम-51 में हाजिरी होगी कि नहीं होगी।

श्री साकेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, होगी।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा होगी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 19-02-2020 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 68 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के अन्तर्गत भगवन्तनगर क्षेत्र के कस्बा बीघापुर में 100 शैय्या के अस्पताल के निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ स्थित टिकैत राय तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री भूपेश चौबे की जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज नगर पालिका में पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की स्वास्थ्य महानिदेशालय लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में अधूरे निर्मित विद्यालय भवन का

निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री प्रेमसागर पटेल की जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत नेपाल बार्डर से भारी मात्रा में हो रही मटर की तस्करी रोके जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में डलमऊ पम्प कैनाल में पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री विजय कुमार राजभर की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी में सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री विपिन कुमार 'डेविड' की उत्तर प्रदेश में विमुक्त घुमन्तू जनजातियों के विकास हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद लखनऊ में चकगंजरिया स्थित कैंसर संस्थान को विश्वस्तरीय स्वरूप प्रदान करने के साथ समस्त सेवायें प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद के ईमानदार उप जिलाधिकारी के विरुद्ध की गई गलत जांच की न्यायिक जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल 'कैलाश डेरी वाले' की जनपद मेरठ नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत निगम की सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जे से उत्पन्न विषम परिस्थितियों एवं समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री गौरी शंकर वर्मा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत डेरी माइनर को गहरा एवं चौड़ा किये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना डॉ0 अनीता लोधी राजपूत की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पंद्रहवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत कतिपय अनियमितताओं के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। सत्रहवीं सूचना श्री किशन लाल राजपूत की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत ग्राम टांडा में लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। अट्ठारहवीं सूचना श्री योगेश धामा की जनपद बागपत के जनता वैदिक कालेज में प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव पद से हटाये जाने के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री कमलेश शुक्ल की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। बीसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में पशु अस्पताल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। इक्कीसवीं सूचना श्री प्रभुनारायण सिंह यादव की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत इन्दिरानगर में बिजली के पोल लगवाये जाने एवं जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। बाइसवीं सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की जनपद महाराजगंज के नौतनवा में बुद्ध कालीन तालाब व अन्य धरोहरों का विकास कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेइसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान

सभा क्षेत्र अकबरपुर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौबिसवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की विद्युत परिषद् इण्टर कालेज टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है। पच्चीसवीं सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत कतिपय पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत रि-बोर की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है। छब्बीसवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में तहसील की स्थायी बिल्डिंग बनाये जाने के सम्बन्ध में है। सत्ताइसवीं सूचना डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में कतिपय निर्माण कार्यों में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है। अट्ठाइसवीं सूचना श्री नितिन अग्रवाल की जनपद हरदोई की विधान सभा क्षेत्र 156, हरदोई सदर के अन्तर्गत कतिपय सड़कों की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। उन्तीसवीं सूचना श्री सुशील कुमार शाक्य की जनपद फर्रुखाबाद स्थित नवीन मण्डी स्थल सातनपुर तथा मोहम्मदाबाद मण्डी के मण्डी सचिव श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा अपने कार्यकाल में किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा नगीना में रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में है। इक्तीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बलदेव के अन्तर्गत यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। बत्तीसवीं सूचना श्री मूलचन्द्र सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। तैंतीसवीं सूचना श्री विकास गुप्ता की जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत ग्राम पुरबुजुर्ग में पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौंतीसवीं सूचना श्री सोबरन सिंह यादव की जनपद मैनपुरी की तहसील करहल में सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। पैंतीसवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय में अशिक्षित शिक्षामित्र के सम्बन्ध में है। छत्तीसवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज स्थित राजकीय इण्टर कालेज का नाम परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में है। सैंतीसवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र करछना में उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। अड़तीसवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे में कोटाघाट पुल निर्माण में की गई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। उन्तालीसवीं सूचना श्री रत्नाकर मिश्र की जनपद मिर्जापुर के कोन ब्लाक अन्तर्गत ग्राम सभा जगापट्टी भदोही जिले के खमरिया नगर पालिका का गन्दा पानी रोके जाने के सम्बन्ध में है तथा चालीसवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में फायर ब्रिगेड की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। ।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

1-श्री जवाहर लाल राजपूत
2-श्री राम कृष्ण भार्गव
3-श्री सत्यवीर त्यागी
4-श्री कारिंदा सिंह
5-श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी
6-डॉ0 अरुण कुमार
7-डॉ0 मंजू शिवाच
8-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ
9-प्रो0 श्याम बिहारी लाल
10-श्रीमती मंजू त्यागी
11-ठा0 दलवीर सिंह
12-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'
13-श्री नरेश सैनी
14-श्री मसूद अख्तर
15-श्री अवस्थी बाला प्रसाद
16-श्री वीरेन्द्र यादव
17-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट
18-डॉ0 हरगोविन्द भार्गव
19-श्री मो0 मुज्तबा सिद्दीकी
20-श्री पारसनाथ यादव
21-श्रीमती निर्मला संखवार
22-डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल
23-श्रीमती मनीषा अनुरागी
24-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान
25-श्री असलम अली
26-श्री हरीराम चेरो
27-श्री बम्बालाल
28-डॉ0 डी0सी0 वर्मा

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। दिनांक 24 फरवरी, 2020 सोमवार पूर्वाहन 11:00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 08 मिनट पर सोमवार 24 फरवरी, 2020 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 19 फरवरी, 2020

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थियां

नत्थी 'क'

(तारांकित प्रश्न सं0-08 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-29 पर)

शैक्षणिक सत्र 2017–18 में एम0डी0/एम0एस0 की सीट का विवरण।

क0सं0	मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम	स्टेट कोटे के अन्तर्गत सीटों का विवरण	अन्य पिछड़ा के अभ्यर्थियों को आवंटित सीटों का विवरण।
1.	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर	46	शासन के कार्मिक अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–1/1/2001–कार्मिक–2, दिनांक–25 जून, 2002 द्वारा रोस्टर प्रणाली लागू की गयी है और उक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 3,7,9,13,17,19 इसी प्रकार अगला कम लेते हुए आरक्षण दिया गया है। इस प्रकार ओ0बी0सी0 वर्ग में आरक्षण पूर्ण है। स्नातकोत्तर सीटों पर आरक्षण विशिष्टतावार दी गयी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत कुल 112 सीटों पर आवंटन किया गया।
2.	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, प्रयागराज	47	
3.	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा	43	
4.	एल0एल0आर0एम0मेडिकल कालेज, मेरठ	28	
5.	एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झांसी	32	
6.	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर	36	
7	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	103	
8.	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई	41	
9	मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, आगरा	4	
10	क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, सीतापुर	8	
11	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	16	
12	एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ	11	
	कुल योग–	415	

शैक्षणिक सत्र 2018–19 में एम0डी0/एम0एस0 की सीट का विवरण।

क0सं0	मेडिकल कालेज/ संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम	स्टेट कोटे के अन्तर्गत सीटों का विवरण।	अन्य पिछड़ा के अभ्यर्थियों को आवंटित सीटों का विवरण।
1.	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर	46	शासन के कार्मिक अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–1/1/2001–कार्मिक–2, दिनांक–25 जून, 2002 द्वारा रोस्टर प्रणाली लागू की गयी है और उक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 3,7,9,13,17,19 इसी प्रकार अगला कम लेते हुए आरक्षण दिया गया है। इस प्रकार ओ0बी0सी0 वर्ग में आरक्षण पूर्ण है। स्नातकोत्तर सीटों पर आरक्षण विशिष्टतावार दी गयी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत कुल 111 सीटों पर आवंटन किया गया।
2.	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, प्रयागराज	47	
3.	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा	43	
4.	एल0एल0आर0एम0मेडिकल कालेज, मेरठ	28	
5.	एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झांसी	32	
6.	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर	36	
7	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	102	
8.	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई	40	
9	मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, आगरा	4	
10	क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, सीतापुर	8	
11	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	15	
12	एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ	11	
	कुल योग–	**412**	

शैक्षणिक सत्र 2019–20 में एम0डी0/एम0एस0 की सीट का विवरण।

क0सं0	मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम	स्टेट कोटे की सीटें	अन्य पिछड़ा के अभ्यर्थियों को आवंटित सीटों का विवरण।
1.	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर	46	शासन के कार्मिक अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–1/1/2001–कार्मिक–2, दिनांक–25 जून, 2002 द्वारा रोस्टर प्रणाली लागू की गयी है और उक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 3,7,9,13,17,19 इसी प्रकार अगला कम लेते हुए आरक्षण दिया गया है। इस प्रकार ओ0बी0सी0 वर्ग में आरक्षण पूर्ण है। स्नातकोत्तर सीटों पर आरक्षण विशिष्टतावार दी गयी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत कुल 124 सीटों पर आवंटन किया गया।
2.	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, प्रयागराज	49	
3.	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा	43	
4.	एल0एल0आर0एम0मेडिकल कालेज, मेरठ	28	
5.	एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झांसी	30	
6.	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर	35	
7	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	137	
8	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई	41	
9	मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, आगरा	4	
10	क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, सीतापुर	8	
11	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	16	
12	एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ	20	
	कुल योग–	**457**	

शैक्षणिक सत्र 2017–18 में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों का विवरण।

क0 सं0	संस्था का नाम	स्टेट कोटा	ओ0बी0सी0 वर्ग के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों की संख्या
1–	के0जी0एम0यू0, लखनऊ	210	57
2–	मेडिकल कालेज, कानपुर	159	43
3–	मेडिकल कालेज, आगरा	125	34
4–	मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	125	34
5–	मेडिकल कालेज, मेरठ	125	33
6–	मेडिकल कालेज, झाँसी	82	22
7–	मेडिकल कालेज, गोरखपुर	82	22
8–	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	127	34
9–	मेडिकल कालेज, अम्बेड़करनगर	85	11
10–	मेडिकल कालेज, कन्नौज	85	11
11–	मेडिकल कालेज, जालौन	85	11
12–	मेडिकल कालेज, आजमगढ़	85	23
13–	मेडिकल कालेज, सहारनपुर	85	11
14–	मेडिकल कालेज, बाँदा	85	23
15–	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	128	34
	कुल योग : –	**1673**	403

शैक्षणिक सत्र 2018–19 में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों का विवरण।

क0 सं0	संस्था का नाम	स्टेट कोटा	ओ0बी0सी0 वर्ग के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों की संख्या
1–	मेडिकल कालेज, आगरा	124	33
2–	मेडिकल कालेज, कानपुर	159	43
3–	मेडिकल कालेज, प्रयागराज	124	33
4–	मेडिकल कालेज, मेरठ	124	34
5–	मेडिकल कालेज, झाँसी	82	22
6–	मेडिकल कालेज, गोरखपुर	82	22
7–	मेडिकल कालेज, आजमगढ़	85	23
8–	मेडिकल कालेज, कन्नौज	85	11
9–	मेडिकल कालेज, जालौन	85	11
10–	मेडिकल कालेज, अम्बेड़करनगर	85	11
11–	मेडिकल कालेज, सहारनपुर	85	11
12–	मेडिकल कालेज, बाँदा	85	23
13–	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ	127	34
14–	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	128	35
15–	के0जी0एम0यू0, लखनऊ	210	57
	कुल योग : –	1670	403

शैक्षणिक सत्र 2019–20 में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों का विवरण।

क0 सं0	संस्था का नाम	स्टेट कोटा	ओ0बी0सी0 वर्ग के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों की संख्या
1	के0जी0एम0यू0, लखनऊ	210	57
2	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,सैफई, इटावा	153	41
3	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	153	41
4	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोयडा	85	23
5	मेडिकल कालेज, आगरा	107	29
6	मेडिकल कालेज, कानपुर	210	57
7	मेडिकल कालेज, प्रयागराज	150	40
8	मेडिकल कालेज, मेरठ	82	22
9	मेडिकल कालेज, झाँसी	103	28
10	मेडिकल कालेज, गोरखपुर	103	28
11	मेडिकल कालेज, कन्नौज	85	11
12	मेडिकल कालेज, जालौन	0	0
13	मेडिकल कालेज, अम्बेड़करनगर	85	11
14	मेडिकल कालेज, आजमगढ़	0	0
15	मेडिकल कालेज, बाँदा	0	0
16	मेडिकल कालेज, सहारनपुर	85	11
17	मेडिकल कालेज, बदायूँ	85	23
18	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या	85	23
19	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती	85	23
20	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच	85	23
21	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद	85	23
22	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहाँपुर	85	23
	कुल योग :–	2121	537

नत्थी 'ख'

(तारांकित प्रश्न सं0-09 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-33 पर)

वित्तीय वर्ष 2015-16 में वन एवं वन्यजीव विभाग एवं अन्य राजकीय विभागों द्वारा कराये गये वृक्षारोपण का प्रगति विवरण

क्र० सं०	जनपद प्रभाग का नाम	वन एवं वन्यजीव विभाग	अन्य राजकीय विभाग
1	2	3	4
1	मेरठ	222210	431202
2	बागपत	63100	191844
3	गाजियाबाद	46670	524030
4	हापुड़	65725	92009
5	गौतमबुद्ध नगर	111606	637768
6	बुलन्दशहर	190751	405942
	मेरठ मण्डल	**700062**	**2282795**
7	सहारनपुर	6500	293412
	शिवालिक	701713	——
8	मुजफ्फरनगर	293750	417922
9	शामली	188375	136965
	सहारनपुर मण्डल	**1190338**	**848299**
10	आगरा	630546	185339
	चम्बल पशु विहार	111800	——
11	मैनपुरी	377460	274694
12	मथुरा	262032	200918
13	फिरोजाबाद	263643	320300
	आगरा मण्डल	**1645481**	**981251**
14	अलीगढ़	160500	254217
15	हाथरस	180172	100438
16	एटा	131775	147267
17	कासगंज	110455	141535
	अलीगढ़ मण्डल	**582902**	**643457**
18	मुरादाबाद	63750	297746
19	संभल	62500	218823
20	रामपुर	97810	405743
21	अमरोहा	338439	246455
22	बिजनौर सा0वा0	147700	339238
	नजीबाबाद	327875	——
	मुरादाबाद मण्डल	**1038074**	**1508005**
23	बरेली	230584	271446
24	बदायूं	475113	217384
25	पीलीभीत सा0वा0	82900	210794
	पीलीभीत (उ0 खीरी)	110000	——
26	शाहजहांपुर	368135	832425
	बरेली मण्डल	**1266732**	**1532049**

C:\Users\Owner\Desktop\Plantation 2015-15 & 2016-17

(संजय सिंह)
सचिव,
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

क्र० सं०	जनपद प्रभाग का नाम	वन एवं वन्यजीव विभाग	अन्य राजकीय विभाग
1	2	3	4
27	प्रयागराज	1125529	386012
28	कौशाम्बी	77820	164464
29	फतेहपुर	157398	166566
30	प्रतापगढ.	124080	283217
	प्रयागराज मण्डल	**1484827**	**1000259**
31	वाराणसी	160223	158317
32	चन्दौली	1328400	117591
33	गाजीपुर	217530	322054
34	जौनपुर	332601	484006
	वाराणसी मण्डल	**2038754**	**1081968**
35	संतरविदासनगर	64079	107680
36	मिर्जापुर	1524921	114183
	कैमूर वन्यजीव विहार	163900	——
37	सोनभद्र	868435	357851
	कैमूर वन्यजीव	586500	——
	रेनूकूट	1480600	——
	ओबरा	1089260	——
	मिर्जापुर मण्डल	**5777695**	**579714**
38	गोरखपुर	513650	263567
39	महाराजगंज (गोरखपुर पार्ट)	295200	——
	महाराजगंज (सोहागीबरवा पार्ट)	21393	247460
40	देवरिया	488260	298818
41	पडरौना(कुशीनगर)	326000	363541
	गोरखपुर मण्डल	**1644503**	**1173386**
42	बस्ती	292776	162716
43	संतकवीरनगर	152150	184893
44	सिद्धार्थनगर	320120	229438
	बस्ती मण्डल	**765046**	**577047**
45	आजमगढ	357547	220931
46	मऊ	190651	338534
47	बलिया	442484	294715
	आजमगढ मण्डल	**990682**	**854180**
48	लखनऊ	937734	367878
49	रायबरेली	1251318	174797
50	हरदोई	373864	255286
51	उन्नाव	861563	265016
52	सीतापुर	507673	303085

C:\Users\Owner\Desktop\Plantation 2015-15 & 2016-17

(संजय सिंह)
सचिव,
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

क्र० सं०	जनपद प्रभाग का नाम	वन एवं वन्यजीव विभाग	अन्य राजकीय विभाग
1	2	3	4
53	उ0 खीरी	770504	262119
	दक्षिण खीरी	341260	——
	लखनऊ मण्डल	**5043916**	**1628181**
54	अयोध्या	194635	160357
55	अम्बेडकर नगर	558425	148170
56	सुल्तानपुर	253050	220637
57	बाराबंकी	421109	220881
58	अमेठी	400603	255850
	अयोध्या मण्डल	**1827822**	**1005895**
59	गोण्डा	359425	164066
60	बलरामपुर (गोण्डा)	154915	117418
	बलरामपुर (सो0व0जी0)	16250	——
61	श्रावस्ती	950500	147706
62	बहराइच	550568	349068
	कतरनियाघाट	5063	——
	देवीपाटन मण्डल	**2036721**	**778258**
63	कानपुर नगर	281545	355213
64	कानपुर देहात	423638	235946
65	फर्रुखाबाद	161595	97315
66	कन्नौज	366366	121473
67	इटावा	995925	129241
68	औरैया	372573	150125
	कानपुर मण्डल	**2601642**	**1089313**
69	झांसी	1021947	201391
70	ललितपुर	1988800	273241
71	जालौन	752043	178203
	झांसी मण्डल	**3762790**	**652835**
72	हमीरपुर	1216371	136284
73	महोबा	619531	97949
74	बांदा	195195	459118
75	चित्रकूट	1773610	288385
	कैमूर वन्यजीव	138600	——
	चित्रकूट मण्डल	3943307	981736
	कुल योगः-	38341294	19198628

(संजय सिंह)
सचिव,
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

C:\Users\Owner\Desktop\Plantation 2015-15 & 2016-17

वितीय वर्ष 2016-17 में वन एवं वन्यजीव विभाग एवं अन्य राजकीय विभागों द्वारा कराये गये वृक्षारोपण का प्रगति विवरण

क्र० सं०	जनपद प्रभाग का नाम	वन एवं वन्यजीव विभाग	अन्य राजकीय विभाग
1	2	3	4
1	मेरठ	285700	60150
2	बागपत	127524	62932
3	गाजियाबाद	81210	248665
4	हापुड़	142500	88517
5	गौतमबुद्ध नगर	142050	481152
6	बुलन्दशहर	326799	185916
	मेरठ मण्डल	**1105783**	**1127332**
7	सहारनपुर	30250	188011
	शिवालिक	951000	——
8	मुजफ्फरनगर	520000	150736
9	शामली	295250	61063
	सहारनपुर मण्डल	**1796500**	**399810**
10	आगरा	670803	0
	चम्बल पशु विहार		——
11	मैनपुरी	772700	97780
12	मथुरा	260450	108661
13	फिरोजाबाद	286218	97544
	आगरा मण्डल	**1990171**	**303985**
14	अलीगढ.	355420	157492
15	हाथरस	408606	78297
16	एटा	384425	164023
17	कासगंज	300725	92323
	अलीगढ मण्डल	**1449176**	**492135**
18	मुरादाबाद	190125	127349
19	संभल	89425	113804
20	रामपुर	291472	162799
21	अमरोहा	590300	195788
22	बिजनौर सा0वा0	240013	158438
	नजीबाबाद	649050	——
	मुरादाबाद मण्डल	**2050385**	**758178**
23	बरेली	255301	221427
24	बदायूं	637000	148155
25	पीलीभीत सा0वा0	82515	144549
	पीलीभीत (उ0 खीरी)	217003	——
26	शाहजहांपुर	700954	153942
	बरेली मण्डल	**1892773**	**668073**

C:\Users\Owner\Desktop\Plantation 2015-15 & 2016-17

(राजेश सिंह)
सचिव,
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

क्र० सं०	जनपद प्रभाग का नाम	वन एवं वन्यजीव विभाग	अन्य राजकीय विभाग
1	2	3	4
27	प्रयागराज	650202	235382
28	कौशाम्बी	292426	50850
29	फतेहपुर	315408	272617
30	प्रतापगढ.	308525	173175
	प्रयागराज मण्डल	**1566561**	**732024**
31	वाराणसी	206425	169159
32	चन्दौली	961225	108399
33	गाजीपुर	275725	200237
34	जौनपुर	533415	255651
	वाराणसी मण्डल	**1976790**	**733446**
35	संतरविदासनगर	88500	121546
36	मिर्जापुर	1215772	98484
	कैमूर वन्यजीव विहार	350000	——
37	सोनभद्र	905021	199226
	कैमूर वन्यजीव	131500	——
	रेनूकूट	1010166	——
	ओबरा	1020000	——
	मिर्जापुर मण्डल	**4720959**	**419256**
38	गोरखपुर	792575	261000
39	महाराजगंज (गोरखपुर पार्ट)	477500	——
	महाराजगंज (सोहागीबरवा पार्ट)	151400	197195
40	देवरिया	685462	177823
41	पडरौना(कुशीनगर)	466125	176870
	गोरखपुर मण्डल	**2573062**	**812888**
42	बस्ती	568398	95238
43	संतकवीरनगर	275296	56097
44	सिद्धार्थनगर	607739	158973
	बस्ती मण्डल	**1451433**	**310308**
45	आजमगढ	565425	107881
46	मऊ	392798	72617
47	बलिया	545114	134659
	आजमगढ मण्डल	**1503337**	**315157**
48	लखनऊ	1310335	119794
49	रायबरेली	1020119	187220
50	हरदोई	874968	200673
51	उन्नाव	2242125	——
52	सीतापुर	852150	183891

C:\Users\Owner\Desktop\Plantation 2016-15 & 2016-17

(संजय सिंह)
सचिव,
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

क्र० सं०	जनपद प्रभाग का नाम	वन एवं वन्यजीव विभाग	अन्य राजकीय विभाग
1	2	3	4
53	उ0 खीरी	751625	——
	दक्षिण खीरी	480975	146143
	लखनऊ मण्डल	**7532297**	**837721**
54	अयोध्या	930314	139277
55	अम्बेडकर नगर	810170	130598
56	सुल्तानपुर	730528	277518
57	बाराबंकी	912091	157894
58	अमेठी	800070	254895
	अयोध्या मण्डल	**4183173**	**960182**
59	गोण्डा	819050	190813
60	बलरामपुर (गोण्डा)		——
	बलरामपुर (सो0व0जी0)	121575	138423
61	श्रावस्ती	1260375	77509
62	बहराइच	840009	113617
	कतरनियाघाट		
	देवीपाटन मण्डल	**3041009**	**520362**
63	कानपुर नगर	551928	239711
64	कानपुर देहात	611806	123079
65	फर्रुखाबाद	167750	95542
66	कन्नौज	729129	102177
67	इटावा	1225100	91975
68	औरैया	430600	95678
	कानपुर मण्डल	**3716313**	**748162**
69	झांसी	1279650	64367
70	ललितपुर	1783283	76803
71	जालौन	1169300	——
	झांसी मण्डल	**4232233**	**141170**
72	हमीरपुर	1274000	22072
73	महोबा	823625	105381
74	बांदा	528250	217006
75	चित्रकूट	1338532	272450
	कैमूर वन्यजीव	100000	——
	चित्रकूट मण्डल	**4064407**	**616909**
	कुल योगः-	**50846362**	**10897098**

(संजय सिंह)
सचिव,
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

C:\Users\Owner\Desktop\Plantation 2015-15 & 2016-17

नत्थी 'ग'

(अतारांकित प्रश्न सं0-65 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-74 पर)

वर्ष 2015 में आधुनिक पशुवधशाला, कुबेरपुर, नगर निगम, आगरा में मॉस उत्पादन का विवरण।

माह	कुल उत्पादन (कि0ग्रा0)	घरेलू/स्थानीय खपत (कि0ग्रा0)	कम्पनी (कि0ग्रा0)
जनवरी	540750	308875	231875
फरवरी	603750	324450	279300
मार्च	582750	338800	243950
अप्रैल	674450	365750	308700
मई	666750	387450	279300
जून	341250	255500	85750
जुलाई	543200	313075	230125
अगस्त	586600	339325	247275
सितम्बर	595000	328300	266700
अक्टूबर	582750	347025	235725
नवम्बर	578375	324450	253925
दिसम्बर	642250	356475	285775

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
आगरा

M/s Frigorifico Allana Pvt.Ltd.
Agra Nagar Nigam
Modern Slaughter House
Chhalesar, Kuberpur
Agra-282 006
GSTIN NO. 09AAACF0861F1ZW

वर्ष 2016 में आधुनिक पशुवधशाला, कुबेरपुर, नगर निगम, आगरा में मॉस उत्पादन का विवरण।

माह	कुल उत्पादन (कि0ग्रा0)	घरेलू/स्थानीय खपत (कि0ग्रा0)	कम्पनी (कि0ग्रा0)
जनवरी	582750	308350	274400
फरवरी	562625	326025	236600
मार्च	555625	339500	216125
अप्रैल	533750	341775	191975
मई	597975	320950	277025
जून	581350	308350	273000
जुलाई	584500	321300	263200
अगस्त	578025	338100	239925
सितम्बर	532525	322000	210525
अक्टूबर	574700	311850	262850
नवम्बर	494375	347025	147350
दिसम्बर	433125	310450	122675

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
आगरा

M/s Frigorifico Allana Pvt Ltd.
Agra Nagar Nigam
Modern Slaughter House
Ghihalosar, Kuberpur
Agra-282 006
GSTIN NO. 09AAACF0861F1ZW

वर्ष 2017 में आधुनिक पशुवधशाला, कुबेरपुर, नगर निगम, आगरा में मॉस उत्पादन का विवरण।

माह	कुल उत्पादन (कि0ग्रा0)	घरेलू/स्थानीय खपत (कि0ग्रा0)	कम्पनी (कि0ग्रा0)
जनवरी	437500	305025	132475
फरवरी	420000	319725	739725
मार्च	533750	344225	344225
अप्रैल	647500	359275	288225
मई	682500	368900	313600
जून	663075	387450	275625
जुलाई	761250	428925	332325
अगस्त	674450	328650	345800
सितम्बर	663250	364000	299250
अक्टूबर	675500	327250	348250
नवम्बर	620025	357000	263025
दिसम्बर	348075	259875	88200

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
आगरा

M/s Frigorifico Allana Pvt.Ltd.
Agra Nagar Nigam
Modern Slaughter House
Chhalesar, Kuberpur
Agra-282 005
GSTIN NO 09AAACF1961F1ZW

वर्ष 2018 में आधुनिक पशुवधशाला, कुबेरपुर, नगर निगम, आगरा में मॉस उत्पादन का विवरण।

माह	कुल उत्पादन (कि0ग्रा0)	घरेलू/स्थानीय खपत (कि0ग्रा0)	कम्पनी (कि0ग्रा0)
जनवरी	676550	357000	319550
फरवरी	338625	278775	59850
मार्च	584500	345275	239225
अप्रैल	659750	330750	329000
मई	659750	339500	320250
जून	590625	352450	238175
जुलाई	575400	338625	236775
अगस्त	529900	326200	203700
सितम्बर	504000	337050	166950
अक्टूबर	525700	353150	172550
नवम्बर	476000	338800	137200
दिसम्बर	361200	251825	109375

मुख्य मेडिकल अधिकारी
आगरा

M/s Frigorifico Allana Pvt.Ltd.
Agra Nagar Nigam
Modern Slaughter House
Chhalesar, Kuberpur
Agra-282 006
GSTIN NO 09AAACF0441F1ZW

वर्ष 2019 में आधुनिक पशुवधशाला, कुबेरपुर, नगर निगम, आगरा में मॉस उत्पादन का विवरण।

माह	कुल उत्पादन (कि0ग्रा0)	घरेलू/स्थानीय खपत (कि0ग्रा0)	कम्पनी (कि0ग्रा0)
जनवरी	537075	339500	197575
फरवरी	550900	320600	230300
मार्च	580125	305550	274575
अप्रैल	576275	355250	221025
मई	517650	323575	194075
जून	544600	344750	199850
जुलाई	664650	326375	338275
अगस्त	556850	346150	210700
सितम्बर	569975	326900	243075
अक्टूबर	657125	338625	318500
नवम्बर	638750	331800	306950
दिसम्बर	673050	337050	336000

M/s Frigorifico Allana Pvt.Ltd
Agra Nagar Nigam
Modern Slaughter House
Chhalesar, Kuberpur
Agra-282 006
GSTIN NO. 09AAACF0381F1ZY

नत्थी 'घ'

(अतारांकित प्रश्न सं0-66 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-74 पर)

वर्ष 2015 में लेवी सहित ट्रेवलिंग फिटनेस सर्टिफिकेट का विवरण।

माह	टी0एफ0सी0 हेतु लेवी का भुगतान	कुल पशुओं की संख्या	घरेलू/स्थानीय खपत	कम्पनी/निर्यात	वाहन संख्या
जनवरी	46350	3090	1765	1325	UP75M4989,UP84T8176,UP80AZ9980,MP06GA2703,UP809233,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,UP757710,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,RJ111004,UP80BT1249,UP80BT9948,UP83ET4349,UP80AZ9980,UP801032,RJ117587
फरवरी	51750	3450	1854	1596	UP84T8176,UP80BT0752,MP06GA2703,UP75M4989UP80ET0729,UP83BT9051,UP80BT7192,UP801597MP06GA2703,UP80BT6375,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,MP06GA2706,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,MP06GA2703,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192RJ111004,UP85AT3702,MP06GA2703,UP757710,UP83ET4349
मार्च	49950	3330	1936	1394	UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA2703,UP80BT9948
अप्रैल	57810	3854	2090	1764	UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA2703,UP80BT9948
मई	57150	3810	2214	1596	RJ111004,UP809233,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA 2703,UP83BT3733
जून	29250	1950	1460	490	UP806705,MP06GA2703,UP83BT9051,UP83T6630,UP809233,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA 2703,UP83BT3733,RJ111004,MP062584,UP83ET4349
जुलाई	46560	3104	1789	1315	UP75M4989,UP84T8176,UP80AZ9980,MP06GA2703,UP809233,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,UP757710,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,RJ111004,UP80BT1249,UP80BT9948,UP83ET4349,UP80AZ9980,UP801032,RJ117587
अगस्त	50280	3352	1939	1413	RJ111004,UP809233,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA 2703,UP83BT3733
सितम्बर	51000	3400	1876	1524	UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA2703,UP80BT9948
अक्टूबर	49950	3330	1983	1347	UP80ET0729,UP83BT9051,UP80BT7192,UP801597MP06GA2703,UP80BT6375,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,MP06GA2706,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,MP06GA2703,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192RJ111004,UP85AT3702
नवम्बर	49575	3305	1854	1451	UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA2703,UP80BT9948
दिसम्बर	55050	3670	2037	1633	UP85AT3702,UP80BT1421,UP83BT3733,UP75M4989,UP80BT7192UP80BT1421,UP809233,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,UP757710,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,RJ111004,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192

वर्ष 2016 में लेवी सहित ट्रेवलिंग फिटनेस सर्टिफिकेट का विवरण।					
माह	टी0एफ0सी0 हेतु लेवी का भुगतान	कुल पशुओं की संख्या	घरेलू/स्थानीय खपत	कम्पनी/निर्यात	वाहन संख्या
जनवरी	49950	3330	1762	1568	UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA2703,UP80BT9948
फरवरी	48225	3215	1863	1352	UP75M4989,UP84T8176,UP80AZ9980,MP06GA2703,UP809233,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,UP757710,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,RJ111004,UP80BT1249,UP80BT9948,UP83ET4349,UP80AZ9980,UP801032,RJ117587
मार्च	47625	3175	1940	1235	RJ111004,UP809233,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA 2703,UP83BT3733
अप्रैल	45750	3050	1953	1097	UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA2703,UP80BT9948
मई	51225	3417	1834	1583	RJ111004,UP809233,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421 UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA 2703,UP83BT3733
जून	49830	3322	1762	1560	UP806705,MP06GA2703,UP83BT9051,UP83BT6630,UP809233,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA 2703,UP83BT3733,RJ111004,MP062584,UP83ET4349
जुलाई	50100	3340	1836	1504	UP85AT3702,UP80BT1421,UP83BT3733,UP75M4989,UP90BT7192UP80BT1421,UP809233,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,UP757710,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,RJ111004,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192
अगस्त	49545	3303	1932	1371	RJ111004,UP809233,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA 2703,UP83BT3733
सितम्बर	45645	3043	1840	1203	UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA2703,UP80BT9948
अक्टूबर	49260	3284	1782	1502	UP80ET0729,UP83BT9051,UP80BT7192,UP801597MP06GA2703,UP80BT6375,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,MP06GA2706,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,MP06GA2703,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192RJ111004,UP85AT3702
नवम्बर	42375	2825	1983	842	UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA2703,UP80BT9948
दिसम्बर	37125	2475	1774	701	UP84T8176,UP80BT0752,MP06GA2703,UP75M4989UP80ET0729,UP83BT9051,UP80BT7192,UP801597MP06GA2703,UP80BT6375,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,MP06GA2706,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,MP06GA2703,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192RJ111004,UP85AT3702,MP06GA2703,UP757710,UP83ET4349

वर्ष 2017 में लेवी सहित ट्रेवलिंग फिटनेस सर्टिफिकेट का विवरण।

माह	टी0एफ0सी0 हेतु लेवी का भुगतान	चेक संख्या	कुल पशुओं की संख्या	घरेलू/स्थानीय खपत	कम्पनी/निर्यात	वाहन संख्या
जनवरी	37500	861306	2500	1743	757	RJ111004,UP809233,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA 2703,UP83BT3733
फरवरी	36000	861307	2400	1827	4227	UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA2703,UP80BT9948
मार्च	45750	861426, 861430	3050	1967	1967	UP84T8176,UP80BT0752,MP06GA2703,UP75M4989UP80ET0729,UP83BT9051,UP80BT7192,UP801597MP06GA2703,UP80BT6375,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,MP06GA2706,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,MP06GA2703,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192RJ111004,UP85AT3702,MP06GA2703,UP757710,UP83ET4349
अप्रैल	55500	861461, 861581	3700	2053	1647	UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA2703,UP80BT9948
मई	58500	861626, 861666	3900	2108	1792	UP75M4989,UP84T8176,UP80AZ9980,MP06GA2703,UP809233,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,UP757710,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,RJ111004,UP80BT1249,UP80BT9948,UP83ET4349,UP80AZ9980,UP801032,RJ117587
जून	56835	861682, 861716, 922547	3789	2214	1575	UP806705,MP06GA2703,UP83BT9051,UP83T6630,UP809233,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA 2703,UP83BT3733,RJ111004,MP062584,UP83ET4349
जुलाई	65250	922548, 922552	4350	2451	1899	UP85AT3702,UP80BT1421,UP83BT3733,UP75M4989,UP80BT7192UP80BT1421,UP809233,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,UP757710,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,RJ111004,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192
अगस्त	57810	922555, 922569	3854	1878	1976	UP84T8176,UP80BT0752,MP06GA2703,UP75M4989UP80ET0729,UP83BT9051,UP80BT7192,UP801597MP06GA2703,UP80BT6375,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,MP06GA2706,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,MP06GA2703,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192RJ111004,UP85AT3702,MP06GA2703,UP757710,UP83ET4349
सितम्बर	56850	922580, 922577	3790	2080	1710	UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA2703,UP80BT9948
अक्टूबर	57900	0922637 ,922616	3860	1870	1990	UP80ET0729,UP83BT9051,UP80BT7192,UP801597MP06GA2703,UP80BT6375,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,MP06GA2706,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,MP06GA2703,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192RJ111004,UP85AT3702
नवम्बर	53145	02259,	3543	2040	1503	RJ111004,UP809233,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA 2703,UP83BT3733
दिसम्बर	29835	02356, 02636	1989	1485	504	UP80BT1249,MP06GA2703,UP806705,UP802056UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA2703,UP80BT9948,UP84T8176,UP80AZ9980,MP06GA2703,UP80BT9948

वर्ष 2018 में लेवी सहित ट्रेवलिंग फिटनेस सर्टिफिकेट का विवरण।

माह	टी0एफ0सी0 हेतु लेवी का भुगतान	चेक संख्या	कुल पशुओं की संख्या	घरेलू/स्थानीय खपत	कम्पनी/निर्यात	वाहन संख्या
जनवरी	57990	002424	3866	2040	1826	UP84T8176,UP80BT0752,MP06GA2703,UP75M4989UP80ET0729,UP83BT9051,UP80BT7192,UP801597MP06GA2703,UP80BT6375,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,MP06GA2706,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,MP06GA2703,UP80BT1249,UP80BT9948,U
फरवरी	29025	002437	1935	1593	342	UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703.UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA2703,UP80BT9948
मार्च	50100	026378	3340	1973	1367	UP80BT1421,UP809233,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,UP757710,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,RJ111004,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192
अप्रैल	56550	009125	3770	1890	1880	RJ111004,UP809233,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA 2703,UP83BT3733
मई	56550	026417	3770	1940	1830	UP75M4989,UP84T8176,UP80AZ9980,MP06GA2703,UP809233,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,UP757710,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710.UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,RJ111004,UP80BT1249,UP80BT9948,UP83ET4349,UP80AZ9980,UP801032,RJ117587
जून	50625	026449, 026437	3375	2014	1361	UP806705,MP06GA2703,UP83BT9051,UP83T6630,UP809233,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA 2703,UP83BT3733,RJ111004,MP062584,UP83ET4349
जुलाई	49320	26450, 26453,	3288	1935	1353	UP85AT3702,UP80BT1421,UP83BT3733,UP75M4989,UP80BT7192UP80BT1421,UP809233,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,UP757710,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,RJ111004,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192
अगस्त	45420	26477, 56478, 26468	3028	1864	1164	UP84T8176,UP80BT0752,MP06GA2703,UP75M4989UP80ET0729,UP83BT9051,UP80BT7192,UP801597MP06GA2703,UP80BT6375,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,MP06GA2706,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,MP06GA2703,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192RJ111004,UP85AT3702,MP06GA2703,UP757710,UP83ET4349
सितम्बर	43200	26485	2880	1926	954	UP80BT1249,MP06GA2703,UP806705,UP802056UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA2703,UP80BT9948,UP84T8176,UP80AZ9980,MP06GA2703,UP80BT9948
अक्टूबर	45060	26496, 26495, 26502	3004	2018	986	UP80ET0729,UP83BT9051,UP80BT7192,UP801597MP06GA2703,UP80BT6375,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,MP06GA2706,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152.RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,MP06GA2703,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192RJ111004,UP85AT3702
नवम्बर	40800	26516	2720	1936	784	UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA2703,UP80BT9948
दिसम्बर	30960	26526	2064	1439	625	MP06GA2703,UP80BT6375,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,MP06GA2706,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,MP06GA2703,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192

वर्ष 2019 में लेवी सहित ट्रेवलिंग फिटनेस सर्टिफिकेट का विवरण।

माह	टी0एफ0सी0 हेतु लेवी का भुगतान	चेक संख्या	कुल पशुओं की संख्या	घरेलू/ स्थानीय खपत (कि0ग्रा0)	कम्पनी /निर्यात	Vehicle No
जनवरी	46035	9176	3069	1940	1129	MP06GA2703,UP80BT6375,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,MP06GA2706,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,MP06GA2703,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192
फरवरी	47220	26532	3148	1832	1316	UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA2703,UP80BT9948
मार्च	49725	26538	3315	1746	1569	UP80BT1421,UP809233,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,UP757710,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,RJ111004,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192
अप्रैल	49395	26549	3293	2030	1263	RJ111004,UP809233,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA 2703,UP83BT3733
मई	44370	323885	2958	1849	1109	UP75M4989,UP84T8176,UP80AZ9980,MP06GA2703,UP809233,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,UP757710,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,RJ111004,UP80BT1249,UP80BT9948,UP83ET4349,UP80AZ9980,UP801032,RJ117587
जून	46680	26564	3112	1970	1142	UP806705,MP06GA2703,UP83BT9051,UP83T6630,UP809233,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA 2703,UP83BT3733,RJ111004,MP062584,UP83ET4349
जुलाई	56970	26574	3798	1865	1933	UP85AT3702,UP80BT1421,UP83BT3733,UP75M4989,UP80BT7192UP80BT1421,UP809233,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,UP757710,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,RJ111004,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192
अगस्त	47730	2516	3182	1978	1204	UP80ET0729,UP83BT9051,UP80BT7192,UP801597MP06GA2703,UP80BT6375,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,MP06GA2706,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,MP06GA2703,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192RJ111004,UP85AT3702
सितम्बर	48855	2530	3257	1868	1389	MP062584,RJ111004,MP06GA3152,UP83BT2058,UP80AZ9980UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA2703,UP80BT9948,UP83AT8244,UP83ET4349,MP06GA2703
अक्टूबर	56325	2542	3755	1935	1820	UP80BT1249,MP06GA2703,UP806705,UP802056UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT8231,UP83CT6202,UP85AT3702,UP801597,UP801597,UPBT1421,UP757710,UP80BT1421,MP,MP061367,UP80BT9548,UP802058,UP806705,UP75M4989,MP06GA2703,MP06GA2703,UP84T8176,UPBT0752,MP06GA2703,UP84T8176,UP80GT2703,UP83BT4454,UP83BT9051,MP06GA2703,UP80BT9948,UP84T8176,UP80AZ9980,MP06GA2703,UP80BT9948
नवम्बर	54750	26585	3650	1896	1754	UP84T8176,UP80BT0752,MP06GA2703,UP75M4989UP80ET0729,UP83BT9051,UP80BT7192,UP801597MP06GA2703,UP80BT6375,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,MP06GA2706,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,MP06GA2703,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192RJ111004,UP85AT3702,MP06GA2703,UP757710,UP83ET4349
दिसम्बर	57690	554,2658	3846	1926	1920	UP80BT1249,UP80BT6199,UP83BT9051,UP801597,UPET0729UP85AT3702,UP80BT1421,UP83BT3733,UP75M4989,UP80BT7192UP80BT1421,UP809233,UP80BT9529,UP83BT4454,UP84T8176,UP757710,UP80BT9548,MP061367,UP807602,UP83ET4349,UP83AT8244,UP80DT9531,UP80CT6202,MP06GA2690,MP06GA3152,RJ111004,MP062584,UP757710,UP833721,UP80BT1421,UP75M4989,RJ111004,UP80BT1249,UP80BT9948,UP80BT6199,UP80BT7192

नत्थी 'ङ'

(अतारांकित प्रश्न सं0-67 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-75 पर)

विगत तीन वर्षो में नामित राजकीय पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा जमा कराये गये एण्टीमार्टम/पोस्टमार्टम शुल्क का विवरण।

जनपद--अलीगढ

क0सं0	वर्ष	पशुवधशाला में किये गये पशुवध की कुल संख्या	नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये एण्टीमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 15 प्रति बडे पशु		नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये पोस्टमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 30 प्रति बडे पशु	
			संख्या	शुल्क	संख्या	शुल्क
1	2016-17	975698	20423	306345	15924	477720
2	2017-18	1326669	26466	396990	20775	623250
3	2018-19	1354037	27942	419130	21202	636060
	कुल योग	2462404	74832	1122465	57901	1737030

जनपद--शामली

क0सं0	वर्ष	पशुवधशाला में किये गये पशुवध की कुल संख्या	नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये एण्टीमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 15 प्रति बडे पशु		नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये पोस्टमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 30 प्रति बडे पशु	
			संख्या	शुल्क	संख्या	शुल्क
1	2016-17	44307	4115	61725	3924	117720
2	2017-18	43072	2740	41100	2625	78750
3	2018-19	128232	3635	54525	3527	105810
	कुल योग	215611	10490	157350	10076	302280

जनपद--आगरा

क0सं0	वर्ष	पशुवधशाला में किये गये पशुवध की कुल संख्या	नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये एण्टीमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 15 प्रति बडे पशु		नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये पोस्टमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 30 प्रति बडे पशु	
			संख्या	शुल्क	संख्या	शुल्क
1	2016-17	163433	24144	362160	24144	724320
2	2017-18	171203	19264	288960	19264	577920
3	2018-19	166928	11859	177885	11859	355770
	कुल योग	501564	55267	829005	55267	1658010

जनपद--बाराबंकी

क0सं0	वर्ष	पशुवधशाला में किये गये पशुवध की कुल संख्या	नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये एण्टीमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 15 प्रति बडे पशु		नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये पोस्टमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 30 प्रति बडे पशु	
			संख्या	शुल्क	संख्या	शुल्क
1	2016-17	193249	9769	146535	9601	288060
2	2017-18	202986	4291	64365	4159	124770
3	2018-19	210902	4434	66510	4486	134580
	कुल योग	607137	18494	277410	18246	547410

जनपद–मुजफ्फरनगर

क0सं0	वर्ष	पशुवधशाला में किये गये पशुवध की कुल संख्या	नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये एण्टीमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 15 प्रति बडे पशु		नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये पोस्टमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 30 प्रति बडे पशु	
			संख्या	शुल्क	संख्या	शुल्क
1	2016–17	67455	8305	124575	8305	249150
2	2017–18	62132	7482	112230	7482	224460
3	2018–19	111332	10487	157305	10452	313560
	कुल योग	240919	26274	394110	26239	787170

जनपद–बुलन्दशहर

क0सं0	वर्ष	पशुवधशाला में किये गये पशुवध की कुल संख्या	नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये एण्टीमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 15 प्रति बडे पशु		नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये पोस्टमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 30 प्रति बडे पशु	
			संख्या	शुल्क	संख्या	शुल्क
1	2016–17	102772	9115	136725	8754	262620
2	2017–18	97883	6831	102470	7127	213830
3	2018–19	105511	7997	119960	8012	240360
	कुल योग	306166	23943	359155	23893	716810

जनपद–झांसी

क0सं0	वर्ष	पशुवधशाला में किये गये पशुवध की कुल संख्या	नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये एण्टीमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 15 प्रति बडे पशु		नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये पोस्टमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 30 प्रति बडे पशु	
			संख्या	शुल्क	संख्या	शुल्क
1	2016–17	–	–	–	–	–
2	2017–18	44161	1844	27660	1655	49650
3	2018–19	66882	3402	51030	3120	93600
	कुल योग	111043	5246	78690	4775	143250

जनपद–अमरोहा

क0सं0	वर्ष	पशुवधशाला में किये गये पशुवध की कुल संख्या	नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये एण्टीमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 15 प्रति बडे पशु		नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये पोस्टमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 30 प्रति बडे पशु	
			संख्या	शुल्क	संख्या	शुल्क
1	2016–17	235046	3104	46554	3077	92310
2	2017–18	34304	487	7315	470	14100
3	2018–19	10270	157	2355	137	4110
	कुल योग	279620	3748	56214	3684	110520

जनपद–बिजनौर

क0सं0	वर्ष	पशुवधशाला में किये गये पशुवध की कुल संख्या	नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये एण्टीमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 15 प्रति बडे पशु		नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये पोस्टमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 30 प्रति बडे पशु	
			संख्या	शुल्क	संख्या	शुल्क
1	2016–17	60289	1633	24795	865	25950
2	2017–18	49903	623	9345	404	12120
3	2018–19	–	–	–	–	–
	कुल योग	110192	2256	34140	1269	38070

जनपद–उन्नाव

क0सं0	वर्ष	पशुवधशाला में किये गये पशुवध की कुल संख्या	नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये एण्टीमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 15 प्रति बडे पशु		नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये पोस्टमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 30 प्रति बडे पशु	
			संख्या	शुल्क	संख्या	शुल्क
1	2017–18	2163855	30031	450465	29378	881340
2	2018–19	1205397	39064	585960	41988	1259640
3	2019–20	697961	30491	457365	42817	1284510
	कुल योग	4067213	99586	1493790	114183	3425490

जनपद–सहारनपुर

क0सं0	वर्ष	पशुवधशाला में किये गये पशुवध की कुल संख्या	नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये एण्टीमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 15 प्रति बडे पशु		नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये पोस्टमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 30 प्रति बडे पशु	
			संख्या	शुल्क	संख्या	शुल्क
1	2016–17	104784	4514	67710	7198	215940
2	2017–18	142062	6372	95580	7832	234960
3	2018–19	136614	8533	127995	10578	317340
	कुल योग	486613	19419	291285	25608	788240

जनपद–रामपुर

क0सं0	वर्ष	पशुवधशाला में किये गये पशुवध की कुल संख्या	नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये एण्टीमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 15 प्रति बडे पशु		नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये पोस्टमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 30 प्रति बडे पशु	
			संख्या	शुल्क	संख्या	शुल्क
1	2016–17	133586	19412	291180	19122	573660
2	2017–18	183325	20280	304200	19864	595920
3	2018–19	226934	12541	188115	11944	358320
	कुल योग	543845	52233	783495	50930	1527900

जनपद–संभल

क0सं0	वर्ष	पशुवधशाला में किये गये पशुवध की कुल संख्या	नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये एण्टीमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 15 प्रति बडे पशु		नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये पोस्टमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 30 प्रति बडे पशु	
			संख्या	शुल्क	संख्या	शुल्क
1	2016–17	164565	10579	158685	10497	314910
2	2017–18	223359	12198	182970	12198	163665
3	2018–19	217351	10911	163665	10911	327330
	कुल योग	605275	33688	503220	33606	1008180

जनपद–बरेली

क0सं0	वर्ष	पशुवधशाला में किये गये पशुवध की कुल संख्या	नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये एण्टीमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 15 प्रति बडे पशु		नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये पोस्टमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 30 प्रति बडे पशु	
			संख्या	शुल्क	संख्या	शुल्क
1	2016–17	245580	4034	60510	3821	114630
2	2017–18	331997	7000	97890	6579	181482
3	2018–19	398417	9218	131780	8850	248730
	कुल योग	975974	20252	290180	19250	544842

जनपद–गाजियाबाद

क0सं0	वर्ष	पशुवधशाला में किये गये पशुवध की कुल संख्या	नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये एण्टीमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 15 प्रति बडे पशु		नामित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये पोस्टमार्टम की संख्या एवं उसके सापेक्ष जमा शुल्क @ रू0 30 प्रति बडे पशु	
			संख्या	शुल्क	संख्या	शुल्क
1	2016–17	345008	5323	79845	5011	150330
2	2017–18	384335	6755	101325	6479	194370
3	2018–19	255440	3102	46530	2772	83160
	कुल योग	974783	15180	227700	14262	427880

पी0एस0यू0पी0-एल0-237 विधान सभा (383)-01-02-2022-631 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।